(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक 7] विधान सभा के सप्तम सत्र का 19वां दिवस [संख्या 15

शुक्रवार

7 मार्च, 1975

विधान सभा की बैठक म. प. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(नियुक्ति I, राजस्व, शिक्षा, कृषि, अकाल सहायता, खादी एवं ग्रामोद्योग, भेड़ व ऊन, पशुपालन, खाद्य, उद्योग, गृह विधि, उप-निवेशन विभाग)।

भरतपुर जिले में डेयरी योजना

386. श्रीमती ऊषा प्रकाश (वैर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में दुग्ध डेयरी स्थापित करने की योजना मन्जूर हुई है?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिये एक एडहॉक समिति जिला स्तर पर बनाई गई है? यह कब बनाई गई और इसके कौन कौन सदस्य हैं?

(3) क्या यह सही है कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये लघु कृषक विकास कार्यक्रम में प्रावधान है?

(4) इस प्रावधान के अन्तर्गत अब तक कितनी भैंसों के लिये ऋण उपलब्ध कराया गया है? कृपया तहसीलवार जानकारी दें।

पशुपालन मंत्री (श्री शिवचरण माथुर): (1) राज्य सरकार द्वारा भरतपुर में विश्व बैंक की सहायता से दुग्ध डेयरी स्थापित करने की योजना विचाराधीन है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) इस प्रावधान के अन्तर्गत जनवरी 1975 तक 1043 भैंसों के लिए ऋण दिया गया है। पंचायत समितिवार विवरण निम्न प्रकार है:—

1. पंचायत समिति, डीग	233
2. पंचायत समिति, नगर	410
3. पंचायत समिति, धोलपुर	206

(पशु पालन मंत्री)

4. पंचायत समिति, राजाखेड़ा	007
5. पंचायत समिति, सेवर	076
6. पंचायत समिति, रूपवास	023
7. पंचायत समिति, कुम्हेर	034
8. पंचायत समिति, नदबई	054
	1043

श्रीमती ऊषा प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, जैसी कि मुझे जानकारी है 1972 में एक दुग्ध डेयरी स्थापित करने की योजना बनी थी और उसके अन्तर्गत एडहॉक कमेटी का निर्माण किया गया था तो पहले तो मैं यह जानना चाहती हूं कि यह किसके तहत बनी थी ? दूसरे भरतपुर जिले में जो इतनी तहसीलें हैं उसमें से आपने जो सूची दी उसमें 3-4 तहसीलें तो बिलकुल गायब हैं या उनमें बहुत कम लोनिंग हुआ है। इसका क्या कारण है ? जैसे वैर को आपने सूची में नहीं दिया है। आप जल्दी जल्दी बोल गये और मुझे अन्दाजा नहीं हुआ लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है वैर में कोई ऋण इसके अन्तर्गत नहीं दिया है। बयाना में बहुत कम किया और रूपवास में भी बहुत कम है।

एक माननीय सदस्य : आप भी तो जल्दी जल्दी में बोल गये।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1972 में एक डेरी योजना जिसकी क्षमता 60 हजार लीटर की थी बनाई गई थी। नेशनल डेरी डवलपमेंट कार्यक्रम के तत्वावधान में उसके लगाने का विचार किया गया था और उसी के अनुसार डेरी डवलपमेंट बोर्ड के अन्तर्गत एक जिला दुग्ध उत्पादन संघ की स्थापना की बात थी। उसी को देखते हुए एक एडहॉक कमेटी का निर्माण किया गया था और वह आज तक कमेटी कार्य कर रही है लेकिन उसके बीच ही भरतपुर में एक लाख लीटर की कैपेसिटी की योजना बनाई गई और विश्व बैंक ने उसको स्वीकृति दे दी और राज्य सरकार ने भी स्वीकृति कल परसों में दे दी है। इसलिए यह जो एडहॉक बोर्ड बनाया गया है इस योजना को लागू करने के लिए इसका पुनर्गठन भी किया जा सकता है। अब एस. एफ. डी. के अन्तर्गत पशुओं का कर्जा वैर, बयाना और रूपवास को देने का तो यह सही है और वैर और बयाना में कब दिया गया था यह स्थानीय एस. एफ. डी. को एजेन्सी के निर्णय पर निर्भर करता है और इन तहसीलों को क्यों नहीं हुआ है इसके बारे में जानकारी करके आपको बता दूंगा।

श्रीमती ऊषा प्रकाश : क्या इसका कारण यह नहीं है कि जो एडहॉक कमेटी बनी हुई है उसमें इन जगहों का प्रतिनिधित्व नहीं है ?

श्री शिवचरण माथुर : यह कारण नहीं होना चाहिए। जो आंकड़े इकट्ठे होते हैं वह उसके ऊपर निर्भर करता है। प्रतिनिधि के नहीं होने से लोनिंग नहीं हो ऐसी बात नहीं है।

श्री रामलाल (वाड़ी) : बाड़ी, राजाखेड़ा और बसेड़ी में भी डेयरी खोलने का इरादा मन्त्री महोदय रखते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : डेयरी तो एक जगह ही होगी। उसका चिलिंग प्लान्ट दूध

(श्री शिवचरण माथुर)
के मिलने का जहां सेन्टर है वहां स्थापित हो सकता है। वह दूध की उपलब्धि के ऊपर ही हो सकता है। अगर बाड़ी में दूध होगा तो निश्चित रूप से यह प्लांट वहां हो सकता है।

श्री जयकिशनलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन था कि और जिलों में भी क्या सर्वेक्षण राज्य सरकार करायेगी जिससे मालूम पड़ सके कि किस किस क्षेत्र में इस प्रकार की खोलने की स्थिति है और कितना दूध उपलब्ध हो सकता है ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कह दूं . . .

श्री अध्यक्ष : आपका (श्री करणसिंह) प्रश्न भी सुन लें ताकि दोनों का उत्तर एक साथ आ जाये।

श्री करणसिंह : जो एडहॉक कमेटी बताई उसके नाम बताने की कृपा करें। वह प्रश्न पूछा गया था लेकिन बताया नहीं गया।

श्री शिवचरण माथुर : अभी जो कार्य करने वाला बोर्ड है उसकी सदस्यता निम्न-प्रकार है :–

जिलाधीश, भरतपुर	—	अध्यक्ष
प्रबन्ध संचालक, जयपुर दुग्ध वितरण योजना	—	सदस्य
अध्यक्ष, स्टेट को-आप. बैंक, भरतपुर	—	सदस्य
उप-पंजीयक, सहकारी समिति, भरतपुर		सदस्य
श्री घासीराम		"
श्री दामोदरलाल, अध्यक्ष नगर-परिषद्, भरतपुर		"
श्री प्रद्युम्नसिंह, सदस्य विधान सभा		"
श्री मुंशीलाल, सरपंच		"

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री जयकिशन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सुश्री शकुन्तला।

ग्राम सोढाला के बैकुंठनाथजी के मन्दिर की जमीन

387. **सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव** (आमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सोढाला के पास बैकुंठनाथजी के मन्दिर की जमीन के प्लाट रावल सामोद ने काट कर जनता को बेच दिये हैं ?

(2) क्या उक्त जमीन सीलिंग के तहत आई हुई है ?

Page No 4

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

(3) क्या यह सही है कि असिस्टेन्ट कलेक्टर श्री गेंदालाल जो कि ठिकाना सामोद के कामदार रहे उनके कार्यकाल में यह केस आया और सरकार की नीति के फलस्वरूप उन्होंने उक्त जमीन जो सीलिंग में आ चुकी थी उसको एक्वायर नहीं किया ? यदि यह सही है, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार ने इस पर कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया था ? यदि हां, तो उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

(5) क्या राज्य सरकार इस मामले की पुनः सी. बी. आई. या अन्य किसी एजेन्सी से जांच कराने के लिए तैयार है ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) :(1) यह सही है कि ग्राम सोढाला में रावल सामोद श्री राजेश्वरसिंह ने उनके खाते की जमीनों के कुछ भाग प्लाट काट कर बेच दिये हैं। इनमें खसरा नम्बर 218 जो गैर मुमकिन मन्दिर है, भी शामिल है, जिसे श्री राजेश्वरसिंह द्वारा श्रीमती फूलमती पत्नी रामेश्वर व मुन्नीदेवी पत्नी राम रतन धामाणी के नाम जरिये विक्रय पत्र दिनांक 27-12-72 से स्थानान्तरित किया है जिसके कुछ हिस्से पर निर्माण भी किया है।

(2) जी हां। यह सही है कि रावल सामोद की 99-112 स्टेन्डर्ड एकड़ भूमि उप-जिलाधिकारी आमेर के आदेश दिनांक 30-10-71 के अन्तर्गत सीलिंग कानून के तहत अधिग्रहण की गई है।

(3) यह सही नहीं है कि श्री गेंदालाल शर्मा असिस्टेन्ट कलेक्टर ठिकाना सामोद में कामदार रहे हैं। श्री गेंदालाल शर्मा ने तहसीलदार, जयपुर के पद पर रहते हुये अवाप्त शुदा भूमि का कब्जा दिनांक 15-3-74 को लिया है।

(4) यह सही है कि गत विधान सभा में नियम विरुद्ध नामान्तरकरण खोलने के बारे में जांच कराने एवं नियम विरुद्ध पाये जाने पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था एवं अधिग्रहीत भूमि का कब्जा लेने का भी आश्वासन दिया था। अधिग्रहीत भूमि का कब्जा दिनांक 15-3-74 को लिया जा चुका है एवं राजस्व मण्डल से स्थगन आदेश बाबत यथावत् स्थिति रखने के प्राप्त होने के कारण कार्यवाही नहीं की गई।

(5) कोई विचार नहीं है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न संख्या (3) का जो उत्तर दिया है इसमें श्री गेंदालाल जो कि पहले सामोद ठिकाने के कामदार थे उनके बारे में बताया कि वह कामदार न थे और न हैं बल्कि उनके ग्राण्डफादर ठिकाना सामोद के कामदार रहे हैं। पिछली विधान सभा सत्र में भी इस ओर मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था कि उन्होंने बजाय सरकार की ओर से पैरवी करने के एक तरह से

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)
ठिकाना सामोद की तरफ से पैरवी की और उसके कारण से अगर आप आज वहां पर जाकर देखें तो मकानों की तामीरात अभी तक जारी है जब कि यहां यह उत्तर दिया जा रहा है कि वह तामीरात रोक दी गई। उस समय तो रोक दी गई, इसमें शक नहीं, मैं इस बात को मानती हूं लेकिन उसके बाद से जब विधान सभा सत्र का अवसायन हुआ उसके बाद से तामीरात की कार्यवाही फिर वहां चल रही है उसके बारे में सरकार का क्या कहना है यह मैं जानना चाहती हूं?

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): राज्य सरकार की सूचना के अनुसार श्री गेंदालाल तत्कालीन असिस्टेन्ट कलेक्टर के पिताजी कभी ठिकाना सामोद के कामदार नहीं रहे। शायद माननीय सदस्या को यह सूचना जिस किसी ने दी है तथ्यों पर आधारित नहीं है। जहां तक प्रश्न श्री गेंदालाल के खिलाफ इस आरोप का है कि उन्होंने सामोद ठिकाना की पैरवी की और राज्य सरकार की नहीं की तो पिछले सत्र में 4-3-74 को यह प्रश्न पूछा गया था उस समय तक इस भूमि के सीलिंग के जो रिजम्पशन आदेश एस.डी.ओ., आमेर ने दिये थे वह कन्डीशनल रिजम्पशन आदेश थे। उन्होंने अपने आदेश में जो 30-10-71 को दिये उसमें यह लिखा था कि चूंकि हाईकोर्ट की रिट पिटीशन पर स्टे आर्डर आ गया है इसलिए जब तक स्टे आर्डर रहता है तब तक इसका रिजम्पशन नहीं किया जाये। इस प्रकार का आदेश एस. डी. ओ. देता है उसके सक्सेसर को दूसरे आदेश देने पड़े। हाईकोर्ट के स्टेआर्डर के वेकेट होने के बाद और यह आदेश जो वेकेट हुए हैं और रिजम्प्शन आर्डर दिये हैं यह 6-3-74 को दिये हैं और 6-3-74 के आदेश के बाद गेंदालाल तहसीलदार ने 15-3-74 को कब्जा ले लिया। मेरे पास इस समय सूचना नहीं है कि तामीरात हो रही है या नहीं। लेकिन आपकी सूचना के लिए निवेदन कर दूं कि रेवेन्यू बोर्ड ने यह आदेश किया कि उन्हें किसी भी प्रकार से बेदखल नहीं किया जाय और उसके रिजम्प्शन के मामले में और दूसरे मामले में आगे कार्यवाही कोई नहीं की जाय। इस प्रकार एक इजेक्शन टाइप आदेश दे दिया गया है। जब तक फैसला नहीं हो जाता रेवेन्यू बोर्ड से राज्य सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकती, मैटर सबजूडिस है।

श्री प्रद्युम्नसिंह: मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय। जैसा माननीय सदस्या ने कहा कि तामीरात वगैरा हो रहे हैं। वह तो इजेक्शन आर्डर ले आए, स्टे-आर्डर ले आए लेकिन वहां पर जो तामीरात हो रहे हैं उसके विरुद्ध राज्य सरकार स्टे आर्डर, इंजेक्शन आर्डर लाने की कार्यवाही करने का विचार रखती है?

श्री परसराम मदेरणा: तामीरात का अलग से प्रश्न है। इस प्रश्न में तामीरात के बारे में नहीं पूछा गया था इसलिए मेरे पास अभी जानकारी नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला: वह तो आपके उत्तर में ही आया है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव: माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत स्पष्ट है और मैं किसी पर चार्ज नहीं लगाना चाहती

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

जहां तक राजस्व मंत्रीजी का सवाल है उसमें कोई चार्ज नहीं है कि राजस्व मंत्रीजी ने जो आदेश दिए थे उसके तुरन्त बाद उस जमीन का कब्जा लिया गया, नम्बर एक।

नम्बर दो, वहां पर बहुत प्राचीन काल से बैकुण्ठनाथजी का मंदिर है और इतनी बड़ी मूर्ति लगी हुई है, तो क्या मैं ऐसा मानकर चलूं कि देवस्थान के अन्तर्गत आई हुई जमीन या चरागाह के अन्तर्गत आई हुई जमीन उसके ऊपर भी वे अपना कब्जा कर लें और उसके ऊपर तामीरात रात और दिन जारी रखें। यह बात कहां तक उचित है, माननीय राजस्व मंत्रीजी क्या इस बात को महसूस करते हैं?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि बैकुण्ठनाथजी की एक भव्य मूर्ति वहां पर है और यह रकबा जो साढ़े तीन बीघा के आस-पास टोटल है जो बेचान किया गया है जो खसरा नम्बर 218, 219, 220, एक दो खसरा के नम्बर मेरे पास नहीं हैं लेकिन 223, 224, 225 और 226 यह कुल मिलाकर भूमि साढ़े तीन बीघा है और यह भूमि साठ हजार रुपये में बेची गई। बेचने के प्रश्न पर वह कार्यवाही हो रही है, इंसपेक्टर स्टेम्प्स के यहां पर हो रही है, वह भी एक शिकायत हुई है। अब रहा यह सवाल कि यह मंदिर जो है न ट्रस्ट से बना हुआ है न राज्य सरकार के कब्जे में यह मंदिर है। कुछ लोगों ने वहां के पुजारी वगैरा ने ट्रस्ट क्रियेट करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर, देवस्थान को अर्जी दी थी जो ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग्स में उसमें अपील खारिज कर दी गई। उसके बाद में पार्टी ने कमिश्नर देवस्थान विभाग के पास अपील की है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : यह जो फैक्ट्स हैं यह मैं माननीय मंत्री महोदय को प्रस्तुत कर रही हूं।

श्री अध्यक्ष : पूछ लीजिए इनके बारे में।

(एक कागज सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव द्वारा श्री राजस्व मंत्रीजी को दिया गया)

एक माननीय सदस्य : क्या माननीय मंत्री महोदय यह नीति निर्धारित करेंगे कि जो सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं और कोर्ट के आर्डर से सरकार पाबन्द हो जाती है, उसको रोकने के लिए सरकार कोई नीति निर्धारित करना चाहेगी जिससे इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन वर्क आगे न चलें?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

अधिकारियों की वरिष्ठता सूची

388. श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) (श्री जनार्दनसिंह गहलोत की ओर से) : क्या राज्य मंत्री, भेड़ व ऊन यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भेड़ व ऊन विभाग के किस किस राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच किन-किन मामलों में कब-कब से चल रही है और उन पर क्या क्या आरोप लगाये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

(2) विभाग में वरिष्ठता सूचियों के सम्बन्ध में किस-किस अधिकारी ने किस-किस तारीख को अपनी वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए प्रतिवेदन दिये व उन पर क्या-क्या निर्णय कब कब लिये ?

(3) कृपया उन अधिकारियों के नाम व पद बताने का कष्ट करें जिन्होंने अपना प्रतिवेदन सीधे ही राज्य मंत्री को प्रेषित किया हो ?

राज्य मंत्री, भेड़ व ऊन (श्री मुंशीलाल महावर) : (1) सूची क संलग्न है।

(2) सूची ख संलग्न है।

(3) केवल श्री ए. वी. शर्मा, जिला भेड़ व ऊन अधिकारी, अजमेर से एक प्रतिवेदन को अग्रिम प्रति दिनांक 18–9–74 को राज्य मंत्री को संबोधित प्राप्त हुई।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप नाम बता दीजिए कि कौन कौन हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मुंशीराम...(अश्रव्य)

श्री मुंशीलाल महावर : श्री राजेन्द्र मोहन सेठी, भेड़ व ऊन अधिकारी, (2) श्री ए. सी. दुबे; (3) रामेश्वरलाल माथुर····

श्री भानुकुमार शास्त्री : किस किस पोस्ट पर हैं ?

श्री मुंशीलाल महावर : यह बहुत लम्बी सूची है अगर आप कहें तो पूरी पढ़ दूं।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने जो सूची दी है वह सूची देखने के बाद मालूम पड़ता है कि राजेन्द्र मोहन सेठी के खिलाफ 67 से इंक्वायरी पेंडिंग है। आज आठ साल होने आए अभी तक निर्णय नहीं हो सका। इसी तरह से ए. सी. दुबे, इनकी सन् 68 से इंक्वायरी पेंडिंग है। सात साल होने को आए लेकिन इंक्वायरी पूरी नहीं हुई। राजेश्वरलाल माथुर यह भी छः सात साल से पेंडिंग है। इन्होंने 11 अधिकारियों की सूची दी इनमें से दो अधिकारियों को छोड़कर किसी को करीब आठ साल, सात साल हो गए इंक्वायरी पेंडिंग है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि क्या कारण है कि इन अधिकारियों की अभी तक इंक्वायरी पूरी नहीं हुई है। पहला सवाल।

दूसरा सवाल मुझे यह बता दीजिये कि··

श्री केदारनाथ : एक एक पूछें।

श्री मुंशीलाल महावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, सूची में 11 अधिकारियों के संबंध में इंक्वायरी के बारे में जो सूचना दी है उसमें यह इंक्वायरीज उपायुक्त विभागीय जांच राजस्थान, जोधपुर के पास चल रही है और अभी तक इन पर निर्णय नहीं हो पाया है इसके बारे में शीघ्र ही इंक्वायरी हो हम आदेश जारी करवा देंगे ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : शीघ्र ही आदेश जारी करा दें ताकि····

Page No 8

(8)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से अश्रव्य)

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक बड़ा महत्व का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय।

प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि श्री ए. सी. दुबे, सहायक निदेशक जो हैं डिपार्टमेंट में इनके खिलाफ 11 चार्जेज के ऊपर सन् 68 से इंक्वायरी पेंडिंग है और श्री ए. सी. दुबे जो इनके असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, क्या यह सही है कि श्री दुबे को 68 के अन्दर यह इतने चार्जेज लगने पर और इंक्वायरी पेंडिग होने पर भी 74 के अन्दर प्रमोशन देकर एनीमल हस्बेण्ड्री के भेड़ पशु पालन के असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर प्रमोट कर दिया, क्या यह सही है ?

श्री मुंशीलाल महावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा दुबे के बारे में और प्रमोशन के सम्बन्ध में पूछा, यह सही है कि इसको दिनांक 1-11-74 को प्रमोशन दिया गया है। जांच खिलाफ इंक्वायरी पेंडिग है और इंक्वायरी चल रही है। जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती, साबित नहीं हो जाते चार्जेज तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि कौन दोषी है ? इसलिए विभागीय आवश्यकता को देखते हुए इन लोगों को प्रमोशन दिया गया है।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री रामगोपाल : यह इंक्वायरी कब तक चलती रहेगी ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह माननीय मंत्री महोदय बतायें कि आठ साल से मामले चल रहे हैं इसका क्या कारण है ? आठ आठ साल तक इंक्वायरी पेंडिग रहे इसका क्या कारण है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके साथ ही सवाल है माननीय मंत्री महोदय, यह देखें कि इतने लम्बे समय तक मंत्रीजी, इतने लम्बे अर्से तक यह इंक्वायरी चलती रही, आप इस विलम्ब को लम्बा मानते हैं कि नहीं। अगर आप इस विलम्ब को दीर्घकालीन मानते हैं तो क्या जिन लोगों ने यह इंक्वायरी लम्बी की उनके खिलाफ इंक्वायरी कराने का आश्वासन दे सकते हैं कि नहीं ?

श्री मुंशीलाल महावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रशासनिक अधिकारी जांच कर रहे हैं उनको जांच जल्दी पूरी करने के लिए निवेदन किया जायेगा।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री रामगोपाल : निवेदन किससे करेंगे, आप सक्षम नहीं हो क्या ?

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा प्रश्न यह है माननीय सदस्य मंत्रीजी मेरी ओर देखिए, आठ साल से, सात साल से इंक्वायरी चल रही है और इतने लम्बे अर्से तक इंक्वायरी चलती रहे और यह लम्बी इंक्वायरी अपने लिए घातक है, नेपोटिज्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या जो इंक्वायरी इतने लम्बे अर्से से कर रहे हैं आप उनके खिलाफ देखिए। आप प्रगतिशील हैं। उनके खिलाफ आप दूसरी इंक्वायरी शुरू करने के लिए तत्पर हैं या नहीं।

Page No 9

(9)

श्री मुंशीलाल महावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हमारे बहुत ही बुजुर्ग और इस सदन को प्रेरणा देते रहे हैं और हम भी उनसे प्रेरणा पाने के हकदार हैं। आपने जो भावना प्रकट की है इसका पूरी तरह से सम्मान किया जाएगा।

(व्यवधान–प्रश्नाव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री ओंकारलाल।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से एक हद तक मेरी सहानुभूति है।

श्री अध्यक्ष : आपकी भावनाओं का भी सम्मान करेंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, लगातार किसी मामले की छानबीन 8 साल तक होती रहे, उसका अन्त नहीं आवे तो क्या यह सचमुच इन्क्वायरी की श्रेणी में आता है? यह मैल-एडमिनिस्ट्रेशन, लीपा पोती, ढिलगाई नहीं है?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे दल के उपनेता और मंत्री मण्डल के वरिष्ठ सदस्य, राजस्व मंत्री महोदय यहां इस सदन में विराजमान हैं। इस गंभीर मसले की तरफ उनकी ओर से आश्वासन चाहता हूं। यह कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। गबन का मामला है और काफी वर्षों से पेन्डिंग चल रहा है। तो इस के बारे में सरकार की ओर से क्या कदम उठाये जा रहे हैं, और क्या व्यवस्था कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ियां न हों?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ मंत्री श्री परसराम जी मदेरणा यहां पर हैं···

श्री अध्यक्ष : Not by name.

श्री प्रद्युम्नसिंह : राजस्व मंत्रीजी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस ए. सी. दुबे को जो प्रोमोशन दिया गया है उनके खिलाफ सीरियस चार्जेज हैं और परसोनल डिपार्टमेण्ट और कमिश्नर इन्क्वायरी के यहां पर इन्क्वायरीज चल रही हैं? आपकी प्रारम्भिक जांच में यह दोषी पाया गया है उसके बावजूद भी इसको प्रोमोशन दिया गया है इसका क्या कारण है? क्या आप दोषी व्यक्ति को दंड देंगे?

श्री परसराम मदेरणा : इस परटीकुलर केस श्री ए. सी. दुबे की इन्क्वायरी के तथ्य मुझे मालूम नहीं हैं, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं परन्तु इस मामले में जो इनआर्डिनेट डिले हुई है, वह नहीं होनी चाहिए थी और राज्य सरकार इस बात को मानती है कि काफी लम्बे अर्से से जांच पड़ी हुई है? राज्य सरकार इस बारे में शीघ्र आदेश जारी करेगी। जहां तक परसोनल डिपार्टमेण्ट और इन्क्वायरीज डिपार्टमेण्ट जो कि इन्क्वायरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही का प्रश्न है, यह देखना होगा कि उस परटीकूलर पीरियड में कौन कौन अधिकारी कार्य कर रहे थे, या इन्क्वायरी कर रहे थे, यह फैक्ट्स अभी नहीं हैं इसलिए यह आश्वासन कि इनके खिलाफ भी इन्क्वायरी होगी, सदन को नहीं दे सकता हूं अलबत्ता आपकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : राज्य मंत्री के आश्वासन को तो आपने रद्द कर दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री ओंकारलाल। प्रश्न संख्या 389

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण

389. **श्री ओंकारलाल चौहान (डग)**: क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लिये राज्य सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण की घोषणा की थी ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, गृह) : जी हां।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए राज्य सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण के आदेश दिनांक 10-2-75 को जारी कर दिये गये।

श्री ओंकारलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि दिनांक 10-2-75 के बाद इस सरक्यूलर के जारी होने के बाद, इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आदेश अभी जारी हुए हैं, इसलिए यह अभी बताना संभव नहीं हो सकता।

श्री जयकिशनलाल : अध्यक्ष महोदय, आये दिन सदन के अन्दर अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कर्मचारियों, अधिकारियों के आरक्षण की बात सदन में उठायी जाती रही है और सरकार की ओर से हर बार इस सदन के अन्दर आश्वसन दिया जाता रहा है परन्तु जब हम अपने बन्धुओं से मिलते हैं, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी से मिलते हैं तो पाते हैं कि यह आश्वासन केवल मात्र आश्वासन ही रह जाता है और इस दिशा की ओर कोई अमल नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : ब्रीफ में।

श्री जयकिशनलाल : राज्य सरकार आश्वासन के बाद किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले पायी है, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : फैसला जारी कर दिया गया है।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे फरवरी 75 के बाद, इस आर्डर के जारी होने के बाद क्या प्रगति हुई है ? इस आर्डर के अनुसार जो पचास पर्सेन्ट से अधिक जिन पदों में डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट होता है, और जिन पदों पर प्रोमोशन होता है 25 पर्सेन्ट उसमें, आपने शिड्यूल कास्ट, ट्राइब्स के लिए कोई कोटा नहीं रखा है। क्या यह सही है ?

श्री परसराम मदेरणा : फरवरी, 75 में प्रोमोशन के बारे में आदेश निकाल दिया गया है उसके अनुसार सभी रूल्स में अमेन्डमेन्ट किया जाएगा। इसमें शिड्यूल ट्राइब्स और कास्ट के लिए प्रोमोशन का रेशो 16 और 12 रखा गया है।

श्री पी. के. चौधरी : फरवरी 75 के सरक्यूलर के अन्दर गजेटेड रैंक, इन्जीनियरिंग सर्विसेज के लिए जो 25 परसेन्ट कोटा पदोन्नति के लिए होता है उनमें 25 परसेन्ट शिड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लिए नहीं रखा गया है। क्या यह बात सही है?

श्री परसराम मदेरणा : यह रेशो 16 और 12 का है प्रोमोशन के अन्दर। पहले भी रिजर्वेशन था जैसा कि इस सदन को मालूम है····

श्री पी. के. चौधरी : डाइरेक्ट के लिए था। 25 परसेन्ट जो प्रोमोशन कोटा है उसमें शिड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लिए नहीं है गजेटेड रैंक और इन्जीनियरिंग सर्विसेज के लिए नहीं रखा है फरवरी 75 के कोटा में·····

श्री परसराम मदेरणा : पहले भी प्रोमोशन के अन्दर रिजर्वेशन था वह 10 और 5 परसेन्ट था परन्तु उसके अन्दर सरटेन कन्डीशन्स थीं। अब जो प्रोमोशन का रिजर्वेशन रखा गया है वह 16 और 12 का है और इसके अन्दर रोस्टर सिस्टम को लागू किया गया है। अब इसको केरी फार्वर्ड भी किया जायेगा तीन कान्जीक्यूटिव ईयर्स तक।

श्री पी. के. चौधरी : मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है। आपने जो प्रोमोशन का कोटा गजेटेड रैंक और इन्जीनियरिंग सर्विसेज के लिए रखा है उसमें 25 परसेन्ट है, इस 25 परसेन्ट पोस्ट को सरकार प्रोमोशन से फिलअप करती है उसमें शिड्यूल ट्राइब्स और कास्ट के लिए रिजर्वेशन आपने फरवरी 75 के सरक्यूलर में नहीं रखा है। इस प्रश्न का जवाब हां में या ना में कहें।

श्री परसराम मदेरणा : जिन जिन सर्विसेज में···

श्री पी. के. चौधरी : आप सरक्यूलर पढ़ कर सुना दें।

श्री परसराम मदेरणा : जो सरक्यूलर इशु हुआ है, उसको पढ़कर सुना रहा हूं :

(शोरगुल—प्रश्नव्य)

श्री नत्थासिंह : एक्स. ई. एन. में शिड्यूल कास्ट को प्रोमोट नहीं किया गया है·····

(शोरगुल)

एक माननीय सदस्य : जो प्रोमोशन अब हों वे हमारी भावनाओं के अनुकूल होने चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : सरक्यूलर पढ़ रहा हूं····

(शोरगुल)

सुनिये····

"Department of Personnel, Jaipur, dated the 10th February, 1975.

Sub : Reservation for scheduled castes/scheduled tribes in direct recruitment--change in the percentage.

The Government have revised the percentage of

(श्री परसराम मदेरणा)

reservation for scheduled castes and scheduled tribes for appointment to posts in Government departments filled by direct recruitment to 16% for scheduled castes and 12% for scheduled tribes. Accordingly, the figures of 17% and 11% mentioned in the Appointments Department Order dated 15th October, 1971 shall be substituted by the figures 16% and 12% respectively, and the figures of 14% and 9% shown against item No. 1 against Rajasthan Police Service shall also be substituted by the figures 16% and 12% respectively. Instead of 100 points roster, 40 points rosters shall now be maintained for all services, in which points 1, 7, 14, 21, 28, and 35 and points 4, 12, 22, 30 and 39 shall be reserved for scheduled castes and scheduled tribes respectively."

इन रूल्स के अलावा और भी रिक्रूटमेंट के रूल्स हैं। ऐसा गवर्नमेंट के ध्यान में आया था 2–4 दिन पहले ही कि इन सर्विस रूल्स के अलावा कुछ डिपार्टमेंट के अन्दर प्रोमोशन और रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं उनमें पर्टीक्यूलर क्लाज में एमेंडमेंट नहीं हुआ है, जैसे पटवारीज हैं, इन्सपेक्टर्स हैं, वह सर्विस रूल्स में नहीं आते हैं। वह लैण्ड रेवेन्यू मेन्युअल में आते हैं। इस प्रकार के सर्विस रूल्स रह गये हैं उसको डिपार्टमेंट देख रहा है। उनको इन्फार्म कर दिया है कि वहां पर रिक्रूटमेंट और प्रोमोशन के अन्दर इस तरह के एमेंडमेंट्स जैसे दूसरे सर्विस रूल्स में हुये हैं किये जाने चाहिए। यह मेरी जानकारी है कि जहां कहीं भी रिक्रूटमेंट या प्रोमोशन हो रहे हैं इस प्रकार के आदेश दिये गये हैं। किसी सर्विस के बारे में रिक्रूटमेंट और प्रोमोशन के बारे में अगर माननीय सदस्यों की जानकारी है कि वहां पर रिक्रूटमेंट या प्रमोशन में इस प्रकार का रिजर्वेशन नहीं रखा है तो उस रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के बारे में तुरन्त एक्शन लिया जायगा।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय,··

श्री अध्यक्ष : वह जवाब आ गया है।

श्री पी. के. चौधरी : नो सर। प्रमोशन पोस्ट्स का सरक्यूलर पढ़ कर नहीं सुनाया है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती प्रभा मिश्रा।

(शोरगुल)

श्री ओंकारलाल चौहान : जो प्रमोशन का सरक्युलर है उसको पढ़ कर सुनायें।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। अगर कोई शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का सवाल रखा जाता है····

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय,··

श्री अध्यक्ष : आप बैठियेगा । कृपा करके स्थान ग्रहण करें ।

श्री मनोहरलाल : पचासों केसेज हैं उनमें क्या होता है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । अगर कोई शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का सवाल पूछते हैं तो सारे एक साथ उठ जाते हैं। एक एक करके पूछिये····

एक माननीय सदस्य : सब शिड्यूल्ड कास्ट के हैं।

श्री अध्यक्ष : एक साथ सब आदमी सप्लीमेन्ट्री पूछते हैं तो किसी का भी उत्तर नहीं दिया जाता है और वह जवाब दे नहीं पाते हैं । एक एक बोलें तो मैं कुछ प्रोवीजन कर सकूंगा वर्ना जो आप तरीका अख्त्यार करना चाहें वह करें ।

श्री पी.के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था···

श्री अध्यक्ष : आप भी सुनिये । मैं आपकी सुनता हूं तो आप मेरी भी सुनिये। जो भी जवाब देना था वह दे चुके हैं। अगर पूरा जवाब नहीं दे सकते हैं और कोई एम्बीग्यूटी रह जाती है तो दूसरा तरीका है ।

श्री पी. के. चौधरी : प्रमोशन पोस्टों का सर्क्यूलर नहीं पढ़ा है। रिक्रूटमेंट पोस्टों का···

श्री अध्यक्ष : He has said it, he has read the circular.

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा विश्वास है, अध्यक्ष महोदय, कि इसको पोस्टपोन कर दें । मंत्री महोदय क्लेरिफिकेशन करने की स्थिति में नहीं हैं ।

श्री गुमानमल लोढा : इसका जवाब समझ में नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष : इसी फार्मूले पर (कई माननीय सदस्यों के बातें करते रहने पर) सुनिये ।

इसी प्रमोशन वाले मामले पर मेरे पास एक स्थगन–प्रस्ताव–ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया हुआ है । मैंने उसे स्वीकार कर रखा है । मुझे तिथि निश्चित करना है और तिथि भी एक बार तो निश्चित कर दी थी लेकिन मंत्री महोदय के नहीं रहने पर दूसरी तिथि निश्चित करनी पड़ेगी, तो या तो एक बात यह कर लें कि यदि इसको स्थगित कराना चाहते हैं तो मैं स्थगित कर सकता हूं या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर डिसकस करना चाहते हैं तो मैं उसको रख देता हूं। दोनों में से एक का कर दें ।

श्री ओंकारलाल चौहान एवं कई माननीय सदस्य : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अच्छा रहेगा ।

श्री मनोहरलाल : काल अटेन्शन मोशन ठीक रहेगा ।

श्री अध्यक्ष : वह मैंने स्वीकार किया है ।

नेक्स्ट ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा ।

Page No 14

(14)

पुष्कर पशु मेले से आय

390. **श्रीमती प्रभा मिश्रा (पुष्कर) :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों में पुष्कर पशु मेले से विभाग को वर्षवार कितनी आय हुई है? तथा किस माह में कितना व्यय हुआ है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या मेला स्थल के स्थाई विकास के लिए कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो कब और क्या? और योजना में किन किन कार्यों को पूरा किया गया और कब?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) सूची 'क' व 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इसमें मुख्य-मुख्य कार्य दर्शकों की सुविधा के लिए पिवेलियन का विस्तार व पर्यटकों को सुविधा, पानी की सुविधा बढ़ाना, और मेला क्षेत्र में बिजली की सुविधा का विस्तार आदि है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहती हूं कि इतने लम्बे अर्से के बाद भी यह स्थाई विकास के लिए योजना क्यों नहीं बनाई गई है? इसके विरुद्ध मेला कमेटी के हाथ में मेला था तो हर वर्ष कोई न कोई स्थाई कार्य वहां हुआ करता था। इस वर्ष बिजली की क्या व्यवस्था की गई?

श्री शिवचरण माथुर : यह बड़े मेलों का कार्य विभाग ने 57-58 से अपने हाथ में लिया है उसके बाद में निरन्तर अनेक मेला स्थानों में विकास का कुछ न कुछ काम होता रहा है। पिछली बार राजस्थान के बड़े मेलों के विकास को ध्यान में रखते हुए इन मेलों का एक मास्टर प्लान तैयार करने की योजना थी उसको हाथ में लिया गया है और वह मास्टर प्लान तैयार है, और उस मास्टर प्लान के अन्तर्गत ही करीब 7॥ लाख रुपयों का प्रावधान पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विकास के लिए रखा गया है। उसमें पुष्कर मेले का वह स्थान भी शामिल है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मंत्री महोदय ने बताया है हर वर्ष कुछ न कुछ कार्य किये गये हैं तो वर्षवार क्या क्या कार्य किये गये हैं कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री शिवचरण माथुर : आपने तीन साल के आंकड़े पूछे थे वह मैंने सूची में प्रस्तुत कर दिये हैं। अगर आप चाहती कि 57-58 से दिये जायं तो वह दे देता।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : किन किन कार्यों को हाथ में लिया गया है?

श्री शिवचरण माथुर : वह मैंने सूची में दे दिये हैं।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : आपने जो सूची दी है उसके अनुसार क्या यह मान लें कि 3 वर्ष में कोई स्थाई कार्य नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इसमें आपने जो नम्बर दिये हैं तो वहां पर जानवरों के लिए खेरी बनाई गई है तो निरन्तर उनमें ह्रास हुआ

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)
है। पहले वर्ष में 800 रुपये, दूसरे वर्ष में *514 रुपये खर्च हुए और फिर 500 रुपये* हुए। स्थाई कार्य जो होने वाले थे उनमें कटौती हुई है। कोई स्थाई कार्य नहीं किया गया है। इसके अलावा बिजली की क्या व्यवस्था की गई है उनको बताने की कृपा करें।

श्री मानकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, साथ ही इसके इसका भी जवाब दे दें। मेरा यह प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, इस मेले के कार्य में तब से अब तक किसी भी प्रकार का विकास नहीं किया गया तो वहां पर जो नगर पालिका या विकास बोर्ड है उसको देने में क्या आपत्ति है?

श्री केदारनाथ: वेक टू होम।

श्री **माणकचन्द सोगानी** : दूसरा ऐसा है कि इन मेलों में बाहर के फोरेनर्स को इन्वाइट किया जाता है। वहां यह हालत है विकास के नाम पर कि बाहर से आने वाले अतिथियों को जैसा दृश्य देखने को मिलता है वह सुहावना नहीं है। इसलिए इसमें अभी तक जो विलम्ब हुआ है वह कभी भी नहीं हुआ है। उसको उस मुताबिक बनाना चाहिए कि जब बाहर के लोगों को बुलायें तो उचित लगे।

तीसरा यह है साहब कि पुष्कर के अन्दर कोई औद्योगिक कार्य अभी तक नहीं लगाये गये हैं और वहां के निवासी ज्यादा करके पंडे भाई हैं उनका केवल दक्षिणा पर ही गुजर होता है। तो उनके बच्चों को कार्य दिलाने के लिए इन्डस्ट्री का वहां पर क्या प्रावधान है? एक दफा यह विश्वास दिलाया गया था कि पावर लूम वगैरह खोले जायेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : इसका इससे क्या ताल्लुक है?

श्रीमती मदन कौर (पचपद्रा) : दो सवाल मुझे भी पूछने हैं, अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में····

श्री शिवचरण माथुर : पुष्कर का सवाल है?

श्रीमती मदन कौर : हां पुष्कर के सम्बन्ध में।

यह जो इनकम के आंकड़े आपने बताये हैं वह नेट इनकम के हैं या ग्रास इनकम के? क्या सरकार यह विचार नहीं रखती है कि इन पशु मेलों से जो इनकम होती है उसका कुछ प्रतिशत इन मेलों के स्थानों के विकास के लिये खर्च किया जाय?

श्री लक्ष्मणसिंह : (डूंगरपुर) : करना चाहिये।

श्री **शिवचरण माथुर** : अध्यक्ष महोदय जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि 7 1/2 लाख रुपयों का प्रावधान पांचवी पंचवर्षीय योजना में इन मेलों के विकास के लिए किया है, और यह भी निर्णय सरकार ने किया है कि जो भी इन मेलों से आमदनी होती है नेट इनकम; यह ग्रास इनकम है, ग्रास इनकम में से खर्च निकालने के बाद जो इनकम बनती है कम से कम 25 प्रतिशत विकास के काम में लगाया जाय। यह तय

(श्री शिवचरण माथुर)
कर दिया गया है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि ग्रास इनकम में से खर्चा निकालने के बाद जो बचता है तो वह 4।। लाख की नेट इनकम होती है, और इन मेलों के स्थानों के स्थाई विकास के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो हमने प्रावधान किया है वह इससे कहीं ज्यादा होता है। मैं निवेदन कर दूं कि वह 25 प्रतिशत से ज्यादा आता है। बाकी यह दूसरी जो कुछ आमदनी होगी उसका 25 प्रतिशत निश्चित रूप से इन मेलों के विकास के लिये खर्च किया जायगा।

जहां तक इन स्थानों के विकास की बात का सवाल है कुछ आंकड़े यहां पर मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पर्यटक बाहर से आते हैं इस वर्ष भी पर्यटक आये थे और मैं भी गया था, वहां पर इतने एट्रेक्टिव आइटम्स होते हैं उनसे वे बड़े खुश होते हैं। शायद सैकड़ों पर्यटक विदेशी, विदेशों के एम्बेसेडर्स वहां पर अपने परिवार के साथ आये थे इस साल। महिलाएं भी आई थीं। यह ठीक बात है कि कुछ कमियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिये। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम पर्यटकों को एट्रेक्ट नहीं कर सके हैं। वहां पर हिन्दुस्तान के जन-जीवन, हिन्दुस्तान की रूरल लाइफ का इम्पेक्ट देखने के लिए आते हैं। जो रूरल लाइफ और वहां के समाजिक जीवन जो उनको देखने को मिलता है वह अपने आप में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये पर्याप्त है। मै विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए जितना अधिक से अधिक किया जा सकेगा मेले के विकास के लिए वह करने का प्रयत्न करेंगे।

श्रीमती ऊषा प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, बिजली की क्या व्यवस्था है, उसका उत्तर नहीं आया है। अध्यक्ष महोदय, साढ़े 7 लाख रुपये की जो बात कही गई है, उसमें कितने मेले आयोजित करते हैं। एक एक मेले में कितना खर्च आ जायेगा ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह बताया है, यह राजस्थान के जो 6 बड़े मेले होते हैं, उनके लिये बताया है। जहां तक पुष्कर मेले में बिजली का सवाल है, हम वहां एक इलेक्ट्रिक टावर बनाने को सोच रहे हैं। इसके लिये अतिरिक्त रुपया खर्च कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल (अनुउपस्थित) (कृपया आगे देखिये)

राजेन्द्र कुमार भारतीय। (अनुपस्थित) (कृपया आगे देखिये)

श्री लूनाराम।

नमक उत्पादन क्षेत्र के लिए भूमि का अलाटमेंट

393. **श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नमक उत्पादन के लिये उत्पादनकर्ता को कितने एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है ? नमक उत्पादन क्षेत्रवार अलग अलग क्षेत्रों को बताने का कष्ट करें।

(श्री लूणाराम)

(2) राजस्थान में विभिन्न नमक उत्पादक स्थानों पर एक उत्पादक को कम से कम कितने एकड़ व अधिक से अधिक कितने एकड़ भूमि एलाट की जाती है ? अलग अलग नमक उत्पादक क्षेत्रों के आधार पर बताने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि जिलाधीश, चूरू ने नमक उत्पादक क्षेत्र छापर के विषय में कोई ऐसा सुझाव भेजा है कि 90 एकड़ भूमि एक नमक उत्पादक को न दी जाकर 10 एकड़ से अधिक नहीं दी जानी चाहिये यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में तकनीकी जांच करवा कर कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो ऐसी भूमि जो 90 एकड़ तक लीज पर दी हुई है, खारिज की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य गृह, मंत्री (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) आर्थिक दृष्टि से नमक उत्पादन के लिए आवश्यक भूमि की कोई निश्चित सीमा नहीं बांधी जा सकती । क्षेत्रवार सीमा भी नहीं बांधी गई है । साधारणतया 30 एकड़ से कम और 150 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित नहीं की जाती है । यह नियम सभी क्षेत्रों पर एक समान लागू है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि नमक के अन्दर जो पानी होता है, उसके अन्दर डिग्री होती है । और उसके अनुसार ही भूमि की बात होती है।

एक माननीय सदस्य : लूनाराम के लून की बात है ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, यह पानी में उपलब्ध घनत्व के अनुसार होता है । यह घटती बढ़ती रहती है। बरसात हो जाये तो बढ़ जाये । इसके लिए जो निश्चित है वह 30 एकड़ से कम नहीं दी जाये और 90 एकड़ से अधिक नहीं दी जाये ।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है, कुचामन में ऐसे व्यक्ति हैं, जिनको सैंकड़ों बीघा जमीन नमक उत्पादन के लिए दी गई है। वह उसका विकास नहीं कर पाये हैं। ऐसे भी लोग हैं, जो हरिजन हैं, या अनुसूचित जाति के, जन-जाति के हैं, जो बेकार हैं। उनको जमीन दी जा सकती है। जिससे कि वह उसका विकास कर सकें।

श्री गुलाब सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह हाइपोथेटिकल प्रश्न है। इसका जवाब नहीं दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न । श्री महेन्द्रकुमार ।

माही नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ित लोगों को अनुदान

(स्थगित प्रश्न)

32. **श्री महेन्द्र कुमार** (पाड़वा) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री महेन्द्र कुमार)

(1) गत वर्ष डूंगरपुर जिले के माही नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए कितनी कितनी अनुदान की राशि स्वीकृत की गई थी ?

(2) क्या बाढ़ पीड़ित परिवारों को ही राहत अनुदान किया गया या ऐसे परिवारों को भी दिया गया जो बाढ़ में पीड़ित नहीं थे ?

(3) क्या यह सही है कि जिन जिन परिवारों को अनुदान दिया गया उनको आधी राशि दी गई और सारी राशि के भुगतान के दस्तखत अथवा अंगूठे के चिन्ह लिये गये ?

(4) क्या यह सही है कि जिन परिवारों के मकान गिर गये उनको लकड़ी का कबाड़ा मुफ्त में दिया गया था ? इसमें भी आधा कबाड़ा दिया गया और सारे मकान का कबाड़ा दिया गया बताकर हस्ताक्षर लिये गये ?

(5) कुल कितना कबाड़ा कितनी धन राशि का खरीद किया गया, उसका सम्पूर्ण विवरण बताया जावे ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) गत वर्ष डूंगरपुर जिले में माही नदी के तटवर्ती क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित लोगों को 4,40,000 रु. की राशि अनुदान हेतु स्वीकृत की गई थी।

(2) अनुदान बाढ़ पीड़ित परिवारों को ही दिया गया था। किन्तु गैर बाढ़ पीड़ित परिवारों को अनुदान दिये जाने बाबत शिकायत प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में जांच एस.डी.ओ. द्वारा कराई गयी है।

(3) रिपोर्ट 1 मार्च, 1975 को मिली है। विभाग द्वारा रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(4) जी हां। कबाड़ा कम दिये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(5) कबाड़े को ढोने एवं बांटने के लिए इन्हें 88,349 रु. 95 पैसे दिये गये थे। कबाड़ा खरीदने का प्रश्न नहीं होता क्योंकि राजकीय वनों से बिना मूल्य दिया गया था।

श्री महेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो प्रश्न और हैं। यह सारा कार्य राज्य सरकार ने किस एजेन्सी से कराया है? क्या राज्य सरकार यह अनुभव करती है कि इस मामले में धन का दुरुपयोग हुआ है? और प्रभावित लोगों को कुछ भी लाभ नहीं पहुंचा है? तीसरा यह है कि क्या राज्य सरकार ने इस मामले की जांच कराई है? अगर हां, तो कौन कौन दोषी पाया गया है? किसके द्वारा धन का दुरुपयोग हुआ है? चौथा प्रश्न यह है कि राज्य सरकार ने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि तीसरे प्रश्न में कहा है, जांच रिपोर्ट 1 मार्च को प्राप्त हुई है। उसका विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। आज के दिन यह कहना सम्भव नहीं

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

है कि कौन दोषी है। इस प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने कल सदन को निवेदन किया था। नदी की बाढ़ और अधिक वर्षा से मकान गिर गये हैं। यह सारा सवाल जुड़ा हुआ है। इन सवालों पर जो जांच रिपोर्ट आई है, उसका विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। दोषी पाये जाने पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट आयी है। जांच की फाइंडिंग्स आई हैं घोटाले पर। आप उनके नाम नहीं बतलाते हुये, आप उन फाइण्डिंग्स का जिक्र कर दीजिये। फाइण्डिंग्स तो बता सकते हैं, जिनकी जांच हुई है। जिससे यह समझा जा सके, क्या जांच ठीक हुई है, क्या निर्णय लिये गये हैं। यह फाइण्डिंग्स बता दीजिये ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह दो वर्ष के बाद इन्क्वायरी आई है। माननीय मन्त्री महोदय उनके नाम तक नहीं बताते हैं। दो वर्ष के बाद तो रिपोर्ट आयी और मंत्री महोदय नाम छुपा रहे हैं। क्यों नहीं बात बताते हैं ? सदन पटल पर नाम रखे जायें। दो तीन वर्ष बाद रिपोर्ट आये। रिपोर्ट को छुपाया जाये क्या माननीय मंत्री महोदय, बतायेंगे ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, इसमें छुपाने का कोई प्रश्न नहीं है। अगर छुपाना ही होता तो मैं कह सकता था कि रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट 1 मार्च को ही प्राप्त हुई है। राज्य सरकार ने, जिसका पूरा मकान गिर गया था, प्रति व्यक्ति 150 रुपया और जिसका आधा मकान गिर गया था, उनको 50 रुपया प्रति व्यक्ति दिया था। शिकायत यह आई है कि ऐसे व्यक्तियों को भी राशि दे दी गई है, जिनके मकान बाढ़ से नहीं गिरे थे। सवाल यह है कि जो नदी की बाढ़ से गिर गये हैं। उनको दिया जाये या जो ज्यादा वर्षा से गिर गये हैं, उनको दिया जाये।

श्री महेन्द्र कुमार : किस एजेन्सी के द्वारा काम कराया गया ?

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री महेन्द्रकुमार : यह किसके द्वारा काम कराया गया है ?

श्री अध्यक्ष : दूसरा सवाल ले लिया है ?

श्री महेन्द्रकुमार : अध्यक्ष महोदय, इसमें बड़ा घोटाला हुआ है।

श्री **अध्यक्ष :** श्री रामप्रसाद बोहरा।

जिला झालावाड़ में सतर्कता समिति का कार्य

(स्थगित प्रश्न)

36. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला झालावाड़ में सतर्कता समिति का कार्य प्रारम्भ होने के बाद आज

(श्री रामाप्रसाद बोहरा)
तक कितने और किस किस व्यक्ति या कर्मचारी एवं अधिकारियों के खिलाफ आरोप प्रमाणित हुये ? और इसमें से किस किस को कब कब क्या सजा दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राज्य मन्त्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : जिला झालावाड़ में जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति का कार्य प्रारम्भ होने से आज तक कुल 36 ऐसे परिवाद प्राप्त हुये जिनमें प्रारम्भिक जांच के बाद 10 अधिकारी, 18 राज्य अधिकारी व 11 अन्य व्यक्ति कुल 39 व्यक्ति समिति की राय में दोषी ठहराये गये। अधिकारियों व राज्य कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही व अन्य व्यक्तियों के खिलाफ उचित विभागीय कार्यवाही के लिये सम्बन्धित विभागों को लिख दिया गया।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री गौरीशंकर मुनीम। अध्यक्ष महोदय, सूची नहीं आई है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सूची सदन की मेज पर है।

श्री गौरीशंकर मुनीम : अध्यक्ष महोदय, वहां कुछ भी नहीं हुआ है। यह सूची बना दी है। नतीजा कुछ नहीं निकलता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

तहसील रायसिंह नगर क्षेत्र में किसानों से गेहूं की लेवी

(स्थगित प्रश्न)

74. **श्री बेगाराम चौहान** (रायसिंह नगर): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील रायसिंह नगर क्षेत्र में किसानों को गेहूं की लेवी के बदले कुल कितनी रसीदों पर सीमेन्ट दिया गया और कितनी रसीदों पर सीमेन्ट नहीं दिया गया ? जिन रसीदों पर सीमेन्ट नहीं दिया गया उसका क्या कारण था ?

(2) क्या यह भी सही है कि सीमेन्ट रायसिंह नगर के किसानों को न देकर ब्लेक में बेचा जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि किसानों ने लेवी के रसीदों पर सीमेन्ट की मांग की थी परन्तु उसके प्रार्थना-पत्र अब तक तहसील में पड़े हैं और उनको सीमेन्ट नहीं दिया गया है ? यदि नहीं, तो किस किस रसीद पर कितनी कितनी सीमेन्ट दी गई है ?

(4) रायसिंह नगर तहसील में लेवी किस किस किसान से ली गई ? कृपया ब्यौरे वार सूची मय व्यक्ति का नाम, रसीद नम्बर, गांव व चक का नाम सदन की मेज पर रखें।

खाद्य मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) तहसील रायसिंह नगर क्षेत्र में किसानों को गेहूं की लेवी के बदले में 529 रसीदों पर 1107 थैला सीमेन्ट

(खाद्य मंत्री)

दिया गया। शेष 506 कृषकों को उपलब्ध नहीं होने से सीमेन्ट नहीं दिया जा सका।

(2) जानकारी के आधार पर यह सत्य नहीं पाया गया है ?

(3) रायसिंह नगर के किसानों ने लेवी देने पर सीमेण्ट की मांग की थी तथा जिन्हें सीमेन्ट उपलब्धि के आधार पर दी गई थी, उसकी सूची संलग्न है।

(4) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री बेगाराम चौहान : मेरा सीधा सा सवाल है। किसको सीमेंट लेवी के आधार पर दिया गया, किसको नहीं दिया गया ? मेरे पास करीब 150 रसीदें हैं, उन पर सीमेंट नहीं दिया गया और वह सीमेंट रायसिंहनगर में एस.डी.एम. ने ब्लेक में बेचा 40) रुपये प्रति थैला।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि कुछ लोगों को दिया गया, कुछ लोगों को सीमेंट उपलब्ध न होने की वजह से नहीं दिया जा सका। इसलिए हो सकता है कि आपके पास रसीदें हों और सीमेंट उपलब्ध न हो। मैंने कई बार कहा है कि सीमेंट को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्धि के अनुसार देते हैं। जितना सीमेंट उपलब्ध होता है, उनमें जिन लोगों की दरखास्तें आईं, उनको पहले दिया गया। जहां तक रायसिंहनगर के एस.डी.एम. द्वारा ब्लेक करवाने का सवाल है, अगर मुझे विस्तृत जानकारी देंगे तो मैं निश्चित रूप से आश्वासन दे सकूंगा कि जांच करवाई जायेगी और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जिन लोगों की रसीदें काटी हैं और जिन व्यक्तियों के नाम से सीमेंट के थैले उठाए गए, वे सारी की सारी रसीदें मैं सदन के पटल पर रखता हूं। यह सारी रसीदों का बंडल जो है, यह सब एस.डी.एम. द्वारा ब्लेक मार्केट में बेचा गया है।

श्री शिवचरण माथुर : ये रसीदें वे हो सकती हैं जिनको सीमेंट नहीं मिला। इन लेवी की रसीदों के खिलाफ अगर सीमेंट किसको मिला है और ब्लेक की गई है तो मुझे स्पेशिफिकली बतायें, मैं जांच कराऊंगा।

श्री बेगाराम चौहान : साफ जाहिर है कि सीमेंट वहां के एस.डी.एम. ने ब्लेक में 42) रु. प्रति कट्टे के हिसाब से बेचा, यह सही है। हरीजनों को लेवी का सीमेंट नहीं दिया गया, सूची सदन की मेज पर है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप जांच करवा लें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इन रसीदों को लिया जाए और जांच करवाई जाए।

श्री बेगाराम चौहान : वास्तव में अगर गुनहगार हैं तो उनको दंड दिया जाए।

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्य के पास स्पेसीफिक इश्यूज हैं। प्राइमा फेसी केस जबरदस्त है, ब्लेक मार्केट है, भ्रष्टाचार है,

(श्री लक्ष्मणसिंह)
इस सम्बन्ध में सरकार को आवश्यक जांच शीघ्रातिशीघ्र करानी चाहिए। स्पेसीफिक इश्यूज हैं।

श्री शिवचरण माथुर : क्या स्पेसीफिक जांच करायें ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह कि प्राथमिकता के हिसाब से सीमेंट क्यों नहीं दिया ? क्या सीमेंट उस समय उपलब्ध था ? अगर था तो फिर प्राथमिकता के आधार पर क्यों नहीं दिया गया ? ब्लेक मार्केट के साथ में इसकी यह भी जांच करायें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैंने जो रसीदें सदन के पटल पर रखीं वे वापस आ गईं।

श्री अध्यक्ष : मैंने आदेश नहीं दिया कि इनको मेज पर रखा जाए। मैंने कहा मंत्री जी को दी जायें। यह मैंने इसलिए कहा कि यदि सदन की मेज पर रखेंगे तो रसीदें आप को वापस नहीं मिलेंगी और जांच नहीं होगी।

श्री लक्ष्मणसिंह : हम मेज पर रख कर सदन की संपत्ति इसको नहीं बनाना चाहते इसका हम उचित लाभ लेंगे।

श्री अध्यक्ष : इसलिए आपको सलाह दी कि मंत्री जी को दें।

श्री भानुकुमार शास्त्री।

उदयपुर के अप्सरा होटल पर छापा

(स्थगित प्रश्न)

97. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मई 1974 के प्रथम सप्ताह में उदयपुर में आबकारी विभाग ने अप्सरा होटल पर छापा मारकर 250 पानी मिली हुई शराब की बोतलें तथा इन बोतलों को बन्द करने की एक इंगलिश मशीन भी प्राप्त कर ली थी ? यदि हां, तो जिस होटल के मालिक के कमरे में से बोतलें बरामद की गईं उसको उस समय गिरफ्तार किया गया था या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उस समय उस होटल में देशी शराब के अनेक ड्रम भी पाए गए ? यदि हां, तो वे कितने थे ? क्या इसकी स्टोरेज को उनकी इजाजत थी ? यदि नहीं तो क्या कार्यवाही गई ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी हां। दिनांक 3-5-74 को पुलिस द्वारा छापा मारा गया था। श्री डालचन्द होटल मालिक को दिनांक 31-5-74 को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान को तत्क्षण इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया था क्योंकि उस समय तक उनके द्वारा जुर्म करने का कोई ठोस प्रमाण नहीं था।

(2) जी नहीं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जिसके लिए आपने हां कहा है उसके कमरे में इंगलिश मशीन पाई गई बोतलें बन्द करने की, तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ? पुलिस

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
ने मशीन पकड़ी और जिसके मकान पर पकड़ी उसको एक महिने के बाद क्यों गिरफ्तार किया गया ? अगर सबूत नहीं था तो बाद में क्यों गिरफ्तार किया गया ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अप्सरा होटल, जैसा माननीय सदस्य जानते हैं, के कमरे नं. 34, 46 और 47 में से अलग अलग मात्रा में शराब और बोतलें बरामद की गई। उसमें एक इंगलिश मशीन, जो शराब बनाने के काम आती है, वह भी बरामद की गई। इस होटल के कमरों को कुछ लोगों ने किराए पर ले रखा था। इसमें श्री मोहनलाल, मूलचंद और सोहनलाल थे उनको पुलिस ने 12–5–74 को गिरफ्तार कर लिया था और जब महसूस हुआ और होटल मालिक पर संदेह हुआ तो उसको भी 31–5–74 को गिरफ्तार कर लिया गया।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इस व्यक्ति को 31–5–74 को लगभग 1॥ महीने बाद गिरफ्तार किया, इसको पहले कितनी बार पकड़ा गया है ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 1॥ महीने का प्रश्न नहीं है। 8–5–74 को छापा मारा गया और 31–5–74 को गिरफ्तार किया गया।

श्री भानुकुमार शास्त्री : कितनी बार यह पकड़ा गया है ? क्या 1967 में भी यह व्यक्ति पकड़ा गया ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : पुलिस ने छापा मारकर गिरफ्तार किया हो, मेरे पास इसकी जानकारी नहीं। अगर आपके पास जानकारी है...

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह व्यक्ति कई बार इसी केस के अन्दर पकड़ा गया है और वहां आबकारी इन्सपेक्टर, कई वर्षों से जमा हुआ है, उसको पैसा खिलाकर अपना कार्य करता रहता है। इसलिए यह व्यक्ति गिरफ्तार नहीं होते हैं। जिसके घर से मशीन मिल जाए, पानी और शराब मिला कर बेचे उसके बाद भी गिरफ्तार न किया जाय, तो यह आश्चर्य की बात है। आपका वहां जो अधिकारी है श्री गुप्ता, वह 4 वर्षों से बैठा हुआ है, उसके पास कितनी सम्पत्ति है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इस सवाल का संबंध आबकारी विभाग से है, यह पुलिस अधिकारी नहीं है वह जिला आबकारी अधिकारी है। उसके लिए आबकारी विभाग ही जवाब दे सकेगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मशीन फारन-मेड है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने कहा न कि इंगलिश मशीन है इसका मतलब फारेन है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उसके बाद भी गिरफ्तार नहीं किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुल्जिम इंडियन मेड है, मशीन फारेन मेड है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मिनिस्टर इंडियन मेड है। जो फारेन मशीन पकड़ी गई उसका क्या हुआ, वह कहां चली गई ?

Page No 24

(२४)

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
दूसरी बात आपने बतायी कि तीन व्यक्तियों को कमरे किराए पर दिए गए। क्या आपके पास किरायानामा है जिससे स्पष्ट हो जाए कि ये किराएदार थे? होटल मालिक स्वयं उसमें अपना माल रखते हैं, वह यह धंधा करते हैं किसी और के नाम से लेकिन यह है उसीका फिर उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि 31-5-74 को होटल के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके खिलाफ मुकदमा भी अदालत में चालान कर दिया गया था।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इतने दिन बाद क्यों गिरफ्तार किया गया? 31-5-74 को आपने गिरफ्तार किया है।

श्री निरंजनाथ आचार्य : अप्सरा होटल एक सांस्कृतिक केन्द्र है, क्यों आप इसको नष्ट करने जा रहे हो?

श्री लक्ष्मण सिंह : क्या उस फोरिन मेड मशीन को जो पकड़ी गई थी उसको वापिस दे दी गई या रफा-दफा करदी गई?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने बताया कि चालान पेश किया जा चुका है, मशीन कस्टोडी में है और सबूत के काम में आ रही है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्या इस चालान में इस होटल के मालिक पर यह आरोप लगाया गया है कि इस प्रकार वह कमरे किराये बताकर फोरिन लिकर बनाता है?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ऐसी कोई जानकारी अभी मेरे पास नहीं है, मशीन मिली थी और उसका चालान पेश कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहता हूं कि ध्याना-कर्षण प्रस्ताव जब आये तो उस समय मुझे बोलने का मौका मिल जाय।

श्री अध्यक्ष : जी हां, जरूर मिल जायगा।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

भूतपूर्व राजाओं से गेहूं की लेवी

391. श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के भूतपूर्व राजाओं को रबी 1974 की गेहूं की लेवी जमा कराने के लिए कितने-कितने गेहूं की डिमांड स्लिप जारी की गई थी?

(2) उक्त भूतपूर्व राजाओं ने कितना कितना गेहूं लेवी से कब कब जमा कराया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) इन भूतपूर्व राजाओं के पास कितनी-कितनी कृषि भूमि है और रबी 1974

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
में उन्होंने कितने कितने क्षेत्रफल में गेहूं की काश्त की थी ?

(4) क्या इन भूतपूर्व राजाओं का गेहूं का स्टाक 31-5-74 के बाद एन्टी होर्डिंग ड्राइव में चैक किया गया था ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बूंदी जिले में काश्तकारों को पास बुकों का वितरण

392. श्री राजेन्द्र भारतीय (बूंदी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि राजस्थान के अनेक जिलों में रैवेन्यू रैकार्ड कम्पलीट करने के पश्चात् हर काश्तकार को एक पास बुक दे दी गई है किन्तु बूंदी जिले में अब तक यह कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। यदि हां, तो विभाग की इसके लिए कोई निश्चित योजना है कि अमुक तिथि तक यह कार्य पूरा हो जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि हर काश्तकार को एक पास बुक दी जानी है। जिले में 15,622 पास बुकें कृषकों को वितरित कर दी गई हैं। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 23-2-72 के अनुसार भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा किया जाना था। प्रबन्ध का कार्य दिनांक 21-5-73 तक जारी रहा। तत्पश्चात् सफाई कार्य पूर्ण होने पर पास-बुकें तैयार होनी थीं किन्तु अब भू-प्रबन्ध विभाग ने सम्पूर्ण रिकार्ड जिलाधीश को दिनांक 20-2-75 को संभला दिया है। इस प्रकार पास-बुकों के वितरण का कार्य तहसील बूंदी, नैनवा एवं हिन्डोली में भू-प्रबन्ध कार्य के साथ साथ संभव नहीं हो सका। अब जिलाधीश को पुनः निर्देश दे दिये गये हैं कि बकाया पास-बुकों का जल्दी से जल्दी वितरण करा दिया जावे।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बीकानेर एवं चूरू जिले में नियंत्रित अनाज का कोटा

208. श्री लूणाराम : (डूंगरगढ़): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नियंत्रित अनाज का कोटा जनसंख्या के अनुपात से सारे जिलों में समान रूप से एलॉट किया जाता है ?

(2) बीकानेर एवं चूरू जिलों को क्रमशः शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए

Page No 26

(26)

(श्री लूणाराम)
सन् 1971 से अब तक कुल कितना कोटा दिया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि बीकानेर एवं चूरू जिलों की जनसंख्या व अनाज के कोटे की मात्रा, का अनुपात समान है ? यदि नहीं, तो कम जनसंख्या वाले जिलों को अधिक कोटा व अधिक जनसंख्या वाले जिलों को कम कोटा देने का क्या कारण है ?

(4) क्या इस अनियमितता को दूर कर भविष्य में अनाज कोटा जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से दिया जायेगा ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक आदेश दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) नियंत्रित अनाज का आवंटन शहरी क्षेत्रों में जिला मुख्यालय पर 3 किलो तथा अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में 2 किलो प्रति यूनिट प्रति माह के आधार पर सभी जिलों को फरवरी, 75 तक किया गया है। मार्च में शहरी आबादी को 3 किलो प्रति यूनिट से आवंटन किया गया है। देहात का अनाज का कोटा आवश्यकता एवं केन्द्र से प्राप्त मात्रा के आधार पर दिया जाता है।

(2) सन् 1971 से जुलाई, 1972 तक कोई आवंटन नहीं किया गया है। बीकानेर एवं चूरू को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु किये गये आवंटन की सूची संलग्न है।

(3) आवंटन का आधार जनसंख्या का अनुपात न होकर उपलब्धि एवं स्थानीय मांग आदि है। बीकानेर की जनसंख्या चूरू से कम है। बीकानेर में खाद्यान्न उत्पादन चूरू की अपेक्षाकृत कम होता है तथा राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार राजस्थान नहर परियोजना के श्रमिकों को 12 किलो अनाज प्रति यूनिट प्रतिमाह दिया जाता है। इससे बीकानेर की मांग चूरू से ज्यादा होना स्वाभाविक है। अतएव चूरू की अपेक्षा बीकानेर को ज्यादा आवंटन किया जाता है।

(4) उपलब्धि के अनुसार मार्च, 1975 से सभी जिलों में अनाज की अधिक मात्रा आवंटित की गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट—4 देखिये)

गंगानगर जिले के नहरों के किनारे सफेदा के वृक्ष

209. गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि यूकलिप्ट्स (सफेदे का वृक्ष) उस स्थान पर लगाया जाता है जहां पर भूमि में नमी अधिक मात्रा में हो अर्थात् भूमि सहलामी हो और सफेदा सहलामी (नमी वाले) भूमि में इतनी बड़ी मात्रा में पानी लेता है कि सोइल वाटर नीचे चला जाता है अर्थात् नमी कम हो जाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री गंगानगर जिले में नहरों के किनारों पर सफेदा वृक्ष लगाने से व नहरों का पानी अधिक मात्रा में पानी जज्ब कर रहे हैं जिनसे नहरों के पानी में कमी आ रही है ?

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)
हां, तो कृषि विभाग ने श्री गंगानगर के रेगिस्तानी क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा जो सफेदा वृक्ष लगाए जा रहे हैं उसे आज तक क्यों नहीं रोका और भविष्य में कृषि विभाग उपरोक्त पौधों को उखाड़ने का प्रबन्ध कब तक करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

टोंक शहर में कृषि मण्डी के निर्माण की योजना

210. **श्री अजीतसिंह (टोंक)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि टोंक शहर में कृषि मण्डी के निर्माण की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका कार्य कब शुरू होगा ? इसके निर्माण में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

उत्तर

मंडी निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। कृषि फार्म टोंक, क्षेत्र में से 25 एकड़ भूमि मंडी समिति को हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। भूमि हस्तान्तरण के पश्चात् ही निर्माण की योजना तैयार की जावेगी।

ग्राम रोल (जायल) की पाठशाला

211. **श्री रामसिंह कुड़ी (जायल)**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या शिक्षा मंत्रीजी ग्राम रोल तहसील जायल में कभी मुख्य मंत्रीजी के साथ किसी स्कूल भवन के उद्घाटन समारोह में सम्मलित हुये थे ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त समारोह में उक्त पाठशाला को माध्यमिक स्तर में उन्नत करने के बारे में मुख्य मंत्रीजी द्वारा उद्घाटन भाषण में घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त पाठशाला को क्रमोन्नत कर दिया गया ? यदि नहीं, तो अब कब व किन शर्तों पर सरकार उक्त पाठशाला को क्रमोन्नत करने को तैयार है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। किन्तु क्रमोन्नत नहीं किया जा सका क्योंकि जनता ने वांछित धनराशि (दो वर्ष का व्यय) उपलब्ध नहीं करायी। भविष्य में इस पर विचार किया जायेगा।

भू. पू. डाइरेक्टर टेक्नीकल एज्यूकेशन

212. **श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा)**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व डाइरेक्टर टेक्नीकल एज्यूकेशन, राजस्थान श्री जैन, लगभग पांच वर्ष तक एडहोक बेसिस पर काम करते रहे ?

(2) यदि हां, तो क्या यह नियम के विपरीत है ?

(3) यदि हां, तो जिस अधिकारी ने उपरोक्त नियम का उल्लंघन किया उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राजस्थान प्रावैधिक शिक्षा सेवा नियम, 1973 वर्ष 1973 में प्रकाशित

Page No 28

(28)

(शिक्षा मंत्री)

हुए । अतः इससे पूर्व चयन समिति की बैठक बुलाना असंभव था । नियमों के प्रकाशित होने के पश्चात् श्री एस.एन. शर्मा ने (उप निदेशक प्रशिक्षण) इनके विरुद्ध याचिका प्रस्तुत कर दी थी, जो अब खारिज हुई है । इस कारण से श्री जैन एडहोक बेसिस पर काम कर रहे थे ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जयपुर जिले में कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय

213. **श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा** (फागी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर जिले में कितनी कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) अगले वित्तीय वर्ष में कहां कहां पर और कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में 10 बालिकाओं के उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं । जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) इसका निर्णय राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–5 देखिये)

श्री गंगानगर जिले में हथियारों के लाईसेन्स

214. **श्री गुरदयालसिंह सन्धु** (करणपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला श्री गंगानगर में कुल कितने व्यक्तियों के पास हथियारों के लाइसेन्स हैं ?

(2) हथियारों व कारतूस आदि की खरीद के लिए कितनी दुकानें कहां-कहां पर हैं ? क्या ऐसी दुकानें हर तहसील हैडक्वार्टर पर हैं ? उनमें से कितनों ने हथियार खरीद लिए हैं ?

(3) क्या यह सच है कि सरकार ने जिला श्री गंगानगर में नये लाइसेन्स देने बन्द कर रखे हैं ? पिछले तीन वर्षों में दिये गये लाइसेन्स की सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(4) क्या यह सही है कि हथियारों के दुकानदारों ने पिछले कई वर्षों से कारतूस आदि खरीदने के लिए रकमें जमा करवा रखी हैं मगर उन्हें खरीद लाइसेन्स नहीं दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? ऐसे दुकानदारों ने कितनी व कब रकम जमा करवाई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जिला गंगानगर में कुल 31,783 व्यक्तियों के पास हथियारों के लाइसेन्स हैं ।

(2) जिला गंगानगर में हथियारों व कारतूस बेचने की कुल 15 दुकानें हैं जिनमें से गंगानगर मुख्यावास पर 9 हनुमानगढ़ में 4 व पदमपुर संगरिया में एक एक हैं शेष 8

(गृह मंत्री)
तहसील मुख्यावास पर कोई असली विक्रेता की दूकान नहीं है। समस्त शस्त्र विक्रेताओं द्वारा इस जिले के लाइसेन्स दारों को 6,634 हथियार बेचे गये हैं।

(3) जी नहीं। गत तीन वर्षों में इस जिले के विभिन्न लाइसेन्स अधिकारियों द्वारा जारी किये गये लाइसेन्सों की सूची संलग्न है।

(4) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि हथियारों के दुकानदारों ने पिछले कई वर्षों से कारतूस आदि खरीदने के लिये रकमें जमा करवा रखी हैं। अगर किसी शस्त्र विक्रेता के लाइसेन्स में कोई विधिक त्रुटि नहीं है तो उसे नियमानुसार एन.ओ.सी. उनके निवेदन करने पर अविलम्ब जारी कर दिया जाता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट—6 देखिये)

बीकानेर जिले में ईंट बनाने के उद्योगों को परमिट

215. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बीकानेर जिले में भट्टों (ईंट बनाने के) के उद्योगों में गत 1 जनवरी, 1972 से 31 दिसम्बर, 1974 तक कोयलों के कोटों के परमिट दिये जाने की व्यवस्था की गई थी ? यदि हां, तो जिन व्यक्ति एवं सोसाइटियों को परमिट दिये गये उनके नाम परमिट की मात्रा एवं परमिट इश्यू करने की तिथि सहित सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(2) क्या यह सही है कि इस कोयले का उपयोग सही ढंग से हुआ ? यदि हां, तो उस कोयले से पकाये गये माल का विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

प्राप्त वेगनों को जिलाधीश, बीकानेर के माध्यम से आवंटित किया गया और उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपयोग सही ढंग से नहीं करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पकाये गये माल का विवरण उपलब्ध नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट-7 देखिये)

बीकानेर जिले में आत्महत्याओं के दर्ज मामले

216. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में 1 अगस्त से 30 नवम्बर, 1974 की अवधि में कुल कितनी आत्महत्याओं के मामले दर्ज हुए ? कृपया मृतकों के नाम एवं तलाशी में उनके पास प्राप्त सामान के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस अवधि में जिले में हुई कई हत्याओं को भा

Page No 30

(30)

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)
आत्महत्या की संज्ञा दे दी गई ? यदि नहीं, तो आत्महत्याओं के कारण एवं उनके सम्बन्ध में की गई जांच के परिणाम का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार संदिग्ध मामलों की जांच करवाने को तैयार है ? यदि हां, तो कब और किस से ?

उत्तर

(1) जिला बीकानेर में दिनांक 1-8-74 से 30-11-74 तक कुल 20 आत्महत्याओं के मामले दर्ज किये गये हैं। मृतकों के नाम एवं तलाशी में उनसे प्राप्त किये सामान का विवरण सहित तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। आत्म हत्याओं के कारण व उनके संबंध में की गई जांच के परिणाम की सूचना सदन की मेज पर रखी गई तालिका के कालम नं. 4 व 6 में अंकित है।

(3) आत्महत्याओं के समस्त मामलों में जांच पूर्ण की जाकर नतीजा दिया जा चुका है अतः पुनः जांच कराने का प्रश्न नहीं पैदा होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चूरू जिले में लघु उद्योग

217. श्री मोहरसिंह (चूरू) (138): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) चूरू जिले में लघु उद्योगों के तहत किस किस उद्योग के लिए किस किस व्यक्ति को कितना कितना ऋण कहां कहां दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(ख) इस वक्त चूरू जिले में कहां कहां पर किस किस क्षेत्र में किस कार्य के लिए लघु उद्योग चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(स्थगित किया गया)

टोडाभीम के भू. पू. थानेदार के विरुद्ध शिकायतें

218. श्री चेतराम (टोडाभीम): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि तारांकित प्रश्न सं. 181, जिसका उत्तर दिनांक 14-3-1974 को दिया गया था, में सदन में स्पष्ट किया था कि टोडाभीम के भूतपूर्व थानेदार श्री अर्जुनलाल ने झूठे मुकदमें बनाए थे और कई नाजायज कार्य किए थे ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह सच है कि पूरक प्रश्नों के उत्तर में सदन में आश्वासन दिया था कि जब तक जांच पूर्ण नहीं होगी तब तक थानेदार को किसी थाने पर नहीं लगाया जाएगा ? उक्त थानेदार को 14-3-74 से अब तक कहां कहां पर ड्यूटी पर रखा है और किस किस पोस्ट पर ? विवरण देने की कृपा करें।

उत्तर

(1) दिनांक 14-3-74 को सदन में प्रश्न संख्या 186 मुख्य मंत्री, का उत्तर दिये जाते समय श्री अर्जुनलाल थानेदार द्वारा जो दो गलत कार्यवाही करना पाई गई उनके सम्बन्ध में उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने हेतु उसे नोटिस दिये गये परन्तु दोनों ही मामलों में परिवादियों द्वारा दायर किये गये प्राइवेट इस्तगासे न्यायालयों में विचाराधीन होने की अवस्था में विभागीय जांच अभी रोकी हुई है। अन्य दो परिवादों की भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

(2) जी हां। प्रश्न संख्या 136 पर आश्वासन देने के उपरान्त श्री अर्जुनलाल थानेदार को दिनांक 14-3-74 को ही पुलिस लाइन हाजिर होने के आदेश कर दिये गये थे। 13-8-74 को पुलिस लाइन सवाईमाधोपुर से जिला झुन्झुनूं में इनका स्थानान्तरण कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक झुन्झुनूं ने इस आश्वासन की अनभिज्ञता वश दिनांक 4-10-74 को श्री अर्जुनलाल को पुलिस थाना गुढा पर लगा दिया था जिन्हें पुलिस मुख्यालय के निर्देशन पर पुनः पुलिस लाइन स्थानान्तरित करने के, दिनांक 6-3-75 को आदेश दिये जा चुके हैं।

जिला टोंक का औद्योगिक सर्वे

219. श्री अजीत सिंह (टोंक): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या जिला टोंक का औद्योगिक सर्वे पूर्ण हो गया है? यदि हां, तो कृपया सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां।

सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

मण्डी पदमपुर में भूमि का मामला

220. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि श्री लीलूराम सुपुत्र मामचन्द हरिजन मंडी पदमपुर ने नीलामी द्वारा ता. 28-7-61 को चक 26 पी. बी. एन. तहसील सूरतगढ़ में मुरब्बा नं. 36/337, 25 बीघे नहरी खरीद किये थे और 969 रुपये पेशगी के रूप में जमा करवा दिये थे?

(ख) क्या यह सच है कि आदेश संख्या एफ. 7 (73) इर्रीगेशन/61 ता. 3-7-62 द्वारा राज्य सरकार ने उपरोक्त भूमि बिना किसी कारण खारिज कर दी?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त आदेश की प्रति श्री लीलूराम को आज तक नहीं दी गई है और न ही जमीन पर उसको कब्जा दिलाया गया है?

(घ) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त भूमि का आवंटन किसी अन्य पुलिस कर्मचारी की भावज के नाम कर दिया गया जो

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)
भूमि पाने की हकदार नहीं थी ? यदि हां, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

तहसील पदमपुर में भूमि का बन्दोबस्त

221. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर में जो बन्दोबस्त हुआ है उसमें बहुत बड़ी अनियमितताएं पाई जाती हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त अनियमितताओं की दुरुस्ती के लिये काश्तकारों को दावे के रूप में उप जिलाधीश न्यायालय में काफी राशि खर्च कर जाना होता है ? यदि हां, तो अनियमितताओं की दुरुस्ती के लिए सरकार क्या कार्यवाही कब तक करेगी ?

(स्थगित किया गया)

तहसील विराटनगर के ग्रामों में काबिल काश्त वन भूमि

222. श्री हनुमान सहाय (बैराठ) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सच है कि तहसील विराटनगर में अनेकों ग्रामों में वन भूमि काबिल काश्त है ? यदि हां, तो किन किन ग्रामों में और कितनी कितनी भूमि पर अनधिकार कब्जा काश्त है और किन किन भूमियों का वन विभाग से राजस्व विभाग में ट्रांसफर किये जाने की कार्यवाही कब कब से विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिन-जिन गांवों में वन भूमि पर अतिक्रमण हुआ है उनकी सूची संलग्न है।

ग्राम पालड़ी के खसरा नं. 130:1 के पास की 20 बीघा काश्त योग्य वन भूमि के स्थानान्तरण की कार्यवाही गत वर्ष से विचाराधीन है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट—8 देखिये)

ग्राम भालेरी (चूरू) में भूमि का मामला

223. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू की रेवेन्यू भूमि में (1) कल्याणसिंह पुत्र धीरसिंह (2) किशनसिंह पुत्र जेतसिंह (3) खेतसिंह पुत्र रामसिंह (4) जोरावरसिंह पुत्र हरिसिंह (5) डूंगरसिंह पुत्र जगतसिंह (6) मूलसिंह पुत्र भगवानसिंह (7) राजसिंह पुत्र भगवानसिंह (8) हरनामसिंह पुत्र हरिसिंह (9) हरिसिंह पुत्र शेरसिंह (10) माधसिंह पुत्र देवीसिंह नामों से कितनी कितनी खातेदारी तादादी बीघा में है ?

(श्री चुन्नीलाल इन्दोलिया)

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त खातेदारियां ग्राम भालेरी के भू. पू. जागीरदार श्री नाहरसिंह एवं श्री जसवंतसिंह कल्पित नामों से लेकर भूमि का उपभोग स्वयं कर रहे हैं? यदि नहीं, तो उपरोक्त व्यक्तियों का उस गांव में स्थाई बासिन्दा होने का सरकार के पास क्या प्रमाण है?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त खातेदारियों के विरुद्ध गत तीन वर्षों में कतिपय शिकायतें खातेदारियों के काल्पनिक होने व भू. पू. जागीरदारों द्वारा नाजायज रूप से उपभोग करने सम्बन्धी सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उनकी जांच कब कब हुई? उसका क्या परिणाम रहा? यदि जांच नहीं हुई तो क्यों नहीं? क्या सरकार विशेष जांच कराने का इरादा रखती है?

(4) क्या यह सही है कि इस वर्ष की गिरदावरी (ग्राम भालेरी) में भी उपरोक्त नाम दर्ज हैं? यदि हां, तो तस्दीक करने वाले सम्बन्धित अधिकारियों के नाम व पद बताये जायं।

उत्तर

(1) विवरण संलग्न फहरिस्त में अंकित है।

(2) उपरोक्त खातेदारों द्वारा उक्त भूमि भूतपूर्व जागीरदार नाहरसिंह एवं जसवंतसिंह से खरीदी हुई हैं। ये खातेदार कल्पित नहीं है बल्कि वास्तविक हैं। लेकिन ये भू. पू. जागीरदार के रिश्तेदार हैं। ये सब खातेदार बीकानेर एवं जोधपुर तथा आस पास के रहने वाले हैं, भालेरी के निवासी नहीं हैं इनकी भूमि की देखरेख श्री जसवंतसिंह सरपंच तथा जगमालसिंह उनके मुख्त्यार की हैसियत से करते हैं।

(3) जी हां। वर्तमान में इसकी जांच परगना अधिकारी राजगढ़ द्वारा की जा रही है।

(4) जी हां। सम्बन्धित नाम इस प्रकार हैं:—

(1) हल्के पटवारी — श्री रामगोपाल

(2) गिरदावर — श्री सज्जनसिंह

(3) तहसीलदार — श्री विमनसिंह

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट—9 देखिये)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री भानुकुमार शास्त्री एवं श्री गुमानमल लोढ़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से दिनांक 27-4-74 को श्री गोविन्दलाल गौड़ के साढ़े तीन वर्षीय पुत्र श्यामू की कुछ तान्त्रिकों द्वारा खोपड़ी निकालकर फाडोद के कुए में डाल देने के विषय में। यह प्रश्न हाल की किसी घटना से सम्बन्धित नहीं है।

(श्री अध्यक्ष):

(2) श्री मोहरसिंह (सादुलपुर): सदस्य विधान सभा की ओर से चूरू जिले में अकाल राहत कार्य शुरू न करने के विषय में।

(3) श्री मोहम्मद गफ्फार अली; सदस्य विधान सभा की ओर से दिनांक 4-3-75 से एस. डी. एम. ब्यावर के कार्यालय के सामने अकाल राहत कार्य खोलने के विषय में चल रहे किसानों के घरणे के विषय में।

इस सम्बन्ध में मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि कई अन्य माननीय सदस्यों ने भी पूर्व में राज्य में अकाल की स्थिति तथा अकाल राहत कार्यों के न खोले जाने के विषय में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा स्थगन प्रस्तावों की जानकारी दी थी। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और मैं इस पर विचार कर रहा हूं कि सदन में इस प्रश्न को किस रूप में उठाये जाने की अनुमति दी जाए।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव को बहुत पुराना कहकर अस्वीकार कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : पुराना हो गया है, उसके बाद तो एक सदन बैठ भी चुका है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा सनसनी खेज मामला है, यह एक बहुत ही दुखद घटना है कि अपने राजस्थान में आज भी जब हम यह कहते हैं हम आगे बढ़ चुके हैं और प्रगति हो रही है लेकिन हमारी यह राजस्थान सरकार ऐसी निष्क्रिय बनी हुई है और पुलिस इतनी लापरवाह है कि बच्चे की नरबलि हो जाय, उसका कत्ल हो जाय और उसका आज तक पता न चले, यह एक बहुत ही आश्चर्य की बात है। मैं उस घटना को उसी रूप में रखना चाहता हूं। तारीख 27-4-74 को फाड़ोद गांव, तहसील जायल जिला नागौर में गोविन्दलाल गौड़ के साढ़े तीन वर्षीय पुत्र श्यामू को भंवरिया और जमाल तेली ने गोलियां और खिलौने देकर बच्चे को दो आदमियों के हाथ बेच दिया और उन्होंने बड़ी बेरहमी से उसको मारा, उसके दांत निकाल लिए और उसकी खोपड़ी निकाल ली और उसके कोई अवशेष नहीं बचे इसलिए गांव के स्कूल के पास एक कुऐ में जो कुआ चारों ओर से बन्द है और चारों ओर उसके लोहे की ताड़ी लगी हुई है जिससे कोई उसमें गिरकर एक्सीडेन्ट नहीं कर सकता, उसमें उसको डालकर चले गये। बच्चे का बाप अपने लड़के की तलाश में गांव के सरपंच के साथ घूमता रहा, वह पुलिस थाने में भी गया परन्तु उसका कोई पता नहीं लगा। फिर 30-4-74 को चार दिन बाद उसका मुकदमा दर्ज करवाया गया। पुलिस ने फिर भी तलाश नहीं की। मैं पांच मिनट और लूंगा माननीय अध्क्षय महोदय, अधिक नहीं लूंगा बहुत गम्भीर मामला है। भंवरिया के पिताजी ने आकर सारी बात बताई कि बच्चे को खिलौने और गोलियों के बहाने आकर ले गये थे। 2-5-74 को लड़के की लाश मिली और

(श्री मानुकुमार शास्त्री)
लड़के के पिताजी ने सारी घटना बयान कर दी। थानेदार ने किसी के बयान तक नहीं लिए और कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं किया और न कोई गिरफ्तारी ही की। आज तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से आज के युग में भी नर बलि हो जाय और तान्त्रिक लोग बच्चे की खोपड़ी निकाल लें और कोई कार्यवाही नहीं हो यह कैसी आश्चर्य की बात है। अन्त में उसके पिताजी ने 20-5-74 को जिलाधीश नागौर को एक रजिस्टर्ड पत्र भेजा। 25-5-74 को पुलिस अधीक्षक नागौर को लिखा, 3-6-74 को पुलिस महानिरीक्षक को और अन्त में 6-6-74 को मुख्य मंत्रीजी को एक पत्र लिखा गया और उनसे मिले भी तब उन्होंने यह आश्वासन दिया कि इसकी जांच करवायेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, कोई जांच नहीं की गई है। वहां का क्रूअल क्रूर थानेदार उस बालक के पिताजी को कहता है कि मैंने आपके कहने से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन इनके खाने का खर्चा आपको देना पड़ेगा। चार रुपये रोज के हिसाब से...

श्री अध्यक्ष : मूल प्रस्ताव पर बोलिए।

श्री मानुकुमार शास्त्री : इसके बाद अध्यक्ष महोदय, 30-7-74 को लगभग चार महीने बाद उन्होंने उनको गिरफ्तार किया और चालान पेश किया और फिर पुलिस से इस्तगासा पेश करा के उनको डिस्चार्ज भी करा दिया। इतनी क्रूअल दुर्घटना गांव में हो जाय और उसके बाद भी कुछ कार्यवाही नहीं होवे, बच्चे का बाप तड़फता रहे, थानेदार उस मामले में रिश्वत खा जाये, इससे बढ़कर कोई शर्म की बात नहीं हो सकती। इसलिये अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में पुनः छानबीन करें और इस केस को चाहे आप सी. बी. आई. से चाहे अपने इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेन्ट से या और किसी सीनियर आफिसर से पुनः जांच करावें और जिन लोगों ने यह जघन्य हत्या एक बच्चे की की है उन दोषी लोगों को आप कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की व्यवस्था करावें। अध्यक्ष महोदय यह एक नरबलि हुई और किसी ने तान्त्रिक क्रिया के लिये उस बच्चे को मारा है। इसलिये यह मेरा निवेदन है कि इसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ पुनः जांच कराकर उन्हें दण्डित किया जाये ताकि ऐसे लोगों को भविष्य में किसी भी बच्चे को मारने की हिम्मत नहीं पड़े। मैं आशा करके चलता हूं कि राज्य सरकार इस बारे में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ जरूर कार्यवाही करेगी।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस संबंध में सदन में जिक्र करना चाहूंगा। मैं यह मानता हूं कि यह मामला पुराना हो चुका है। लेकिन यह मामला बहुत ही गम्भीर है। इस बारे में स्थगन प्रस्ताव रखा गया है इसलिये मेरा निवेदन यह है कि ऐसे मामलों में मैं इसे हत्या ही नहीं कह कर इसे नरबलि की संज्ञा दूंगा और अगर राज्य सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं करती है तो मैं समझूंगा कि यह राजस्थान सरकार के मुंह पर कालिख है।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

चाहे यह मामला 74 का है और इस बीच में एक बार सदन भी बैठ चुका है लेकिन यह अध्यक्ष महोदय बहुत ही गंभीर मामला है। इसमें दोषी व्यक्तियों को पकड़ कर उन्हें सजा दिलाना जरूरी है। इस नरबलि कांड को देखते हुए मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि इस सारे मामले में रीइनवेस्टीगेशन किया जाय चाहे आप इसे किसी उच्च अधिकारी से चाहे आप सी. आई. डी. से या और किसी से भी इसकी न्यायपूर्ण इन्क्वायरी करावें और बाद में दोषी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की व्यवस्था करावें। अध्यक्ष महोदय एक बच्चे की बहुत ही दर्दनाक तरह से तान्त्रिक काम के लिये उसको मौत के घाट उतारा गया है। उसका सिर, मुंह और आंखें निकाल कर जादू टोने करने के लिये उसे मारा गया और बाद में वह मामला पुलिस द्वारा रफा-दफा किया गया इसलिये मेरा आपसे यह अनुरोध है कि दोषी व्यक्तियों के साथ साथ जिन पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को रफा दफा किया उनको भी सजा कड़ी से कड़ी दिलाने की व्यवस्था की जावे। क्योंकि यह बात हमारे राजस्थान सरकार के लिये बहुत ही शर्मनाक है। इसलिये देर आये दुरुस्त आये इस मामले को गम्भीरता और महत्वपूर्णता को देखते हुए इसकी जांच पुनः करवायी जाय और जो भी सब इन्सपेक्टर या इन्सपेक्टर जिसने उस बच्चे के बाप से उन मुलजिमों के खाने के पैसे लिये, और बाद में उन मुलजिमों को भी छोड़ दिया इसके लिये उनके खिलाफ भी जांच करवायी जाय और इसके लिये आप ज्युडिशियल इन्क्वायरी करावें। अध्यक्ष महोदय उस बच्चे का बाप एस. पी. से मिला, डी. आई. जी. से मिला, आई. जी. से मिला और बाद में डेपूटेशन लेकर गृह मंत्री से मिला। लेकिन कोई कार्यवाही पुलिस द्वारा नहीं की गयी। इसलिये मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार अब अविलम्ब इस केस का रीइनवेस्टीगेशन करावे चाहे सी. आई. डी. या चाहे और किसी उच्च अधिकारी से करावे पर दोषी इस केस में जो भी हैं उन्हें सजा दिलायी जानी चाहिये। अध्यक्ष महोदय यह वास्तव में एक नरबलि का मामला है इसलिये गृह मंत्री को इसके लिये जांच करने के आदेश देने की व्यवस्था करके दोषी व्यक्तियों को जल्दी से जल्दी और कठोर से कठोर सजा दिलायी जानी चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय मामला वैसे तो पुराना हो चुका है लेकिन यह मामला चूंकि सनसनी खेज पूर्ण है इसलिये राज्य सरकार को चाहिये कि इस केस में पुलिस द्वारा रीइन्क्वायरी कोन्स्टीट्यूट कराकर हाउस को इस मामले से एप्राईज कराया जाना चाहिये और इसमें जो भी दोषी व्यक्ति हों उन्हें सजा दिलायी जानी चाहिये।

श्री रामसिंह कुडी : अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय श्री भानुकुमार जी शास्त्री ने मामला सदन में बयान किया था वह बिलकुल सही है एक बच्चे को इस तरह से तान्त्रिक प्रयोग के लिये दर्दनाक तरीके से मारा गया और इस मामले को हमने उस वक्त इसलिये सदन में नहीं उठाया था कि यह मामला उस समय ज्युडिशियल इन्क्वायरी में था एक व्यक्ति गिरफ्तार था और उसके बाद भी दो व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके

(श्री रामसिंह कुडी)
थे चूंकि मामला ज्युडिशियल इन्क्वायरी में था इसलिये यह केस हाउस में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से नहीं उठाया गया लेकिन अब चूंकि पुलिस ने स मामले में एफ. आर. दे दी है इसलिये हमारा आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि इस मामले में रीइनवेस्टीगेशन कराकर दोषी व्यक्तियों को सजा दिलायी जानी चाहिये।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव के बारे में बोलने के पहले मैं दो शब्द में माननीय सदस्य श्री भानुकुमार जो शास्त्री ने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है उसके लिये यह निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में यह गम्भीर हत्याकांड है इस मामले में रीइनवेस्टीगेशन कराया जा और दोषी व्यक्तियो को जल्दी से जल्दी सजा दिलायी जावे।

श्री अध्यक्ष : आपने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है उस पर मैंने निर्णय ले लिया है इसके लिये मैं उचित अवसर देखकर आपको बोलने का मौका दूंगा इसके लिये मैं अकाल राहत खोलने के बारे में समय निर्धारित करूंगा तब आप भी बोल लेना।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है इ के लिये जल्दी से जल्दी दिन मुकर्रर किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया ना कि मैंने निर्णय ले लिया है और मैं आपके विचारों से सहमत हूं। मैं मानता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिये मैंने लिखा है सदन में चर्चा होगी। कई माननीय सदस्यों ने भी अकाल राहत कार्य खोलने के बारे में स्थगन प्रस्ताव रखा है। मैं इसके लिये जल्दी ही दिन निर्धारित करूंगा तब उस वक्त आप भो बोल लें।

श्री मोहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए जल्दी से जल्दी दिन मुकर्रर किया जाना चाहिये इसके कुछ कारण हैं इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : कारण तो होते ही हैं, कोई न कोई कारण तो होता है।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य किस बारे में फरमा रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढा : चूरू के बारे में।

श्री अध्यक्ष : वह तो कल हो चुका। आपके माननीय सदस्य बोल भी चुके।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैं कल इत्तफाक से जब उस स्थगन प्रस्ताव पर हाउस में बहस हो रही थी तो गैरहाजिर था। इसलिए मैंने इसको दुबारा रखा है।

श्री अध्यक्ष : आप तो जानते ही हैं कि स्थगन प्रस्ताव पर जब एक बार बहस हाउस में हो जाती है तो उस पर दुबारा बहस नहीं होती है। आप खुद काफी सीनियर मैं ब हैं और दल के नेता हैं इसलिए मेरा अर्ज

(श्री अध्यक्ष)
करना यह है कि इसके लिए आप और भी दूसरे जो पार्लियामैन्ट्री प्रोसीजर हैं उसके अनुसार कार्यवाही करके बोल सकते हैं।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। अगर मैं हाजिर होता तो इसे दूसरी बार हाउस में उठाने का प्रयास नहीं करता।

श्री अध्यक्ष : आप इसे और रूप में हाउस में ले आवें और भी दूसरे प्रोसीजर हैं।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक यहां पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा था।

श्री अध्यक्ष : You adopt the method by which it can come to the House. There are other devices which you can adopt. If you want me to advise, I can give you my advice in the chamber, but not on the adjournment motion.

श्री गुमानमल लोढा : जो मिस्टर बी. हूजा ने रिपोर्ट दी है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि उसे हाउस में रख देते।

श्री अध्यक्ष : You cannot raise it in this manner.

श्री गुमानमल लोढा : मैं तो यह चाहता था कि कम से कम वह रिपोर्ट तो सदन में आ जाती।

श्री अध्यक्ष : There are other methods for that.

श्री गुमानमल लोढा : वह रिपोर्ट अगर हाउस में कम से कम आ जाती तो ठीक रहता।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है जिस प्रश्न पर मन्त्री जवाब दें और डाक्यूमेन्ट हाउस में पेश करें वह डाक्यूमेन्ट अध्यक्ष महोदय, हाउस की प्रोपर्टी हो जाती है यहां पर मंत्री महोदय ने जो डाक्यूमेन्ट हाउस की टेबल पर रखा उसको वापस ले लिया और उसके लिये हाउस की प्रोपर्टी होने के कारण मंत्री महोदय उसे वापस ले नहीं सकते विद आउट दी कान्करेन्स ऑफ दी हाउस वह तो हाउस की प्रोपर्टी हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : आप जो अभी पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठा रहे हैं वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है क्योंकि अभी सदन में दूसरे विषय पर चर्चा हो रही है। अभी तो विषय ही दूसरा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, जब हाउस में कोई डोक्यूमेन्ट रखा जाता है तो वह डोक्यूमेन्ट प्रोपर्टी ऑफ दी हाउस हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने सीमेन्ट के बारे में कहा है।

श्री गुमानमल लोढा : जी हां। लेकिन जब राज्य सरकार ने डाक्यूमेन्ट हाउस की टेबल पर रख दिया तो वह हाउस की

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
प्रोपर्टी हो गयी और वह उन्होंने बिना हाउस की परमीशन के वापस ले ली इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि····

श्री अध्यक्ष : Why don't you ask a short notice question to produce the report ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : Pardon ?

श्री अध्यक्ष : Why don't you ask a short notice question to produce the report ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : I was pointing out that whether a document referred to by the Hon. Member and referred to by the Hon. Minister can be laid on the table of the House by the permission of the Chair. This is the question, Sir.

इसलिए मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह प्रश्न अब हाउस में आ गया है इसलिए यह प्रश्न अब व्यवस्था का मोहताज हो गया है आप इस पर कृपया व्यवस्था दे दें।

अध्यक्ष महोदय, जब हाउस में मन्त्री महोदय कोई रैलेवेन्ट केस के बारे में डोक्यूमेन्ट पेश करते हैं वो वह डोक्यूमेन्ट प्रोपर्टी ऑफ दी हाउस हो जाती है और बाद में अगर मन्त्री महोदय उसको वापिस ले लेते हैं तो उस वक्त दिक्कत आती है कि अगर जरूरत पड़ने पर हमें उस प्रोपर्टी आफ दी हाउस को ढूंढना पड़ता है। हमें जब वह वहां पर नहीं मिलता है तो हम देखते हैं कि वह डोक्यूमेन्ट कहां चला गया। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि जिन माननीय सदस्य ने उस डोक्यूमेंट को हाउस में रखा है वह अगर वापिस ले तो उनको चाहिये कि वह माननीय सदस्य उसकी इजाजत लेकर उसे वापिस लेवें। जब कभी कोई रिपोर्ट मंत्री महोदय हाउस में रखते हैं तो हाउस से परमीशन लेकर रखते हैं और अगर कोई भी डोक्यूमेंट वापस लेते हैं तो हाउस की परमीशन लेना अनिवार्य हो जाता है।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी मानानीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया····

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न इसलिये नहीं था कि वह प्रश्न जो माननीय सदस्य ने उठाया वह सदन के सामने नहीं था, विषय ही दूसरा था। पहला जो विषय था वह समाप्त हो चुका था। अब तो यह जनरल प्रश्न की तरह हो जाता है। अगर फिर भी इस रेफरैन्स पर किसी माननीय सदस्य को कोई एतराज हो तो वह आकर मेरे चैम्बर में मुझ से मिल लें। मैं उन्हें सारी स्थिति समझा सकता हूं और अगर किसी भावना से पूछना चाहते हैं तो मुझे आप लिख कर दे दें अगर आप लिख के व्यवस्था के लिये देंगे तो मैं व्यवस्था दे सकता हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं यह निवेदन करना चाहता था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया था उसमें निश्चित् रूप से उल्लेख किया था कि श्री हूजा को वहां पर जांच के लिये भेजा गया।

श्री अध्यक्ष : इस पर बार बार क्यों ? बात हो चुकी है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सदन की वह प्रोपर्टी बन गयी है कि उनकी सारी की सारी फाइन्डिंग्स है···

श्री अध्यक्ष : इस पर लिख कर दें तो आई विल कन्सीडर ओवर इट।

श्री गुमानमल लोढा : मेरा यह निवेदन था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्पष्ट कह दिया था सदन में कि श्री हूजा की रिपोर्ट पर आधारित है···

श्री अध्यक्ष : उनका सीमेन्ट के मामले में और आपका दूसरे मामले में है ?

श्री गुमानमल लोढा : उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाना चाहिये, अथवा विरोधी दल के सदस्यों के द्वारा उसका अवलोकन कराया जाना चाहिये ताकि पता लग सके कि किस प्रकार रैस्पोन्सिबिलिटी फिक्स की है। किनको इनवोल्व किया है, जिन पुलिस कर्मचारियों के लिये कहा गया कि शिवपूजन की कारागृह में मारमीट की उनके विरुद्ध किस तरह की कार्यवाही करने की बात कही है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है। उनको गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया है। पुलिस कस्टडी में मारमीट हो तो उनको उसी समय अरैस्ट करके उनका चालान करना चाहिये जैसा कि उदयपुर में किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे का सारा जिला बन्द होने वाला है। सारे प्रदेश में इसको लेकर एक आक्रोश फैल रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि हूजा साहब की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखवाने के आदेश दें। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था सात दिन में रिपोर्ट मंगवा दूंगा। सदन के पटल पर रखवा दूंगा।

श्री लक्ष्मणसिंह : हूजा रिपोर्ट सदन की प्रोपर्टी तो निश्चित् है। टेबल पर रखी जाय या नहीं रखी जाय यह आपके डिस्क्रेशन पर निर्भर है। माननीय सदस्यों का यह अधिकार है कि आपको निवेदन करें कि इस दस्तावेज को सदन के पटल पर रखा जाय या नहीं। माननीय सदस्यों की भावना के समर्थन में मेरी ओर से यह निवेदन करूंगा और मैं यह आशा करूंगा कि इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने का आप आदेश देंगे और विरोधी पक्ष को भी कान्फिडेन्स में लेने के आदेश देंगे।

श्री मानकुमार शास्त्री : आप इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने के आदेश फरमायें जो फाइन्डिंग्स हैं उसी पर निर्णय निकल जावेगा जिससे उसके माध्यम से आगे की कार्यवाही आगे चले। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया। श्री हूजा ने क्या जानकारी की है, जांच की है। वह सदन के पटल पर आ जाय जिससे आगे की कार्यवाही चले। मैं चाहूंगा कि आप इस प्रकार के आदेश देंगे कि रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाय।

श्री मोहरसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : क्या इस तरह से तकरीरें इस पर अलाऊ करूंगा ? मुझे मोटी सब बातें आ गयी हैं।

श्री मोहनसिंह : उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मुझे यह देखना पड़ेगा प्रोसिडिंग्स से कि चीफ मिनिस्टर ने किन शब्दों में क्या कहा और रिपोर्ट की है वह इसके परव्यू में आती है या नहीं आती है। इससे पहले मैं सलाह देना चाहता था कि पाइन्ट के स्पेसिफिक होने की दृष्टि से आप भी लिख कर दे दीजिए। उन्होंने क्या कहा था उसको पढ़ना पड़ेगा। प्रोसिडिंग्स देखने के बाद ही मैं कह सकता हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर शहर में पेय जल व जल निस्सारण की समस्या के सम्बन्ध में जन स्वास्थ्य मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1963 के पूर्व जयपुर नगर में लगभग 70 लाख गैलन प्रति दिन के हिसाब से विभिन्न स्थानों से पेय जल वितरित किया जाता था। राजस्थान प्रदेश के निर्माण के तुरन्त बाद राज्य सरकार ने इस शहर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक करोड़ रुपये की लागत की पुनर्गठन योजना स्वीकृत की जिसके द्वारा वर्ष 1963 में दैनिक वितरण 70 लाख से बढ़ा कर लगभग 120 लाख गैलन हो गया। शहर की जनसंख्या वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती गई और स्थान स्थान पर नई कालोनियों का निर्माण हुआ व विभाग ने समय समय पर नई कालोनियों में नलकूप आदि का निर्माण करके पेय जल व्यवस्था का विस्तार किया।

वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार जयपुर की जन संख्या 6.16 लाख हो गई और पेय जल वितरण की मात्रा बढ़ा कर लगभग 170 लाख गैलन प्रति दिन पहुंच गई। जयपुर के मास्टर प्लान के अनुसार वर्ष 1990 तक 12 लाख की जनसंख्या का अनुमान है और उक्त जनसंख्या की आवश्यकताओं को देखते हुए विभाग द्वारा 24 करोड़ रुपये की लागत की द्वितीय पुनर्गठन योजना बनाई गई। इस योजना में जयपुर से लगभग 80 मील दूर बनास नदी में बीसलपुर पर बांध निर्माण पर 480 लाख गैलन अतिरिक्त पानी प्रति दिन लाने का प्रावधान था। बांध के निर्माण में सिंचाई विभाग का भी योगदान प्रस्तावित था। किन्तु कारण वश सिंचाई विभाग इस योजना में सम्मिलित होने में असमर्थ रहा। उक्त योजना के दो भाग थे। प्रथम भाग में बांध का निर्माण तथा 80 मील लम्बी पाइप लाइन डाल कर पानी पम्प करना तथा इसे स्वच्छ करना था। द्वितीय भाग में शहर के अन्दर टंकियों का निर्माण तथा पाइप लाइन डालने का प्रावधान था। योजना की अत्यधिक लागत को देखते हुए इतनी बड़ी रकम केवल एक योजना हेतु व्यय करना कठिन था। राजस्थान भू-जल मण्डल का भी यह प्रस्ताव था कि बनास नदी की अपेक्षा यदि भूगर्भीय

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

स्रोतों से नलकूपों द्वारा पेय जल प्राप्त किया जावे तो योजना के व्यय में कमी की जा सकती है। अतः वर्ष 1971-72 में यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान भू-जल मंडल भूगर्भीय स्रोतों का विस्तार से सर्वेक्षण करे और उनकी सिफारिशों के आधार पर जयपुर के अतिरिक्त पेय जल वितरण के स्रोत के बारे में अन्तिम निर्णय लिया जाय। साथ में प्रस्तावित टंकियों तथा पाइप लाइनों का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय। अन्तिरिम राहत पहुँचाने की दृष्टि से शहर के विभिन्न स्थानों में आवश्यकतानुसार नये नलकूल निर्माण करने का भी निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के अनुसार वर्ष 1971-72 में 81 लाख की लागत के कार्यों के अनुमान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये, जिसके अन्तर्गत लगभग 35 नये नलकूप निर्माण किये गये, 8 स्थानों पर जलाशयों का कार्य किया गया तथा शहर के विभिन्न भागों में बड़ी पाइप लाइनें डाली गयीं। वर्ष 1973-74 में इसी प्रकार के सुधार कार्यों हेतु राज्य सरकार के पुनः 110 लाख रुपये की लागत के विभिन्न कार्य स्वीकृत किये। दिसम्बर 1974 तक विभाग द्वारा जयपुर जल वितरण व्यवस्था के सुधार हेतु कुल 134 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। अब तक 60 से अधिक नलकूप बनाये जा चुके हैं जिसमें से 44 नलकूप चालू किये जा चुके हैं और शेष पर कार्य चल रहा है। इसी प्रकार 8 जलाशयों का कार्य पूरा किया जा चुका है और 2 उच्च जलाशय सम्पूर्ण किये जा चुके हैं व 8 पर कार्य चल रहा है। विभिन्न स्थानों पर 90,000 मीटर से अधिक अलग अलग नाप की पाइप लाइनें डाली जा चुकी हैं। आवश्यक मशीनरी भी काफी मात्रा में प्राप्त करली गयी है। इन सब कार्यों के फलस्वरूप वर्ष 1974 की गर्मियों में दैनिक जल वितरण की मात्रा लगभग 190 लाख गैलन तक पहुंच गयी और आने वाली गर्मियों में भी विभाग 200 लाख गैलन वितरण करने की क्षमता रखता है। दैनिक वितरण की मात्रा में बढ़ोतरी के अतिरिक्त इन कार्यों से पानी के दबाव में काफी सुधार हुआ है। शहर की कच्ची बस्तियों में और विशेष कर अनुसूचित जाति व जन जाति के क्षेत्रों में सार्वजनिक नलों द्वारा पेय जल की व्यवस्था की गयी है। नगर में इस समय कुल लगभग 700 सार्वजनिक नल लगे हुए हैं, जो पर्याप्त हैं। इस समय शहर के प्रायः सभी भागों में प्रातःकाल 4 बजे से 8.30 बजे तक व सायंकाल 5 बजे से 8 बजे तक जल वितरण होता है जो संतोषप्रद है।

राजस्थान भू-जल विभाग द्वारा जयपुर नगर के आसपास के भू-गर्भीय जल स्रोतों के सर्वेक्षण हेतु कार्य किया जा रहा है। अभी तक उक्त विभाग द्वारा किशनबाग क्षेत्र तथा बांडी नदी के तल में नलकूप बना कर जल प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है इसका सर्वेक्षण अभी पूर्ण नहीं हुआ है व उक्त प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। भू-गर्भीय जल के साथ साथ भूमि के ऊपर उपलब्ध जल को इस्तेमाल करने की संभावना की विस्तृत जांच करने की दृष्टि से बनास नदी पर ईसरदा ग्राम के निकट बांध बना कर सिंचाई एवं पेय जल प्राप्त करने की सम्भावनाओं को तकनीकी दृष्टि से जांच

Page No 43

(43)

(जन स्वास्थ्य मंत्री)
करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जहां तक जयपुर नगर में ड्रेनेज की व्यवस्था का प्रश्न है, जयपुर नगर में परकोटे के भीतर बसे हुए शहर में बहुत पुराने समय से ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है। विभिन्न गलियों में बाद में भी कुछ सीवर लाइनें डाली गई हैं। इस बीच जनसंख्या में वृद्धि हुई है एवं प्रति व्यक्ति जल वितरण की मात्रा भी बढ़ गई है। इसके फलस्वरूप कुछ स्थानों पर पुराने समय में डाले गये पाइप आवश्यकता से छोटे पड़ गये हैं। कुछ पाइप बहुत पुराने होने के कारण टूट गये हैं अथवा रुकावट पैदा हो जाने के कारण व लम्बे समय से बन्द पड़े रहने के कारण बेकार हो गये हैं।

जयपुर नगर की वृहत् जल निस्सारण योजना के अन्तर्गत जयपुर में सिवरेज सिस्टम सुधारने के लिए लगभग 14.95 करोड़ रुपये 1974 के अनुमानों के अनुसार खर्च करना पड़ेगा। इस वृहत योजना में से एक भाग पर तुरन्त कार्य चालू किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अन्तर्गत शहर में पुरानी सीवर लाइनों की जगह नई सीवर लाइनें लगाने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार नगर की बाहरी बस्तियों में भी कुछ सीवर लाइने लगाने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस कार्य के लिये राज्य सरकार वर्ष 1975–76 में तीस लाख रुपये खर्च करने का विचार रखती है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो अभी मेरे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जवाब में जो बातें कही हैं मैं स्वयं उन्हीं के आंकड़ों के अनुसार निवेदन करना चाहता हूं। लगभग 134 लाख रुपया जयपुर शहर की पेय जल व्यवस्था पर खर्च करके जैसा उन्हों ने बताया 190 लाख गैलन प्रति दिन पानी सप्लाई करते हैं। स्वयं मंत्री महोदय ने बताया कि इसके बाद 480 लाख गैलन पानी प्रति दिन चाहिए...

श्री चन्दनमल बैद : चाहिये नहीं कहा वहां से लाने का प्रस्ताव है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : लाने का प्रस्ताव है, मैं निवेदन करूं भारत सरकार ने इन्वोल्वमेंट आईजीन कमेटी नियुक्त की उस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति 45 गैलन पानी शहरों की आबादी पर खर्च करने को चाहिये और 480 गैलन पानी उस समय तक चाहिये और व्यवस्था करते हैं 190 लाख गैलन तो लगभग 300 लाख गैलन की और व्यवस्था करनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय वर्तमान की जो व्यवस्था है उससे ऐसा लगता है कि 5 साल बाद मनुष्य पानी की एक एक बूंद के लिए छटपटायेगा चूंकि इसी सदन में उस समय के मुख्य मंत्री श्री मोहन लाल सुखाड़िया ने 70–71 के बजट सैशन में जलदाय विभाग की मांगों पर जब बहस चल रही थी उन्होंने जयपुर शहर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बीसलपुर की योजना को क्रियान्वित करने को कहा था। मैं निवेदन करना चाहता हूं बीसलपुर योजना के अन्तर्गत उन चार शहरों को पानी देने की व्यवस्था थी जिसमें जयपुर, किशनगढ़, नसीराबाद, ब्यावर आदि हैं।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

अभी ईसरदा से जैसा मैंने बजट भाषण को सुना है और पढ़ा भी है सिंचाई की व्यवस्था के लिए ईसरदा पर बांध बनाना चाहते हैं उसके लिये तो आपको धन्यवाद लेकिन मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं 300 लाख गैलन प्रति दिन जयपुर शहर को जो चाहियेगा उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं जब तक आप सारी व्यवस्था के लिए मास्टर प्लान के बारे में नहीं सोचेंगे तो आप निश्चित रूप से मानिये आप इस व्यवस्था को पूरा नहीं कर पायेंगे।

आपने ट्यूब वैल्स का जिक्र किया मैं निवेदन करता हूं उन ट्यूब वैलों से 18 फीट पानी नीचे जा चुका है। आपने अध्यक्ष महोदय स्वयं देखा होगा अमानीशाह के नाले में और पुराने घाट में पानी बहता था वह पानी ऊपर से तो गायब हो ही गया है लेकिन आज वह काफी नीचे भी चला गया है। बांडी और किशनबास क्षेत्र में पानी बनाया किशनवास क्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, वहां भी पानी अमानीशाह से एक मील दूर से पानी लाते हैं। आज किसान पानी के लिये छटपटा रहा है उनके कुओं का पानी भी 15 फीट नीचे जा चुका है। उस सारे क्षेत्र के किसान चौमूं की बांडी से पानी ला रहे हैं, क्या उन सबको आप पानी के लिये रुला देना चाहते हैं। वहां के आदमियों को जिनकी करीब 8 लाख की आबादी पहुंच चुकी है उनको भी बड़ी भारी परेशानी में डालेंगे। जयपुर शहर की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है उस हिसाब से लगता है आगे आने वाले कुछ वर्षों में 12 लाख की होने वाली है और जिसके लिये 300 लाख गैलन पानी प्रति दिन चाहिये।

आपने जो टंकी बनाई है उसके जब मैं सर्दियों में गया था तो देखा उन टंकियों से पानी अभी टपक रहा था जब मामूली बरसात से पानी टपक रहा था तो आने वाले दिनों में उसकी क्या हालत होगी। गत सत्र में यह प्रश्न उठाया था 12 टंकियों के ऊपर जो एक टंकी बनाई है उसके लिये तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने तत्परता बरती और काम चालू किया लेकिन मुझे बड़ी भारी शंका है कि यह टंकी कहीं गिर न जाय।

मुख्य मंत्री महोदय ने जिस बात को कहा और मुख्य मंत्रीजी के चेम्बर में जयपुर के प्रतिनिधियों ने और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज के जो अध्यक्ष महोदय हैं, राजस्थान के मंत्रीमण्डल में थे और इस बात का निर्णय लिया गया था कि बीसलपुर से पानी लाने की बात की गई थी और सारी व्यवस्था के अनुसार बाद में सेक्रेटेरियेट में मीटिंग हुई और जन प्रतिनिधियों के निर्णय को, मुख्य मंत्री महोदय के निर्णय को ब्यूरोक्रेसी ने बदल दिया। आज कलकत्ता योजना बनाता है और ढाई सौ करोड़ अपने नागरिकों के लिये खर्च करता है, बम्बई योजना बनाता है और शहरी आबादी पर करोड़ों रुपया खर्च करता है किन्तु हमारे यहां बाबा आदम के जमाने में वापिस जाना चाहते हैं। कुओं का पानी आज 15 फीट नीचे जा चुका है, मैं मानता हूं इसका भी आप जवाब दे देंगे मैं उसका विरोध नहीं करता हूं लेकिन मुझे शर्म आती है कि आजादी के 28 वर्ष बाद भी अगर आप

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सके तो इससे बढ़कर और क्या शर्म की बात हो सकती है। आज शहरों की आबादी दिन प्रति दिन बढ़ रही है और तेजी से बढ़ रही है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : (अध्यक्ष...) (मा. सदस्य के साथ साथ बोलते रहने से अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं निवेदन कर रहा था, आपका भी नम्बर आयेगा तब बोल लीजियेगा बीच बीच में तो न बोलें। सन 41 में केवल मात्र यहां की आबादी 10 लाख थी...

श्री अध्यक्ष : थोड़े में ही कह दें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : थोड़े में ही कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, आज सन् 71 की जनगणना की आबादी है वह 45 लाख है। अगर शहरी जल योजनाओं की उपेक्षा बरती और कोई योजना नहीं बनाई तो मैं निवेदन करता हूं यह आपका एक बहुत बड़ा गलत कदम होगा।

आपने ड्रेनेज—जल निकास की बात कही और कहा सन् 31 में गटर लाइन डाली और 33 तक काम पूरा हो गया। 33 से लेकर आज तक गटर लाइनों की सफाई का काम नहीं हुआ है। बहुत जोर से यहां आंदोलन हुआ और कांग्रेस पार्टी ने बार बार ध्यान आकर्षित किया और उस समय के मुख्य मंत्री महोदय श्री सुखाड़िया साहब ने पांच लाख देने को कहा और उसकी वजह से थोड़ा सा काम हुआ लेकिन मैं पूछना चाहता हूं 14 करोड़ की बात आपने फरमाई है। आज जो गटरों का पानी जाता है उसकी वजह से सब्जियों में पानी जाता है और उस सब्जी को खाने की वजह से जयपुर शहर की आबादी के 85 प्रतिशत लोगों के पेट में कीड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, ये पेट में कीड़े मारने की दवा है सारे हिन्दुस्तान में जो दवा बनती है उसका 70 प्रतिशत हिस्सा केवल जयपुर शहर में खप जाता है। आप इतनी उपेक्षा वृत्ति करके चलते हैं और अध्यक्ष महोदय, यहां की 7 लाख की आबादी के जन जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। मेरे पास एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट है। मैं केवल अकेले जयपुर शहर की ही बात नहीं करता हूं। जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, अजमेर की भी बात कहता हूं इस ड्रेनेज के बारे में आपका ध्यान कतई नहीं है और योजना के अन्तर्गत कुछ नहीं करना चाहते हैं। जयपुर शहर की ड्रेनेज के बारे में आपने कुछ भी व्यवस्था नहीं की, बाहर की नई बस्तियों में और पुरानी बस्तियों में लाखों करोड़ों रुपये लगा कर सड़कें बनाई हैं लेकिन ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं होने से वे सड़कें वापिस टूट रही हैं। हजारों—लाखों रुपये रिपेयर में हर साल लग रहे हैं उन सबके बावजूद भी आपका ड्रेनेज की तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा है। इसलिये मेहरबानी करके पीने के पानी की व्यवस्था का जो सवाल है जो मनुष्य की जिन्दगी के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ खिलवाड न करें और 300 लाख गैलन जो जयपुर शहर की जनता को चाहिये उसको आप जल्दी से जल्दी और मुहैय्या करें।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

एक मिनिट में खतम करता हूं। मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं जयपुर शहर अकेला आपको एक करोड़ के पानी की रैवेन्यू देगा। आपके इन आंकड़ों के आधार पर पिछली बार भी बजट भाषण सुना था और आपने कहा था इतने सारे रुपये कैसे लगा दें—जयपुर शहर का वाटर वर्क्स मुनाफे में चलता है, कोई घाटे में नहीं चल रहा है। यहां की रेवेन्यू को देखते हुये भी आप उस अनुपात में खर्च नहीं करना चाहते हैं। अत: मेरा निवेदन है इस सारी योजना को लेकर यहां की योजनाओं को क्रियान्वित नहीं करेंगे तो आपका दृष्टिकोण कोई बुद्धिमानी का दृष्टिकोण नहीं होगा और आप वापिस उसी बाबा आदम के जमाने में चले जायें।

जयपुर के जन प्रतिनिधियों के बीच में किये फैसले और उस फैसले की घोषणा मुख्य मंत्री करें और उसको ब्यूरोक्रेट बदल दें और माननीय मंत्री महोदय जन प्रतिनिधि होने के नाते आपका ब्यूरोक्रेट्स की भाषा में बोलना वाजिब नहीं है। मैने एल. आई. सी. के अधिकारियों से बात की थी और वह कहते हैं कि हम जयपुर शहर के अन्दर पीने के पानी के लिए किसी भी योजना के लिए रुपया देने के लिए तैयार हैं। आपने तीस लाख की घोषणा की और हर बार बजट में इस प्रकार की बात हम देखते हैं लेकिन आप करते कुछ नहीं है। आप ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाने की बात करते हैं। हम अपने यहां पर विदेशियों को आमंत्रित करते हैं और जयपुर शहर अकेला हमको 11। करोड़ रुपये की फौरेन एक्सचेन्ज कमा कर देता है लेकिन आप ट्रीटमेन्ट प्लान्ट तक नहीं लगाते हैं। शहरों के विकास के लिए जिस काम को हमको करना चाहिए वह नहीं करते हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मुझे सिर्फ दो तीन सवाल ही पूछने है...

श्री अध्यक्ष : पीछे पूछ लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसी संबंध में एक स्थान प्रस्ताव है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पैसा उसी समय हमें स्वीकृत हुआ था जिस समय मटका फोड़ प्रदर्शन हमारी राजस्थान विधान सभा भवन के सामने हुआ था।

(12.42 म. प.)

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

उसके बाद यहां सदन में माननीय भैरोंसिहजी और सतीशचन्द्रजी अग्रवाल ने प्रश्न उठाया था स्थगन प्रस्ताव के द्वारा और सेक्रेटेरियट में मीटिंग हुई और राज्य सरकार ने 5 लाख रुपया स्वीकार किया और उसके एक वर्ष बाद दुबारा आन्दोलन करने के बाद पैसा मिला। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करने जा रहा हूं कि पैसा देरी से मिला। जैसा आप कहते हैं कि 700 नल जयपुर शहर में पर्याप्त हैं तो मेरा निवेदन यह है कि यह अपर्याप्त हैं आज भी जयपुर शहर में कई ऐसी बस्तियां हैं, आप मेरे क्षेत्र में चले जाइये लेकिन मैं सन्तुष्ट नहीं हूं कि वहां पर व्यवस्था ठीक है। कच्ची बस्तियों में पीने के पानी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है और राम-

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

गढ़ का बन्धा है, रिजरवायर बना हुआ है वह भी हमारे जयपुर शहर के लिए अपर्याप्त है 14 लाख गैलन पानी इकट्ठा हो जाये और जयपुर शहर में सप्लाई कर दें वह टैंक भी पूरा नहीं हुआ। आपने नलकूप बनाने की बात कही। मैंने बनास योजना के बारे में बार बार सदन में कहा है कि यह जयपुर के लिए सबसे उपयुक्त योजना है। इसके अलावा मैंने कहा है कि यहां पानी में कीड़े आते हैं और यहां सदन में मैंने बाटल भी लाकर दिखाई है। मुझे खुशी है कि मेरे विधायक मित्र भी इस बात से सहमत हैं कि जयपुर शहर के लोगों के पेट में कीड़े इस दूषित पानी की वजह से हैं....

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने यह नहीं कहा था कि जो पानी सप्लाई करते हैं वह दूषित है और इसकी वजह से कीड़े हैं बल्कि जो मैला पानी बाहर निकल कर जाता है और उससे जो साग सब्जी हमारे लोग खाते हैं उसकी वजह से पेट में कीड़े हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ....वह पानी दूषित सप्लाई करते हैं। उसमें टट्टी मिली हुई होती है और जो ड्रेनेज की व्यवस्था है वह उपयुक्त नहीं है। मैंने माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी कहा था कि जयपुर शहर में गटर लाइन में से पाइप लाइन जाती है और जिस समय पानी की सप्लाई बन्द हो जाती है तो गटर का पानी उसमें चला जाता है और वह लोगों को पीने के लिए मिलता है। इस कारण गन्दा पानी सप्लाई होता है और वह भी बढ़ी हुई दरों पर और इससे लोगों के पेट में कीड़े होते हैं।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर में रामपुरा योजना में राज्य सरकार ने नलकूप खोदे थे और इस कारण से वहां के आस पास के क्षेत्र में पानी की सतह नीचे चली गई और किसानों को बड़ा भारी नुकसान हुआ। आप जयपुर में भी यही करने जा रहे हैं और यहां के भी कुओं का पानी का स्तर नीचे चला जायेगा और किसानों को परेशानी होगी। यह बात मैंने नहीं कही है। यह बात आपके जो भू-संरक्षण विभाग है उसने यह बात कही है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने किशनगढ़, ब्यावर की बात की है तो मैं पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं कि जयपुर शहर के लिए बनास योजना जो कि बिल्कुल उपयुक्त योजना है और जिसके अन्दर लाखों रुपये तो सर्वेक्षण और नक्शों आदि में ही खर्च हो गए और जिसके बारे में भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने कहा कि दिसम्बर तक एक टैंक बन जायेगा और हाउस में कहा और बाहर भी कहा लेकिन खेद की बात है कि जब आपका ध्यान इस ओर दिलाया गया तो आपने एक बार तो रिजेक्ट कर दिया और एक बार कहा कि फिर विचार करेंगे। अब आप अजमेर तक तो आ ही गये हैं तो मैं समझता हूं कि टोंक और जयपुर को भी बनास योजना में ले लिया जाये तो उपयुक्त होगा। तो आपको स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए कि टोंक और जयपुर के लिए बनास योजना ही उपयुक्त है।

इसके अलावा आप कहते हैं कि पानी का प्रेशर ठीक है। यहां विधायकगण बैठे हुए हैं यदि इनकी विधायकपुरी में ठीक हो

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

तो कह नहीं सकता पर मैं तो अपने पुराने निवास स्थान पर ही रहता हूँ। वहां पर यह हालत है कि प्रातःकाल 6 बजे ही बन्द हो जाता है जब कि अब तक सर्दी थी और लोग 7 बजे सोकर उठते है और गर्मियों में भी हालत खराब होगी। न तो सायंकाल का ही समय ठीक है और न प्रातःकाल का ही। आज की तारीख में भी जब लोग दुखी हैं तो फिर गर्मियों में भी दुखी होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में 7 टैंक बन रहे थे और कुतुब मीनार से खड़े हैं। इनमें से 1 तो तैयार हो गया लेकिन 6 आज भी जाइन्ट के रूप में जैसे राक्षस खड़े हों। यदि पाकिस्तान हिन्दुस्तान की लड़ाई हो जाये और ब्लेक आउट का समय हो जाये तो वहां कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इन 6 टैंकों पर लाखों रुपया बेकार पड़ा हुआ है। वाटर लाइनें बड़ी बड़ी डालीं थीं उसके नाते वह निरुपयोगी हो रही हैं। आपने चांदपोल बाहर बड़े बड़े बम्बे डालने का प्रयास किया, उसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन इनको वहीं तक नहीं छोड़ें बल्कि गलता तक ले जायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक मिनट और लूंगा।

मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं कि वाटर टैंकों को पूरा करायें, समय को ठीक करें और जो गृह निर्माण सहकारी समितियां बन गयीं उनको भी पीने के पानी का कनेक्शन दिला दें वरना उनके पास बिजली का कनेक्शन तो है लेकिन आज पानी के कनेक्शन के लिए 136 गृह निर्माण सहकारी समितियों के लोग मारे मारे फिर रहे हैं। आपने पहले एक कृपा तो की कि जयपुर शहर के ड्रेनेज के नीचे 6 इंच की गटर लाइन डलवाई लेकिन आज शहर की जनसंख्या काफी बढ़ रही है। मैं आपको बताऊं कि ब्रह्मपुरी के खुर्रे के नीचे गटर लाइन थी उसके ऊपर लोगों ने नाजायज कब्जे कर लिये और मकानात बना लिये और उसके कारण से जो अन्तिम मेन होल है उससे सारा गन्दा पानी बह रहा है और एक दिन ऐसी हालत हो जायेगी कि वहां पक्का नाला नहीं बना तो सारे के सारे लोग सड़ेंगे। मैं समझता हूं कि इस ओर भी आप ध्यान दें और जल महलों से लोग आते हैं तो बदबू आती है। वहां से मंत्री लोग आते हैं, विदेशी लोग आते हैं और मैं कहता हूं कि वहां गन्दा पानी भर रहा है। मैं समझता हूं कि जयपुर शहर के भीतर और बाहर जो गन्दा पानी इकट्ठा होता है इसको दूर ले जायें और दूर कहीं इसका डिस्पोजल हो तो वह आप खेती के लिए देंगे तो उससे आपको आय भी मिलेगी और गन्दगी का भी निवारण हो जायेगा।

इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बनास योजना को आप एग्जीक्यूट करें और सदन को आश्वासन दें, नलकूप की योजना को ठीक करें, पानी के प्रेशर की उचित व्यवस्था करें और कच्ची बस्तियों में जहां नल नहीं लगे हैं वहां नल लगवायें और ड्रेनेज की व्यवस्था जल्दी हो जाये। वरना आप आदर्श नगर को देखिये क्या हालत है, बनीपार्क को देखिये क्या हालत है। इसलिए निवेदन करूंगा कि जयपुर शहर की यह-

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
बूंदी के कारण आप स्पेसिफिक बनास योजना के बारे में यहां घोषणा करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो तीन सवाल पूछूंगा।

मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि आपके जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय यह है कि जो ट्यूबवैल्स आप बना रहे हैं इससे पानी का लेवल नीचे जा रहा है और 'विद इन ए डिकेड' यह पानी खत्म हो जावेगा और फिर आपको बहुत संकटकालीन स्थिति से गुजरना पड़ेगा। पर क्या यह बात सही है कि आपने जो टंकियां बनाई थीं वे कोई काम में नहीं आ रही हैं और उसमें बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट की वह सब की सब बेकार गई।

क्या आप यह भी बताने की कृपा करेंगे कि शहर के अन्दर जो गटर लाईन है उसके रिप्लेसमेंट के अन्दर कितना पैसा लगेगा और क्या आप उस गटर लाईन को रिप्लेस करने का कोई प्लान रखते हैं और अगर कोई प्लान है तो कब तक के लिए। इसलिए तकरीर तो लम्बी चौड़ी बहुत हो गई, मैं तो संक्षेप में यह जानना चाहूंगा कि तीन चार सवाल जो मैंने किये हैं और अब जो बढ़ती हुई आबादी है उसको लिहाज में रखते हुए क्या यह उपयुक्त नहीं होगा कि आप बनास की योजना को लागू करें और उससे ही यह मसला हल होगा। इसलिए अगर आप और तमाम सोर्सेज में रुपया लगायेंगे लेकिन अगर दस साल के अन्दर यह आबादी दुगनी हो गई, दुगनी हो सकती है, नहीं हो तो दस लाख हो सकती है, आठ लाख हो जाय तब आप पानी दे सकते हैं क्या? वह कम होता जा रहा है कुओं में पानी और यह कठिनाई बढ़ती जा रही है। और जो ड्रेनेज सिस्टम है इसको आप क्या पर्याप्त समझते हैं? शहर की चार दीवारी में बहुत गंदगी है, बाहर तो जहां खुली हुई कोलोनीज है वहां इतनी गंदगी नहीं है लेकिन शहर के इस एरिया में शहर के अन्दर वाला जो एरिया है उसको सुधारने के लिए क्या करने जा रहे हैं, यह आप जवाब दें।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी दो एक प्रश्न आपकी आज्ञा से पूछना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : पूछिए।

श्री लक्ष्मण सिंह : एक तरफ तो जन संख्या बढ़ रही है, यह निर्विवाद बात है। उसको आप क्या कोई भी सरकार हो रोक भी नहीं सकती। सब सायल वाटर का लेवल भी गहरा होता जा रहा है, उसको रोक भी नहीं सकते। इस सम्बन्ध में विचार करके कोई सब्स्टीट्यूएंट योजना आप बना सकते हैं। इस सम्बन्ध में आपने, सरकार ने क्या किया यह भी जानना चाहूंगा। पानी, उपाध्यक्ष महोदय, दो चार या पांच मील से भी आ सकता है। क्योंकि मनुष्य अपने आपको खुदखुशी करके मार नहीं डालता। The urge to survive is natural परन्तु जहां पर गटरों के ऊपर आबादी हो गई, मकान बन गए, गटरों की दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा पहुंच गई। गटरों के ऊपर जो लोग रह रहे हैं वह रात और दिन भिष्ठा और उसका अनुभव करते हैं। ऐसी परिस्थिति के अन्दर सरकार को गटरों

(श्री लक्ष्मण सिंह)

की व्यवस्था को प्राथमिकता देनी चाहिये। मैं यह मुद्दा सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता हूं और यह जो हवामहल के चारों तरफ गन्दगी फैल रही है यह हमारे ··

श्री श्रीराम गोटेवाला : जलमहल।

श्री लक्ष्मण सिंह : जल महल, यह हमारे लिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि यह एक इण्टरनेशनल स्कैंडल है। आप यहां पर बैठे हुए हैं, हम यहां राजस्थान की विधान सभा के अन्दर बैठे हुए हैं, यह गुलाबी नगर जो इण्टरनेशनल फेम का नगर है, यह प्रख्यात है, इसके अन्दर पर्यटक जो दिल्ली से आते हैं वह आगरे आते हैं और आगरे वाले 90 प्रतिशत जयपुर आते हैं और वह जलमहल में समझता हूं कि वह निश्चित रूप से देखते हैं। एक बहुत सुन्दर जल महल, उस जल महल को नरक महल बनाते जा रहे हैं। तो कम से कम आपको इस सम्बन्ध में भी गहराई से विचार करना चाहिये और सरकार को इसके अन्दर ध्यान देना चाहिये। राजस्थान की जो राजधानी है उसके अन्दर इस तरह से हो तो फिर दूसरी जगह क्या होता होगा यह तो मेरे ख्याल से यह गटर व्यवस्था का तो भगवान ही मालिक है। मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में गहराई से विचार करना चाहिये और इसके निराकरण के सम्बन्ध में अत्यन्त आवश्यकता मैं अनुभव करता हूं और सरकार को शीघ्रातिशीघ्र उचित कदम इस सम्बन्ध में उठाना चाहिए, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत विस्तार से जयपुर की जल योजना तथा जल निस्सारण योजना दोनों के बारे में बतलाया है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो जयपुर के इलाके से तीनों माननीय सदस्य आ रहे हैं, एक हवामहल से, एक जौहरी बाजार से और एक किशनपोल बाजार से, उनमें कम्पीटिशन इस बात का हो रहा है कि जयपुर की समस्या को कौन अधिक विधान सभा में रखें, कौन अधिक बोले और जयपुर की जनता को खुश करे कि किसने जयपुर की बात कही···

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री मो. गफ्फारअली : इन सवालों का हल किस तरह से निकाल रहे हैं यह बताइये आप तो।

(कई मा. सदस्यों के एक साथ बोलने से अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज···आर्डर प्लीज।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हमारा फर्ज है कि हम जयपुर की समस्या को बराबर यहां रखें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर की समस्या को हम बार बार यहां पर रख रहे हैं। आप अभी जहां बैठे हैं हवा महल कांस्टीट्यूएंसी यह भी जयपुर में है और आप भी जयपुर में रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय·····

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आप आसन पर विराजमान हैं, हम आपसे प्रोटेक्शन क्लेम करते हैं। कोई भी माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के लिए कोई मांग रखे तो उस पर मोटिव इम्प्यूट नहीं करना चाहिये कि वह प्रशंसा के लिये या पब्लिसिटि के लिए जनता के ग्रिवेन्सेज रखना चाहता है। माननीय मंत्री महोदय का यह...

श्री उपाध्यक्ष : प्रजातंत्र में पब्लिसिटि को माध्यम बनाया जाय तो बुरा नहीं है।

(व्यवधान—प्रश्नव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : चार माननीय सदस्यों ने मिल कर रखा है फिर भी आप जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह एक्सप्रेशन है जो नहीं होना चाहिये। कोई भी माननीय सदस्य अपनी कांस्टीट्यूएंसी के ग्रिवेन्सेज को विधान सभा में रखे और उस पर मोटिव इम्प्यूट करें माननीय मंत्री महोदय, यह अनुचित है।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य इतने नामी वकील है उन्होंने यह कैसे फरमा दिया कि कोई मोटिव इम्प्यूट किया है मैंने। मैंने तो इतना कहा है कि तीन माननीय सदस्यों में यह कम्पीटिशन हो रहा है कि जयपुर की समस्या को कौन ज्यादा तेजी के साथ रखे....

श्री गुमानमल लोढ़ा : अब ठीक कर लिया है आपने।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने तो पहले भी यही बात कही थी और अब भी कहता हूं कि उनमें कम्पीटिशन हो रहा है और शिकार मंत्री को बना दिया। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जयपुर शहर में 190 लाख गैलन पानी दिया जा रहा है जो मैं समझता हूं कि राजस्थान के किसी भी गांव और शहर में नहीं दिया जाता है, इस हिसाब से।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कोई गांव या शहर एक करोड़ रुपये साल की रैवेन्यू भी नहीं देता।

श्री लक्ष्मण सिंह : राजस्थान का सबसे बड़ा नगर जयपुर है, प्रख्यात नगर है और आप इसको मिट्टी में मिला रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जयपुर शहर में आप भी पानी पीते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : पानी के साथ साथ कीड़े मकोडे आ रहे हैं वह भी देखिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर केपिटा के हिसाब से बता रहा हूं। डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सबसे बड़ी आबादी का नगर है, यह मैं मानता हूं लेकिन पर केपिटा के हिसाब से सात लाख की आबादी भी मान लें तो 190 लाख गैलन पानी का मतलब है कि हर व्यक्ति को 27-28 गैलन के हिसाब से पानी दिया जा रहा

(श्री चन्दनमल बैद)

है। और आज के दिन पानी की कोई समस्या नहीं है उसके बावजूद भी जो समस्या यहां कही जा रही है बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही जा रही हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, बहुत नम्रता से अर्ज करना चाहता हूं कि जयपुर नगर में आज पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है और आगे भी गर्मी में पीने के पानी की समस्या पैदा होने वाली नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह गलत है। आज भी समस्या है।

श्री लक्ष्मण सिंह : और आगे गटर के बारे मैंने कहा था माननीय मंत्रीजी कुछ तो कह दो।

श्री चन्दनमल बैद : मैं अभी अर्ज कर रहा हूं। माननीय सदस्य खड़े हो गए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बैठ इसलिए गया था कि दूसरे माननीय सदस्य खड़े हो गए, उनके प्रति अपनी रेस्पेक्ट देने के लिए बैठ गया था। डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह समझा कि मैंने जवाब समाप्त कर दिया। मैं बड़ी नम्रता से अर्ज करना चाहता हूं कि आपने बड़ी····

श्री गुमानमल लोढा : गटर में ले जाना चाहते हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : आप बिराजमान हो गए तो मैंने समझा कि आपने जवाब समाप्त कर दिया और इसलिए मैंने कहा कि मैंने जो मुद्दे रखें हैं उन पर आपको खड़े होकर कुछ तो कहना चाहिए।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया कि मैं डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य को गटर में ले जाना चाहता हूं। गटर में तो जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ले जाना चाहते है, मैं तो डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य को गटर से बाहर निकालना चाहता हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह : आप दुशाले में लपेट कर देंगे तो मैं भी फिर दुशाले में लपेट कर ठोकूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपकी परम्परा दुशाले की रही है।

श्री चन्दनमल बैद : डूंगरपुर के माननीय सदस्य दुशाले में लपेट कर बीकानेर वालों को दे सकते हैं इसमें कोई ऐतराज नहीं है मुझे।

एक माननीय सदस्य : दुशाला तो दकियानूसी चीज हो गई।

श्री लक्ष्मण सिंह : दकियानूसी चीज हो गई तो मैं विथड्रा करता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, टंकियों के बारे में कुछ बातें यहां पर कही गई हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि टंकियां ज्यों ज्यों बन रही हैं वैसे वैसे काम में आ रही हैं। वे बेकार नहीं पडी हुई हैं, वे फालतू नहीं पड़ी है। कोई टंकी ऐसी नहीं है जिसमें कि कोई डिफेक्ट हो। कोई डिफेक्ट नहीं है। अगर फिर

(श्री चन्दनमल बैद)

भी कोई डिफेक्ट होने की रिपोर्ट मिली तो इसका फाइनल पेमेन्ट नहीं किया जायेगा। उनका पेमेन्ट रोक दिया जायेगा और उनकी मरम्मत करायी जायेगी और जिन लोगों ने टंकिया बनायी हैं उनसे मुआवजा भी लिया जायेगा। मैंने अपने वक्तव्य में विस्तार से जयपुर के आस पास अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा सर्वे करने की बात कही है। वह जांच कर रहा है, सर्वे कर रहा है कि जयपुर के आस पास की जमीन के नीचे कितना पानी मिल सकता है। यह बात सही है कि ट्यूब वैल्स से वाटर लेबिल नीचे चला गया है। कोशिश यही है कि जयपुर के आस पास ही पानी मिल जाये। इस संभावना का पता लगाया जा रहा है। अभी जैसलमेर के पास बहुत बड़ी मात्रा में पानी मिला है, जमीन के नीचे। उसी तरह से यह संभव हो सकता है कि जयपुर शहर के आस पास इस मात्रा में पानी मिल जाये। यह कोई असंभव नहीं है। यह कोई टालने वाली बात नहीं है। जयपुर शहर से आने वाले माननीय सदस्यों ने ईसरदा पर बांध बनाने की बात कही है ताकि जयपुर शहर को पेय जल मिल सके। ईसरदा बांध पर करोड़ों रुपया खर्च होने की संभावना है। परन्तु इसका भी सरकार सर्वेक्षण करा रही है और साथ ही जयपुर के आस पास की जमीन के अन्दर भी पानी मिल जाये, इसका भी सर्वेक्षण करा रही है ताकि जयपुर शहर को पानी की सप्लाई हो सके। मैं इसको असंभव नहीं मानता हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कब तक यह सर्वेक्षण होता रहेगा?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने कहा है, सर्वेक्षण कार्य जारी है। यह नहीं कहा है कि सर्वेक्षण समाप्त हो गया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कितने वर्ष लगेंगे? 90 आ जाएगा?

श्री चन्दनमल बैद : ऐसी कोई बात नहीं है। यह अन्दाज नहीं लगाया जा सकता कि सर्वेक्षण कब तक समाप्त हो जायेगा। सर्वेक्षण कार्य चालू है और वह संभावनाओं का पता लगा रहा है। इसके साथ ही साथ इस संभावना की भी पूरी जांच की जा रही है कि ईसरदा पर बांध बनाना क्या टेक्नीकली संभव है अगर टेक्नीकली संभव है तो इसका भी सर्वे होगा कि यहां पर बांध पीने के लिए बांधा जाए या पीने के पानी के लिए बांध बनाने के साथ साथ सिंचाई के लिए भी यह बांध हो। क्या इस बांध से सिंचाई और पानी की सप्लाई, जयपुर शहर को संभव हो सकती है इसकी जांच होगी और इन दोनों संभावनाओं के बारे में पूरी जांच होगी क्योंकि एक बांध बीसलपुर-राजपुरा में और बनाया जा रहा है जहां से कि अजमेर, ब्यावर, नसीराबाद, किशनगढ़ को पीने की पानी की सप्लाई करायी जायेगी। तो क्या यह बांध बनने के बाद कितना पानी उसके नीचे के क्षेत्र में जा सकेगा जिससे कि ईसरदा के क्षेत्र में बांध बनाया जा सके और क्या यह बांध टेक्नीकली और इकोनोमिकली संभव होगा। इसकी संभावना का भी पता लगाया जा रहा है। इस संभावना के साथ साथ जयपुर के आसपास की जमीन के नीचे कितनी मात्रा में पानी मिल सकता है,

(श्री चन्दनमल बैद)

अगर पानी मिल जाये तो क्या वह पर्याप्त होगा ? अगर ये सब संभव नहीं हो सके तो फिर जयपुर के लिये जो बनास की योजना है उसके ऊपर भी विचार करेंगे। परन्तु आज के दिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर को जो पानी की सप्लाई की जा रही है वह काफी है और गर्मी के दिनों में भी कोई पानी की कठिनाई नहीं होगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह कैसे कह रहे हैं पानी काफी सप्लाई किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 27 गैलन पानी प्रति व्यक्ति सप्लाई कर रहे हैं—क्या यह काफी है ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जिस तरह से मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं वह गलत है। भारत सरकार के विशेषज्ञों से ऊपर क्या इनके विशेषज्ञ है—मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं कि वास्तविकता क्या है ?

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल निस्सारण योजना के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। यह 14 करोड़ 95 लाख की योजना है। इस बड़ी योजना को एक साथ हम नहीं ले सकते परन्तु ज्यों ज्यों रकम उपलब्ध होती जा रही है इस योजना के कुछ कुछ हिस्सों को हम हाथ में ले रहे हैं और 75–76 के वर्ष में इस पर 20 लाख रुपया खर्च होने का अनुमान है। यह जो जल महल का हिस्सा इसमें शामिल है। वहां जो गटर का पानी चला जाता है, उसमें सुधार लाने के लिए एक ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाया जा रहा है जो जल महल के वाटर को सुखा देगा या साफ करेगा और इस प्रकार जो जल महल के क्षेत्र का वातावरण गन्दा हो रहा है, उसमें हम सुधार कर सकेंगे और यह जो गन्दगी है वह समाप्त हो जाएगी। इसके लिए अगले वर्ष के बजट में 30 लाख रुपया प्रोवाइड किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्यों ने जो शंकाए उठायी हैं, उनकी शंकाओं को निर्मूल करने की मैंने कोशिश की है, और इसमें हमारी जो मुश्किलें और स्थिति है, उस स्थिति को बताने का मैंने यहां प्रयत्न किया है। हम इस सवाल को हिम्मत के साथ हल कर रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिये। फिर भी किसी एक्सपर्ट कमेटी ने यह रिपोर्ट दे दी कि एक आदमी के लिए 45 गैलन पानी जरूरी है और यह जो इंटरनेशनल स्टेण्डर्ड है, वही हमारे लिए हो, यह कोई जरूरी नहीं है क्योंकि आखिर हम रेगिस्तान में बसते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जयपुर कोई रेगिस्तान नहीं है। इसको तो रेगिस्तान आप बना रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : यह प्रचार करने की बात है, कम्पीटीशन की बात है। यह एम. एल. एज. का कम्पीटीशन है। अपने आप में तथ्य देखने की कोशिश करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप सवालों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है इसलिए प्रश्न कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज···

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेशों की पालना करूंगा किन्तु वित्त मंत्रीजी यह उत्तर दिलवा दें कि यह जो बीस लाख रुपया खर्च करने की बात कही है, इसका प्राविजन तो बजट में गत तीन वर्षों से होता आ रहा है। क्या इस वर्ष इस रुपये को इस कार्य के लिए खर्च किया जाए। कृपया इसका आश्वासन देने का कष्ट करें। यह सारा शहर नर्क होता जा रहा है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्रीजी से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि क्या इस बीस लाख रुपये की राशि का यूटिलाइजेशन इस वर्ष किया जायेगा ?

श्री चन्दनमल बैद : यह मैं पहले ही कह चुका हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन्टरनेशनल स्टेन्डर्ड की जो बात मैंने कही है, उस पर यदि वे चाहें तो गम्भीरतापूर्वक एवं वास्तविक रूप से विचार करेंगे तो ठीक है। यह जो गटर का गंदा पानी है वह 25 हजार के खर्च में सब जगह सूख जाएगा और हवा महल और उसके आसपास जो गंदगी है वह दूर हो जाएगी। लगातार पांच साल से मैं भी इसको देख रहा हूं। जब मोटर में बैठ कर आमेर और दिल्ली जाता हूं तो जल महल के आसपास ऐसी सुगंध आती है जो हीना और गुलाब की सुगंध को भी मात कर देती है। यह तो हम निवारण कर सकते हैं। यह आपके हाथ की बात है। आप करें या न करें, यह आपकी मर्जी है, फिर आगे यह अकर्मण्य सरकार जाने।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय···

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : गटर का पानी मिला हुआ है इसके बारे में आपने मंत्री महोदय से कुछ नहीं कहा है···

(शोरगुल)

जयपुर के लिए बनास को योजना बननी चाहिये। यह सरकार जयपुर की जनता को गटर का पानी पिला रही है···मंत्री महोदय का यह जवाब सन्तोषजनक नहीं है···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता····

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बनास की योजना के बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा। यह जयपुर की जनता के साथ, यहां की 8 लाख जनता के साथ अन्याय है····

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं मंत्री महोदय के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हूं। वे

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
जयपुर की जनता को गंदा पानी पिला रहे हैं। जल महल योजना पर कार्य नहीं हो रहा है। सारा इलाका सड़ रहा है। इस के विरोध स्वरूप, जयपुर की जनता का इस सदन में प्रतिनिधि होने के नाते मैं यह सदन छोड़ कर जाता हूं। . . .

(श्री गिरधारीलाल भार्गव द्वारा सदन त्याग)

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर।

यह जो प्रश्न है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर गलत बयानी की है। श्री बद्री-प्रसाद गुप्ता यहां पर नहीं हैं। इस गलत बयानी की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और इसलिए यह पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है कि यह ब्रीच आफ प्रिविलेज है। माननीय सदस्य हैं नहीं यहां पर। यह गलत बयानी है तो फिर यह प्रोपर्टी आफ दी हाउस है। इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि यह जो स्टेटमेंट दिया है उसमें गलत-बयानी उन्होंने की है और यह एक तरह से ब्रीच आफ प्रिविलेज है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि उपाध्यक्ष महोदय, इसके डाक्यूमेण्ट को देख कर व्यवस्था दें कि यह ब्रीच आफ प्रिविलेज का पाइन्ट है। आप कृपया इस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जब मेम्बर साहब ही हाजिर नहीं हैं और यह मालूम नहीं पड़ा कि क्या गलत बयानी है या नहीं है तो जब तक यह न मालूम पड़े कि गलत बयानी ही हुई है कैसे प्रापर्टी आफ दी हाउस हो सकती है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने कहा कि वह स्टेटमेंट जिस पर उन्होंने गलत बयानी कहा है वह उपाध्यक्ष महोदय, को दे दें, और खास तो वह स्टेटमेंट है उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके डिस्क्रीशन पर छोड़ता हूं। यह प्रापर्टी आफ दी हाउस है इसलिए आप कग्नीजेन्स ले लें। ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव का प्रश्न अलग रह गया। केवल गलत बयानी की है मन्त्री महोदय ने तो उस स्टेटमेंट को देख लें कि गलत बयानी है या नहीं? अगर है तो आप काग्नीजेन्स लें।

श्री चन्दनमल बैद : वह जब मेम्बर ही हाजिर नहीं हुए हैं तो कैसे कह दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हाउस की प्रापर्टी यह कैसे हो सकता है? जब तक वह मूव न हो जाय माननीय सदस्य की तरफ से तब तक वह प्रापर्टी नहीं बन सकता है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : माननीय उपाध्यक्ष, यह डेफिनिट एलिगेशन इसमें है कि मन्त्री महोदय ने गलत बयानी से काम लिया है। उनका काल अटेन्शन नोटिस चाहे समाप्त हो जाय, चाहे रह जाय, लेकिन यह गलत बयानी का वर्णन है कि यह प्रापर्टी आफ दी हाउस है। इसमें हमें, इनको सबको कन्सल्ट करके आपको तय करना होगा कि वाकई गलत बयानी कहीं पर है। अगर गलत बयानी है तो ब्रीच आफ प्रिविलेज करें नहीं तो उनको यह वापिस लेना चाहिए। इसलिए माननीय

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
सदस्य से दरयाफ्त करके हमें जानकारी दे दें। आपने एक मेम्बर पर प्रेशर डाल कर उसको गायब कर दिया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह गलत है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष, महोदय, यह बहुत एतराज के लायक शब्द है कि प्रेशर डालकर गायब कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री मोहमम्द गफ्फार अली : है या नहीं वह सामने आ जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अभी मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया वह इस सम्बन्ध में है कि जो आज की कार्य सूची के क्रम संख्या 4 पर 'निदेश संख्या 5 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकृष्ट करना' उसके सम्बन्ध में है। मैं ने अलवर से आने वाले माननीय सदस्य, सारी बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य, श्री बद्री प्रसाद गुप्ता जिनका यह प्रस्ताव था, उनको तीन बार जो है हाउस में नाम से पुकारा है लेकिन वह उपस्थित नहीं हैं। चूंकि वह उपस्थित नहीं हैं, इसलिए उनकी तरफ से इस तरह का मोशन कोई सदन के सामने नहीं है, न उसका काग्नीजेन्स आसन ले सकता है। इसलिए चूंकि मोशन नहीं है फिर कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज यह दूसरा कोई गम्भीर प्रश्न इस पर पैदा नहीं होता है।

श्री लक्ष्मण सिंह : अभी बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष : मावली से आने वाले माननीय सदस्य स्वयं इस आसन को सुशोभित कर चुके हैं·····

श्री प्रद्युम्न सिंह : भूल गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब विशेषाधिकार का प्रश्न होता है तो वह प्रश्न सामान्यतया इस प्रकार से नहीं उठाया जा सकता है। सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम 157 के अन्तर्गत, नियम 157 और 158 में इस तरह का प्रावधान दिया गया है कि यदि कोई विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहे तो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में जो प्रक्रिया दी हुई है उसके अन्तर्गत इस सम्बन्ध में कोई भी माननीय सदस्य उठा सकता है।

श्री रामनारायण चौधरी : अब।

आय-व्ययक 1975–76 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : आय-व्ययक 1975-76 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद। श्री लूणाराम।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के सम्बन्ध में जो मैंने निवेदन करना कल आरम्भ किया था उसी सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि आज एक जिले को छोड़ कर सारा राजस्थान इस वर्ष अकाल से प्रभावित है, और एक ऐसा गहन मसला हमारे व सरकार के सामने है कि आज किसानों के प्राणों की रक्षा

(श्री लूणाराम)

करने का सवाल भी हमारे सामने है। आज हमारे चूरू जिले का ही यह हाल नहीं है अन्य जिलों को भी ऐसी पोजीशन शायद हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, आज गांवों में रहने वाले किसानों के पास खाने को अन्न नहीं है, और अन्न तो दूर रहा उससे बड़ी परेशानी पीने के पानी की आती है। पीने के पानी से ज्यादा जरूरी चीज आज किसी के भी लिए शायद उससे और जरूरी नहीं हो सकती है। आज वहां पर कुए अधिक गहरे 400-500 फीट होने के कारण पानी खींच कर नहीं निकाल सकने के कारण आज पशुओं की सुरक्षा नहीं होने के कारण गांवों से किसान अन्यत्र चले गये, और गांव के रहने वाले गांवों में नहीं रहने के कारण नतीजा यह हुआ कि जो लोग आज गांवों से बाहर नहीं जा सके, या मूक पशु जिन्हें पशुपालक नहीं ले जा सके, और ऐसे लोग भी जैसे कि हैं, और ऐसे कई लोग जो गांव में बने रहना चाहते थे क्योंकि घर की रखवाली करना अति आवश्यक था, उन लोगों के लिए पीने के पानी की भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है। नतीजा यह है कि ऐसे लोगों को भी पानी नहीं मिलने के कारण बाध्य होकर शहरों में जाना पड़ता है। वह घर की रखवाली के लिए घरों में रहे लेकिन मजबूर होकर उनको जाना पड़ रहा है, और उन लोगों के घर जो कि कच्चे फूंस के बने हुए हैं भूख के मारे आवारा पशु उनको खाकर बरबाद कर रहे हैं। अकाल क्या पड़ा है कि उनका गांव ही नहीं छूटा है बल्कि उनके मकान भी छूट गये हैं।

यह हाल केवल एक ही घर या गांव का नहीं है बल्कि सभी गांवों का है। जिन गांवों के अन्दर खास तौर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के भाई हैं उनका तो हाल यह है कि उनके पास इज्जत ढकने के लिए उनके तन पर कपड़ा मिलना भी मुश्किल हो रहा है। अन्न खाने की बात तो दूर रही।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि इस प्रकार की स्थिति होते हुए भी हमारी सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। 10 करोड़ की व्यवस्था राज्य सरकार ने योजनान्तर्गत की है जब कि 1973 के अकाल में 75 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे, जबकि उससे ज्यादा महंगाई इस वर्ष बढ़ी है, घटी नहीं है, ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है सन् 73 से कम नहीं हुई है, तो इन सब कारणों के होते हुए भी आज तक कोई कार्य आरम्भ नहीं होने के कारण व आज राजस्थान नहर पर ही जो राहत कार्य करवाया जा रहा है वहां पर काम मिल रहा है। काम किस रूप में मिल रहा है, कितना काम किस परिस्थिति में करना पड़ रहा है यह तो उन लोगों के दिल ही जानते हैं जो कि भूख के मारे हुए लोग वहां पर गये हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आज इन क्षेत्रों में जो अकाल से प्रभावित हैं योजनाओं के अन्तर्गत गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करें। एक तरफ तो यह बार बार आवाज आती है जहां पर पीने के पानी की इतनी व्यवस्था है कि वहां पर पाइप ठीक तरह नहीं चल रहा है और पाइप 24 घन्टे न चलकर कुछ घन्टा ही चल रहा है आदि आदि और दूसरी तरफ आज गांवों में यह व्यवस्था है कि जिनके घरों में घड़ों में एक बूंद पानी नहीं है, और

(श्री लूणाराम)

जिन गांवों का मैं जिक्र कर रहा हूं और हो सकता है कि अकाल के कारण स्थिति बहुत बिगड़ी हुई हो, उसके बावजूद भी दूर दूर से पानी लाने के लिए 150–150 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। एक तरफ तो इस प्रकार से इन शहरों में रहने वाले लोगों को मुफ्त में पानी दिया जाता है, दूसरी तरफ ऐसे पिछड़े हुए इलाकों में, जो कि सूखा इलाका है जहां पर पानी का अकाल है वहां पर 150 रुपया डेली खींचने के लिए देकर पानी मुहैया करना पड़ता है। आज इस भयंकर स्थिति के अन्दर जहां का मैं अर्ज कर रहा हूं कोई व्यवस्था नहीं करना कितना बड़ा भेद है। चूरू जिले की तो स्थिति गम्भीर है। सारा ध्यान सदन के माननीय सदस्यों का चूरू जिले की तरफ है क्योंकि वहां के वित्त मंत्री जी हैं तो लोगों का मानना है कि उपाध्यक्ष महोदय, चूरू जिले में अधिक दिया है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि चूरू जिले में भयंकर समस्या है पीने के पानी की। इस सम्बन्ध में अगर पीने के पानी के अभाव का दृश्य देखा जाय गांवों में जाकर मौके पर तो इन्सान के रोंगटे खड़े हो सकते हैं कि किस प्रकार से पानी के लिए लोग लालायित रहते हैं। किसी के घर पीने के लिए दूध मिल सकता है लेकिन पानी नहीं मिल सकता है··· जहां दूसरी तरफ यह बात है कि पानी से पतली कोई चीज नहीं होती है। उपाध्यक्ष महोदय, आज वित्त मंत्री के नाम से चूरू को अधिक धन देने की चूरू में पानी की समस्या के नाम पर जो सदन में बारबार कही जाती रही है, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा, जगह जगह चूरू जिले में जो योजनायें मंजूर की गई हैं, जो योजनायें पिछले पांच साल के अन्दर, चार साल के अन्दर मंजूर की गई हैं उन योजनाओं के अन्तर्गत किसी गांव को पानी नहीं दिया गया है। मुझे खुशी है कि पिछली जनवरी-फरवरी सन् 75 के दिनों में, कुल मिलाकर एक महीने में वित्त मंत्री, जो जन स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, मेरे क्षेत्र में तीन बार वे पधारे हैं सौभाग्य की बात है, तीन बार वे आये एक महीने के समय के अन्दर अन्दर बहुत लम्बे समय वर्षों के बाद हमारे क्षेत्र के अन्दर आपको पधारने का मौका मिला, उपाध्यक्ष महोदय, और आपने पानी के मामले में योजनाओं का उद्घाटन भी करवाया व अध्यक्षता की–चाहे पानी न हो दिया हो। पहले से ही माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी स्पीच के अन्दर श्री डूंगरगढ़ में कुछ नहीं जो अखबार में मैंने देखी हैं, कहा कि मेरे क्षेत्र की पीने के पानी की समस्या का समाधान 50 प्रतिशत जनसंख्या का कर दिया है और पानी दे दिया गया है। ऐसा उन्होंने बतलाया 95 हजार की जनसंख्या वाले क्षेत्र के अन्दर सिर्फ 25 हजार लोगों को पानी मुहैय्या हुआ है। अगर इसे आप 57 पर्सेन्ट बताते हैं तो बता दीजिये, इसमें कोई आश्चर्य की बात है नहीं। इसके अतिरिक्त–57 पर्सेन्ट का प्रश्न तो नहीं है, पर वह पानी जिन गांवों को दिया गया है, सिर्फ पांच गांवों में पानी दिया गया है और जिन गांवों में पानी दिया है, उन गांवों में जल स्रोत मानकर सिर्फ रीजनल स्कीम के नाम से ट्यूब वैल खुदवा दिये गये हैं और खुदवा कर कह दिया कि इन अन्य गांवों को भी इस योजना में पानी मिल गया। इसके

(श्री लूणाराम)

अतिरिक्त जो खारे पानी के गांव हैं, उन गांवों में आज तक पानी एक भी गांव को नहीं दिया गया, सिर्फ वे गांव योजना के अन्दर शामिल हैं। कह देते हैं इस बात के अलावा और कोई जिक्र नहीं है। सारी जगह जहां खारा पानी है काम इसलिए नहीं हो रहा है कि सारी जगह योजनाबद्ध ढंग से काम न होने के कारण कभी मशीनरी का इन्तजार करते हैं, कभी पाइप का इन्तजार करते हैं, कभी इंजीनियर का इन्तजार करते हैं। ऐसा हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जिन गांवों से पानी हम योजना के लिए ले रहे हैं, उन गांवों के अन्दर पीने के पानी की बात कही जा रही है, ट्यूब वैल खोदते हैं उसके सम्बन्ध में स्पष्ट बात यह है आज उन गांवों में जो पहले के कुए हैं उन कुओं में पानी है, पानी नहीं है ऐसा नहीं है। हम कहते हैं कि गांवों के अन्दर पानी है, इसलिए कुओं को अधिक बोर किया जाय तो पानी की समस्या इन गांवों के अन्दर सुलझ सकती है। पर आज ऐसा न होकर उन गांवों में अलग अलग ट्यूब वैल खुदवाकर, दस दस गांवों की योजना बना कर पाइप द्वारा पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन पाइप इस ढंग के होते है, जैसा कि अनुभव बताता है, हमारे कस्बे डूंगरगढ़ में पानी पाइप द्वारा दिया गया है, उसका नतीजा यह है कि सारा कस्बा दिन भर पानी से भरा रहता है। आज यहां से कल वहां से लीकेज होता रहता है। इस प्रकार से स्थिति बिगड़ी हुई है। जो इन कामों का ठेका ठेकेदार को दिया जाता है, वह ठेकेदार ऐसे पाइप लगा देता है, जिनमें टूट फूट होती रहती है। मेरा निवेदन है कि जिन योजनाओं पर जिन गांवों में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए काम हो रहा है, मैं चाहूंगा कि जिन गांवों के अन्दर आज ट्यूब वैल खुदवाये जा रहे हैं, आज वहां पर जो पहले के कुए हैं वह भगवान के बराबर हैं, वह कुए मन्दिर के बराबर हैं। इसलिए जो भी कुए पहले के बने हुए हैं उन कुओं को बोर किया जाय। आज स्थिति यह है कि जिन गांवों को पानी दे रहे हैं, उन गांवों के कुए थोड़े पैसों में बोर हो सकते हैं और उनसे पानी मिल सकता है लेकिन उनको बोर न करवाकर जो गांव के अन्दर कुए हैं, हजारों रुपयों से बनाये हुए हैं, उनको इस योजना के शुरू होते ही छोड़ दिया जाता है, जब कि उनको मन्दिर की तरह पवित्र मानते हैं, मन्दिर की तरह उनकी शोभा होती है और जो आज हजारों रुपयों से भी नहीं बन सकते हैं उनको छोड़ दिया गया है और अलग अलग ट्यूब वैल स्थापित करवाते हैं, जब कि वह बोर करने का काम थोड़े से पैसों में पुराने कुओं में हो सकता है। फिर हमारे जो बहुत से ठेकेदार भाई मिलते हैं, वह ऐसे मिलते हैं, उनका वर्णन अलग है, वह किस प्रकार काम करते हैं, किस प्रकार पैसा बरबाद होता है–उसका बयान अलग है हमारे वित्त मंत्री जब हमारे गांव आडसर के अन्दर पधारे थे तो भले ही किसी इन्सान की उनके प्रति नमस्कार करने के लिए गर्दन न झुकी हो, लेकिन वहां पर उनके विभाग का बनाया हुआ एक क्वार्टर था, उसने धराशायी होकर उनका स्वागत कर ही दिया। इस प्रकार अव्यवस्था है, इस प्रकार की अनियमितता है–इसके लिए मैं क्या निवेदन करूं। माननीय वित्त मंत्री जी के साथ चलने वाले अधिकारियों से पूछा, यह किस विभाग का है। उनको सन्देह रह गया था कि शायद

(श्री लूणाराम)
अपने विभाग का नहीं हो तो इसे पी. डब्ल्यू. डी. के माथे मड़ दिया जाय। लेकिन उनके साथ जो अधिकारी थे, उनमें से एक को कहना पड़ा, यह तो अपने विभाग का है। इस प्रकार की बहुत सी बातें मैंने निवेदन की हैं, प्रश्न के द्वारा। फिर ठेकेदारों ने जो काम किया है, वित्त मंत्रीजी ने इस सदन में यह आश्वासन भी दिया था कि ठुकरियासर के हौज की मैं जांच करने के लिए सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर को भेज कर जांच करा दूंगा। लेकिन आज तक वह जांच नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में अधिक न कहते हुए मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जो बातें हैं इन पर ध्यान दिया जाय। जन स्वास्थ्य के लिये मुझे यही बात कहनी है कि आज गांवों में जो कुए हैं, जो हजारों की तादाद में है, एक एक कुआं वैसा बीस बीस हजार की लागत से भी नहीं बन सकता है, ऐसे कुओं को बेकार बनाया जा रहा है और उनको बोर करने की योजना न बना कर उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है और पैसा ट्यूब वैल पर खर्च किया जा रहा है। कभी समय ट्यूबवैलों के फेल होने का आया तो यह कुएं श्रीमान् पीने के पाने के साधन रहेंगे। साथ साथ में यह कहा जा रहा है कि ट्यूबवैलों के अन्दर पानी कम है, इनका पानी बीस साल के लिए हो सकता है या दस साल के लिए हो सकता है, जमीन के अन्दर पानी नहीं है, पानी है है तो इतने साल बाद खत्म हो जायेगा। ऐसा विभाग का मानना है जिस समय से मैं देख रहा हूं उस समय से वह कुए हैं जो सदियों पुराने हैं और उस समय से पानी खत्म नहीं हुआ है। आज हो सकता है यह बात सही है, मैं अपने हिसाब से देखता हूं। हो सकता है कि जमीन जहां ऊंची नीची है, उसी प्रकार से जमीन की सतह में, कुओं के नीचे पानी का बहाव कम बेशी हो। अगर एक साथ ट्यूब वेल की मशीन से खींच कर उसको निकाला जायगा तो पूरा पानी काम में आ जायगा। यह सम्भव है। लेकिन जहां एक गांव से दूसरे गांव तक पाइप लाइन डालकर पानी पहुंचाने के काम द्वारा कम्पनी वालों को अधिक धनाढ्य बनाकर काम कराया जा रहा है, उसके बजाय गांवों में विद्युत पहुंचा कर, मौजूदा कुओं को बोर करके अधिक पानी दिया जाता है तो न तो पानी के बाद में समाप्त होने की सम्भावना होती है, न धन की बरबादी होती है, और न पुराने कुओं की। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार बजट के अन्दर कोई अधिक व्यवस्था की गई है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह: यह किसको कह रहे हैं। यह कर रहे हैं बात और दूसरे हैं नहीं।

श्री लूणाराम: कोई बात नहीं मंत्रीजी नहीं हैं तो आप सही सुन रहे हैं तो।

इसी प्रकार से आज बजट के अन्दर शिक्षा की मद है। शिक्षा की बात पर मैं अधिक नहीं बोलूंगा, जिस समय डिमाण्ड आयेगी उस समय बोलूंगा। मैं इस समय यह निवेदन कर रहा हूं, जो वित्त मंत्रीजी का बजट भाषण हुआ, उसमें नई प्राईमरी स्कूलों को खोलने का जिक्र नहीं किया। मैंने उनसे पूछा तो वित्त मंत्रीजी ने फर्माया, प्राथमिक शाला हर गांव में है। मैं उस समय नहीं बोला। लेकिन मैं अब निवेदन करना चाहता हूं वित्त मंत्रीजी से भी और

(श्री लूणाराम)

शिक्षा मंत्री जी से भी कि तहसील सरदार शहर, वित्त मंत्रीजी की होम तहसील है और मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, कुछ गांव उनके भी हैं, उस तहसील के अन्दर पनपालिया से पांच मील चारणवासी से 4 मील ढाणी सुवाणा से चार मील सींगड़ी से 7 मील आशासर से चार मील भींवसर से चार मील हिराजसर से तीन मील पातली सरथो से तीन मील पिच कराई टीवा से दो मील दूरी पर अन्य स्कूल हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) चाड़सर, बुलाल, नैपासर, खिलेरिया, यह तेरह गांव हैं। यह ऐसे गांव हैं जहां शिक्षा की इतने इतने मील दूर सुविधा नहीं है, न प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था है। मैंने राजस्थान के अन्दर अन्य जिलों की जानकारी की है, मुझे मालूम हुआ है कि प्राथमिक शाला पंचायत हैड क्वार्टर पर भी अभी तक नहीं है, आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार से तमाम गांवों के अन्दर प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था कर दें तो वह भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी बजट के अन्दर इस व्यवस्था का अभाव दिख रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से हमारे घर चूरू जिले में यह बात होती है उससे संकोच हो सकता है, चूरू जिले में जलदाय का काम करने से हमारे वित्त मंत्री जी को राजस्थान के दूसरे लोगों का आक्षेप जलदाय योजना की तरह न लगे। जो काम चूरू जिले में हो रहा है उसका आक्षेप जरूर हो सकता है। लेकिन इतने इतने गांव इस प्रकार के पड़े हुए हैं, बिना प्राथमिक शाला के मैं तो यह कहता हूं कि जो पिछड़े हुए हैं, और यह वह इलाका है जहां काम करने की जरूरत है। वहां पर आप अगर इस प्रकार से पैसा लगा दें तो लोग आक्षेप लगायें तो लगायें। इसमें दिक्कत की बात नहीं है। जिस प्रकार हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने जोधपुर में स्कूल खोल दिये, और उनको क्रमोन्नत कर दिया, भवनों के लिए खूब धन दे दिया यह उन्होंने जोधपुर के हित के लिये किया है। अगर नहीं खोलते तो जोधपुर का हित किस प्रकार कर सकते थे। मैं वित्त मंत्रीजी को इस निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि जहां इस प्रकार के क्षेत्र के अन्दर शिक्षा व अन्य कमियां हैं उन कमियों को किसी प्रकार आप दूर करें।

दूसरी तरफ विकास की बात करते हैं तो आप विद्युत् विभाग को ले लीजिये। चार पांच साल से एक एक कुए को अन्य जिलों में बिजली देने की बात है, लेकिन चूरू जिले में कुछ नहीं हो रहा है। हमारे क्षेत्र में विद्युत् दे दी जाय तो वहां पर विकास होगा नहीं तो पांच साल तक भी विकास की गुंजाइश नहीं है। हमारे गांवों में विद्युत् नहीं है, इसके लिए कहा यह जाता है कि आपके क्षेत्र के अन्दर पानी नहीं है। सिंचाई व कृषि विभाग ने रिपोर्ट दी। वो कहते हैं कि श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में पानी है लेकिन वह ड्रिंकिंग वाटर देने वाले कहते हैं कि पानी हमें चाहिए, इसलिए सिंचाई के लिए नहीं देंगे। क्या सर्वे है, क्या सर्वे नहीं है। मैं इसके बारे में निवेदन नहीं करना चाहता हूं। यह टेक्नीकल लोगों की बातें हैं। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र के पानी का सर्वे करके पशुपालन के अन्तर्गत डी.पी.ए.पी. योजना के अन्तर्गत 25 ट्यूब वैल बनाने का प्रपोजल अधिकारियों

(श्री लूणाराम)
ने कई गांवों के लिए बनाया और भू-गर्भ विभाग की रिपोर्ट आयी, यह पानी का सर्वे कराकर बताता है ट्यूबवैल का, सर्वे विभाग की रिपोर्ट सही नहीं होती है इसमें लाखासर गांव का जिक्र किया है। उपाध्यक्ष महोदय, सर्वे आफ इण्डिया द्वारा 1800 फीट, दो हजार फीट गहरे कुए लाखासर में खोदे गये, वहां पर अन्य पदार्थ निकल गये, जिनके लिए अलग से सर्वे आफ इण्डिया का स्टाफ पड़ा है, काम कर रहा है लेकिन पानी की एक बूंद भी ऊपर नहीं आयी। यहां पर दो कुए बनाने के लिए प्रपोजल किया है। भूजल विभाग ने। वहां पानी है, इस प्रकार की टेक्निकल लोगों की सर्वे रिपोर्ट है—लेकिन वह कहां तक सही मानें—यह विवाद का प्रश्न है। जो कुछ भी हो, हम चाहते हैं; हमारे क्षेत्र के विकास के लिए इस प्रकार की चीज की जायं जिससे जो हमारा पिछड़ापन है वह दूर हो। पश्चिमी राजस्थान के गांवों में रहने वाले किसान हैं और किसान मजदूर है जिसके घर का पता नहीं है, जिसके पास पैसे का पता नहीं है, आज जिनके रहने का ठिकाने का पता नहीं है, उनके पेट भरने का पता नहीं है, उनको आज रोटी मिलेगी या कल मिलेगी और कल भी मिलेगी या नहीं—उस तरफ यह खर्च नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ यह खर्च हो रहा है। इसके अलावा उन किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, अकाल राहत मंत्री ने अभी दो रोज पहले मालगुजारी बंद का आदेश दे दिया है, नहीं तो वहां पर ऐसी हालत है कि लोगों से कुर्कियां करके वसूलियां की जा रही थीं। मैंने कहा, वह क्या कर रहे हैं, उसमें ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया, जिनको कर्जा दिया गया लेकिन उन्होंने जमा करा दिया, उनके कर्ज को जमा नहीं किया यहां भी कुर्किया भिजवाई···

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

श्री लूणाराम : यह स्थिति हो रही है, इस सम्बन्ध में।

उपाध्यक्ष महोदय; दूसरा लाग बाग का जिक्र किया था। इससे तो आप किसानों को बख्शें। यह सरकार कृषकों के साथ अन्याय कर रही हैं, किसानों की इससे बुरी गति हो रही है। आज उस पर टैक्स है, जागीरदारों के वक्त में लाग बाग थी। लेकिन आज भी उस पर कितने टैक्स लगा दिये हैं, अधिभार कितना रखा है—यह छिपी हुई बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जमीन के ऊपर (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं निवेदन कर रहा हूं दो मिनिट के लिए। जो समय दिया है वह महरबानी की बात है। आप समय नहीं देना चाहते हैं तो पहले कह देते मैं थोड़ा अर्ज और करना चाहता हूं···

श्री उपाध्यक्ष : समय का स्वयं ध्यान रखें। आपको बीस मिनिट से ज्यादा हो चुके हैं।

श्री लूणाराम : मैं ध्यान रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज भी इस प्रकार की स्थिति हैं, आज किसानों के ऊपर अनेक प्रकार की लाग बाग मौजूद हैं, आपकी तरफ से, आज जमीन के ऊपर मालगुजारी अलग हैं। मालगुजारी के साथ साथ उसके ऊपर बेटरमेंट लेवी अलग हैं। तीसरे में उसके ऊपर पंचायत कर अलग है। बरबल सेटलमेन्ट 25% बढने वाली रकम कृषि

(श्री लूणाराम)

विपणन करें और लेवी यह भी कर है, बीघों पर लगती है जिसकी बिगोडी भावों के फर्क के कारण कितने ही गुना बढ़ जाती है। इसी प्रकार से उसमें पैदा हो या नहीं हो। आज इतने प्रकार के अधिभार लगा रखे हैं एक किस्म की भूमि है लेकिन सात किस्म के टैक्स वसूल कर रहे हैं। उसमें भी एक सीमा हो तो संतोष की बात है, लेकिन सीमा भी नहीं है। वह बिना सीमा की स्थिति है। इसी प्रकार से बाजार में भाव 200 रु. क्विन्टल है और सरकार 110 रुपये क्विन्टल में ले रही हैं। उस पर भी बैटरमेंट लेवी अलग ले ली। आप यह देखे कि जमीन के ऊपर अधिभार कितना बढ़ा है। यह महसूस करने की बात है। यह भोले भाले किसानों को बर्दाश्त करना पड रहा है। और फिर भी सरचार्ज लगाने की बड़ी सरगर्मी सुनी आ रही है। आज किसानों की जितनी बरबादी हो रही है, जितनी पिटाई हो रही है, भले ही जो बोलने वाले हैं वह यह कह दें कि किसान धनाढ्य हो गये हैं। पर कहना आसान है वह खेती में जाकर कृषि करें, फावड़ा सम्भालें और काम करें तो उनको पता लगेगा कि कितनी मेहनत से पैदावार होती है। मैं निवेदन कर रहा हूं, मुझे भय है, पिछले साल जिस प्रकार टैक्स बढ़ाये, उसी प्रकार से किसानों के सिर के ऊपर सरचार्ज के नाम की तलवार लटका रखी है। मेरा निवेदन यह है कि किसान आज इतने भार से दबा हुआ है कि वह सिर उठा नहीं सकता है, अगर टैक्स और बढ़ाये गये पिछले दरवाजे से तो किसान और दब जायेंगे, टूट जायेंगे। मैं निवेदन करूंगा, माननीय वित्त मंत्री जी आयन्दा कम से कम इस प्रकार अधिक भार न बढ़ा कर किसानों की रक्षा करेंगे।

आज इसी प्रकार से पंचायत राज (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) की व्यवस्था है उसका यह हाल हो रहा है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, आपने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नारायणसिंह मसूदा।

श्री नारायण सिंह (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, चन्दनमल जी बैद ने बजट पेश किया है, वह मेरे मित्र हैं। पहले ही मैं सोच रहा था कि शायद केन्द्र के अन्दर जिस प्रकार से कर लगे हैं, उसी प्रकार से यहां पर कर लगाने की कोशिश की जा सकती है और उसको जस्टीफाई करने की बात कही जा सकती है। उस बात पर मैं झगड़ा करने को तैयार हुआ था। परन्तु जब मैंने देखा यहां कर है ही नहीं तो झगड़ा किस प्रकार करूं। यह खुशी की बात है। लेकिन इसके पहले कि मैं सारी प्लानिंग प्रगति और अर्थ व्यवस्था इत्यादि के बारे में कहूँ, मैं शुरू-शुरू में उनकी तारीफ तो इस बात की कर दूं कि बिना कर का बजट लाते हुए उन्होंने यह भी जिक्र किया कि स्थानीय वातावरण सब जगह आ जाता है। मेरे मन में बहुत सारे विचार हैं, इनमें तो कम से कम ऐसे नहीं हैं। यह सत्य है कि वेस्ट, ईस्ट का सवाल है, डवलपमेंट वेस्ट में हो, ईस्ट में हो इस मामले में रिलेशन कर रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आप सैन्टरिस्ट क्यों न रहे।

श्री नारायण सिंह : सेन्टरिस्ट के हिसाब से तो बड़ी अजीब परिस्थिति बनती है। फिर भी ब्यावर के अन्दर डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम शुरू किया, मैं समझता हूं कि उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा यह इलाका इस प्रकार का है कि भेड़, ऊन का विकास इस पूर्वी क्षेत्र में करेंगे और पशु धन का विकास करके डेयरी का विकास करेंगे तो मैं इसको बिल्कुल जायज समझता हूं क्योंकि जहां पर कृषि का उत्पादन ज्यादा नहीं है, वहां इन दोनों चीजों से, ऊन के उत्पादन से और दूसरे डेयरी के विकास से काफी धन कमा सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि जिसकी शायद मैं शिकायत करता भी। वह यही थी कि ब्यावर, नसीराबाद, अजमेर और यह किशनगढ़ वगैरह की जो पेयजल की समस्या है वह राजमहल बीसलपुर के पास पेयजल की जो योजना बनाई है, उससे हल हो जायेगी। इसकी आवश्यकता थी। यद्यपि अभी कहीं 27 गेलन पर केपिटा मिलता है, कहीं 10-11 गेलन पर केपिटा मिलता है, कहीं 4-5 गेलन पर केपिटा की स्थिति आ जाती है, फिर भी बनास से स्थिति सुधरी है। इसके लिए बजट में उन्होंने ध्यान दिया है, उसके लिए मैं आभारी हूं। लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया, हम इसमें ही आत्मविभोर हो जायं आत्म वन्दना में विभोर हो जायँ और अपनी कमियां नहीं देख सकें तो बड़ी भारी कमी हो सकती है। जहां तक पर केपिटा टैक्स का सवाल है, राजस्थान में प्रति व्यक्ति 99.46 रुपया टैक्स के रूप में देता है। वेस्ट बंगाल बहुत प्रगतिशील है, वहां पर भी यह 86.48 पर केपिटा टैक्स है। यू. पी. में 68.21, मध्य प्रदेश में 86.41, गुजरात में 112.27 पर केपिटा है। इस पर केपिटा टैक्स को देखते हुये, टैक्स बढ़ाया जाता तो वह अनुचित नहीं होता। आर्डिनेंस के द्वारा टैक्स बढ़ाने का एतराज यहां पर हुआ है। मैं भी यह कहूंगा कि इस प्रकार से टैक्स बढ़ाना ठीक नहीं है। कुछ चीजों को लेकर आगे बढ़ने की बात होती है। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी होती है। ऐसा किस प्रकार से डेढ़ करोड़ बढ़ाया है। प्लान में जो फिगर्स दिये हैं, 623 करोड़ उसी पैसे में होगा। इससे खर्च हमेशा बढ़ता रहा है। मुझे ऐसा विचार आता है। जो रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में आंकड़े आये हैं। सुमित्रा जी ने उनको सुधारा था, हम 30 कह रहे थे, लेकिन मुझे जानकारी मिली है। 24 पैसे रुपये की कीमत बताई गई है। तो हमारा जितना प्लान एक्सपेन्डीचर बढ़ रहा है, वह ऐसा लगता है। लेकिन वह सिकुड़ रहा है। मैं प्लान एक्सपेण्डीचर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। पहले प्लान में 102.74 करोड़, दूसरे में 212.70 करोड़, तीसरे में 136.75 करोड़, चौथे में 308.39 करोड़, पांचवे में 95.56 करोड़ और 110.84 करोड़ रखा गया है। मैं नहीं समझता कि यह बढ़ता हुआ एक्सपेण्डीचर है। बल्कि कितने ही कारणों से यह घटता हुआ एक्सपेण्डीचर है। इस प्रकार से 3 एन्यूअल में 274.28 करोड़ दिया। जब कि 4 पंचवर्षीय योजनाओं में 308.39 करोड़ प्लान पर, 800.90 करोड़ नॉन प्लान। इनमें यह मैं मान

(श्री नारायणसिंह)

सकता हूं कि यह कमिटेड एक्सपेन्डीचर है। तनख्वाह वगैरह में और. डी. ए. वगैरह में इजाफा हुआ है। इसके कारण हो सकता है। लेकिन आज हमको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। हम इस एक्सपेन्डीचर को किस प्रपोरशन में रखें। एक बड़े इका-नामिस्ट का लेख मैंने पढ़ा था। उन्होंने यह लिखा है कि हमारा प्लान कैसा ही बने लेकिन यह जो स्टाफ बढ़ रहा है, उसके कारण यह हो रहा है। नॉन-प्लान 92.96% स्टाफ पर एक्सपेन्डीचर है। इसका कारण क्या बनता है। जैसे ही हमारा प्लान आता है भारत सरकार से तो रुपया मिलने की आशा में हम स्टाफ बढ़ा देते हैं। हम यह नहीं सोचते हैं कि इसका इम्पेक्ट क्या होगा। तो इस प्रकार से जो हमारे ऊपर लायबिलिटी बढ़ रही है, तनख्वाह वगैरह की, 25.37 करोड़ का इसका हिसाब आ जाता है। मैं समझता हूं कि इसमें काफी गम्भीरता से विचार करें। अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ किया जायेगा तो बेहतर होगा। क्लास 3 और क्लास 4 जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनको डी. ए. टी. ए. सभी बढ़ाइये। वह वाजिब है। लेकिन इतना ख्याल रखें कि पर-केपिटा इन्कम जो साधारण व्यक्ति की हो रही है, उससे ज्यादा तो वह नहीं जा रहा है। तो उनको क्या हक है कि सरकारी नौकर होने के कारण साधारण व्यक्ति से आगे अपनी इन्कम बढ़ायें। क्लास वन और क्लास टू के जो हमारे अधिकारी हैं, उनके अन्दर कटौती करनी चाहिए अगर पे की सीलिंग नहीं लगा सकते हैं तो। वैसे रूल्स में ऐसा है। जहां तक अधिकारी को पे देने का सवाल आता है, तो वहां पर सीलिंग लगी हुई है। अभी सेन्टर ने कुछ पे दी है। इसका मतलब यह है कि हम ज्यादा तनख्वाह पाने वालों पर सीलिंग लगायें क्योंकि वह ज्यादा पाते हैं। उससे हम अपने घाटे की पूर्ति करें तो बुरा नहीं होगा। आप आज देखें, न आउट ले पर हम निकल सकते हैं। उस पर भी असन्तुलित हैं।

उसके अन्दर आज ग्रेड-इन्क्रीमेन्ट्स हैं, टी. ए. डी. ए. वगैरह है इनसे और कितने बढ़ेंगे, यह अनुमान आप लगा सकते हैं। हमारे सामने उदाहरण है। एक उदाहरण पी. डब्ल्यू. डी. के स्टाफ का है, उसके बढ़ाने का और घटाने का है, चार चीफ इंजीनियर हैं। इस प्रकार से इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट में चले जायं और ऐसे अनेक दूसरे विभागों को देखेंगे तो यह चीजें पायी जायंगी। इसको प्रोपर्ली स्टडी करके चाहे इसके लिये कोई कमेटी बिठाई जाय, इसका सन्तुलन बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं अब इसके बाद आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रोजेक्ट्स में कई चीजों का दूसरा भार भी बहुत बढ़ जाता है, इस सम्बन्ध में गवर्नर साहब के भाषण के समय में भी मैं निवेदन कर चुका हूं कि इनमें वेस्टेज बहुत होता है। कई ऐसे खर्चे हैं जो कम होने चाहिए परन्तु प्रोजेक्ट्स में वे कम नहीं होते हैं; समय पर प्रोजेक्ट्स भी कम हो जाने चाहिए, वह नहीं होने से कीमतें बढ़ती हैं, व्यय भार बढ़ता है, स्टाफ को भी बढ़ाना पड़ता है, उसको बढ़ाते चले जाते हैं और इसी प्रकार से उन प्रोजेक्ट्स में हेर-फेर भी होने लगती है। उसका एक उदाहरण है चाम्बल के अन्दर 58-59 में 60

Page No 67

(श्री नारायणसिंह)

लाख रुपये का तखमीना तैयार किया गया था जो अब 10 करोड़ की लागत का बन गया है। तो यह समझिये कि उस समय 60 लाख में तैयार हो सकता था उस पर अब हम 10 करोड़ रुपये का खर्च करने जा रहे हैं। जब हम उसको तैयार करते हैं उस समय तक तो हमको उसका रिटर्न में ब्याज भी नहीं मिलता है, उसकी पेइंग कैपेसिटी में वह आयेगा तब की बात अलग है। मैं यह भी, कहना चाहिए कि और कारणों से या पोलिटिकल प्रेशर से भी कई अनावश्यक कार्य शुरू कर दिये जाते हैं और जितना रिटर्न उनका मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि हमारी अर्थव्यवस्था में डांवाडोल स्थिति मालूम पड़ती है। वेस्टेज का जहां सवाल आता है मैं राजस्थान केनाल के बारे में ही अर्ज करूं, वहां मैकेनिकल विंग में कई चीजें इसलिए बेकार पड़ी हैं और वह इसलिए कि नहीं आने की बात है। अब वह कहां जायेंगे, दूसरी चीजें कहां जायेंगी। मैं आश्चर्य करता हूं कि आखिर हमको तय करना चाहिए कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं ? सड़कों को देखते हैं चाहें वे नेशनल हाइवे हों चाहे स्टेट हाइवे हों, उनकी बांक टेढ़ निकालने में ही सारा खर्चा हो जाता है, कहीं कहीं तो यह जरूर हो सकता है लेकिन सारी सड़क को ही बदला जा रहा है, सीधी सड़कें निकालने का काम ही चल रहा है। इतने में तो नई सड़क भी तैयार हो सकती है तो इस तरह से कितना वेस्टेज होता है इन कामों को बढ़ाने से। परन्तु मोड़ तोड़ को निकालने के बजाय नई सड़क नहीं बना ली जाय, यह ज्यादा जरूरी है या वो ही काम करते रहें। मैं एक पेपर कटिंग लाया हूं उसमें लिखा है कि—

"Crores of rupees worth of machinery may have to be sold as junk when the Ramganga Project at Kalagarh is completed, it is feared. Most of the machinery purchased to meet urgent requirements has never been used and is gathering dust, hundreds of crates of imported spare parts have not been opened and many of the 76 dumpers have dot been utilised and are said to be useless for any other project. An automatic printing press purchased at a heavy cost is rusting. Acknowledgeable source said a Moradabad firm took away about 500 tons of scrap under a contract to convert the same into iron bars but had not delivered any."

अब इस प्रकार से यह जगह–जगह से आता है, कोई राजस्थान की ही बात नहीं है। परन्तु इस प्रकार से जब हमारी प्लानिंग के अन्दर वेस्टेज होता है और उसी कारण से हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी डांवाडोल बनती चली जाती है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

लूणाराम जी को जितना समय दिया था उससे तो बहुत ही कम समय लूंगा।

उसका अगर हम खयाल करें तो ठीक रहेगा। अब मैं कुछ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है

(श्री नारायणसिंह)

उन की बात कहता हूं। मैंने गवर्नर स्पीच में भी अर्ज किया था। 1970–71 के हिसाब से प्लानिंग डिपार्टमेंट इसकी जांच कर रहा है। अजमेर जिले की बात कहता हूं, पूरे जिले को देखा जाय, यह बात दूसरी है, वह जांच करली जाय कि नोर्मस जो तय कर लिये हैं, उनके हिसाब से आता है या नहीं आता है और उसी कारण से कई इन्डस्ट्रीज जो अजमेर में आ सकती थीं वह कहीं और चली जाती हैं। विजयनगर के बारे में निवेदन किया, वहां इन्डस्ट्री नहीं लगी। इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट से 8.28 लाख लाये, फाइनेन्स कारपोरेशन से 217.29 लाख लाये, शेयर केपीटल अलग होती है, इन्फास्ट्रक्चर खर्चे अलग होते हैं बिजली की रिआयत अलग होती है। डी. सी. एम. और श्रीराम फर्टिलाइजर्स को भी यही रिआयतें दी गई हैं तो आज हम कहते हैं कि मिक्स्ड इकानामी को घटाते चले जायं और पब्लिक सेक्टर को बढ़ाते जायेंगे। प्राइवेट सेक्टर करीब 60 परसेन्ट रुपया अपनी तरफ खर्च ले ले तो यह कहां तक सोशियलाइजेशन आफ इन्डस्ट्रीज की तरफ काम हुआ। यह व्याख्या भी नहीं की गई है कि कौन से प्रोजेक्ट्स पब्लिक सेक्टर में चल सकते हैं और कौन से पब्लिक सेक्टर में चलाये जा सकते हैं। इसलिए बुनियादी चीजें तो पब्लिक सेक्टर को दी गई हैं। श्रीराम फर्टिलाइजर को कितनी लाभ पहुंचा रहे हैं फिर भी उसके अन्दर कई शिकायतें आती रहती हैं। मैं अर्ज करूं कि मेनेजमेंट के सवाल को देखें 71–72 में 12.16 करोड़ रुपया 72–73 में 14.23 करोड़ और 73–74 में 14.03 करोड़ रुपया मिला है। इसी प्रकार से यह कर्जा और इन्टरनेशनल डेट और सेन्ट्रल डेट सब मिलाकर 952.80 करोड़ हो जाता है और 325 रुपये पर हैड कर्जा चल रहा है। इस बात को भी आज हमको स्टडी करने की आवश्यकता है। हमारे पब्लिक सेक्टर को भी इतना मजबूत बनाने की आवश्यकता है कि उसमें भी हम कुछ कमी कर सकें। टैक्सेशन के लिए, नहीं लगाने के लिए मैं बधाई दे चुका हूं। फिर भी अर्ज करूंगा कि इन सब बातों का अध्ययन करके उसके अनुसार यह देखना पड़ेगा कि कितने उद्योग किन-किन स्थानों पर लगायें तो उसका कितना फायदा होगा और कितना प्रभाव पड़ेगा, जीवन की आवश्यकताओं को देखें उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उपभोक्ता का भी सवाल है, कन्ज्यूमर पर कितना भार पड़ रहा है, लग्जरीज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, विदेशी मुद्रा कमाने वाली चीजों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए टैक्स लगायें। आपने राजस्थान बिक्री कर अधिनियम में नये उद्योगों को 1–4–70 से छूट दी है कच्चे माल पर लेकिन इस पर भी सीमा बांधनी चाहिए कि नए उद्योग कितने लाख की लागत वालों को छूट दी जाएगी। बड़े उद्योगों को क्यों छूट देते हैं। यह सोशलिस्ट पैटर्न की बात नहीं हो सकती। इसके मुकाबले में जैसे गेहूं वगैरह पर 3 परसेंट है, वनस्पती घी पर 10 परसेंट, तेल पर 5 परसेंट। होना यह चाहिए कि अनाज पर 1 प्रतिशत और अत्यावश्यक चीजों पर 3 परसेंट से अधिक न हो। इस कमी की पूर्ति करें, चांदी के जेवरों पर 2 परसेंट से 10 परसेंट करें, सोने पर 5 परसेंट से 10 परसेंट करें,

(श्री नारायणसिंह)
शराब पर खूब बढ़ायें। नशाबन्दी लाना चाहते हैं तो उसका यह भी तरीका हो सकता है कि उस चीज का मूल्य बढ़ाओ ताकि साधारण आदमी न ले सके। एक राज्य से दूसरे राज्य में कितना माल आता है, कितनी कर की चोरी होती है उसकी स्टडी करायें। जब घी, तेल, गेहूं पर कर है तो फिर अण्डे, गोश्त आदि पर क्यों न कर लगाया जाए, इसको देखना चाहिए। इन्सीडेंस आफ टैक्सेशन पर नेशनल पर कैपिटा इन्कम सर्वे की रिपोर्ट्स हैं जिसमें बताया गया है मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग अप्रत्यक्ष करों का ज्यादातर मध्यम और निम्न वर्ग पर असर पड़ा है, इसको स्टडी करने की आवश्यकता है।

इस बजट में कर नहीं लगाए, इससे ही आत्म सन्तोष नहीं होना चाहिए, बल्कि यह करना चाहिए कि एक टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन बिठायें जो इस बात को पूरी तरह से देख सकें कि टैक्सेशन कहां किस प्रकार से और कितना होना चाहिए जिन सिद्धांतों को मैंने कहा उनके अनुसार।

मेरा एक और निवेदन है कि आज जो हमारी सेविंग्स के बारे में कहा गया। बजट भाषण में भी कहा गया कि 8.90 करोड़ एडीशनल रेसोर्सिज से मिलेंगे, 9.20 करोड़ री-शिड्यूल करके और 10.24 करोड़ हम एडवांस प्लान के रूप में रखेंगे। इस स अगले साल अकाल पड़ गया तो प्लान पर कितना खर्चा करेंगे? फिर तो पंच-वर्षीय योजना से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। जहां जन-साधारण की सेविंग कैपेसिटी का सवाल है, वहां पर भी इन बातों को देखना जरूरी है कि जो मुनाफा कमाते हैं जैसे महाजन हैं, वे ज्यादातर अन्डरहैंड इन्वेस्टमेंट करके काला धन बढ़ायेंगे। तो जो पैरेलल इकानामी की शिकायत की थी उसके अन्दर यह जुड़ेगा। इसलिए सेविंग्स सर्वे के लिए कमेटी या कमीशन बिठाया जाना चाहिए जो इस बात की पूरी तरह से जांच करें कि इसका क्या असर पड़ सकता है। अकाल के लिए 30.93 करोड़ बताए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब 1972-73 में 18458 गांव अफे-क्टेड थे। 24 जिले और 1.33 करोड़ जन संख्या अफेक्टेड थी उस समय हमने 55 से 60 करोड़ खर्च किए और 70 करोड़ तक खर्च किया और आज वही राज्यपाल के अभिभाषण में बताया है कि 24 जिलों में अभाव है और 18750 गांव अफेक्टेड हैं और 1.58 करोड़ जनता अफेक्टेड है। तो जो पहले खर्चा हुआ है 70 करोड़, उसके मुकाबले में जो हम खर्चा करेंगे तसल्ली के लिए काफी है लेकिन है मोंग का दलिया। इस विषय पर केन्द्र से वार्ता होनी चाहिए स्पष्ट तौर से। पहले 5 साल के अन्दर 3 साल अच्छे होते थे। अजमेर में एक साल कुरड़ा होता था तो एक साल अकाल। वहां उसका उल्टा देख रहे हैं। एक साल या दो साल अच्छे होते हैं बाकी कुररा या अकाल।

कुछ माननीय सदस्यों ने क्षेत्रीय भावनाओं की बात भी उठाई कि पूर्वी इलाकों को कम पैसा मिल रहा है और पश्चिमी इलाकों को ज्यादा मिल रहा है। मैं इसके बंटवारे में नहीं जाना चाहता। फिर भी जहां जरूरत है डेजर्ट को ठीक करने के लिए, जो ड्रोट प्रोन एरियाज हैं, वहां विकास किया जाए लेकिन इतना असन्तुलित नहीं

(श्री नारायणसिंह)
होना चाहिए कि कई गुना वहां खर्च हो रहा है और पूर्वी इलाके में बहुत कम खर्चा हो रहा है। आज कोटा मे शिकायत आई, भरतपुर से शिकायत आई, सभी जगह से शिकायत आई...

श्रीमती नगेन्द्रबाला : मैंने बंटवारे की दृष्टि से पूर्व और पश्चिम को बात नहीं कही है। मैंने स्पष्ट संकेत देकर कहा है। और जगहों के नाम लिए हैं।

श्री नारायणसिंह : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पूर्वी क्षेत्र के लिए जो किया है वह उचित नहीं है लेकिन संतुलन बिठाना चाहिए। पूर्व और पश्चिम दोनों को मिलायें तो अजमेर में आकर रुकते हैं, इस विषय में संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जिससे जो पूर्वी इलाकों में प्रगति होनी चाहिए वह बिल्कुल ठप्प न हो, उसको भी बराबर उतना ही मौका मिले।

उपाध्यक्ष महोदय अब मैं थोड़ा दक्षिणी राजस्थान के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। आज आप उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर के एरिया में रहने वाले आदिवासियों का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिये उन पर ज्यादा खर्च करें, पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर ज्यादा खर्च करें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के ऊपर ज्यादा खर्च करें इसमें हमें कोई दुख की बात नहीं। हमें उन्हें ऊपर उठाने के लिए खर्चा करना चाहिए। लेकिन आप बजट में खर्च का प्रावधान रखते वक्त जब भीलवाड़ा और अजमेर जो कि एडज्योनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें ज्यादा असमानता रखते हैं तो हमें जरा दुख होता है। क्योंकि जब कभी हम इधर-उधर जाते हैं तो जनता के लोग हमसे पूछते हैं कि यह इतना खर्च में डिफरेन्स क्यों है। आप तो पहले मिनिस्टर भी रह चुके हो, एम.एल.ए. भी काफी समय से रहे फिर भीलवाड़ा के एम.एल.ए. तो इतना खर्चा सेंक्शन करा कर ले आये और आप इतनी भी ताकत नहीं रखते क्या। लोग जब हमारे सामने भीलवाड़ा और अजमेर जिले के बजट प्रावधानों की चर्चा करते हैं तो हमें यह कहना पड़ता है कि यह जो बड़ा गैप है खर्च में इसको मिटाया जाना चाहिये। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो डेजर्टेड एरिया हैं, ड्राट प्रोन एरिया हैं जो अभी भी बढ़ रहा है उनकी ओर ध्यान राज्य सरकार को देना चाहिए। उसको बढ़ने से रोका जाना चाहिए। खर्च किया जाय उसमें बेलेन्स रहना चाहिये।

श्री केदारनाथ : अब आप मन्त्री नहीं रहे जो कि मन्त्री मण्डल में मध्यस्थता करते थे। अब सारा इम्बेलेन्स हो गया है इसलिये यह झगड़ा हो गया है।

श्री नारायणसिंह : मैं मन्त्री मंडल में जब था तो मैंने भी कसूर किया होगा। मैं उस वक्त आवाज नहीं उठा सकता था यह बात नहीं। मैंने उस वक्त भी आवाज उठायी थी और आज भी विधान सभा में आवाज उठा रहा हूं और वैसे भी सभी काम सही हो रहे हैं। वैसे भी जहां पर जरूरी काम है और उनको अगर नहीं किया गया तो हम उनको पोइन्ट आउट करते हैं। करने का फर्ज भी है। जैसा कि माननीय सदस्या श्रीमती नगेन्द्रबाला ने कहा है वह कोई गैर जिम्मेदारान सदस्या नहीं हैं उन्होंने कोटा

(श्री नारायणसिंह)
डिविजन के बारे में जो कहा है वह सही कहा है। इसी प्रकार की शिकायत श्री चौहान साहब ने की तो हमको मानना पड़ेगा कि इसमें कुछ तथ्य है। जैसा कि कोटा डिविजन की जमीन पथरीली है और वहां पर कम खर्च करने का प्रावधान किया गया है। आज जो बजट में असन्तुलन खर्च में है उसको दूर किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि आज अपना टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसके लिए एक कमीशन बैठाया जाना चाहिये जो इन सभी बातों का ख्याल करे। इसके अलावा हमारे जो स्थानीय उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं कलात्मक उद्योग हैं उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। इसमें जो टैक्सेशन किया जाय उसमें जीवन की आवश्यकता की वस्तुओं को देखकर किया जाय। इसमें निम्न वर्ग के उपभोक्ताओं के काम में आने वाली चीजों पर कम मध्यम वर्ग के काम में आने वाली उपभोक्ताओं की चीजों पर उससे थोड़ा ज्यादा टैक्स लगाया जाय और जो और लग्झरी गुड्स हों उन पर उससे अधिक टैक्स लगाया जाय। इसी प्रकार बिजली की दरों में भी आप कुछ चेन्ज करिये। आज आप जो श्री श्रीराम फर्टीलाईजर और दूसरी फैक्ट्रीज पर...

श्री उपाध्यक्ष : बिजली की दरों के बारे में आप जब बिजली की मांगें हाउस में डिसकस हों तब आप बोल लें आपको समय मिलेगा।

श्री नारायणसिंह : मैं बैठ रहा हूं। आप चिन्ता नहीं करें। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों को आप इतनी छूट मत दीजिये। अगर आप उनको छूट देते हैं तो जो समाजवाद की बातें हम करते हैं वह किस तरह से पूरी होंगी। क्योंकि एक तरफ आप काश्तकार और दूसरे वर्ग पर बिजली दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं दूसरी तरफ आप उद्योगपतियों को इतनी सस्ती बिजली दे रहे हैं। इस प्रकार तो हमारा समाजवाद आने वाला नहीं है। अगर आप केवल एक दो रूट नेशनलाइज करके अपने आपको समाजवादी नीतियों को क्रियान्वित की बातें करते हैं तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार समाजवाद नहीं आयेगा। आज आपको समान वितरण करने की आवश्यकता है। इसमें आपको चाहिये कि एक्सपेन्डिचर को भी इक्वैली डिस्ट्रिब्यूट करें। आज आपको इन सभी बातों को स्टडी करना पड़ेगा। इसी प्रकार एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज आप जो बड़े-बड़े लोगों को तनख्वाहें दे रहे हैं उन पर आप सीलिंग लगावें उसके लिये चाहे आप सेविंग्स स्कीम्स लागू करें, या मेक्जिमम को कम करें। मिनिमम वालों की तनख्वाह बढ़ावें। या कोई ऐसी कम्पलसरी सेविंग्स स्कीम्स लागू करें और उससे पूंजी इकट्ठा करें और उसको राज्य की जनता में प्लान्ड एक्सपेन्डीचर बजट बना कर खर्च किया जावे। वैसे पैसे इकट्ठा करना हमारे धार्मिक कथाओं में भी लिखा हुआ है कि पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहिये। इसलिये पूंजीवाद को समाप्त करने के लिये हमें समाजवादी नीतियों को काम में लेना पड़ेगा। जहां तक पूंजी का सवाल है, पूंजी की जरूरत हर जगह होती है। आज सामाजिक प्रतिष्ठा आपको प्राप्त करनी है तो आपको पूंजी चाहिये। आज रिश्वत

(श्री नारायणसिंह)

भी किसी को देनी होती है तो पूंजी की जरूरत है। इसके अलावा लड़कों को पढाई कराना है तो पूंजी की आवश्यकता है अगर मेडीकल एड की जरूरत रहती है तो पूंजी की जरूरत रहती है, अगर ओल्ड एज पेन्शन की बात है तो पूंजी की ही जरूरत होती है इसलिये पूंजी को हम नजरअन्दाज नहीं कर सकते उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन पूंजी कोई बड़े आदमी के पास ही मिले जरूरी नहीं है लेकिन कभी कभी छोटे-छोटे लोगों के पास भी पूंजी मिल जाती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो हमारा आज टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसको एग्जामिन करके स्टाफिंग पेटर्न को राइट चेनल में लाकर बजट को स्टडी करने की जरूरत है। अब आप टैक्सेशन सभी से बराबर लें निम्न वर्ग से भी उतनी ही टैक्स लें और उच्च वर्ग से भी उतना ही टैक्स लें तो इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि इस ओर हमें ध्यान देना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : ट्रेजरी बेन्चेज खाली पड़ी हैं।

श्री नारायणसिंह : ट्रेजरी बेन्चेज खाली नहीं हैं माननीय श्री जुझारसिंहजी बैठे हैं वह वित्त मन्त्री जी के रिप्रजेन्टेटिव हैं वह सक्षम हैं। अब चूंकि काफी समय हो गया है अब मैं बाकी की बातें जब मांगों का समय आवेगा तब निवेदन करूंगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमान मल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय मैं आज तीन दिन से बोलने के लिये रिक्वेस्ट कर रहा हूं पर आप मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। आपको शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड-ट्राइब्स को मौका देना चाहिये।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने से अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री किशन मोटवानी : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा निवेदन यह है कि जिन लोगों को गवर्नर भाषण में बोलने का मौका नहीं मिला है उनको बोलने का मौका दिया जाना चाहिये। उन्हें रियायत देना चाहिये।

श्री गौरी शंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तीन रोज हो गये हैं मुझे बोलने का मौका नहीं मिला आप लिस्ट देख लें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर प्लीज। आप इस तरह बोलकर अपना ही समय खराब कर रहे हैं।

श्री गौरी शंकर : आप हमारी बिलकुल उपेक्षा कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता आप निष्पक्ष रहे हैं और निष्पक्ष हैं फिर भी

(श्री गौरीशंकर)

आप यह क्यों कर रहे हैं। आप बड़े–बड़े आदमियों को घांस दे रहे हैं आप हमें घांस नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने अपना बजट भाषण सदन में दिया और अपने भाषण के दौरान उन्होंने यह घोषणा की कि इस वर्ष भी पिछले वर्ष की भांति राज्य सरकार ने कोई कर बजट में जनता के ऊपर नहीं लगाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पिछले साल की यह घोषणा वित्त मन्त्री जी की अभी भी याद आती है और इस प्रकार की कोशिशें करके उन्होंने इस सदन में सभी पक्षों के सदस्यों से वाह-वाह लूटी थी। उन्होंने कहा कि यह बजट राजस्थान की गरीब जनता पर नये कर बोझ लेकर नहीं आ रहा है। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्रीजी ने बजट सत्र समाप्त होते ही उसके थोड़े समय पश्चात् वित्त मन्त्री जी ने अध्यादेशों के द्वारा एक ही नहीं अनेकों कर लगाये, करों में वृद्धि की और उससे 26 से लेकर 28 करोड रुपये के कर लगाये। यह कर चाहे करों में बढ़ोतरी करके, चाहे नये कर लगा कर, चाहे पानी की दरों को या बिजली की दरों को बढाकर या अन्य मदों द्वारा वित्त मंत्री जी ने बिना हाउस को कोन्फोडेन्स में लिये टैक्सेशन के जो अमर सिद्धांन्त हैं कि नो टैक्सेशन विदआउट रीप्रेजेन्टेशन की हत्या करके राजस्थान के ढाई करोड़ जनता के ऊपर 28 करोड़ रुपये के टैक्स लाद दिये। और इस बजट भाषण में यद्यपि उन्होंने यह तो मेन्शन किया है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री के संकेत के अनुसार हमने कुछ बढोतरी की है। लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से कबूल नहीं किया है कि अध्यादेशों के द्वारा हमने टैक्सेशन लगा कर राजस्थान की जनता पर इतना बड़ा कर भार और बोझा लाद दिया। तो मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, 28 करोड तो इस वर्ष के बजट में ये तो स्थायी रूप से लगा रहे हैं और उसके साथ में जो 16 करोड़ जैसा कि आपने बताया कि 8 करोड़ तो इस प्रकार से और 8 करोड़ केन्द्र के द्वारा प्राप्त होंगे जिसकी आशायें आपने व्यक्त की, किन्तु मुझे पूरी आशंका है कि इस सत्र के समाप्त होने के बाद इसी कपट द्वार से, कपट द्वार इसलिये कहूंगा कि यहां से अनुमति प्राप्त करके, हाउस के द्वारा पास करवा कर नहीं लगाये जावेंगे किन्तु कपट द्वार से लगाये जावेंगे जैसा कि इन अध्यादेशों को लागू करके राज्यपाल के हस्ताक्षर करवाकर कर भार जनता पर डाला गया उसी प्रकार फिर कपट द्वार से कर भार जनता पर डाला जावेगा इसकी मुझे पूरी आशंका है। अगले वर्ष भी कपट द्वार से आवेंगे। अध्यादेश लावेंगे राज्यपाल के हस्ताक्षर करवाये जावेंगे और यह 16 करोड का गेप ही नहीं पूरा किया जायगा किन्तु बढ़ती हुई कीमतों की दृष्टि से जो खर्चे बढेंगे उसको मद्देनजर रख कर और अधिक कर भार जनता पर डालेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट स्पष्ट रूप से जनता को कान्फिडेंस में लेने का नहीं है। चोर रूप से कपट द्वार से टैक्स लगाने की बात है। इसको स्पष्ट न कह कर इसको इस रूप में कहा गया है।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कांग्रेस दल जब से चुनाव में आया है सन् 72 में आया हो या इसके पहले आया हो, चुनाव से पूर्व जो घोषणायें कीं, एवं जो वायदे जनता से किये, उनका कोई रूप इस बजट में प्रतिबिम्बित नहीं होता। जिन बातों को लेकर सन् 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, स्प्लिट हुआ, सन् 1971 में पार्लियामेन्ट के चुनाव हुए और सन् 1972 में विधान सभा के चुनाव हुए, और जो वायदे और जो घोषणायें आपने कीं उनका कहीं इस बजट में रूप नहीं दिखायी देता।

आपकी बजट स्पीच को देखने एवं बजट के प्रावधानों को देखने के पश्चात् यह पता लगता है कि हमारे वित्त मंत्रीजी ने इस आने वाले वर्ष के बजट में प्राइमरी स्कूलों के लिये कोई प्रोविजन नहीं किया है। प्रोविजन यह किया गया कि अल्पमत भाषाओं को पढ़ाने के लिये 500 शिक्षकों की नियुक्ति की जावेगी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मुझे लगता है कि पांच सौ टीचर्स की नियुक्ति, अल्पमत भाषाओं को पढ़ाने के लिये जो यह नियुक्ति की बात है इस बजट में टीचर्स की, यह केवल आगे आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर विशिष्ट व्यक्तियों पर डोरे डालने के लिये, जैसा उत्तर प्रदेश में किया गया है, उसी प्रकार से यहां पर किया गया है। यह शिक्षा के विकास की दृष्टि से प्रोविजन किया गया हो, ऐसा नहीं लगता।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने यह भी कहा कि 50 स्कूलों में नये सब्जेक्ट्स और 100 मिडिल स्कूल सारे राजस्थान में खोलेंगे। शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान लास्ट बट वन या लास्ट बट टू पर है सारे देश के प्रान्तों के मुकाबले में। प्राइमरी स्कूल का कोई प्रावधान नहीं, कान्स्टीट्यूशन के डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में है कि कम्पलसरी एज्यूकेशन होनी चाहिये, कम से कम प्राईमरी शिक्षा तो होनी चाहिये, उसके लिये कोई प्रावधान नहीं है। यह आपके डवलपमेन्ट का नमूना है जिससे आने वाले वर्ष में प्राइमरी शिक्षा में किसी प्रकार का विकास नहीं होगा और इसी प्रकार से माननीय मंत्रीजी ने 30 लाख और 15 लाख का एडीशनल प्रोवीजन किया है 130 लाख और 15 लाख रुपया राजस्थान जैसे विशाल क्षेत्र में क्या माने रखते हैं? समुद्र में पानी की बूंद के समान है।

एडीशनल प्रोविजन किया है 1 करोड़ का वाटर सप्लाई के लिये। जिस राजस्थान में दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह मील दूर से पीने का पानी लाया जाता है, लाना पड़ता है, रेगिस्तानी इलाकों में एक-एक डोल पानी के लिये दस-दस मील जाना पड़ता है, जब कि आज आदमी चन्द्रमा में पहुंच गया है, पीने के पानी के लिये केवल 1 करोड़ का प्रोविजन हो तो आप अन्दाज लगाइये कि क्या बनेगा? प्लानिंग की इस वर्ष जो हालत है, डेवलपमेन्ट की जो हालत है, उससे लगता है कि पूरे वर्ष के लिये इससे छुट्टी। राजस्थान के विकास की गति को घटा दिया गया है। विकास के आगे बढ़ते हुए चरण आगे नहीं बढ़ेंगे इस प्रकार की घोषणा होती है तो उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा ही

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

आश्चर्य होता है । आने वाले वर्ष में कोई योजना नहीं, मंथर गति से चल रहे हैं । राजस्थान नहर जो राजस्थान की ही नहीं किन्तु देश की आशाओं का केन्द्र थी उसको पूरा नहीं कर सके और इस प्रकार आने वाले वर्ष में भी किसी प्रकार से उससे अधिक उत्पादन नहीं कर सकेंगे । दो दिन पहले मैं लोकसभा में सुन रहा था, लोक सभा में कांग्रेस के एक मंत्री ने त्याग-पत्र दिया था वे अपना वक्तव्य दे रहे थे, उन्होंने यह कहा ।

"Promises had been forgotten and hopes shattered."

श्री मोहन धारिया ने कहा कि जो हमने जनता के सामने वायदे किये थे, वे सारे के सारे वायदे और जो हमने जनता को स्वप्न दिखाये थे वे सारे के सारे स्वप्न, ध्वस्त हो चुके हैं और इसलिये जनता में आक्रोश होना स्वाभाविक है ।

यही स्थिति आज हमारे प्रदेश में बनी हुई है । आज यह कहें हम जनता के सामने कि हमने रियासतों का एकीकरण किया, राजस्थान में अकाल पड़ता रहता है, बहुत बड़ा राजस्थान में रेगिस्तान है इसलिए विकास नहीं हो सकता, मैं समझता हूं 27 वर्ष की आजादी के बाद कोई भी आज यह सुनने के लिए तैयार नहीं है । जनता यह समझती है कि कहां विकास हो रहा है । अभी बात चल रही थी जयपुर के बारे में । लेकिन जोधपुर में भी पानी की स्थिति खराब है । जवाई बांध से कुछ लोगों ने सिंचाई के लिए पानी ले लिया और इस कारण जोधपुर को पूरे पानी की सप्लाई नहीं हो सकेगी और इसका परिणाम यह होगा कि पानी के अभाव में जोधपुर के कुछ भाग को खाली करवाना पड़ेगा लोगों से । जवाई बांध जोधपुर के महाराजा ने बंधवाया था उसको आप जोधपुर शहर के लिए पानी के लिये भी मेन्टेन नहीं कर सकते जिससे कि बराबर जोधपुर शहर को पानी की सप्लाई होती रहे । जयपुर में बताया गया कि कीड़े और मकोड़े पीते हैं लोग । जयपुर से आने वाले माननीय सदस्यों को बहुत आक्रोश था । राजस्थान में पीने के पानी में 80-85 प्रतिशत लोग कीड़े और मकोड़े पीयें यह बहुत ही लज्जाजनक बात है । विधान सभा के सदस्यों को भी कीड़े, मकोड़े पीने पड़ते हैं, उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं । आपका आर्थिक संकट तो हमेशा रहता है, पानी की लाइन में गटर लाइन मिल जाती है उसके लिये आपको कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिये । आखिर इन्सान को इस युग के अन्दर एक अच्छा गिलास पानी नहीं पिला सके तो मैं समझता हूं सत्ता दल के लिये डूब मरने की बात है ।' उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे राजस्थान के अन्दर जैसा आप देखेंगे राजस्थान में हमने टैक्सेज बढ़ाये रैवेन्यू बढ़ाने के लिये और लगान बढ़ाया पर हमारा खर्चा पर हैड मैं निवेदन करूं तो हम एक व्यक्ति पर 110 रु. खर्च करते हैं और यह कब करते हैं जैसा माननीय मसूदा से आने वाले मंत्री महोदय ने बताया 99 रु. टैक्स का लेते हैं । इसके विपरीत नागालैण्ड की सरकार एक हजार 26 पर कैपिटा एक्सपेण्डिचर करती है और टैक्स के रूप में केवल 56 रु. लेती है, जम्मू-कश्मीर की सरकार 73 रुपया खर्च

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

करती है और उसके लिये एक्सेप्शन है यह कहा जा सकता है इसलिये इसे तो छोड़िये, हिमाचल प्रदेश की सरकार 282 रुपये एक व्यक्ति पर खर्च करती है जब कि राजस्थान केवल 110 रुपया खर्च करता है, हरियाणा सरकार में 159 रुपया प्रति व्यक्ति खर्च किया जाता है, पंजाब में 145 रु. प्रति व्यक्ति खर्च होता है, उड़ीसा में 132 खर्च किया जाता है और टैक्स के रूप में केवल 40 रुपये लिये जाते हैं, कर्नाटक में 130 रुपया प्रति व्यक्ति खर्च किया जाता है, तामिलनाडू की सरकार प्रति व्यक्ति 126 रुपये खर्च करती है, आसाम की सरकार प्रति व्यक्ति 129 रु. खर्च करती है, केरल की सरकार जो बहुत पीछे है वह भी 125 रु. प्रति व्यक्ति खर्च करती है इन सबके कम्पेरीजन में राजस्थान में केवल 110 रुपया खर्च किया जाता है और इसके बदले 99 रुपये टैक्स के रूप में लिये जाते हैं। अब अन्दाज लगाइये उपाध्यक्ष महोदय, सारे रैकार्ड बीट कर दिये केवल दो-चार राज्यों को छोड़कर जो ऐसे हैं, हमसे पीछे हैं।

हिन्दुस्तान में राजस्थान सब दृष्टि से पीछे है चाहे भ्रष्टाचार को छोड़ दें, मंहगाई को छोड़ दें, पुलिस जुर्मों को छोड़ दें जहां लाठी गोली और डण्डे की सरकार बनी हुई है छोड़ दें तो विकास में भी हम सबसे पीछे हैं। इसके बाद यह कहा जाता है हमारी आमदनी बढ़ती जा रही है। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, पर कैपिटा इन्कम बढ़ाने की बात, स्टेटिसटिकल लाई है। उपाध्यक्ष महोदय, तीन तरह की झूंठ होती है एक तो लाई दूसरी स्टेटिसटिकल लाई और तीसरी व्हाइट लाई—यानी आंकड़ों के भ्रमजाल में डालकर जो बात गलत है उसको सच्ची बात साबित करना एक स्टेटिसटिकल लाई कहते हैं। अब हमारे यहां उपाध्यक्ष महोदय, यह बताया गया पर कैपिटा आमदनी बढ़ गई और यह कहा गया थोक मूल्यों की कीमतों में गिरावट आई है। यह नहीं बताया जो खुदरा मूल्य है उसमें कैसे गिरावट आई है लेकिन थोक मूल्यों की बात की गई है। अब मैं बताना चाहता हूं हिन्दुस्तान में 30 प्रतिशत मूल्य बढ़े हैं और जो वेतन बढ़े, 1960 के वेतन मूल्यों को लिया जाय तो आपको मालूम होगा रुपये की कीमत 24 पैसे हो गई। एक पटवारी एक क्लर्क को जो वेतन मिलता था उसका वास्तव में मूल्य लिया जाय तो 1960 के आंकड़ों के अनुसार 20 प्रतिशत गिर गए। बढ़ाने के बाद एक बार बढ़ाया, दो बार बढ़ाया, तीन बार बढ़ाया पर वास्तविक जो मूल्य है वह 20 प्रतिशत गिर गया।

जापान में 20 प्रतिशत महंगाई बढ़ी और 80 प्रतिशत बढ़ा दिया। इंगलैन्ड में 15 प्रतिशत बढ़ी और इन्कम 45 प्रतिशत बढ़ा दी। इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहता हूं सारे देशों में एक—दो छोड़कर सब जगह स्थिति यही है। हमारे यहां रुपये की कीमत गिरती गई, हम रसातल में कहां पहुंच रहे हैं इसका भी अन्दाज लगाइये लेकिन हम इसका कोई प्रावधान नहीं करते हैं। 10 रुपये बढ़ाये पहले सैन्ट्रल का बजट आया और उसमें बीड़ी पर टैक्स बढ़ा दिया, सिगरेट पर टैक्स बढ़ा दिया, चाय पर टैक्स बढ़ा दिया। गरीब आदमियों की पीने की चीज बीड़ी और चाय पर तथा चीनी पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। सारी चीजों पर कीमत बढ़ गई

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

10–20 रुपये तो कहीं पर चले गये–कहीं एक जगह चाय पीने भी बैठ गये तो 10-20 रुपयों का तो सवाल ही नहीं है। तो उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट में घोषणा की गई है यह स्टेटिसटिकल रूप में मायाजाल है, क्योंकि साधारण व्यक्ति की आमदनी नहीं बढ़ी।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में जन कल्याणकारी राज्य की कल्पनायें कर रहे हैं, जिसकी घोषणायें कर रहे हैं क्या वे स्थितियां आज बनी हैं। मैं निवेदन करूंगा राज्य सरकार की ऐसी स्थिति है कि यहां पर क्रेश योजना के अन्दर भारत सरकार की ओर से अन्य साधनों से जो आवंटन किया गया 72–73, 73–74 इसमें टोटल आवंटन जो रकम हुई थी वह 9 करोड़ 75 लाख रुपये हुई थी। अब इसमें से उपाध्यक्ष महोदय हमारी राजस्थान की सरकार अकर्मण्य सरकार 9 करोड़ रुपयों में से 5 करोड़ केवल खर्च कर सकी। केवल 5 करोड़ 42 लाख खर्च कर सकी है और चार करोड़ बाकी जो और रहते हैं वह सारा रुपया लेप्स हो गया। अकाल राहत कार्य नहीं खोल सकते हैं। क्रेश कार्यों की मेरे पास रिपोर्ट हैं आडिटर जनरल की, 9 करोड़ 75 लाख आवंटन किया गया था उसमें से खर्चा किया केवल 5 करोड़ 42 लाख 39 यानि पैसा अलाटमेंट होने के बाद क्रेश योजना में खर्चा नहीं कर सकते और राजस्थान की जनता को उससे महरूम रहना पड़ता है और चार करोड़ लेप्स हो गये। यह मैं समझता हूं कितनी कर्त्तव्यहीनता का परिचायक है इससे बढ़कर और कोई अकर्मण्यता की बात नहीं हो सकती है जब हम कहते हैं अकाल राहत कार्य खोले हैं। पश्चिमी राजस्थान के लिये एक मीटिंग हुई जिसमें मुख्य मंत्री और एम. एल. एज. थे यह कहा गया हर जिले में कार्य खोलेंगे। हमने कहा जोधपुर के लिये घोषणा कीजिये तब कहा गया अभी कोई समय नहीं है समय आने पर बता दिया जायेगा और उपाध्यक्ष महोदय मैं यह भी बता देना चाहता हूं गुण्डा एक्ट तो बाद में अभी बना है लेकिन हमारे यहां पहले ही लागू हुआ है। मजदूरों के लिये पहले ही लागू हो गया, अकाल में उन लोगों से कहा गया जाइये राजस्थान केनाल पर और वहां काम कीजिये । अब वह बेचारा गरीब मजदूर अपने बाल बच्चों को छोड़कर किस प्रकार जाये। क्या यह सम्भव होता है कि गरीब मामूली सी मजदूरी के लिये अपने सारे परिवार को छोड़कर राजस्थान केनाल पर काम करने चला जाय । उनसे कहा गया अकाल में जो पिछली प्रकार के काम होते थे वे अब नहीं हो सकेंगे। अकाल कार्य खोल नहीं सकते गरीब किसानों के लिये, गरीब मजदूरों के लिये और दिल्ली में हमारे राज्यपाल महोदय के लिये मकान खरीद कर दे दें। बेचारे 22 महाराजाओं के लिये कोई बात करें लेकिन अब तो उपाध्यक्ष महोदय 151 महाराजा हो गये हैं। उन सबके लिये अलग अलग प्रावधान करना पड़ेगा। राज्यपाल महोदय के लिये राजस्थान में अलग कोठी, दिल्ली में अलग कोठी और उस सब का खर्चा राज्य सरकार करें, हमारे यहां लोग भूख से मरें, बिजयनगर में अभी एक आदमी भूख से मर गया और अब उसके घर वालों को परेशान किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है तुम कह दो भूख से नहीं मरा है, बीमारी से मरा है उसमें पैसे खर्च कर देंगे। गांव के लोगों से

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

धन्दा किया और उसका दाह संस्कार किया गया। इधर राजस्थान की सरकार दिल्ली के अन्दर 5–5 बंगले खरीद कर रख लेती है। यह बंगला मुख्य मंत्री के लिये, और हो सकता है मुख्य मंत्री के लिये इसमें कोई अपवाद नहीं है किन्तु एक बंगला मुख्य मंत्री के लिये तो एक बंगला राज्यपाल महोदय के लिये और एक बंगला एडवोकेट जनरल के लिये, हम समाजवाद की बात करते हैं और कार्य करते है समाजवाद के बिलकुल विपरीत।

एक मा. सदस्य : लीडर ग्राफ अपोजीशन का भी लेना चाहिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अपोजिशन के लिये बंगले की बात तो छोड़िये एक कुटिया भी मिल जाय तो भी ठीक है। पुराना युग समझ में आता था कि इस प्रकार के रौब दौब हुआ करते थे। 10–10, 12-12 लाख का खर्चा हो रहा है, मुख्य मंत्री जिस बंगले में निवास करेंगे उस पर 10 लाख का खर्चा, राज्यपाल महोदय जिस बंगले में निवास करेंगे उसमें 10–12 लाख का खर्चा और उपाध्यक्ष महोदय, यही बात नहीं है राज्यपाल महोदय के विरुद्ध दिल्ली में उनके पुराने बंगले पर काफी बड़े ऐरियर्स निकल रहे हैं लेकिन उन एरियर्स को रफा दफा करने के लिये उस बंगले को ही खरीद लिया गया है जिसमें उनकी फैमिली रह रही है। हमारी राजस्थान सरकार ने उदारता बरती और उसको अक्वायर कर लिया। हमारे ऐडवोकेट जनरल वहां रहते हैं, दिल्ली में भी उनके लिये बंगला, राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी उनके लिये बंगला और एडवोकेट जनरल जोधपुर में निवास करते हैं इसलिये जोधपुर में भी उनके लिये एक बंगला। आज एक व्यक्ति के लिये तीन तीन जगह बंगले क्या इसे ही हम समाजवाद की संज्ञा देते हैं? आज हमारे लिये उपाध्यक्ष महोदय, यह सम्भव भी नहीं है कि कितने बंगले हैं, इर्रीगेशन के बंगले अलग हैं, पी. डब्ल्यू. डी. के बंगले अलग हैं यह तो मुख्य मंत्री ही बता सकते हैं। हमें तो केवल जो बात पता लगती है उसको ही बता सकते हैं लेकिन क्या यह आज के युग में सम्भव है? एक तरफ गरीब लोग भूख से मरते हैं और दूसरी तरफ एक आदमी के लिये इतने एशो आराम मुहैय्या कर रहे हैं। अभी डूंगरपुर में 7 लोग भूख से मर गये। जोधपुर स्टेशन के बाहर बहुत सारे भिखारी खुली सड़क पर पड़े रहते हैं और उपाध्यक्ष महोदय, अपना पेट भरने के लिये अपना खून बेचते हैं और खून बेचने के बाद वापिस आते हैं और डाक्टर कहता है 6 महीने तुमको अब नहीं आना है लेकिन फिर उपाध्यक्ष महोदय, नाम बदल कर पहुंच जाता हैं। खून बेचने के लिये ब्यावर पहुंच जाते हैं, पिलानी पहुंच जाते हैं। जहां इन्सान खून बेच कर अपना पेट पालने का प्रयास करते हैं वहां हम शानोशौकत के साथ रहें जैसे शहनशाह और बहादुर शाह मुगल काल में और पुराने जमाने में लोग रहते थे कि दो-दो, चार-चार और पांच पांच बंगले सब जगह रहते थे। मैं समझता हूं कि यह कल्याणकारी राज्य की कल्पना नहीं है। मैं आपको बताऊं उस समय तालियों की गड़गड़ाहट हुई जिस समय मोहन धारिया ने यह कहा कि :

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

"But they would refuse to bear up any more with a situation when promises had been forgotten and hopes shattered.

और हमारी प्रधान मन्त्री जी सुनती रहीं और सब लोगों ने इसको महसूस किया कि 1969–70 और 1970–71 में हमारी प्रधान मंत्रीजी ने कहा था कि हम गरीबी हटा देंगे, लोगों को सिर ढकने के लिए छप्पर मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, कीमतें घटेंगी और लोगों की तनख्वाह बढ़ जायेंगी—वह कहां हुआ ? आज स्थिति यह है कि दो जून रोटी का सवाल है। हमारे यहां जोधपुर में आज 800 ग्राम धान दिया गया प्रति व्यक्ति एक माह के लिए। इसके लिए आन्दोलन किया गया और 5 हजार के करीब पुलिस का इन्तजाम किया गया। वहां पर यह पुलिस वाले 12–15 रोज तक पड़े रहे और दो दिन तक केसेज चलते रहे। इस सब के अन्दर करीब दो तीन लाख रुपया खर्च हो गया और यही जो दो तीन लाख रुपया खर्च हो गया इसी रुपये से वहां सब्सीडाइज करके आप अनाज नहीं दे सके? आज शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बहुत कुछ कहा जाता है लेकिन गांवों में आज शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को अनाज नहीं मिलता। यह हमारे कल्याणकारी राज्य की कल्पना किस प्रकार का ढकोसला है—उसका चित्र हमारे सामने है। इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमें इस स्थिति पर विचार करना है कि हमारे आर्थिक स्ट्रक्चर के अन्दर एक दूसरे में ज्यादा अन्तर नहीं हो। कहीं भी ज्यादा मजदूरी नहीं हो चाहे किसी प्रकार का भी व्यक्ति हो।

उपाध्यक्ष महोदय, आमदनी हम केवल बढ़ाते जाते हैं और वह आमदनी की बात करते हैं हम प्रोहीबीशन की और उसके साथ ही साथ हमने दो जिलों के अन्दर प्रोहीबीशन करने की घोषणा की। हम सारे राजस्थान में प्रोहीबीशन करना चाहते हैं यह बहुत अच्छा है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज आप आंकड़े उठाकर देखें तो 1952–53 के अन्दर शराब की आमदनी 2 या 3 करोड़ रुपये के करीब होगी, सही फिगर तो माननीय वित्त मन्त्रीजी ही बतायेंगे लेकिन वह आमदनी अब 12 से 15 करोड़ रुपये के बीच में चली गयी है। फिर हम यह बातें क्यों करें ? एक तरफ हम पैसा देते हैं प्रचार के लिए कि शराब मत पियो और वह पैसा बांसवाड़ा में खर्च होता है दूसरी जगह होता है, पर्चे बांटते हैं, जीप दौड़ाते हैं और पर्चे किस को देते हैं उनको जो कि शराब का ठेका लेते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर सही माने में प्रोहीबीशन करना है तो उसको वास्तविक रूप दिया जाये। फिर प्राथमिकता केवल दो-दो जिलों में करना बेकार है। प्रचार के लिए ऐसा करना फिर बेकार है। जहां प्रोहीबीशन किया हुआ है वहां भी खुले-आम शराब की बिक्री होती है। भट्टियां चलती हैं, इल्लीसिट डिस्टिलेशन होता है और शराब लेकर लोग नाजायज फायदा उठाते हैं जिससे सरकार को आमदनी भी नहीं होती है। तो जब तक हम सिद्धांतों पर चल कर सही दिशा में कदम नहीं उठायेंगे

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
जब तक प्रचार से काम नहीं चल सकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत आवश्यक है कि राजस्थान नहर जैसी योजना को प्राथमिकता दी जाये और इसके लिए वर्ल्ड बैंक से मदद लें इससे कोई अपवाद नहीं है और मुझे इसमें आपत्ति नहीं है। कोई पोलिटीकल कन्डीशन्स नहीं हैं, कोई प्रेशर नहीं है तो वर्ल्ड बैंक से हम मदद लें इसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन राजस्थान नहर को हमें पूरा करना है या नहीं? कब पूरा करेंगे? वह लूनकरणसर के पास आई फंसी पड़ी है और दो तीन साल से हम सुन रहे हैं कि वहां पर लिफ्ट योजना बना रही है लेकिन एक साल में कहां पहुंची, किस प्रकार से आगे बढ़ेगी वह समझ में नहीं आता। हम यदि रेगिस्तान को हरा-भरा करना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा था कि आप पहले इसको टेल से याने जैसलमेर से प्रारम्भ कर लीजिए ताकि दोनों तरफ से आई हुई नहर एक साथ लिंक हो जाये और जैसलमेर हमारा पाकिस्तान से लगा सीमान्त प्रदेश है और यह नहर वहां पर इच्छोगिल नहर की तरह काम में आ सकती है। लेकिन वहां नहर की योजना आगे नहीं बढ़ती और इसलिए बाड़मेर, जैसलमेर आदि प्रदेश हमारे रेगिस्तानी रह गये हैं जहां का इन्सान हमेशा सोचता है कि न जाने किस युग में हमारी प्रगति होगी। हम इसको प्राथमिकता देने की बात अवश्य करते हैं और हर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राजस्थान नहर का मेन्शन जरूर होता है लेकिन यह ऐसा ही होता है जैसे सुबह सुबह एक आदमी भजन करके दिनभर अपने पाप कर्म में लग जाता है। इसके लिए केन्द्र के ऊपर दबाव डाला जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में देखो लोग कितना आगे बढ़ गये। हम क्यों नहीं बढ़ सकते? आखिर राजस्थान की लाबी केन्द्र में कमजोर क्यों है? राजस्थान सेंटर के ऊपर हावी होकर क्यों नहीं अलाटमेन्ट करवा सकता है, यह समझ में नहीं आता।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है। यहां पर सप्लाई के महकमे में एन्फोर्समेन्ट इन्सपेक्टर और एन्फोर्समेन्ट आफिसर्स को लिस्ट को स्क्रूटिनाइज करके, सप्लाई मिनिस्टर ने कई लोगों को डिमोट कर दिया और अपने डिपार्टमेन्ट में भेज दिया क्योंकि उनकी इन्टीग्रिटी डाउटफुल थी। उपाध्यक्ष महोदय, कलम की स्याही भी नहीं सूखी थी कि दस दिन के बाद ही मुख्य मंत्री जी का फर्मान आ गया कि जिनकी सर्विसेस टर्मीनेट की थीं, जहां एक ओर तो यह था कि कान्फीडेन्शल रिपोर्ट को लेकर लोगों का रिटायरमेन्ट हो रहा था और तूफानी काम किया जा रहा था वहां हमारे सप्लाई मिनिस्टर के आदेशों को मुख्य मंत्री जी ने निरस्त कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किस का सम्बन्ध क्या है इस पर मैं नहीं जाना चाहता लेकिन निश्चित रूप से जिनकी इन्टीग्रिटी डाउटफुल है और करप्शन के मामले को लेकर रिवर्ट किया जा रहा था उनको वापस मुख्य मंत्री जी द्वारा बहाल करना और वापिस उन्हीं कुर्सियों पर थोपना कहां तक उचित है? इसके लिए तो कांग्रेस के माननीय सदस्य

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

जरूर विचार करें। करप्शन के लिए फ्लड गेट खोल दिया गया है। राजस्थान इज नाऊ ओपण्ड दी फ्लड गेट आफ करप्शन। मेरे पास लिस्ट है और कभी आवश्यकता हुई तो सदन की पटल पर मैं पेश करूंगा, लेकिन मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार का भयंकर बोलबाला है...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज! माननीय सदस्य बात न करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में लगभग 50 हजार शरणार्थी आये हुए हैं बाड़मेर क्षेत्र के अन्दर और उन व्यक्तियों के बारे में हमने कोई प्रावधान नहीं रखा। केन्द्र से इसके लिए एलाटमेण्ट होता है, ठीक है, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। वह बाड़मेर जिले में पड़े हुए हैं तो उनकी एज्यूकेशन के लिए, उनके रिहेबीलीटेशन के लिए, एलाटमेण्ट आफ लैण्ड के लिए हमने क्या प्रबंध किया?

हमने, उपाध्यक्ष महोदय, घोषणा की अनएम्पलायड यूथ के लिए। उसके लिए इसमें क्या प्रोग्राम है? सारे बजट को देख लें, सारे एलाटमेन्ट्स को देख लें कोई एडीशनल फेसिलिटीज इनके लिए नहीं है। 12 हजार नवयुवक हिन्दुस्तान में बेरोजगार होते हैं और उसमें राजस्थान का कितना शेयर है इसका तो पता नहीं, लेकिन करीब 200—300 के करीब तो राजस्थान में भी हो सकते हैं और मैं समझता हूं कि हमारे यहां टेक्नीशियन्स, डाक्टर या और कोई भी लोग हैं वह रात-दिन चक्कर काटते हैं। अभी जोधपुर में मुख्य मंत्री जी गये तो टेक्नीशियन्स उनसे जाकर मिले और कहा कि हमारे लिए क्या किया है। तो मुख्य मंत्री जी का उनको कहना था कि हमने तुम्हारे लिए एक पूल बना दिया है और उसमें से आपको बाद में ले लिया जायेगा और बाद में एपाइन्टमेन्ट हो जायेगा। उन्होंने कहा कि हमें तो एपाइन्टमेन्ट अभी चाहिए चार पांच साल में नम्बर कब आयेगा तो मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि आई केन नाट टेक एनी गारन्टी। इतना कहने के बाद वह कमरे में चले गए। एयर कन्डीशण्ड असेम्बली में तो हम भी कह सकते हैं कि यह अच्छा बजट है, विकासशील है, प्रगतिशील है, बढ़ते हुए चरण हैं और वित्त मंत्री जी ने अच्छा नक्शा बना दिया। यह सब लोरियां हो सकती हैं और लोरियां गाई जा सकती हैं और मेजें थपथपाई जा सकती हैं, जैसे मोहन धारिया ने दिल्ली में कहा था "As I see the writing on the wall, I feel it all the more intensely my national duty to raise my voice for the carrying out of our party's programme."

दीवार पर लिखी हुई बात को आप नहीं पढ़ेंगे तो जनता नहीं बक्शेगी। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में दस लाख लोगों ने राष्ट्रपति के पास पहुंच कर ज्ञापन दिया। उनको कहा कि बेरोजगारी खत्म करो, महंगाई खत्म करो, महंगाई पर पाबन्दी लगाओ, भ्रष्टाचार को खत्म करो। इस प्रकार से हिन्दुस्तान के अन्दर जिसमें राजस्थान भी शामिल है, एक एक

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

इन्सान को अपने जीने का अधिकार है Every man has a right to live. तो निश्चित रूप से समग्र क्रांति की भूमिका बनेगी और समग्र क्रांति के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में अपने लोगों के लिए कम से कम ढाई करोड़ जनता के लिए प्रोवीजन रखना आपका पुनीत कर्तव्य है, और अगर उसका ख्याल नहीं होता है तो निश्चत रूप से राजस्थान के अन्दर असंतोष की ज्वाला पैदा होगी। और फिर यहां पर चूरू कांड हो, जोधपुर के साथ अन्याय हो, धौलपुर के अन्दर हुआ हो, गंगानगर में हो, केवल यह कह देना कि पहले कोई बताया नहीं गया कि किस प्रकार का असंतोष है। असंतोष रोटी का है, चूरू के लोगों ने कहा कि दो महीने से राशन नहीं मिला, दो महीने से जो आप दो किलो, तीन किलो राशन देते हैं, वह भी नहीं मिलता है, मिलता नहीं बराबर समय पर। तो आज के युग का इन्सान दबा पड़ा हुआ नहीं रहेगा और जोर जुल्म के विरुद्ध जैसे कि लाल किले को बनाते वक्त सैकड़ों व्यक्तियों की नींव में डाल दिया गया था केवल इसलिए कि नींव अच्छी भरी जाय। और भी जो नर बलियां होती थीं, आज के युग में इस प्रकार के अत्याचार जनता सहन नहीं करेगी। जनता सहन नहीं करेगी बल्कि ज्वाला बनकर, भड़क कर उठेगी और साथ-साथ असंतोष की ज्वाला भी भड़क सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा जैसा मोहन धारिया ने कहा था, "We must pay heed what the people are saying in the streets, what most of the people are thinking, the people meeting at small hotels or other places; we have to heed what they are saying." सब स्थानों पर चाय के कप पर बैठे हुए, मजदूर गेट पर खड़ा हुआ, चाहे हमारे माननीय विधायक यहां चाय के कप पर बैठे हों, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्रीजी आप वित्त मंत्रीजी के नाते जनता की आकांक्षाओं को परखना चाहते हैं जनता क्या चाहती है, आज अनएम्पलायड यूथ का प्रोवीजन नहीं, अकाल का प्रोवीजन नहीं, इरिगेशन फेसिलिटि का प्रोवीजन नहीं, किन्तु यह कहना केवल आंसू पोंछने की बात है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको बहुत निराशाजनक बजट समझता हूं और मैं समझता हूं कि यह बजट ढाई करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल है और इसके कारण से केवल यह कह देना कि टैक्स नहीं लगाया इससे क्या होता है? आपने छोटे-छोटे व्यापारियों का जीवन दूभर कर रखा है। तीन-चार साल पहले आपने टैक्स लगाया जिसमें तीस हजार के टर्नओवर वाले व्यापारी को रिटर्न फाईल करना पड़ता है। अब आपका प्राईस इन्डेक्स बढ़ गया, एक छोटासा हलवाई जो एक खोमचा लगाकर बैठता है उसको सब प्रकार के टेक्सेशन देने पड़ते हैं, उसको सब प्रकार के रिटर्न फाईल करने पड़ते हैं और कितने टैक्स लगा रखे हैं, कोई सेल्स टैक्स, कोई एण्टरटेनमेंट टेक्स, पेसेंजर टैक्स, गुड्स टैक्स, केन्द्र के टैक्सों को छोड़ दीजिए इन्कमटेक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स इन सब को छोड़ दीजिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप को रिटायर्ड लोगों के पेंशन के लिए बढ़ोतरी का प्रावधान करना चाहिए था। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि इसका प्रावधान होना चाहिए। जो पेंशनर्स हैं, जो

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

गवर्नमेंट सर्वेन्ट हैं जो रिटायर हो चुके हैं। जिनके सीमित साधन हैं, महंगाई बढ़ने का असर उन पर पड़ता है। आपको उनको मेडिकल फेसिलिटीज देनी चाहिए, उनका डी. ए. बढ़ाना चाहिए। जो आप आज दूसरे कर्मचारियों का डी. ए. बढ़ाते हैं उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ायें, लेकिन कम से कम उनकी ओर ध्यान देकर कुछ तो बढ़ाना चाहिए। स्टुडेंट्स के वजीफे में आपने कोई एडीशनल प्रोवीजन नहीं किया। शिड्यूल्ड कास्ट के बच्चे यहां पर बैठे हैं उसके बारे में मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि जुलाई 74 से चालीस रुपया मंजूर कर दिया जाएगा, हम उनके आश्वासन को मानते हैं। जब आपका इंडेक्स बढ़ता है तो उसके प्रपोर्शन में बढ़ोतरी कीजिए। यह यूथ आक्रोश क्यों बढ़ता जा रहा है उसके कारणों की मीमांसा कीजिए, उस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। आप सम्मेलन कीजिए, गोष्ठी कीजिए, विद्या विशारद और अर्थशास्त्रियों से बात कीजिए उनकी राय लीजिए। आपने कितना वर्क किया है इसमें अभी तक ? केवल यही कि वित्त मंत्री आए, उन्होंने भाषण दिया और यह कह दिया कि टैक्स नहीं लगाया है और मेजें थपथपा दी गईं, लेकिन मैं समझता हूं कि जनता की आकांक्षाओं की ओर ध्यान नहीं है। राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है, इस कृषि प्रधान प्रदेश के अन्दर हमने कृषि के लिए क्या प्रयत्न किया अगले साल में, कोपरेटिव सेक्टर में, बीज देने के मामले में यूरिया देने के मामले में एम्पलॉयमेंट देने के मामले में ?

आप घोषणा कर देते हैं, 15 साल पहले घोषणा की गई थी कि जोधपुर नगर के अन्दर ट्रेक्टर फेक्ट्री लगेगी, स्कूटर फैक्ट्री लगेगी। जोधपुर की जनता प्रतीक्षा कर रही है कि वह ट्रेक्टर फैक्ट्री कौनसी है, कैसी अद्भुत फैक्ट्री है जिसका 15 साल में निर्माण कार्य भी प्रारम्भ नहीं हुआ। हमारे मंत्री महोदय ने दो साल पहले बताया था कि पेरिस में गए थे वहां पर पैक्ट नहीं हो सका इसलिए फैक्ट्री नहीं लग सकी। पेरिस में पैक्ट नहीं हो सका तो क्या हुआ, दुनिया के अन्दर ट्रेक्टर के लिए कोलोबोरेशन करने को कोई देश नहीं मिला, लेकिन आपने लगातार जोधपुर के साथ अन्याय किया है और सारा का सारा डेवलपमेंट अवरुद्ध कर दिया है। ट्रेक्टर फैक्ट्री लगाई नहीं, स्कूटर फैक्ट्री लगाई नहीं, पीने का पानी समाप्त कर दिया। आज सारी की सारी सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं और उसके अन्दर आदमी गिरते हैं। मेनहोल हैं नहीं। ड्रेनेज स्कीम बनी हुई पड़ी है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया और आपने काफी घोषणायें कर दीं सारे देश में कि यह हमारी उपलब्धि है। हमने सारे राजस्थान के अन्दर लैंडलेस को प्लाट दे दिए, पट्टे दे दिए। इस मामले में तो कभी इसके ऊपर अलग से विस्तृत चर्चा किसी समय पर करूंगा, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह फ्राड है। गाडुलिया लुहारों के लिए जिस प्रकार एक कार्यक्रम हुआ था और वही गाडुलिया लुहार अपना प्रोसेशन लेकर इसी विधान सभा के बाहर आए थे। प्लाट कोई खा गए, एलाटमेंट उनके नाम हो गया। यह स्थिति है आज सारे राजस्थान में और आप देख लेना कुछ समय के बाद यही होने वाला है। आपने पट्टे दे दिए तो क्या इससे ही उनके मकान बन जायेंगे ? मकान बनाने का प्रोवीजन बहुत नोमीनल किया है, कैसे इसको

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
मनटेन करेंगे, कैसे रहेंगे, पर केवल घोषणा करनी थी, मिड टर्म की सम्भावना थी इस लिए नारौरा में मीटिंग कर ली और उसके बाद प्लाट देने का एलान कर दिया। यह तो, उपाध्यक्ष महोदय, वही बात हुई कि जैसे एक भिश्ती एक दिन के लिए बादशाह बन गया तो उसने अपनी मशक के सिक्के चला दिए ताकि यह सिक्के चलते रहें। हरिदेवजी जोशी आए तो प्लाट काट दिए, पट्टे दे दिए। तो बाद में कागज तो उनके पास रहेगा, लेकिन प्लाट किसी और के पास मिलेगा। आज स्थिति यह है कि किसी योजना को लागू करने की आपकी मानसिक भूमिका नहीं होती। जब तक आपका फर्म डिटरमिनेशन नहीं हो, दृढ़ संकल्प नहीं हो तब तक कार्य नहीं हो सकता।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह राजस्थान का बजट निराशावादी बजट है। हमें इसमें हमारी प्राथमिकताओं के ऊपर, हमारी अपनी मान्यताओं के ऊपर और आने वाले वर्ष के अन्दर किस प्रकार से हम विकास करना चाहते हैं उसमें मूलभूत परिवर्तन करना चाहते हैं जो जनता की मूलभूत समस्यायें हैं, उनके आधार पर, यह इस बजट से कोई संकेत नहीं मिलता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता में असन्तोष की ज्वाला भड़कने वाली है और जनता ने अपना आक्रोश बता दिया है। कल मैंने दिल्ली में देखा है जनता के उस समुद्र को जो लाल किले से पालियामेंट्री स्ट्रीट तक तीन घण्टे तक पग पग पर दस लाख लोग, उड़ीसा के लोग, केरल के लोग, राजस्थान के लोग, पंजाब के लोग, हिमाचल प्रदेश के लोग, मजदूर, किसान, महिलायें, वृद्ध, बालक बालिकायें, विद्यार्थी, सबके सब वहां पर एक ही बात लेकर आए थे। कह रहे थे कि 'जो महंगाई रोक न सके वह सरकार निकम्मी है' और 'भूखे आदमी को रोटी दे न सके वह सरकार निकम्मी है'। जो सरकार भूखे लोगों को रोटी न दे सके, यह प्रश्न महंगाई को रोकने का प्रश्न, भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रश्न और गरीब आदमियों के आराम का प्रश्न तो बहुत बाद में आता है, आज तो आप उसको रोटी तक नहीं देते। मेरा निवेदन है कि आज पहली बार इस सत्र में यह स्थिति बनी है कि हंगर डेथ की बात प्रमाण के साथ में यहां लाई गई। साईनिंग आधार पर हंगर डेथ की घोषणा इस सदन में माननीय सदस्यों ने की लेकिन मुख्य मंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि यह कह दें कि यह गलत है। जब हम यह शर्मनाक स्थिति स्वीकार करते हैं हमारे प्रदेश में लोग भूखों मर रहे हैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) मैं समझता हूं कि हमें विचार करना चाहिए। अच्छा होता यदि हमारे माननीय वित्त मंत्री अध्यादेश जारी कर दें कि राजस्थान में कोई भूख से नहीं मरेगा। जब सरकार का यह अध्यादेश हो जाएगा तो कोई भूख से मर नहीं सकता क्योंकि फरमान जारी हो चुका है। अध्यादेश के राज्य में, यह काले राज्य में यह भूखों मारने वाले राज्य में, यह गरीबों का शोषण करने वाले राज्य में, इस भ्रष्टाचार के राज्य में, इस राज्य को समाप्त करने के लिए, उसके खिलाफ सक्रिय कदम उठाने के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं हमने एक घड़ी देखी थी, बरकत मंत्रि-मण्डल के समय...

श्री दीपंकर : बजट में कोई सरकार खत्म करने की बात कही जाती है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जो भ्रष्टाचार मिटाने का प्रयास प्रारम्भ किया गया था वह समाप्त हो गया। हमें फिर पीछे ले जा रहे हैं और सुखाड़िया युग की ओर वापिस जा रहे हैं। इस बात पर हमारे माननीय विधायक विचार करें और भूखी जनता के लिए बजट बजट नहीं होता, चाहे राज्यपाल का अभिभाषण हो, चाहे कोई भी कानून कायदे हों, वह नियम, अधिनियम या उप नियम हों, यह सब कर्मकाण्ड महान् जनता के लिए हैं और महान जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट नहीं होता, यह आंकड़े कहीं बीच में बाधा डालते नहीं मैं समझता हूं कि इस कारण से इस बजट के अन्दर माननीय वित्त मंत्रीजी को विचार करना चाहिए और जो निराशाजनक बजट राजस्थान का प्रस्तुत किया है, जिसने राजस्थान का विकास अवरुद्ध किया है, जिससे प्लान एक तरह से हाल्ट हो गया है, वह वास्तव में एक सुसाइडल बजट है, यह बजट एक आत्मघाती बजट है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भुवनेश चतुर्वेदी।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का जो मौका आपने मुझे दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और साथ ही वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देना ही पड़ेगा।

श्री चन्दनमल बैद : मत दीजिए आपकी इच्छा है।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष जी, जो यह राजस्थान गवर्नमेन्ट का प्रकाशन है, Financial Structure of Rajasthan उसके पेज 33 पर लिखा है:—

"The volume of loans floated by Rajasthan has gone up ten-fold, having swelled from Rs. 9.04 crores in 1958-59 to over Rs. 90.25 crores in 1973-74, which indicates the increasing dependence on this source as a potential source of finance."

मेरा निवेदन करना यह कि वित्त मंत्रीजी ने डेफीसीट बजट बनाया है किन्तु आंकड़ों के जाल पर इसको सरप्लस बना दिया गया है और कर्जा यह सरकार लेती रही है। ऐसा ही एक शेर में कहा है...

'कर्ज की पीते थे मय और कहते थे कि हां, रंग लायगी हमारी फाका मस्ती एक दिन।'

तो निवेदन यह है बजट का संक्षेप।

एक माननीय सदस्य : एक बार और...

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : मुझे बोलने दीजिये।

एक माननीय सदस्य : एक बार और कह दें। क्या फर्क होगा।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : मुझ पर तो कृपा करें। मेरा निवेदन करना यह है कि कई बार दिशा और दर्शन की बात की जाती है। हमारी नीतियों में दिशा और वक्तव्यों में दर्शन की बात होती है लेकिन वित्त मंत्रीजी ने अपने इस

Page No 86

(86)

(श्री भुवनेश चतुर्वेदी)

(3.06 म.प.)

(सभापति श्री फूलचन्द जैन, पदासीन)

बजट भाषण में न कोई दिशा दिखाई है और न कोई दर्शन ही दिया है और ऐसे मायाजाल में फंसा दिया है...

श्री कमलमल बैद : आप तो मायाजाल से अलग हो ?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : तो वित्त मंत्रीजी का यह जो मायाजाल है, इस समय उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि....

(शोरगुल)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य शांत रहें। आप दिशा और दर्शन दे रहे हैं, सुनिये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह मायाजाल है।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : यह जो गेप हमारी सरकार ने पैदा किया है यह बड़े दुख की बात है। हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि बजट में 12 लाख का सरप्लस है परन्तु वास्तव में वर्ष की समाप्ति होने तक यह 12 करोड़ के डेफिसिट में न हो जायेगा ? यहां आप वाह वाही लूट लें और हम सब से तालियां पिटवा लें। हां पक्ष से हां, हां कहलवा लें, हम ना नहीं कहने वाले हैं। असेम्बली का सेशन समाप्त होने पर कहीं वित्त मंत्रीजी को रुपयों की आवश्यकता हो गई...

एक माननीय सदस्य : मार्च के एन्ड में ही सेशन समाप्त हो रहा है।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : मैं यह निवेदन कर रहा था कि वित्त मंत्री जी को रुपयों की आवश्यकता हुई तो ऑर्डिनेन्स निकाल देंगे। तो मेरा यह निवेदन है कि आप जो भी टैक्स लगावें उसके लिए सेशन बुला कर ही टैक्स लगाने का कष्ट करें। ऑर्डिनेन्स के जरिए टैक्स लगाने की जितनी आलोचना हुई है, वह आपको मालूम है और मैं आशा करता हूं कि इस आलोचना का सरकार के दिल और दिमाग पर प्रभाव पड़ेगा। मैं यह निवेदन कर दूं कि जब कभी आपको यह आवश्यकता पड़े कि रुपयों की कमी हो रही है तो महीने में दो-तीन दिन का सेशन बुला लें। हम हां पक्ष वाले तो बैठे ही हैं Her Majesty's loyal opposition. भी है, और तीन दिन में आप जितना चाहें टैक्स लगा लें, लेकिन टैक्सेज लगावें डेमोक्रेटिक तरीके से। और हर मेजेस्टीज लायल अपोजीशन और सब मिल कर आपको जिता देंगे परन्तु टैक्स के लिए ऑर्डिनेन्स निकालने की कृपा मत करिये। यह अन डेमोक्रेटिक वे है और यह तरीका सरकार के प्रति और हमारे प्रति, जनता के विश्वास को कम करता है। जब हम अपनी कॉन्स्टीट्यून्सी के गांवों में जाते हैं और जनता को यह बताने का प्रयत्न करते हैं और हमारे वित्त मंत्रीजी की झूठी या सच्ची तारीफ करते हैं कि हमारे वित्त मंत्रीजी ने कोई टैक्स नहीं लगाया है, तो लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। कहते हैं, पिछले साल भी आपने यही कहा था कि टैक्स नहीं लगा है और टैक्स लग गया। यह निवेदन है

(श्री भुवनेश चतुर्वेदी)

जिसको राज्य करना है उसको अपने साथियों का, जनता का विश्वासपात्र होना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : बधाई है।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : दूसरा यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में यह आर्टिफिशियल अकाउंटिंग किया गया है। कहा गया है कि वर्ष के अन्त तक 12 लाख को बचत होगी। यह सन्तुलित बजट है। सन्तुलित बजट होने के लिए किसी परिवार वाले को चिन्ता होती है, किसो दुकानदार को इसके लिए चिन्ता होती है परन्तु किसी वेलफेयर स्टेट को, वेलफेयर गवर्नमेन्ट को सन्तुलित बजट नहीं करना चाहिये। वेलफेयर गवर्नमेन्ट का बजट हमेशा डेफिसिट का होता है और उसको डेफिसिट होने पर चिन्ता होने को आवश्यकता नहीं होती। वेलफेयर स्टेट का हमेशा डेफिसिट बजट होगा। यह एक उसूल है। यह बजट का टेस्ट है। अगर बजट स्टेट का डेफिसिट में है तो समझ लीजिये यह वेलफेयर स्टेट की गवर्नमेन्ट का बजट है और उस गवर्नमेन्ट का स्टेट की पब्लिक के प्रति कमिटमेन्ट है। यह गवर्नमेन्ट पब्लिक के प्रति अपने कमिटमेन्ट को मानती है। लेकिन यह आर्टिफिशियल है इस प्रकार सन्तुलित बजट पेश कर के थोड़ी देर के लिए वाहवाही ले लें या तारीफ कर दें।

मैंने इस बजट को बार-बार पढ़ा और जो निष्कर्ष निकला है वह मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह क्या है। तीन दिन से मैं यहां पर बोलने की इन्तजार कर रहा था, आज मौका मिला है। तो मैंने इस बजट को पढ़ा और यह मैंने देखा कि इसमें है भारत सरकार को कर्जे की अदायगी 9 करोड़ रुपया है। याने जो कर्जा लिया है वह तो दिया नहीं जा सकता इसलिए हे कृपा सिन्धु! इस कर्जे का रि शिड्यूलिंग कर दो और भारत सरकार ने इस कर्जे को रि शिड्यूलिंग कर के यह रास्ता निकाल दिया है और 9 करोड़ इसमें बता दिया है।

दूसरा आपने अपने इस बजट स्पीच में एडवान्स बताया है। कहा गया है कि हमारे पास में पैसा नहीं है तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने कहा अगले वर्ष के प्लान का हम एडवान्स पेमेन्ट कर देते हैं और यह एडवान्स पेमेन्ट भी आपने इसमें बता दिया। यह है 10.24 करोड़ रुपया, और तीसरा है आपके अतिरिक्त साधन के 9 करोड़ रुपये। इस प्रकार तीस करोड़ का डेफिसिट तो यही है। इस तरह से आप देखें एनेलेसिस करके तो यह 30 करोड़ का घाटा स्पष्ट दिखाई देता है। इसके अलावा हमारे वित्त मंत्रीजी ने अपनी बजट स्पीच में यह कहा है कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने हमारी ऐनुअल प्लान 105 करोड़ की तय की और हमारी राज्य सरकार ने इसको 110 करोड़ तक बढ़ा दी। यह बड़ी चक्कर वाली बात है। इसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। हमारे वित्त मन्त्रीजी ने अपने बजट भाषण के पेज 29 पर कहा है–"मैंने पहले यह बतलाया है कि राज्य के योजना व्यय के वित्तीय साधनों में 16.88 करोड़ की कमी रहती है उसमें से 8.14 करोड़ की कमी हमारे स्वयं के गैर योजना साधनों में उपलब्ध बचत से पूरी कर ली जायेगी।" ही इज नाट एक्स्प्लेन इट। और उसके बाद "1.75 करोड़ रुपये की कमी को पूरा

(श्री भुवनेश चतुर्वेदी)
करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने आश्वासन दिया है" तो केन्द्रीय सरकार का जो आश्वासन है उसमें 105 करोड़ केन्द्रीय सरकार ने एप्रूव किये हैं, और उसमें 8.07 करोड़ रुपये और जोड़ दें तो करीब 114 करोड़ रुपये हुए, और आप खर्च कर रहे हैं 110 करोड़, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की असिस्टेन्स से 114 करोड़ रु. का Plan होना चाहिए और प्लान कर रहे हैं 110 करोड़ का तो 4 करोड़ किस बात के लिये लेना चाहते हैं ? तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब बातों को थोड़ा देखने की बात करें।

दूसरा, मै निवेदन करना चाहता हूं कि 1974–75 में—इन आंकड़ों के जाल से मुझे मुक्ति मिली है। मैं समझता हूं कि इस सदन को भी उनसे मुक्ति दिला दूं—बचत का अनुमान था 7 करोड़ और वास्तविकता यह है कि 14 करोड़ की बचत हो गयी। उसमें 14 करोड़ में इन्होंने बताया है कि 7 करोड़ अतिरिक्त साधनों से आये। तो यह अतिरिक्त आय छापे वगैरह डालकर या स्मगलर्स को पकड़कर हुई है क्या, हालांकि मैं नहीं मानता कि 7 करोड़ रुपये सरकार को उनसे मिले होंगे। लेकिन मैं यह मान लेता हूं क्योंकि हर बात पर अविश्वास करने से तो पूरी बात नहीं होगी। इस साल 1975–76 में 16-17 करोड़ की बात करते हैं। यह स्मगलर्स पर छापे वगैरह डालकर या कोई ऐसा एक्शन सरकार लेती है तो क्या इसको परमानेन्ट सोर्स आफ इन्कम सरकार मान ले और बजट में आ जाय ?...

श्री जुझारसिंह : यह कैसे मान लिया है आपने कि यह छापे की इन्कम है ?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : आप बात सुन लें। अगर वित्त मंत्रीजी की तरफ से आप जवाब देना चाहें तो उस वक्त दे देना।

श्री भानुकुमार शास्त्री : ज्वाईन्ट रैस्पान्सिबिलिटी है। बोल तो सकते ही हैं।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : दूसरा मेरा निवेदन है टैक्स रैवेन्यू पर केपिटा के बारे में। मेरा यह मानना है कि सरकार ने कभी भी टैक्स रैवेन्यू पर केपिटा और इन्सीडेन्स आफ टैक्सेशन को एक्जामिन नहीं किया है। कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि समाज का कौनसा वर्ग कितना टैक्स देता है, और समाज का कौनसा वर्ग कितना देने के काबिल है, समर्थ है, समाज का कौनसा वर्ग टैक्स नहीं दे सकता है और उस पर कितना टैक्स का भार आपने डाल रखा है। यह मैं निवेदन करता हूं और मेरी यह मान्यता है कि यह बेसिक बातें हैं बजट बनाने की इनको सरकार को देखना चाहिए। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अगर यह आंकड़े सरकार के पास मौजूद हों तो अपने जवाब में बतलाने की कृपा करें कि क्या इन्सीडेन्स आफ टैक्सेशन है।

दूसरा एक पाइन्ट मैं और निवेदन करना चाहता हूं बचत की बात होती है तो किस सोर्स से बचत हो सकती है ? समाज का कौनसा अंग बचाता है और रेवेन्यू किस वर्ग से आती है ? इसलिए मेरा निवेदन है कि इन्सीडेन्स आफ टैक्सेशन के

(श्री भुवनेश चतुर्वेदी)

लिए किस समाज के वर्ग पर क्या टैक्स का स्ट्रक्चर है, उसको एक्जामिन करवाने की कृपा करें और समाज का कौन सा तबका अधिक बचत कर सकता है, और कौन सा तबका कम बचत करता है, और वह सब समाज में कहां क्लाउड होती है, और शादी-विवाह या वलगर डिस्प्ले आफ वैल्थ में तो खर्च नहीं होती है ? तो मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट बनाने के बेसिस हैं। दिशा देने की तो हम में क्षमता नहीं है, लेकिन इधर-उधर से कुछ पढ़-लिख लिया है तो वह मैं निवेदन कर देना चाहता हूं...

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने मसाला...

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : मेरी जान को मुश्किल है।

दूसरा मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस बात को गम्भीरता से सोचे और ऐसे ही न सोचे। सेलेरीज की आज बात है। सेलेरीज को एक्जामिन कराये, बजट के इस टाप हैवी एक्सपेन्डीचर को एक्जामिन कराये। हमारे छोटे-छोटे प्लानिंग और छोटी-छोटी योजनाएं सब फेल हो जाती हैं, मगर हमारा सेलेरीज का एक्सपेन्डीचर बराबर बढ़ता जायगा। मैंने सरसरी निगाह से देखा था, और मैं समझता हूं कि सेलेरीज का खर्चा करीब 100 करोड़ का है, आलमोस्ट वन-थर्ड आफ युवर टोटल बजट आता है। तो अगर आप इसको एक्जामिन करवायें कि कितना हैवी सेलेरीज का एक्सपेन्डीचर है, मैं भविष्यवाणी तो नहीं करता, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता इसको रिजेन्ट करती है। जनता इस हैवी एक्सपेन्डीचर को रिजेन्ट करती है और आलोचना करती है। एक समय ऐसा आयेगा कि लोग टैक्स देना बन्द कर देंगे। लोग कहते हैं कि टैक्स का उचित उपयोग नहीं होता है सेलेरीज और महंगाई भत्ता बढ़ाने में टैक्स का उपयोग करते हैं। टैक्स का रुपया इकट्ठा करें और महंगाई भत्ते में बांट दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कर्मचारियों को।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : और किस को ? एम. एल. एज. को नहीं बांट रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसको एक्जामिन करवाये और आस्था रखें। एग्जामिन एक्सपर्ट कर देते हैं, लेकिन हमारी आस्था क्या होनी चाहिए, सेलेरीज का एक्सपेन्डीचर कितना होना चाहिए, ट्रुवड्र्स ओवर एक्सपेन्डीचर ओन प्रोडक्शन। इस बात पर सरकार को विचार करना होगा

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और सरकार के पास हो कुछ तो अपने जवाब में हमें बताने की कृपा करें।

दूसरा, जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया था कि सरकार हमारी जो है जाने या अनजाने में उसके प्रति विश्वास क्रेडेबिलिटी कम करती जा रही है। एक बात मैं निवेदन करूंगा कि रॉक फास्फेट की बहुत बातें हुई पिछले वर्ष भी बात हुई और इस वर्ष भी बात हुई। हम एक्सपोर्ट कर देंगे 10–12 करोड़ का और उसको बेसिक मानकर चलते हैं। मेरी यह सूचना है कि सरकार के पास अभी कोई इस प्रकार का आश्वासन नहीं है, कोई इस प्रकार

(श्री भुवनेश चतुर्वेदी)

का डाईरेक्शन नहीं है कि यह 12 करोड़ का रॉक फास्फेट एक्पोर्ट करने की इजाजत मिल जायगी। और आप रॉ मेटेरियल का एक्सपोर्ट करते हैं यह गलत बात है। आप इसका उपयोग अपने देश में करें न कि इसको एक्सपोर्ट करें। यह यहां पर सुना गया था कि हम जापान को एक्पोर्ट करना चाहते हैं। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि in the interest of the growing इकोनामी यह गलत है।

श्री जुझारसिंह : यह रिक्वेस्ट हम गवर्नमेंट आफ इन्डिया से कर रहे हैं, कि इसका कन्ट्री में इम्पोर्ट कम करें ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है उसको कन्ज्यूम किया जा सके। एक्सपोर्ट की बात ठीक नहीं है, मगर जो इम्पोर्ट आज होता है उसको बन्द करने की बात है।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : एक प्रश्न के जवाब में सरकारी बेन्चेज से यह कहा गया था कि जापान और एक-दो कन्ट्रीज को एक्सपोर्ट की पासिबिलिटी दिख रही है। तो आज राजस्थान गवर्नमेंट कोई सॉवरेन गवर्नमेंट तो है नहीं कि दूसरे कन्ट्रीज से डाइरैक्ट नेगोशियेट करे....

श्री जुझारसिंह : बात यह है...

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : आप जवाब में फर्मा दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इनकी गाड़ी एक पटरी पर ही चलती है।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : आप थर्मल पावर प्लान्ट की बात करते हैं लेकिन आज तक सरकार प्लानिंग कमीशन को उसके लिए कन्वीन्स नहीं कर पाई है। दूसरे प्रान्तों को हम पावर देने की बात करते हैं और इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए हम कन्वीन्स नहीं करा पाये। कोटा मेरी कान्स्टीटुएन्सी में है इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं। यह सारे राजस्थान की बात है इतने बड़े प्रोजेक्ट को ले नहीं पाते हैं और दूसरे प्रांतों को देने की बात करते हैं, चाहे घोषणा के तौर पर ही करते हों और देने की बात आये तो न दें आखिर में, लेकिन एक कमिटमेंट करते हैं, तो मेरा निवेदन है कि एक स्ट्रेटजी हिसाब से यह कहें कि यू. पी. और हरियाणा को पावर देंगे लेकिन थर्मल पावर प्रोजेक्ट को क्लियर कर दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : फिर चाहे बेइमानी कर दें।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : करें या न करें वह दूसरी बात है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य बीच में इन्टरप्शन न करें।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : ट्राइबल सब-प्लान की बात है। हमारे रामगोपालजी हैं जो कि शाहबाद से आये हैं उन्होंने यह बात कही थी और नगेन्द्र बालाजी ने भी कहा था और जो दूसरे हैं उन्होंने भी कहा था। वी एग्री ओन वन पाइन्ट कि ट्राइबल सब-प्लान की बात कहना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है ट्रेजरी बेन्चेज से कि सहरिये और दूसरी पिछड़ी जातियों के आदिवासी लोग हैं वह कहीं और भी बहुत ज्यादा हैं उन पर भी निगाह डालें और उनको भी ट्राइबल सब-प्लान में शामिल करने की कृपा करें।

(श्री भुवनेश चतुर्वेदी)

दूसरा मैं निवेदन करूंगा वही क्रेडिबिलिटी गेप के बारे में कि आपको उसका सदन को और राजस्थान को विश्वास दिलाना पड़ेगा। राजस्थान बना तब से सुनते आये हैं लेकिन अभी तक राजस्थान के अन्दर कोई सेन्ट्रल प्रोजेक्ट नहीं बना है। Every second day our Minister is in Delhi and we are failing to get any favour from Delhi इसको दिल और दिमाग से सोचने की बात है।

शिवचरणजी माथुर साहब हमारे साथी और नेता रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक के एग्रीमेन्ट पर गवर्नस एड्रेस पर मौका नहीं मिला। मैं डिटेल्स में नहीं कहता हूं लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि आप उसका पुनर्वाचन करें और उसका पुनर्वाचन करके दिल और दिमाग से उसको आपको समझना चाहिये कि जो बातें उसमें कही गई हैं क्या वे ठीक हैं ? नहीं तो मेरा निवेदन है कि हमारी पोस्टेरिटी यह कहेगी कि शिवचरणजी माथुर एक मन्त्री हुआ करते थे राजस्थान में उन्होंने यह एग्रीमेंट किया था। हमारे नेता और साथी की आलोचना की जाय तो मजा नहीं आता है। बड़े-बड़े इन्टरनेशनल एग्रीमेन्ट रद्द हो जाते हैं।

एक माननीय सदस्य : आपका मतलब इनको घर भेजने का है क्या ?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : अब आप तसल्ली करें। तो मेरा निवेदन यह है, वर्ल्ड बैंक का एग्रीमेन्ट में यह बिल्कुल मानता हूं कि वह किसानों के हक में नहीं है। 100–150 करोड़ की रकम दिखाई दी है। भूखे लोग हैं। आप खुश हो गये। आप किसानों के साथ में कमिटमेन्ट करते हैं। 30,40,50 साल का कर लें। तो मेरा निवेदन है, इस पर आप विचार करने की कृपा करें।

सभापति महोदय, मैं एक मिनट और लूंगा।

मैं निवेदन कर रहा था, जो क्षेत्रीय असन्तुलन की बात होती है। आपको लोगों के दिमाग पर इम्प्रेशन लाना होगा। The justice should not only be done, it should appear to be done.

श्री सभापति : श्री पी.के. चौधरी।

श्री पी.के. चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, बजट पर लोगों ने अपने विचार रखे हैं। पहले तो उनको यह देखना था कि इसमें टैक्स कम्पोज किया या नहीं ? हमको यह देखना है कि हमारा लक्ष्य क्या था। इस दृष्टि से देखें तो हमारे सोशल और इकोनामिक प्राजेक्ट्स को पूरा करने के लिए यह क्या करता है। सभापति महोदय, आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है, अनाज का हमने हमारे जिस प्लान में सेल्फ सफीशिएन्ट होने के लिए जो लक्ष्य रखा है फर्स्ट फाइफ ईयर प्लान में हमने टारगेट रखा था फूडग्रेन प्रोडक्शन का 3 लाख टन और एडीशनल प्रोडक्शन का 18 लाख टन। इसमें यह देखना है कि रोटी रोजी को देने में क्या प्रावधान किया है। उसमें कुछ होता है या नहीं होता है सभापति महोदय, 5 साल में 390 लाख टन पैदा करने का टारगेट। पांचवे प्लान में हमने 70 लाख टन अनाज की पैदावार बढ़ाई है। इस निगाह से मैं बजट को देखना चाहूंगा। इससे पहले, सभापति महोदय सरकार का

(श्री पी. के. चौधरी)

जो एलोकेशन है, वह किस ढंग से होता है। उसका एचीवमेन्ट कैसे होता है ? प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है उससे हमें क्या मिलता है वह हमें संक्षेप में देखना है। हमको यह देखना है कि यह जो फूडग्रेन बढ़ाने का है, यह सरकार ने कैसे किया है। सभापति महोदय, फोर्थ प्लान में हमारा टारगेट था 1973-74 में 65.17 लाख टन। यह लिखा गया है-The level of production will be 88 lakh tons.

अब उसके मुकाबले में, सभापति महोदय, हमारा प्रोडक्शन क्या है। फोर्थ प्लान में 63 लाख टन बेस माना था। 18 लाख टन प्रोडक्शन बढ़ा है। उसके लिये बिजली का खर्चा किया है। लेवलिंग किया है। इस तरीके से लक्ष्य पर पहुंचेंगे। फोर्थ प्लान में, सभापति महोदय, हम देखते हैं, हमारा प्रोडक्शन रहा है, 46.9 लाख टन। फूड ग्रेन का 70-71 में 86.40 लाख टन टारगेट रखा है और फिफ्थ फाइव ईयर प्लान का टारगेट रखा है, 78-79 में 88.00 लाख टन। 73-74 में आखरी साल 65.17 लाख टन का प्रोडक्शन हमने एचीव किया इसके लिए हमने एफर्ट्स क्या किये ? इरिगेशन पर पैसा खर्च किया। हमारा जो इरिगेटेड 21.18 लाख हैक्टेयर एरिया था। फोर्थ प्लान के अन्दर वह हमने उसको 25.00 लाख हैक्टेयर में इरिगेशन कर लिया। सारे खर्चे का नतीजा क्या हुआ। फोर्थ प्लान का जो बेस था, उसको भी हमने आखरी साल में नहीं कर पाया है। इसका मतलब यह है कि आपने साढ़े 4 लाख हैक्टेयर फोर्थ फाइव ईयर प्लान में बजट बढ़ाया इसका एचीवमेंट क्या हुआ ? जीरो हुआ। जो भी प्रयत्न इरिगेशन बढ़ाने की जरूरत है, उसका भी कुछ नहीं हुआ है। मैं इसी लिए कहना चाहता हूं कि आपने जो आंकड़े बताये हैं, इसका इम्पेक्ट नहीं दिया है। आपने फिफ्थ फाईव ईयर प्लान का 390 लाख टन रखा है। सभापति महोदय, उसका यह चालू साल खत्म हो गया है। लेकिन वित्त मंत्री कहते हैं कि इस एक साल में 1974-75 में 20 हजार हैक्टेयर राजस्थान कैनाल कमाण्ड में लगायी है। इरिगेशन फेसिलिटी दी है 20 हजार हैक्टेयर के अन्दर, और एडिशनल अदर इरिगेशन फैसिलिटी में 25 हजार हैक्टर ली है, इस प्रकार 45 हजार हैक्टर लैंड हैज बीन टेकिन अन्डर इरिगेशन। लेकिन इम्पेक्ट क्या हुआ ? इम्पेक्ट यह हुआ कि फोर्थ प्लान का जो बेस लेवल प्रोडक्शन मानते हैं, शुरूआत में 71 लाख टन हुआ, उससे 13 लाख टन कम प्रोडक्शन हुआ है। मतलब यह कि जो बेस लेवल प्रोडक्शन मानते हैं, बिगिनिंग साल का प्रोडक्शन था, उससे 13 लाख टन की कमी फर्स्ट ईअर आफ फिफ्थ प्लान में रही है। इस प्रकार जो एचीवमेंट करना चाहते थे, 19.5 पर्सेन्ट का लास हुआ है। आप यह बात करते हैं, आप उल्लेख करते हैं, 20 हजार हैक्टर राजस्थान कैनाल कमाण्ड में बढ़ाया है। मेरा निवेदन है कि अभी मैं आ रहा था बीकानेर से, तब चीफ इंजिनियर शास्त्री हैं उनसे बात हुई। उन्होंने कहा, चार पांच साल में फ्लड कर देंगे, कैनाल कमाण्ड एरिया को, लेकिन आप, जो पानी जमीन पर लाये हैं उसके उपयोग का इन्तजाम तो करिये। टीबों का लेवलिंग नहीं है, कालोनी बस नहीं रही हैं, कॉलोनाइजेशन हुआ नहीं है। आपको हमने पानी पहुंचा

Page No 93

(93)

(श्री पी. के. चौधरी)

दिया, जहां नहर बनी ? It is easy to dig a canal, but the toughest job is irrigating the land. जमीन में फसल पैदा करनी है तो काश्तकारों को बसायें। आप पैसा लगाते हैं और उस पैसे को लगाने के बाद आप कह देते हैं, हमने 20 हजार हैक्टर जमीन की सिंचाई राजस्थान कैनाल में कर ली और 25 हजार हैक्टर की अन्दर इरिगेशन फैसिलिटी से कर ली। और वित्त मंत्री जी कहते हैं कि नेक्स्ट ईअर 40 हजार हैक्टर विल बी बाट अन्डर राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट एण्ड इन अदर इरिगेशन फैसिलिटी में 27 हजार हैक्टर में सिंचाई करेंगे यानि बाई दी एण्ड आफ 1975-76, 67 हजार हैक्टर यानि 40 हजार हैक्टर और 27 हजार हैक्टर को इरिगेटेड कर लेंगे। लेकिन आप पैसा ले लेते हैं और खर्च कर देते हैं, फिर जो रिजल्ट होता है इन टर्म्स आफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इट इज जीरो, माइन्स होता है। इसलिए कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, यह सारी बातें मैंने की, इन डिटेल बतायीं और आंकड़े बताये। आपने साढ़े चार लाख हैक्टर में इरिगेशन बढ़ाया है राजस्थान कैनाल में, इधर में, उधर में और फोर्थ फाईव ईअर प्लान और इस साल का प्रोडक्शन रहा है स्टेशनरी। मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, गवर्नमेंट का सारा एलोकेशन रहता है, इसमें जो स्कीम हैं बड़ी बड़ी, स्कीमों में खर्च करते हैं, लांग जेस्टेशन पीरियड में जो होता है, मैं हमेशा कहता हूं और आखिर में प्लानिंग कमीशन ने भी कहा था आपको कम से कम विविड मेन्योरिंग स्कीम बनानी चाहिये। इस साल का बजट देखेंगे तो इस साल बजट केपिटल आउट ले गवर्नमेंट का है, पूंजीगत लेखा, 54.44 करोड़ का है, साढ़े 54 करोड़ में से पौने 47 करोड़ रुपया है इकोनॉमिक सर्वे में। इकोनॉमिक सर्वे में गवर्नमेंट एलोकेशन है वह देखने के काबिल है, वह कहां एलोकेट हो रहा है। वह एलोकेट हो रहा है, कोई राजस्थान कैनाल एरिया कोई, कमांड एरिया में चम्बल कमांड एरिया में। इस एरिया में पिछले साल खर्च हो गया। इस साल और बढ़ा लेंगे, और कह देंगे कि 60 हजार हैक्टर, सत्तर हजार हैक्टर और इरिगेशन में बढ़ा दिया है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। इससे दो बातें साबित होती है, एक तो गवर्नमेंट का प्लान है, प्लान एलोकेशन है, वह प्रान्डिओज प्रोजेक्ट्स में होता है, जो रिजल्ट आज नहीं देगा, लेकिन 20 साल बाद देगा या नहीं देगा—यह पता नहीं। इस कारण से रीजनल इम्बेलेन्स रहता है। सभापति महोदय, पूंजीगत लागत है, साढ़े 54 करोड़ है, उसमें से 46.76 करोड़ इकोनॉमिक सर्वे में है, इस एलोकेशन को मैं पढ़ देता हूं: मेजर हैड 482, केपिटल आउट ले पब्लिक हैल्थ एण्ड वाटर सप्लाई 6,06,93,000 रुपये, उसमें से जयपुर डिवीजन का पैसा रहता है, 67.50 लाख। दूसरा, सभापति महोदय, मेजर हैड 506, केपिटल आउट ले ओन माइनर इरिगेशन, सॉइल कन्जर्वेशन एण्ड एरिया डवलपमेंट 3,22,00,000 रुपये, उसमें से जयपुर डिवीजन का कोई हिस्सा नहीं है। तीसरा मेजर हैड है 528, केपिटल आउट ले ऑन माइनिंग एण्ड मेटलेरॉजीकल इन्डस्ट्रीज, 1,90,41,000 रु. इसमें जयपुर डिवीजन में एक पैसा नहीं है। फिर मेजर हैड है 532 केपिटल आउट ले ऑन मल्टीपरपज रिवर प्रोजेक्ट्स

(श्री पी. के. चौधरी)

9,86,00,000 रुपये इसमें भी जयपुर डिवीजन के हिस्सा एक पाई का नहीं है। फिर है, 533 केपिटल ग्राउट भ्रान इरिगेशन, ड्रेनेज एण्ड फ्लड कन्ट्रोल, उसमें जयपुर डिवीजन का हिस्सा है 5 लाख। यह कहां होता है, कमांड एरिया के डेवलपमेंट में, बड़ी केनाल एरिया में होता है, जिसका रिजल्ट होता नहीं है। टोटल है इकोनॉमिक सर्वे का, 45,60,65,000। इस रुपये में से जयपुर डिवीजन में सरकारी इन्वेस्टमेंट के लिए दिया जाता है, वह 62 लाख रुपया है। तो इस प्रकार रीजनल इम्बेलेन्स होता है, यह फिगर्स बताते हैं। हम कहते हैं कि हमारी जमीन है समतल, उसमें भ्राप पानी देभो, भ्रौर तीन महीने में फसल लो। लेकिन यह बात गले नहीं उतरती है, भ्रापके प्लानर्स के दिमाग में नहीं बैठती है। भ्राप टीबों में ले जायेंगे नहर, जहां पर बीस साल में होगा लेवलिंग फिर वहां पानी पहुंचेगा। इरिगेशन कमीशन ने कहा, वहां पर इरिगेशन की व्यवस्था करते हैं। लेकिन खेती नहीं होती है, we want to have a mixed scheme, barani, to some extent 'chahi' and lift irrigation. ऐसी स्कीमों में खर्च करते हैं। लेकिन जहां समतल जमीन है, बारानी पर खेती होती है, जहां पानी चाहिए, चाहे लिफ्ट इरिगेशन से दें, कहीं से दें, क्विक मेच्योरिंग स्कीम को लागू करें तो वह प्रोडक्शन देगा इससे जो 1978-79 में टार्गेट रखा है 88 लाख टन प्रोडक्शन का, वह पूरा हो सकता है, यदि हमारी बात को मानेंगे। हम कहते हैं कि ड्रेनेज को भ्रौर जो समतल भूमि है, उसमें वाटर पोटेन्शियल को देंगे नहीं तब तक रीजनल इम्बेलेन्स की बात दिमाग में कौंधती रहेगी भ्रौर इस सारे प्लान का नतीजा कुछ नहीं निकलेगा भ्रौर जब तक नतीजा भ्रायेगा तब तक हम भ्रौर भ्राप कोई नहीं रहेंगे (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) एक मिनिट में मैं समाप्त करता हूं।

दूसरी बात, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं वित्त मन्त्री महोदय ने यह कहा है पेज 10 पर :

"The State Government has been pressing the Central Government to curtail imports or to allow exports and help promote maximum utilisation of indigenous rock phosphate by Indian industry."

मेरी समझ में नहीं भ्राता है, यह बाहर भ्राप खुद क्यों भेजना चाहते हैं ...

श्री रामगोपाल : It is a burning problem.

श्री पी. के. चौधरी : भ्रापने क्रियेट किया है एफ. ई. सी. उसके मार्फत नहीं करना चाहते हैं, प्राइवेट लोगों के मार्फत करना चाहते है। एफ. ई. सी. के मार्फत नहीं करना चाहते हैं, इसलिए यह स्थिति पैदा हुई है। भ्राप उसको दे दीजिये, फिर देखिये कि एक्सपोर्ट होता है या नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : हम एफ. ई. सी. के मार्फत करना चाहते हैं।

श्री पी. के. चौधरी : सुनिये ..... This creates apprehension in our minds.

श्री चन्दनमल वैद : श्राई एम सॉरी टू इन्ट्रप्ट यू ।

श्री पी. के. चौधरी : हमारे दिमाग में, यह बात कहते हैं तो शंका पैदा होती है । श्राप प्रिफरेन्स शेयर रखना चाहते हैं सेन्टर का रॉक फास्फेट में, लेकिन सेन्टर का इक्विटी शेग्रर नहीं चाहते हैं । हम सेन्टर का एक तरफ सहयोग चाहते हैं, दूसरी तरफ आपने जवाब दिया है कि हम सेन्टर का इक्विटी शेयर नहीं चाहते Is this a democratic practice? क्या गवर्नमेंट बिड़ला हाउसेज की है जिसको इक्विटी शेयर देने में आपको डर लगता है ? आप चाहते हैं कि प्राइवेट पार्टी से सीधा कान्ट्रेक्ट कर लें । आप जानते हैं कि 60 करोड़ को बेनिफिसियेशन प्लान्ट लगाना चाहते हैं Through your direct contact and not through Government of India आप गवर्नमेंट आफ इन्डिया को बीच में नहीं लाना चाहते हैं । हम जानना चाहते हैं कि इक्विटी शेयर गवर्नमेंट आफ इन्डिया को क्यों नहीं देना चाहते हैं ? आप भले ही 80 पर्सेन्ट, 40 पर्सेन्ट रखिए । आप चाहते हैं कि कन्ट्रोल आपका हो, इसलिए आप इक्विटी शेयर नहीं देना चाहते । आप उसका सहयोग लेंगे लेकिन इक्विटी शेयर नहीं देंगे । मैं यह ठीक नहीं मानता हूं, गलत मानता हूं । इससे हमारे दिमाग में शंका पैदा होती है । आप क्यों यह बात करना चाहते हैं ? इसका हम क्लेरिफिकेशन चाहते हैं । गवर्नमेंट आफ इन्डिया को शेयर देने से आपका क्या नुकसान होता है । इस मामले में आप क्यों सेन्टीमेंटल हो रहे हैं । इस सदन में बार-बार कहा है, मुख्य मंत्री ने कहा, आपने कहा । यह बात कहते हैं तो हमें दर्द मालूम होता है । आप कहते हैं कि बिड़ला को नहीं देंगे इक्विटी शेयर तो समझ में आता, लेकिन आप कहें कि सेन्टर को नहीं देंगे, तो क्यों भाई, क्यों नहीं दोगे । पैसा भी मांगते हो और इक्विटी शेयर देना नहीं चाहते हो—यह समझ में नहीं आता । We want a definite clarification आप इक्विटी शेयर क्यों नहीं देना चाहते ।

एक दूसरी बात, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा . . .

14 करोड़ के प्लान बनाये, आपका हमने पढ़ा है 154 करोड़ के साथ वाले ट्राइबल एरिया में है । डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा और चित्तौड़ का प्रतापगढ़ जिसमें 13 लाख आदमी रहते हैं यह आदिवासी हैं और बाकी 18 लाख के लिये जो सवाई माधोपुर में, कोटा में या जयपुर में हैं उनके लिये क्या ? क्या उनका हिस्सा नहीं । आप उनको धोखा देते हैं । आदिवासी क्या जयपुर में नहीं रहते, सवाई माधोपुर में नहीं रहते, कोटा में नहीं रहते । आप केवल 13 लाख व्यक्तियों पर ही खर्च करना चाहते हैं । इसके लिए आपका स्टेटमेन्ट चाहूंगा ।

श्री सभापति : श्री सुरेशचन्द्र ।

श्री नत्थीसिंह : सभापति महोदय, क्या हमको आप टाइम नहीं देंगे, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब वालों को आप बिल्कुल टाइम नहीं देना चाहते हैं ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य कृपया तशरीफ रखें । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य सचेतक महोदय ने जो सूची मुझको दी

(96)

(श्री सभापति)
है, उसके अनुसार ही मैं नाम बोल रहा हूं, इसमें शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब का कोई सवाल नहीं है। उनको भी काफी टाइम मिला है सो ऐसी बात नहीं है।

श्री सुरेशचन्द्र।

श्री सुरेशचन्द्र : सभापति महोदय, माननीय वित्त मन्त्रीजी ने जो बजट पेश किया है और उसमें जो करों का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है उसके लिये तो मैं उनको धन्यवाद देना उचित नहीं समझता हूं क्योंकि उन्होंने यह कहा है कि इसमें कोई नये कर नहीं लगाये गये हैं, परन्तु इसके लिये जिस चतुराई से यह बजट बनाया है उस चतुराई के लिये मैं उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने अध्यादेशों के द्वारा कर लगाये और जनता की आलोचनाओं से वे बच गये, हमारे आक्रोश और क्रोध से बच गये। खैर, फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति हमारे देश की चल रही है, हमारे राज्य की चल रही है उसमें से बड़ी दृढ़ता के साथ उन्होंने हमारे राज्य को निकाला है इसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बजट में जो शुरूआत उन्होंने की है, उसमें अकाल की स्थिति का जिक्र किया गया है। वास्तव में हमारे प्रदेश में अकाल हर साल कहीं न कहीं पड़ता रहता है। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि आज जो क्षेत्र हमने अकालग्रस्त घोषित किये हैं और उनमें जो राहत हम पहुंचाना चाहते हैं वह वास्तव में उन लोगों तक पूरी नहीं पहुंच पाती है जो लोग अकाल से पीड़ित हैं जिनको राहत मिलनी चाहिए। मैं समझता हूं कि काफी लोग इस बारे में कह चुके हैं, मैं ज्यादा कहकर सदन का समय नहीं लेना चाहता, सरकार इस पर अवश्य विचार करेगी ऐसी आशा करता हूं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं जो भी राहत कार्य हम शुरू करना चाहते हैं, वह कार्य अभी शुरू हो जाने चाहिए, तुरन्त हो जाने चाहिए जिससे लोगों को जरूरत के समय राहत मिल सके और बाद में इसको लागू करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। कहने का अर्थ यह है कि कागजों में तो हम राहत कार्य शुरू कर देते हैं परन्तु वास्तव में शुरू होने में बहुत देर लग जाती है। एक बहुत बड़ा काम सरकार ने हरिजनों को रिहायशी भूखण्ड आवन्टन का काम किया है। पांच लाख लोगों को भूखण्ड आवंटन किये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं, इस काम की आपकी तारीफ सभी लोग करते हैं। परन्तु जो आपकी सरकारी मशीनरी है, जो योजना हम बनाते हैं, जो काम हम करना चाहते हैं, जो लाभ हम जनता को पहुंचाना चाहते हैं, जो हमारी नियत है, सरकारी मशीनरी उसको बदल देती है और जिन लोगों को समय पर उसका लाभ मिलना चाहिए वह लाभ उनको प्राप्त नहीं होता है। मैं निवेदन करूं कि कई प्रकार की गलत कार्यवाहियां हो जाती हैं, मेरे क्षेत्र की बात के लिये ही निवेदन करूं जिसमें भारत की प्रधान मंत्रीजी ने दौरा किया था, जहां पर श्रीमती इन्दिरा गांधी पधारी थीं। 26 जनवरी के बाद, हम एक हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी बनाना चाहते हैं, सारे गांव के लोगों से सारी जानकारी प्राप्त की। सरकार से जो आंकड़े हमारे पास भेजे गये उन पट्टों के वह भी हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन वह अधिकारियों के पास ही रह गये उन लोगों को नहीं दिये गये। सरकारी अधिकारियों के पास आदेश

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

भी मौजूद हैं उन लोगों के, एस.डी.ओ. साहब से हमने बातचीत की, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि लोगों को भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं, और पैसे भी जमा हो चुके हैं परन्तु उनकी तारीखें भी निकल गई और लोगों को पट्टे नहीं मिले, 26 तारीख के बाद भी। उसके बाद, उन लोगों को पट्टे बांटे गये। इस प्रकार से जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं वे सारी प्लान को, सारी योजनाओं को और हमारी जो नियत है लोगों को लाभ पहुंचाने की उसको वे बदल देते हैं। जहां पर हमने गरीब लोगों को जमीनें दीं, उनको राहत देने के लिये काम किये, यह तारीफ की बात है परन्तु फिर भी मैं कहता हूं कि लोग यह कहते हैं कि हमको कुछ नहीं मिला वह इसलिए कि पैसे भी वसूल कर लिये गये और उसके बाद भी आदेश निकलने के बाद भी उनको पट्टे नहीं मिले। इसकी वजह से हम जनता के दिलों में जो भावना हमारे प्रति पैदा करना चाहते हैं, एक इमेज जो हम बनाना चाहते हैं वह इमेज बिगड़ जाती है और जनता को जो लाभ प्राप्त होना चाहिए वह नहीं मिलता है।

अब मैं विद्युतीकरण के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वी राजस्थान के पांच जिलों में अभी बिजली का कुछ काम शुरू किया गया है फिर भी मैं मेरे क्षेत्र की बात निवेदन करना चाहता हूं। आप कोआपरेटिव के आधार पर ग्रामों में सेन्ट परसेन्ट इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहते हैं। 26 गांवों को आप बिजली देवें परन्तु आज 6 महीने से अधिक का समय हो गया। इस योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। पहले तो सवाल उठता है कि इस योजना का मालिक कौन होगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट होगा, या बिजली विभाग होगा अथवा सहकारी विभाग होगा? बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया, अब बोर्ड बनने में तीन महीने लगेंगे। अब, जिस काम से बहुत बड़ा लाभ लोगों को मिलने वाला है, अकाल से राहत मिलने वाली है और काम की रफ्तार बढ़ने वाली है उसके अन्दर कटौती करते रहते हैं, अधिकारियों के पास दो-दो महीने तक फाइल पड़ी रहती है। 6 महीने से उसमें कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया गया। इस मशीनरी से आप किस प्रकार से काम करना चाहते हैं। इसी से आप देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके दृष्टिकोण में, इसके काम करने के तरीके में हमको एक बदलाव लाना पड़ेगा, इनका दृष्टिकोण काम करने का, बदलना पड़ेगा। सभापति महोदय, इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि बजट से जो आशा रखते हैं और मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री महोदय को इस बात का पूरा-पूरा खयाल रहेगा कि आज जो जगह-जगह असन्तोष फैल रहा है, जगह-जगह आन्दोलन हो रहे हैं और युवकों में सबसे अधिक असन्तोष है वैसे असन्तोष सारी जनता में ही है, यदि इस असन्तोष का, जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया और इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया गया तो हमें निश्चित ही बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने युवकों के लिए बजट में प्रावधान नहीं रखा, बेरोजगारी को मिटाने के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा जिससे हम उन युवकों से कह सकें कि हम आपके बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। आप

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

अधिक समय तक उनको नहीं टाल सकते। आज के जो हालात हैं उन पर गंभीरता से जल्दी विचार करना पड़ेगा। शहरों के बारे में खास तौर से आप चिंतित रहते हैं। चाहे विद्यार्थियों की समस्या हो, चाहे अनाज की समस्या हो, शहर वाले अधिक जागरूक रहते हैं, शहरों से जो माननीय सदस्य आते हैं उनको एतराज होता है लेकिन यह सही है कि शहरों के बारे में आप अधिक जागरूक हैं क्योंकि वह बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाते हैं, उनकी एप्रोच का तरीका दूसरा है, वे आंदोलन करते हैं, गांवों के लोग सहनशील हैं, अपनी परेशानी को बरदाश्त करते हैं लेकिन यह बात अधिक समय तक नहीं चल सकेगी। सरकार की अधिक से अधिक आमदनी गांवों से है लेकिन जहां खर्चे की बात आएगी सड़कों पर, बिजली पर, शिक्षा के साधन देने का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, गांवों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना देना चाहिए। वित्त मंत्री ने जो अपने बजट में प्रावधान किया है उसमें मैं महसूस करता हूं कि गांवों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था। इसलिए अब आने वाले समय में कम से कम वह ध्यान रखें। जब कोई ऐसी स्थिति आए तो गांवों के विकास का अधिक ध्यान रखें।

पूर्वी राजस्थान का नाम लेकर बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन इस बात को पिछली बार सदन में स्वीकार किया गया कि असमानतायें हैं और एग्जामिनेशन कराने का वायदा सदन में किया गया था। मुझे विश्वास है कि कमेटी इस बारे में नियुक्त की गई है जो इस बात को देखेगी कि कहां विकास अधिक हुआ है, कहां खर्चा अधिक हुआ है और कहां कम हुआ है। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि पूर्वी राजस्थान के जिलों पर बहुत कम खर्चा हुआ है, चाहे सिंचाई पर, चाहे सड़कों पर। केवल बिजली के लिए कहा जा सकता है कि पिछले दिनों वहां बिजली कई स्थानों पर पहुंची है लेकिन उसके पीछे कारण है, वहां पानी काफी मात्रा में मिलता है जो दूसरी जगह नहीं मिलता है। तो जो पैसा आप खर्च करना चाहते हैं उसमें खयाल रखना पड़ेगा कि इन जिलों की अधिक समय तक उपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं, उसका निश्चित परसन्टेज फिक्स करना चाहिए कि जैसे पूर्वी राजस्थान से इतनी आय होती है उसका कितना परसेन्ट उसके विकास पर खर्च करें। पश्चिमी राजस्थान में खर्च किया जाय, उसके लिए योजना बनायें लेकिन जिस इलाके से आमदनी होती है उसकी निश्चित मात्रा, कुछ परसेंटेज, वहां के विकास पर खर्च करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बारे में आगे ऐसा अवसर नहीं आने देंगे और एग्जामिनेशन करवाकर अधिक से अधिक खर्चा पूर्वी राजस्थान पर करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति जी आपने समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और अब अधिक समय नहीं देना चाहते हैं तो बैठ जाता हूं।

श्री सभापति : श्री शीशराम ओला !

श्री शीशराम श्रोला (पिलानी) : सभापतिजी, सदन में 1975–76 के बजट पर विचार-विमर्श हो रहा है। वैसे तो अधिकतर माननीय सदस्यों ने असमानताओं के बारे में विचार व्यक्त किए हैं, मैं उनमें से एक हूं। निश्चित रूप से बड़ी भारी असमानता है और असमानता है, शहरों और गांवों की। आज गांवों के लोग शहरों में आने के लिए उत्सुक हो रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि गांवों की उपेक्षा की जा रही है, शहरों में अधिक से अधिक सहूलियतें दी जा रही हैं, चाहे शिक्षा की दृष्टि से, चाहे चिकित्सा, यातायात, कम्यूनिकेशन्स और दूसरे प्रकार के सब साधन शहरों को दे रहे हैं। इन सब को देखते हुए चर्चा यहां ज्यादा गांवों के बारे में होती है, सुविधायें शहरों को दी जाती है। इसलिए गांवों के लोगों की जो उपेक्षा होती रही है वह कम नहीं है, उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। मैं भी एक ऐसे जिले से आता हूं जो राजस्थान के आखिरी कोने पर हरियाणा से लगता है। यह तो हमने माना है कि वह जिला है लेकिन यह जानकर दुख हुआ कि हमारे महत्वपूर्ण जिले का नाम बजट के आंकड़ों में एक आध जगह भूल से जोड़ा गया है। इस जिले के महत्व और भोगोलिक स्थिति को देखते हुए उसका नाम पैसा देने के समय कई जगह आना चाहिए था, वह भूल से एक दो जगह जोडा है। हमारे साथ हरियाणा लगता है। झुन्झुनूं के लोग आजादी से पहले जागीरदारों व राजा प्रथा से प्रभावित थे, हरियाणा के लोग उससे वंचित थे। उस समय झुन्झुनूं जिले के लोगों में और हरियाणा के लोगों के रहन सहन में, शिक्षा में, चिकित्सा में बड़ा भारी अन्तर था। जब उनके रिश्तेदार आते थे तो हरियाणा के लोग महसूस करते थे कि तुम कितने हीन हो हमारे मुकाबले में कि तुम खाट पर नहीं बैठ सकते हो, दरखत नहीं काट सकते हो। वह 1947 से पहले की बात थी लेकिन सबसे बड़ा दुख आज की प्रथाओं से है कि वहां हरियाणा का एक छोटा सा राज्य और दोनों जगह कांग्रेस का शासन, भारतवर्ष में भी कांग्रेस का शासन। लेकिन हरियाणा के लोगों को 10 किलो राशन प्रति व्यक्ति माहवार मिलता है जबकि राजस्थान में झुन्झुनूं के गांवों में एक दाना राशन का नहीं मिलता और वह डिफेंस की कड़ी है। झुन्झुनूं के लोगों ने आर्मी मे बहादुरी का परिचय दिया और यहां शहरों में रहने वाले सब लोगों को सुरक्षित रखा, महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनको आप राशन नहीं दें, उनके लिए राहत कार्य नहीं खोलें उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था न करें, उससे न केवल झुन्झुनूं का विकास अवरुद्ध होगा बल्कि डिफेंस की जो एक महत्वपूर्ण कड़ी है, एक लाइन है, वह कमजोर होगी। इसलिए हरियाणा से लगते हुए जिले अलवर, भरतपुर और चूरू भी हो सकते हैं, उन जिलों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि हरियाणा के विकास को देखते हुए हमारे जिलों के लोगों में हीन भावना उत्पन्न न हो। हरियाणा के हर गांव में बिजली, हर गांव के साथ सड़क, हर गाव के साथ नहर खड़ी कर दी। एक तरफ वह हरा-भरा प्रदेश, दूसरी तरफ राजस्थान में वही सूखा जैसा 1947 से पहले था। ऐसी हालत में हमारा वहां पर रहना दूभर हो रहा है।

आप लोग ऐसे स्थानों पर नहीं रहे इसलिये आपको इन सभी चीजों की दिक्कत

(श्री शीशराम ओला)

कभी महसूस नहीं हुई। हम उस एरिया में रहते हैं जब जनता वहां की हरियाणा से मुकाबला करती है तो हम वहां पर रहने के लायक नहीं रहते। इस सारी स्थिति का हम वहां पर कैसे मुकाबला करते हैं उसका हम यहां पर वर्णन नहीं कर सकते हैं। वहां के लोगों को किस प्रकार से सन्तोष दिलावें, हम उनको इस बारे में क्या कारण बतावें यह हमारे समझ में नहीं आ रहा है। इधर सभापति महोदय, झुंझुनूं जिले के साथ भयंकर राज्य सरकार उपेक्षा बरत रही है और बेइनसाफी कर रही है। सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी ने बजट में डी. पी., ए.पी. और दूसरे कामों में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान दूसरे जिलों के लिये बनाया है, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि वित्त मंत्रीजी को झुंझुनूं जिले का नाम तक याद नहीं आया। राज्य सरकार ने बजट में जोधपुर, नागौर जिलों के लिये 6-6 करोड़ रुपये और बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों के लिये साढे चार-चार करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया है। इसी प्रकार आपने पाली, बाड़मेर और जैसलमेर के लिये भी साढ़े चार-चार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है और उसमें आपने झुंझुनूं जिले की सिर्फ दो तहसीलों के लिये चिड़ावा और झुंझुनूं तहसील के लिये सिर्फ 60 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा है। एक-एक तहसील के लिये आपने सिर्फ तीस-तीस लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा। एक तरफ झुंझुनूं जिला जो कि आपके बाड़मेर जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से काफी बड़ा है वहां पर तो आपने साढ़े चार-साढ़े चार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान भी नहीं किया है, जिस झुंझुनूं जिले की आबादी भी आपके इन जिलों से बहुत ज्यादा है तो फिर आपने क्या क्राईटेरिया रखा है? आपने झुंझुनूं जिले के लोगों के लिये साढ़े चार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान क्यों नहीं रखा? आज झुंझुनूं जिले के लिये मैं यह कह सकता हूं कि आपके दूसरे जिलों से ज्यादा अकाल से प्रभावित है हमारा झुंझुनूं जिला फिर आपने जैसलमेर, बाड़मेर और पाली जिले से कम खर्च का प्रावधान झुंझुनूं जिले के लिये केवल 60 लाख रुपये ही क्यों रखा। अब यह जो आपने 60 लाख रुपये जो खर्च करने के लिये प्रावधान रखा वह भी खर्च होगा या नहीं होगा, हम नहीं कह सकते हैं। बस तसल्ली के लिये हम यह कह सकते हैं कि हमें बजट में झुंझुनूं जिले के लिये आंकड़े देखने को जरूर मिले। वित्त मंत्रीजी द्वारा जब बजट के आंकड़ों को मैंने देखा तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। सभापति महोदय, मैं बजट के प्रावधानों को देखकर बेहद परेशानी में आ गया। मैंने सोचा कि क्या वित्त मंत्रीजी झुंझुनूं जिले को राजस्थान का अंग नहीं मानते, क्या झुंझुनूं जिले के लोग राजस्थान की जनता नहीं? क्या एक ज्यादा आबादी और ज्यादा क्षेत्रफल के इलाके वाले लोगों के लिये तो सिर्फ 60 लाख रुपये और कम आबादी वाले और कम क्षेत्रफल वाले लोगों के लिये राज्य सरकार ने साढ़े चार करोड़ रुपये रखे। इतना भयंकर पक्षपात। इतनी बड़ी उपेक्षा झुंझुनूं जिले की क्यों की गयी, यह बात मेरे समझ में नहीं आती। इसके अलावा सभापति महोदय बजट में डेयरी विकास योजनाओं के लिये वित्त मंत्री महोदय ने 41.44 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान 6 जिलों

(श्री शीशराम ओला)

के लिये रखा है। इसमें इन्होंने सवाई माधोपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर, अजमेर और जयपुर को रखा है। वित्त मंत्रीजी को शायद जयपुर से लगने वाले जिले झुंझुनूं का ख्याल बिलकुल ही नहीं आया, यह तो आपके शहर जयपुर के बिलकुल ही पास है इसके साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? आपने झुंझुनूं जिले को इतना नेग्लेक्ट क्यों डेयरी के मामले में किया। क्या आप झुन्झुनूं जिले के क्षेत्र को डेयरी विकास के लिये उपयुक्त नहीं समझते, क्या आप उस जिले में डेयरी का विकास करना ही ही नहीं चाहते? आपने झुंझुनूं जिले के लिये फण्ड्स का प्रावधान क्यों नहीं रखा? आपको झुंझुनूं जिले के लिये और सीकर के लिये प्रावधान रखना चाहिये था। सभापति महोदय, झुंझुनूं और सीकर दो ऐसे जिले हैं जहां पर आपने न तो डी. पी., ए. पी. के प्रोग्राम खोले हैं और न ही डेयरी विकास की योजनायें खोलीं लेकिन मुझे बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आपने सीकर और झुंझुनूं जिले का इसमें नाम ही नहीं रखा है। इस सारी पक्षपातपूर्ण स्थिति को देख कर हमें मन में बहुत ही तकलीफ होती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय मैं थोड़ा बोलूंगा मुझे आप समय दें।

श्री चन्दनमल बैद : हां हां बोलने दीजिये।

(और कई माननीय सदस्यों के कहने पर कि बोलने दीजिये)

श्री शीशराम ओला : आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री चन्दनमल बैद : मेरी या सुमित्रा जी की?

श्री शीशराम ओला : आपकी और सुमित्राजी की दोनों की ही कृपा समझ लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सभापति महोदय, जहां तक अकाल राहत कार्य खोलने की बात है हमारे यहां पर सन् 1973 में राज्य सरकार द्वारा जब कि बरकतउल्ला साहब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने झुंझुनूं जिले के अन्दर दो हजार कुओं की सैंक्शन की थी और सीकर जिले के लिये चार हजार कुए बनाने के आदेश दिये गये थे। वहां पर कुए खुदे, काम भी हुए। सभापति महोदय यह तो एक स्थायी कार्य हमारे यहां पर हुआ था पर इसके अलावा कहीं पर झुंझुनूं जिले में सड़कों के बनाने का और मिट्टी डालने के लिये चाहे करोड़ रुपया भी आज तक खर्च हो गया होगा अलसीसर से झुंझुनूं सड़क है वहां पर जो मिट्टी डाली गयी थी सड़क पर वह उड़ गयी। सभापति महोदय जहां तक कुओं के बनने का सवाल है कुए तो बन गये लेकिन उनमें बिजली नहीं दी गयी। वैसे तो राज्य सरकार ने कुओं पर बिजली देने की घोषणायें की थीं लेकिन कुओं पर बिजली देने में राज्य सरकार असफल रही कल कहने को तो माननीय श्री हांडा साहब ने कह दिया कि झुंझुनूं जिले में 57 परसेन्ट कुओं को बिजली दी गयी और गांवों में 37 परसेन्ट बिजली झुंझुनूं जिले को दी गयी है। लेकिन मैं निश्चित तौर से यह कह सकता हूं कि यह सभी कागजों के आंकड़े हैं यह सही नहीं हैं। वहां पर

(श्री शीशराम श्रोला)

मुश्किल से थोड़े से कुओं पर बिजली मिली हो तो पता नहीं अन्यथा तो राज्य सरकार के बिजली बोर्ड ने वहां लोगों से 28 हजार रुपये बिजली कुओं पर देने के लिए जो रकम ली थी, उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्हें यह रकम जमा कराने के तीन महीने में बिजली कुओं पर दे दी जायेगी। सभापति महोदय, जो बिजली उन्हें नवम्बर में मिलनी चाहिए थी वह 25 परसेन्ट से लेकर तीस परसेन्ट कुओं को मिली फरवरी में जाकर। सभापति महोदय, जिन काश्तकारों ने अपनी औरतों के गहने बेच कर, जमीन गिरवी रख कर और दूसरे साधनों से पैसे उधार लेकर जो बिजली के लिये पैसे जमा करवाये थे उन्हें नवम्बर से लेकर दिसम्बर, जनवरी तक बिजली नहीं मिली। एक तरफ तो भयंकर अकाल दूसरी तरफ इस प्रकार कर्जा लिया हुआ, क्या हाल बेहाल हमारे यहां के काश्तकारों का हुआ होगा। सभापति महोदय, उनकी फसल को पानी नहीं मिला और वहां पर अब भी अकाल की स्थिति पैदा हो गयी। बेचारों ने बड़ी हिम्मत करके पैसा उधार लाकर इस उद्देश्य से कि हमें बिजली मिलेगी और हमारी फसल अच्छी होगी। आप तुलना कीजिये कितनी मायूसी उन्हें हुई होगी बिजली नवम्बर में नहीं मिलने पर। पर वहां के काश्तकारों ने हिम्मत रखी। सभापति महोदय अभी मैं आपके मार्फत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वहां पर बिजली लोगों को नहीं मिल रही है कहीं कहीं तो पिछले 15 दिनों से बिजली नहीं मिल रही है और कहीं कहीं पर फरवरी के महीने से ही नहीं मिल रही है। इस कारण वहां पर भयंकर अकाल की स्थिति पैदा हो रही है। राज्य सरकार को चाहिये कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी बिजली देने की व्यवस्था की जावे। आज काश्तकार वहां का अपने आपको बहुत ही खराब स्थिति में वहां पर रहा है वह असमर्थ हो गया है बड़ी ही दयनीय स्थिति वहां के काश्तकारों की हो रही है। वह असहाय हो गया है। किस तरह तो वह जियेगा और किस प्रकार अपने पशुधन की रक्षा करेगा और इस तरफ जब देखते हैं कि राज्य सरकार इस तरह के बजट पेश कर रही है। बजट में कह रहे हैं कि बजट में कोई घाटा नहीं है। घाटा तो आप अपने आफिसरों की तनख्वाह बन्द कर दो तो भी नहीं पड़ेगा। आप बजट में खर्च एक रुपया भी मत करिये कोई घाटा नहीं रहेगा। जहां सभापति महोदय, राज्य सरकार ने पिछले अकाल के समय 75 करोड़ रुपये खर्च किये। लेकिन हमारी तरफ बहुत खर्च कम किये। आज वहां पर आपने अकाल के नाम पर कोई प्रावधान नहीं रखा तो स्थिति ऐसी बन गयी है कि वहां पर निश्चित तौर पर भुखमरी फैलेगी, अभाव की स्थिति से लोग मरेंगे और उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। आज वहां पर किस प्रकार की स्थिति झुंझुनूं जिले की हो रही है, किस प्रकार बेचारे लोग जाकर इधर उधर काम करने के लिये घूमते हैं, किस तरह की मजबूरी की हालत आज वहां पर हरिजनों की और काश्तकारों की हो रही है कि वहां के लोग बहुत ही परेशान हैं और मायूस हो रहे हैं। आज वहां की अकाल से पीड़ित जनता की हालत यहां पर जयपुर की सड़कों पर बैठकर या यहां पर बैठकर नहीं सोच सकते। इसका अन्दाजा तो आप गांवों की झाणियों

(श्री शीशराम ओला)

में जाकर ही लगा सकते हैं। सभापति महोदय, एक तरफ तो आप यहां पर सदन में 24 घन्टे काश्तकारों की बातें करते हैं, उनके उत्थान की बातें करते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह से काश्तकारों की घोर उपेक्षा कर रहे हैं। इससे बड़ा दुख होता है। हमें उन लोगों की दयनीय हालत पर तरस आता है। सभापति महोदय, यहां पर सदन में जयपुर में पीने के पानी की चर्चा होती है, जयपुर में सफाई नहीं होने के बारे में चर्चा होती है पर वित्त मन्त्रीजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने गांवों में क्या हो रहा है उसके बारे में सोचा? आज यहां पर चिकित्सालय के बारे में चर्चा होती है आप जयपुर के लोगों को चिकित्सा फैसीलिटीज की बातें करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो जयपुर की रद्दी से रद्दी गली में जो होस्पीटल में फैसीलिटीज मिल रही है, वह झुंझुनूं जिले में, झुंझुनूं खास में, जो होस्पीटल है वहां प्राप्त नहीं हो रही है। आपने दस हजार लोगों की पोपुलेशन पर होस्पीटल खोलने का जो प्रावधान रखा है वह आपको चाहिये कि पांच गांवों को मिलाकर आपको एक अस्पताल खोल देना चाहिये। क्या आपको वो उजाड़ना चाहते हैं? एक तरफ आप गांवों के विकास की बातें करते हैं यहां पर लोगों को अनाज की फैसीलिटीज नहीं देते, अस्पताल की फैसीलिटीज नहीं देते शिक्षा के बारे में कोई फैसीलिटी नहीं देते हैं तो अपने आप ही लोग गांवों से शहरों में भागेंगे। आपकी इस प्रकार की नीतियों के कारण मैं नहीं समझता कि आप सच्चे दिल से गांवों को विकसित करना चाहते हैं। कौन भुखमरी में रहना पसन्द करेगा। आज आप गांव वालों को अनाज नहीं देते हैं, गांव वालों को बिजली की फैसीलिटीज नहीं देते हैं काश्तकारों को और फैसीलिटीज नहीं देते हैं तो वह लोग क्या तो पैदा करेंगे और अगर काश्तकार पैदा नहीं करेगा तो शहर में अनाज कैसे आयेगा। इससे तो शहर और गांव के लोग सभी भूखे मरेंगे। आज आपके पास अमेरिका से अनाज आ रहा है कल आपसे अमेरिका से संबंध बिगड़ जायं तो आपको जनता क्या खायेगी। इस लिये मेरा निवेदन है कि आप गांवों का विकास कीजिये, काश्तकार को उसकी जरूरतों की चीजें दीजिये।

(4.10 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव उपाध्यक्ष, पदासीन)

नहीं तो यहां जो स्थिति होगी उसका सामना करना दूभर हो जायेगा। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय एक जवाहर नहर के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। यह जवाहर नहर झुंझुनूं जिले में लायी जाय इसके लिये हरियाणा और झुंझुनूं जिले में जवाहर नहर के लाने की बात तय हुई थी। उपाध्यक्ष महोदय वह जवाहर नहर लोंगेवाला से आनी थी। पहले वह नहर हरियाणा में आयेगी और बाद में वह जवाहर नहर झुंझुनूं में आयेगी। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने तो उसका काम भी शुरू कर दिया। लेकिन राजस्थान सरकार इतनी सोयी हुई है कि बजट में इस का कहीं जिक्र भी नहीं। अगर वित्त मंत्रीजी आश्वासन भी देते झूंठा ही तो भी मानते। जहां तक मालूम हुआ है हरियाणा सरकार

(श्री शीशराम ओला)

ने राजस्थान सरकार से पूछा है कि आपने इस नहर के हिस्से का पैसा देना स्वीकार नहीं किया है, या नहीं देना चाहते हैं तो राजस्थान को पानी इस नहर से नहीं दिया जावेगा। हरियाणा की जमीन के लिये जितना आवश्यक होगा उतनी ही वह नहर बनायेगा, उसके बाद आप चाहेंगे कि झुंझुनूं जिले को पानी दिया जाय तो वह नहीं हो सकेगा। ऐसी सूरत में राजस्थान सरकार क्या कर रही है ? नहर बन जायगी और झुंझुनूं जिले की 3 लाख बीघा जमीन को पानी मिलना था वह नहीं मिलेगा। इसके लिये राजस्थान सरकार की लापरवाही कहें, उदासीनता कहें या यों कहें कि झुंझुनूं जिले के विकास के लिये निरुत्साही हैं। इर्रीगेशन विभाग ने असिस्टेंट इन्जीनियर को झुंझुनूं भेजा। सारा सर्वे कराया सब हो गया। अब दूसरा हो रहा है। हमें कोई एतराज नहीं शायद उनको पता नहीं है कि झुंझुनू के सिवाय और किसी को पानी इससे मिलेगा नहीं। लोंगेवाला हैड से जवाहर नहर से पानी मिलना है वह झुंझुनूं को ही मिलना है। यदि पानी नहीं दिया गया, और उपेक्षा की गयी, राजस्थान सरकार की ढिलाई है, ढीले रवैये से, उसकी उदासीनता से यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो हम को मिलने वाला है वह नहीं मिलेगा और झुंझुनू में आये दिन अकाल का सामना करना पड़ता है उसका मुकाबला करने के लिये हमारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बेरोजगारी की यह स्थिति है कि एम. ए., बी. ए., डाक्टर, इन्जीनियर सारे के सारे ये पढ़े लिखे लोग और गांव का मजदूर ये सारे आज बेरोजगार हैं। जो उनके मां बाप के पास था उन्होंने उनकी शिक्षा पर वह खर्च कर दिया, वह इसलिये किया कि आगे जाकर पढ़ा लिखा नौजवान अपने घर को ठीक प्रकार से चलायेगा। उन लोगों ने उन पर अधिक खर्चा किया बजाय शहर में रह कर पढ़ने वालों के, क्योंकि एक झुंझुनूं के लड़के को जयपुर शहर में रहने पर दो सौ ढाई सौ से कम माहवार का खर्चा नहीं पड़ता है। गांव वाले स्वयं अनपढ़ हैं तो सोचा बच्चों को जो कुछ है वह देकर भी पढ़ायें, बड़ी तकलीफ उठाकर बच्चों को पढ़ाया लिखाया और आज जब वे शिक्षा समाप्त करके लड़के आते है तो उनके सामने दूसरी परिस्थितियां आ जाती हैं। एक तो उनको नौकरी न मिलती है और दूसरा घर वाले तंग करते हैं। वह अपने आपको न मजदूर के रूप में, न भिखारी के रूप में, न देश के अच्छे नागरिक के रूप में बनने की स्थिति में पाता है। ऐसी स्थिति में उसकी स्थिति बड़ी डांवाडोल हो जाती है, घर वालों की स्थिति भी डांवाडोल हो जाती है, सारा खर्चा कर दिया, कर्जा भी कर लिया शादी कर दी तो फिर बच्चे हो गये। किसी अधिकारी की पोस्ट के लिये जाता है तो वह सेन्ट-जेवीयर में पढ़ने वालों के साथ कम्पीट नहीं कर सकता। बाबू बने तो नम्बर नहीं। दूसरा, जगह जगह अलग-अलग एम्प्लोयमेंट एक्सचेन्ज। झुंझुनूं, चूरू, सीकर के एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्ज के लड़कों को यहां लिया नहीं जायगा, यहां के ही पहले आवेंगे। एक के बाद एक इस प्रकार की दुविधायें उसके सामने आती जाती हैं, सारी दुविधाओं से परेशान होकर बच्चे

(श्री शीशराम ओला)

पत्थर मारते हैं। परिणाम यह हो रहा है कि अच्छे इन्सान, अच्छे होनहार नागरिक जो आज के युवक होने चाहिये, वे नहीं हो पाते और हम अपनी ही उदासीनता के कारण देश को अच्छे नागरिक नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि उनको बिगाड़ रहे हैं।

शिक्षा की दृष्टि से गांवों में स्कूल खोले जाते हैं तो गांव वालों से अनुदान मांगते हैं 60 परसेन्ट। मकान बन गया, स्कूल खुल गयी लेकिन न वहां पर मास्टर है और न ही टाट पट्टी। जयपुर में तो सारी व्यवस्था है। गांव में कोई जाना नहीं चाहेगा। इसलिए निश्चित रूप से इसमें परिवर्तन और ऐसा परिवर्तन हो कि शहर में स्कूल, होस्पिटल, सार्वजनिक स्थान जैसे लुभावने हैं वैसे गांवों में भी हो जिससे लोग वहां पर रहना पसन्द करें और गांव के बच्चों को वे लोग पढ़ायें।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

दो मिनिट।

वित्त मंत्रीजी ने बूढों को पेन्शन के लिये सन् 1974-75 में 43 लाख और इस वर्ष 56.23 लाख का प्रावधान किया है। आज तक कितना लगा है इसका इसमें पता नहीं। आप बताते हैं ओल्ड एज पेन्शन अपंग अंधे लूले लंगड़ों के लिये। लेकिन ऐसे लोगों में से एक दो परसेन्ट को ही मिल पाती है। बाकी को नहीं मिल पाती है क्योंकि आपके नियम बहुत उलझे हुए हैं। जो पेन्शन के हकदार हैं उनको पेन्शन बिल्कुल नहीं मिलती। डाक्टरी सर्टिफिकेट, वोटर लिस्ट, गवाही, ये सब वह नहीं जुटा पाता है। इतने उलझे हुए नियम हैं आपके कि उन लोगों को पेन्शन नहीं मिल पाती है। कागज खराब होने के सिवाय और कोई इससे लाभ नहीं। इसलिये नियमों को ठीक बनाया जाय जिससे इसका जरूरतमन्द लोगों को लाभ हो। यदि यह नहीं कर सकते हैं तो इसको बजट में लाने की भी कोई आवश्यकता नहीं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

दो मिनिट में बैठता हूं।

आप यह बतायें कि जितना रुपया आपने रखा है उसमें से आज तक आपने कितना खर्च किया है ?

झुंझुनूं जिला इण्डस्ट्रीयली बहुत ही बैकवर्ड जिला है। वहां के लोगों ने बाहर जाकर बड़ी 2 इण्डस्ट्रीज लगायी हैं। जिस प्रकार अलवर को 15 परसेन्ट की सबसिडी दी है उसी प्रकार से झुंझुनूं को भी देकर उसको आगे बढायें जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। इन्डस्ट्रीज होने से लोगों को रोजगार मिलेगा जब कि आज लोग बहुत परेशान हैं। झुंझुनूं जिले को विशेष बैकवर्ड घोषित करें और 15 परसेन्ट सबसिडी देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वहां पर इन्डस्ट्रीज लगेंगी, इससे राजस्थान को लाभ होगा। इसलिये इसको बैकवर्ड घोषित किया जाय। हिन्दुस्तान में सबसे अधिक इण्डस्ट्रीज लगाने वाले झुंझुनूं जिले के ही हैं, उनको यह आता है कि किस प्रकार से इण्डस्ट्री को लगाया जाता है और किस प्रकार से उपयोगी बनाया जा सकता है।

(श्री शीशराम ओला)

अकाल के सम्बन्ध में · · ·

श्री उपाध्यक्ष : प्रसंग से मद की जा रही है। मौका मिलेगा।

श्री शीशराम ओला : अकाल के कारण लोग बहुत प्रभावित हैं। खेती है नहीं। ऐसे बच्चों को वजीफे दिये जायं ताकि शिक्षा से वंचित नहीं रह सकें और अपनी पढ़ाई चालू रख सकें वरना घर वालों के पास पैसा न होने से वे अपनी आगे की पढ़ाई नहीं पढ़ सकेंगे।

राजस्थान की उपलब्धियों के बारे में जिक्र किया। कई माननीय सदस्य बोल रहे थे लेकिन किसी ने इस बात को नहीं लिया। मुझे यहां यह कह देने में कोई तकलीफ नहीं है कि बिहार में बाढ़ आई, गुजरात में अकाल पड़ा, महाराष्ट्र में अकाल पड़ा और उसके लिये चेरिटी शो किये गये, सारे अखबारों में सहायता की मांग की गई, बाढ़ पीड़ित और अकाल पीड़ितों को सहायता दी गई और हिन्दुस्तान में सब जगह से उनके लिये धन संग्रह किया गया, लेकिन राजस्थान के लिये हमने कहीं नहीं सुना कि कहीं हिन्दुस्तान में राजस्थान के लिये कुछ हो रहा है और फिर दो चीज यहां पर और थी—एक तो खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट और दूसरे माऊन्ट आबू की पुलिस अकादमी। पुलिस अकादमी, माऊन्ट आबू की भी सरकार के हाथ से गई और खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट कलकत्ता में चला गया। मजदूरों की मजदूरी राजस्थान से तो गई, वह नुकसान तो हुआ ही लेकिन राजस्थान का नाम भी नीचा हुआ है। जो सिर पर नाम था वह गया और जिन लोगों को उस प्रोजेक्ट से तनख्वाहें मिलती थी उसके नुकसान के साथ साथ इन्कम टैक्स के रूप में जो लाभ होना चाहिये था, करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है और वह प्रोजेक्ट ऐसे स्थान पर गया है जहां पहले से ही उद्योगों की बहुतायत है और कोई जगह उसको रखने तक की नहीं है। कहते हैं यहां पर सहूलियतें नहीं थीं, यह हम बतायें कि सहूलियतें कैसे पैदा की जाती हैं, मैं समझता हूं यह तो सरकार का काम है कि उन सहूलियतों को जुटाते।

उसी प्रकार पुलिस अकादमी गई और खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट भी गया तो इन चीजों को भी आप नहीं रख सकते तो उपाध्यक्ष जी हम क्या कह सकते हैं, यह समझ में नहीं आता है। मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो टाइम दिया। इतना ही कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

बजट को नियमित रूप से चलाने के लिये····

(व्यवधान, अश्रव्य) ····

पहले मेरा निवेदन सुन लीजिये।

(शोर गुल, अश्रव्य) ····

आर्डर प्लीज।

श्री नत्था सिंह : ·· (अश्रव्य) : ठीक है मन्त्री महोदय का भाषण कल हो जायगा।

(श्री नत्थासिंह)
हम बताना चाहते हैं··· हमारे भरतपुर के आंकड़ों को छिपाना चाहते हैं····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य।

श्री नत्था सिंह : हम यह बताना चाहते हैं भरतपुर के साथ अन्याय हो रहा है····

श्री गौरी शंकर : चाहे रात को 12 बजे, हम बोलेंगे।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय मेरा सुझाव है यह सदन सब तक बैठने को तैयार है····

श्री गौरी शंकर : अभी तक किसने बोला यह तो बतायें ? आप हमको मौका दीजिये—

श्री उपाध्यक्ष : श्री भुवनेश चतुर्वेदी····

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, बजट भाषण के दौरान जो डिबेट होता है वह इम्पारटेन्ट होती है जिसमें सारे डिपार्टमेंट के साथ-साथ सरकार की वित्तीय स्थिति की काफी चर्चा होती है इसलिए डिमान्ड में सारी बातें नहीं आ पाती हैं। इसलिए इस विषय की गम्भीरता को देखते हुये यह सदन काफी लम्बे समय तक भी बैठने को तैयार है, यह कोई सुझाव बुरा नहीं है। आप विचार कीजिये और इसको कन्सीडर करें।

श्री गौरी शंकर : वित्त मन्त्री जी के भाषण के बाद समय दे दीजिये···

श्री उपाध्यक्ष : समय बढ़ाने का जहां तक सम्बन्ध है, हाऊस पर डिपेन्ड करता है। अगर हाऊस की तरफ से या माननीय मुख्य सचेतक महोदय की तरफ से कोई प्रस्ताव आये तो मुझे कोई एतराज नहीं है। जहां तक देर तक बैठने का प्रश्न है, मुझे उसमें भी कोई एतराज नहीं है। सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिले, यह कभी भी नहीं हुआ है। आज भी 50 सदस्यों को मौका दिया जा चुका है और मैं समझता हूं अब भी जो बोलने वाले माननीय सदस्य हैं, काफी संख्या में हैं और बोलने के बाद आप देखते हैं 15–20 मिनिट के पहले कोई बैठना नहीं चाहते हैं। यह सब आप पर है आप अपने ऊपर संयम रखें।

श्री गौरी शंकर।

श्री गौरी शंकर (खानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने 75–76 का जो बजट पेश किया है, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद तो पीछे दूंगा, मैं इसका समर्थन भी·· बाद में ही करूंगा ·परन्तु करता हूं। अब सुनिये–

पहले पहल, मैं झालावाड़ जिले के बारे में निवेदन करना चाहता हूं— बाद में मेरे नि. क्षे. खानपुर के लिये निवेदन करूंगा, ····मैं जल्दी में कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी प्रार्थना को भी आप ध्यान में रखें।

श्री केदारनाथ : आप तो मुनीम जी बही-खातों की बात बता दें···

श्री गौरी शंकर : बड़ी खातों में तो आप बोर होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिला भी राजस्थान का अंग है परन्तु झालावाड़ जिले में जो परिस्थितियां हैं वह मैं आपको बताऊं। झालावाड़ जिला मध्य प्रदेश के इलाके से मिला हुआ है और इसकी पोजीशन को मैं आज क्लियर कर रहा हूं वित्त मंत्री जी, कि झालावाड़ जिला मध्य प्रदेश में मिलना चाहता था सन् 1948 के अन्दर, जो राजस्थान में बाद में मिला यह आप किसी से छिपा नहीं है। झालावाड़ जिले की कोई सोचता ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं करते हैं। झालावाड जिले के लोग कहते हैं, 'हम मध्य प्रदेश में जाना चाहते हैं', वहां कितना काम हो रहा है सब चीजें वहां हो गई हैं और झालावाड़ जिला राजस्थान के अन्दर मिलकर डूब गया है। जिस समय यह मामला राजस्थान में मिलने का आया तो मैंने वहां के महाराजा साहब को कहा कि आप यहां के रहने वाले है···

एक मा. सदस्य : आपके कारण दुखी है··(व्यवधान)···

श्री गौरी शंकर : उस समय भी हमने काफी कोशिश करके राजस्थान में इस जिले को मिलाया। आज झालावाड़ जिले की कोई परवाह ही नहीं करते हैं। मैं कोटा डिवीजन राज्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हर एक मंत्री अपने अपने क्षेत्र में सब काम करा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं राज्य मंत्री महोदय आपने झालावाड़ में क्या काम करवाया। मैं सही कहता हूं हमारे डिवीजन के मंत्री तो आप ही हैं। आप कोटा के रहने वाले हैं तो यह नहीं है कि झालावाड़ को आप नेगलेक्ट कर दें।

अब मैं जो झालावाड़ में कमी है उनके बारे में निवेदन करता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में काफी तरक्की हो सकती थी लेकिन उन तरक्कियों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है, मैं दिला रहा हूं···झालावाड़ जिले में 18 नदियां हैं जिन में अथाह जल भरा हुआ है उनमें छोटे-छोटे बांध बंधवा दिये जायं तो काफी अनाज हो सकता है लेकिन आप तो बाथ भरते हैं बड़े बड़े कामों की जो पूरे हो नहीं होते हैं या फिर शुरू ही नहीं करवाते हैं। जो जल्दी में लाभ मिले उनको क्यों नहीं शुरू करते हैं मैं यह पूछना चाहता हूं।···

श्रीमती सुमित्रा सिंह···(व्यवधान, अश्रव्य)···लेवी तो आप दोगे नहीं।

श्री किशन मोटवानी : पांच मिनिट हो गये साहब।

श्री केदारनाथ : यहां नहीं सुने तो यू. एन. ओ. में भी सवाल उठा सकते हैं।

श्री गौरी शंकर : मध्य प्रदेश के लोग झालावाड़ में आते हैं तो सड़कों की खराब हालत को देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि यह जिला हैडक्वार्टर है जिसकी यह दशा है।

एक मा. सदस्य : राजधानी वहां है···

श्री गौरी शंकर : नहीं नहीं,·· सर्किट हाउस में रह जायेंगे···लोग गिर जाते हैं···

(श्री गौरी शंकर)

(व्यवधान, अश्रव्य)...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो जो बात कहनी थी वह कही ही नहीं है। अभी तो शुरुआत ही की है और जो भी मैंने कहा है, सही कहा है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : झालावाड़ की समस्या यहां नहीं सुनें तो यू.एन ओ. में ले जा सकते हैं आप।

श्री गौरी शंकर मुनीम : आप थोड़ा बोलने तो दीजिये।

वहां जिला हैडक्वार्टर को सड़कों की यह हालत है तो गांवों की तो बात ही छोड़िये। हमारे जिले के अन्दर और मेरे क्षेत्र के अन्दर 3 हजार की आबादी के भी गांव हैं लेकिन वहां सड़कों का नाम नहीं है। आपने कहा था कि 5 वर्षों में राजस्थान में सड़कें बना देंगे लेकिन झालावाड़ प्रॉपर में, जहां जिलाधीश रहते हैं वहां की बुरी हालत हो रही है। दूसरे आप झालावाड़ शहर में जायेंगे तो आप नाक बन्द करके जायेंगे। यह हालत शहर की हो रही है। यह वहां की नगरपालिका का हाल है। वहां की नगरपालिका की हालत अच्छी नहीं है। सड़कों पर सारी जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, और मलवे के ढेर पड़े हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उन गड्ढों में मिनिस्टरों को ले जाइये।

श्री गौरी शंकर : आप बीच में मत बोलिये मैं भूल जाता हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं तो आपका समर्थन कर रहा हूं।

श्री गौरी शंकर : आप समर्थन मत कीजिये। तो नगरपालिका की आमदनी है नहीं क्योंकि वह छोटी सी स्टेट थी और वहां कोई व्यापार भी नहीं था। इस समय जिला हैडक्वार्टर है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री गौरी शंकर : तो क्या मैं बैठ जाऊं ?

श्री उपाध्यक्ष : आपसे 5 मिनट के लिये कहा था।

श्री गौरी शंकर : मैं, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप बाढ़ के लिए वहां पर हर साल लाख या डेढ़ लाख रुपया खर्च करते हैं। यहां चीफ इन्जीनियर साहब है तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस साल बाढ़ के लिए आपने क्या सोचा ? लोगों के घर डूब जाते हैं, काफी नुकसान होता है, लोगों को बाहर निकलना पड़ता है उसके लिए चीफ इन्जीनियर साहब ने क्या सोचा ? मैं पूछना चाहता हूं हजारों रुपये तनख्वाह के पाते हैं और मिनिस्टर साहब भी सोचें कि वहां बाढ़ नहीं आने के उपाय सोचे जायं, बाढ़ के लिए मेरा एक सुझाव है कि अभी चीफ इन्जीनियर साहब हैं या नहीं लेकिन उनके पास खबर तो जायेगी कि एक जगह वहां ऐसी आ गयी है जहां दो नदियां मिली हैं और वहां पानी रुक जाता है और सारा झालावाड़ का काफी हिस्सा डूब जाता है। अगर वह हिस्सा तोड़ दिया जाये तो फिर

(श्री गौरीशंकर)
बाढ़ नहीं आवेगी। जिसमें पांच, दस लाख रुपया भी खर्च नहीं होगा और उसका मलवा वहीं फैला दिया जाये तो कभी बाढ़ नहीं आयेगी। मैं अभी उस जगह को देखकर आया हूं।

दूसरी बात यह है कि झालावाड़ में मेरे ख्याल से जो गर्ल्स स्कूल है वह वहां के महाराजा ने बनवाई थी और उस जैसा भवन कहीं नहीं होगा। लेकिन आज 20 वर्ष से वह सिर्फ हाई स्कूल ही बना हुआ है। इतनी बढ़िया वहां की शिक्षा है कि आप सारे राजस्थान में पूछ सकते हैं कि वहां की लड़कियों का 95 परसेन्ट रिजल्ट रहता है। तो मेरा निवेदन यह है कि 20 साल से वहां सेकेन्डरी स्कूल है और उसको हायर सेकेन्ड्री नहीं किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : यह आप शिक्षा की मद में बोल लें।

श्री गौरी शंकर : उस समय मैं नहीं बोलूंगा। मुझे तो आज ही बोलने दीजिए। आप यकीन करें पूरे बजट पर नहीं बोलूंगा।

तो मेरा निवेदन यह है कि 20 वर्ष हो गए उसको हाई स्कूल हुए, आज तक हायर सेकेन्ड्री नहीं हुआ और जबकि उसका रिजल्ट सबसे बढ़िया है। वहां पर हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी गये थे। उन्होंने कहा कि 50 हजार रुपया दे दो तो हम उसको हायर सेकेण्डरी स्कूल कर देंगे। तो साहब हमारे यहां तो गांव में कोई एक लखपति भी नहीं है। कहां से देंगे यह रुपया? उनको सोचना चाहिए कि 20 वर्ष से यह चल रहा है, फर्स्ट क्लास रिजल्ट आ रहा है तब उसको हायर सेकेण्डरी क्यों न करें।

झालावाड़ जिले के अन्दर बहुत कुछ तरक्की हो सकती है। मैं समझता हूं कि मैं सिर्फ राजस्थान के तीन जिलों में नहीं गया हूं बाकी 23 जिलों में घूम चुका हूं। सब जिले तरक्की कर चुके हैं लेकिन झालावाड़ जिले में जैसा स्टेट के जमाने में था वैसा ही आज है बल्कि उससे भी गया बीता हो रहा है।...

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य झुंझुनू गये या नहीं?

श्री गौरी शंकर : गया हूं।

श्री चन्दनमल बैद : झुंझुनू में कोई तरक्की हुई है क्या?

श्री गौरी शंकर : पी.सी.सी. की मीटिंग में गया हूं।

श्री चन्दनमल बैद : क्या है वहां?

श्री गौरी शंकर : बड़े बड़े महलात हैं और बड़े बड़े भवन हैं।

श्रीमती सुमित्रा : वह पहले के हैं। राज्य सरकार ने नहीं बनवाये हैं।

श्री गौरी शंकर : मैं आपको खानपुर के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपा करके बैठ जायें। मेरा निवेदन सुन लें। मैंने पहले भी निवेदन किया था। आप बिराजिये।

श्री गौरीशंकर : खानपुर के बारे में बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : हाजी जान मोहम्मद ।

श्री गौरी शंकर : खानपुर के बारे में जिक्र ही नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये । बैठिये माननीय सदस्य । हाजी जान मोहम्मद ।

हाजी श्रीजान मोहम्मद खां (पिड़ावा) : सदरे मोहतरम, यह जो खजानाये वजीर ने बजट पेश किया उसका शुक्रिया तो सभी ने अदा किया, बहुत लोगों ने किया है और बहुत लोगों ने इन्कार भी किया है। मैं सोचता हूं कि क्या दिया जाये ? हमारा झालावाड़ जिला बजट में शामिल नहीं है और आपके सामने मजबूरियां भी हैं । आधा राजस्थान हमारा रैगिस्तान है यह भी मैं मानता हूं । हमारे उन इलाकों में भुखमरी है, वहां पानी नहीं है और कई बातें हैं। इसकी वजह क्या है ? पूर्वी राजस्थान जिसे कहते हैं उसे बिलकुल नजर अन्दाज कर दिया गया है और झालावाड़ पर, आजादी के 27 सालों के बाद भी आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया । राजस्थान का यह जिला झालावाड़ बहुत पिछड़ा हुआ है। इसके लिए हमें कुछ अर्ज करनी है । कोटा डिवीजन है वहां कुछ काम हुआ है । जहां से मैं आया हूं—पिड़ावा उसका नाम काला पानी कहा जाता था । उसको काला पानी के नाम से याद किया जाता है और 27 सालों की आज़ादी के बाद - इस गवर्नमेन्ट ने आज तक उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया । वहां बड़ी 2 नदियां हैं, खाले हैं, कुए हैं, पानी है लेकिन उनके लिए बजट में कोई योजना नहीं रखी है । 27 साल के अर्से में कितने ही अभिभाषण हुए, कितनी ही बातें हुई लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है । मैं समझता हूं कि हमारे खजानाय मंत्री हैं उन को इस ओर देखना चाहिए, जिला झालावाड़ भी राजस्थान का हिस्सा है इसलिए इन बातों की ओर मेहरबानी करके ध्यान दीजिए । यों तो हम हां हां कहते रहेंगे क्योंकि अगर कांग्रेस में रहना है तो कहना ही पड़ेगा लेकिन अर्ज करना चाहता हूं कि टोंक स्टेट के जमाने में वहां मुंसिफ मजिस्ट्रेट था जहां से वहां के काश्तकार इंसाफ हासिल किया करते थे । लेकिन राजस्थान बनने के बाद मुंसिफ मजिस्ट्रेट झालावाड़ में लगा दिया । चालीस चालीस मील तक बेचारे काश्तकार पैदल वहां किस कदर जायेंगे । बारह बारह साल हो गए इसकी मांग करते हुए । इसलिए यह तो लॉ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि यहां के लिए मुंसिफ मजिस्ट्रेट कायम हो और हाई कोर्ट की हिदायत हो कि वहां पर मुंसिफ मजिस्ट्रेटी कायम की जाय । उन काश्तकारों को परेशानी है । चालीस चालीस मील जाना पड़ता है । बाढ़ के जमाने में रास्ता बन्द हो जाता है, बेचारे नदियों को पार करके जा नहीं सकते और उन पर मुकदमे चलते हैं । इसलिए लॉ मिनिस्टर साहब से अर्ज करता हूं कि मेहरबानी करके इस पर गौर कीजिए । पिछले सदन में भी एलान किया था कि मुंसिफ मजिस्ट्रेटी कर देंगे लेकिन पता नहीं उस एलान के बाद भी क्यों नहीं हुआ । यहां पर एलान हो जाते हैं लेकिन उन पर काम नहीं होता, तो जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन लेना चाहिए । पिछले साल भी यहां एलान किया था कि मुंसिफ मजिस्ट्रेटी खोली जायेगी लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है । यह किसानों की बड़ी मांग

(हाजी जान मोहम्मद)

है । जहां एक लाख किसान रहते हों पिड़ावा के अन्दर वहां के किसान लोग परेशान होते हों, मुकदमेबाजी होती है और अदालतों में परेशान होते हैं । दस दस साल हो गए अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ । कई मुकदमें वहां पर चल रहे हैं जिनमें दस दस साल से फैसला नहीं हुआ । लॉ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, अगर वह इन्तजाम नहीं कर सकते तो उनको मिनिस्टर रहने का हक नहीं है, उनको स्तीफा दे देना चाहिए । इसलिए मेहरबानी करके यह एक बड़ी मांग है मुंसिफ मजिस्ट्रेटी की, यह वहां पर कायम होनी चाहिए ।

बिजली की हालत यह है कि मैं आपसे क्या बयान करूं । वहां जमीन अच्छी है, जमीन उपजाऊ है, कुएं हैं उनसे किसान लोग आबपाशी कर सकते हैं अगर बिजली पहुंच जाती है और गल्ला कई गुना बढ़ सकता है । वह गल्ला पश्चिमी राजस्थान में पहुंचाया जा सकता है । इस साल भी हमारे वहां से बारह हजार बोरी लेवी की दी है इसलिए बिजली की बराबर मांग है, काश्तकारों की मांग है कि यहां बिजली हो जावे तो पैदावार बढ़ सकती है ।

सड़कों की हालत क्या कहूं, सड़कें सारी जिले की टूटी पड़ी हैं । खान मंत्री भी वहां पर गए हैं । इससे पहले ओंकारलाल जी चौहान मिनिस्टर थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया । आज तो वे बहुत बातें करते हैं लेकिन जब मिनिस्टर थे तो कुछ नहीं किया । यह जिला झालावाड़ की बात कोई सुनने वाला नहीं है । जहां तक पैसे का सवाल है, पैसा क्यों नहीं है । अगर पैसा नहीं है तो स्तीफा दे दो । जब आप अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करते तो मिनिस्टर नहीं बने रह सकते । इसलिए मेहरबानी करके अपनी जिम्मेदारी को समझिये और अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ सकते तो उस मिनिस्टर को मिनिस्टर रहने का हक नहीं है । इसलिए यह सड़कों का हाल है, बिजली का हाल है और जो बदइन्तजामी पुलिस की है, गुंडागर्दी, शराबखोरी थानेदार लोग करते हैं उस पर शिकायत करते हैं तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता । अगर ईमान्दारी से इंक्वायरी की जाय तो कोई थानेदार और पुलिस का आदमी वहां पर रह नहीं सकता । ऐसी रिश्वतखोरी वहां पर बराबर चल रही है । हम लोग शिकायत करते हैं तो हंसी में उड़ा दिया जाता है । मेहरबानी करके पुलिस की इंक्वायरी करिये कि कोटा में जो बड़े 2 बंगले और कोठियां बन गई वह उनके पास कहां से आई ? कौन इंक्वायरी करे, इसकी होम मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी है और शक्तावत साहब की जिम्मेदारी है कि वो देखें कि किस तरह से कोटा में बड़े 2 बंगले बन गए, लाखों की कोठियां बन गई । वहां रिश्वतखोरी चल रही है और हर महकमे में रिश्वतखोरी चल रही है । पटवारी, तहसीलदार और ये थानेदार, ये तीनों मिल कर रात दिन रिश्वत खाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं । हम लोग कहते हैं तो सुनते नहीं ।

श्री केदार नाथ : हमारा क्या हाल होगा जब आपकी नहीं सुनते ।

हाजी श्री जान मोहम्मद : हमारे वहां पर माहू नदी बड़ी नदी है वहां पर बड़ी पैदावार बढ़ सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

थोड़ा सा अर्ज कर रहा हूं साहब। 27 साल के अर्से में शायद ही राजस्थान का कोई वित मंत्री होगा जिसने पिड़ावा नहीं देखा हो, जिसा झालावाड़ में नहीं गया हो लेकिन लोग भूखों मर रहे हैं। यह सही बात है। आप पश्चिमी राजस्थान की मदद करना चाहते हैं तो करिये लेकिन पूर्वी राजस्थान की ओर भी गौर करिये।

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घण्टी)

हमारे शाहबाद इलाके की बात भी रख देना चाहता हूं। यह वह इलाका है जहां पर सीताबाड़ी है, जहां सीताजी रही थीं, वह इलाका भी हमने जाकर देखा और हमने सहरिये भी देखे। उनका नाम सहरिये इसलिए माना गया कि वह जंगल के पास में रहते थे। सहर माने जंगल। आज वहां हजारों आदमी रो रहे हैं। वह लोग रो रहे हैं कि यह खेत मेरा था, वह खेत मेरा था। यह खेत मेरा था वहां पर एक एक आदमी ने बीस बीस हजार बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर हम शाहबाद गये, वहां रोड्स भी इतनी खराब है, शाहबाद के पास जंगल का इलाका है, मालूम पड़ता है कि जैसे यह राजस्थान का हिस्सा ही नहीं है।··

श्री उपाध्यक्ष : मेहरबानी करके समाप्त करिये।

हाजी श्री जान मोहम्मद : तो मैं आपसे अर्ज किया चाहता हूं कि यहां के जगमोहन सिंह जी ने फरमाया था कि बिजली पैदा हो कोटा में और वहां बिजली नहीं मिले। झालावाड़ भी इसमें शामिल है। वहां राजस्थान के खजाने के मंत्री भी आते हैं। खजाने के मंत्री और वित्त मंत्री दूसरी बात नहीं है। हमारे खजाने के मंत्री जी हैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि इस ओर गौर फरमाइये जिला झालावाड़ में पिड़ावा काला पानी समझा जाता था टोंक स्टेट के जमाने में। वह पैसा दे रहे हैं तब तो आप तारीफ करेंगे। मेहरबानी करके पिड़ावा की तरफ ध्यान दीजिए वहां की सड़कें खराब हैं, बिजली नहीं है, नदी है, कुए हैं पर बिजली नहीं है इसलिए मेहरबानी करके बिजली दीजिए। देवपुरा साहब से भी अर्ज किया था मेहरबानी करके जिला झालावाड़ के अन्दर जो पैसा लगाया जा रहा है, भीमसागर बांध बनने का था

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घण्टी)

लेकिन वह बांध कहां गया। वह पैसा लोग खा गए। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि इसमें पश्चिमी राजस्थान की बात नहीं है लेकिन पूर्वी राजस्थान के लिए भी सहने की सीमा है मेहरबानी करके आप देखिए। ये ही चन्द मस्काजात अर्ज करना चाहता हूं कि हमने तय कर लिया है कि अगर हमारी कोई मदद नहीं की गई तो हम भी ईमानदारी से कोई मदद आपको नहीं देंगे। जय हिन्द।

श्री चतुर्भुज चौधरी (डोबारामसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय ····

श्री भैरूलाल : मैं भी झालावाड़ जिले के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।····

श्री उपाध्यक्ष : आप विराज जाइये ।

श्री चतुर्भुज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, तीन तारीख को बजट पेश करते समय वित्त मंत्री महोदय ने जल प्रदाय योजना के बारे में यहां पर घोषणा की उसके बारे में मैं आपके मार्फत यह निवेदन करूंगा कि वह अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर को तो पानी देने की घोषणा करदी और हम लोग बरसों से आशा करते हैं कि बनास नदी पर बीसलपुर का बांध बनेगा और हजारों गांवों को पानी मिलेगा । किन्तु, कब होगा यह ? अब यह जो घोषणा हुई है उसके अन्दर हमको शंका पैदा हुई कि वह अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर आदि को तो पानी दिया जाएगा लेकिन हमारे क्षेत्र के लिए इरीगेशन के लिए कुछ नहीं किया जाएगा तो हमारे साथ में बड़ा जुल्म होगा, बड़ा अन्याय होगा जो बरदाश्त नहीं हो सकता । क्योंकि 26 वर्ष से हमारे क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। कोई भी काम हो, सड़क हो, स्कूल बनने का सवाल है, कुए खोदने का सवाल है, पावर का सवाल है । यह सब योजना में चले जाते हैं और हमारे क्षेत्र का कोई विकास नहीं होता । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे हजारों गांवों को पानी नहीं दिया जाएगा, इरीगेशन के लिए पानी नहीं मिलेगा और केवल शहरों को ही पानी देने की योजना बनायेंगे तो हमारे साथ में न्याय नहीं होगा । वहां की जनता, हम और आप क्या करेंगे यह आप सोच लें । आप खुद जब वहां मौके पर पधारे थे तो हजारों लोग आपसे मिले थे और आपने आश्वासन दिया था कि यह बांध अवश्य बनेगा, वित्त मंत्री महोदय गांव वालों को आश्वासन देकर आये हैं । तो हम आज ही इस बात का विश्वास चाहते हैं कि उस योजना को हाथ में लिया जाएगा और जल योजनायें ली जायेंगी । इसके साथ ही मैंने पहले के सेशन के अंदर भी अर्ज किया था कि इन गांवों के किसानों को कुए का फायदा दिया जाये । वे किसान आज तरस रहे हैं । हम आपसे यह आशा करते हैं कि आप इस ओर ध्यान देंगे और यह देखेंगे कि इस क्षेत्र का लम्बा चौड़ा नुकसान न होगा ।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं पांच बजे सरकार की ओर से वित्त मंत्री महोदय, का रिप्लाई शुरू हो जाये और वित्त मंत्री महोदय के भाषण समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है ।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा विरोध हमें भी बोलना है, बोलना है...)

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, दो तीन माननीय सदस्य और बोलना चाहते हैं । उनको भी मौका दे दिया जाय और जब तक मेरा जवाब न हो जाए तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या इस सदन की अनुमति है कि सदन का समय माननीय वित्त मंत्री महोदय का जवाब पूरा होने तक बढ़ा दिया जाए ?

स्वीकृत

(श्री उपाध्यक्ष)

(समय वित्त मंत्री महोदय के भाषण की समाप्ति तक बढ़ाया गया)

श्री गौरी शंकर : मैं भी नहीं बोला हूं मुझे भी समय दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही के नियमों का ध्यान रखने का कष्ट करें।

श्री गौरी शंकर मुनीम : जरूर रखता हूं। आपके हुक्म की अवहेलना आज तक नहीं की है।

श्री केदारनाथ : माननीय सदस्य रावतभाटा कैम्प में नहीं गये हैं शायद वरना अनुशासन सीख जाते...

श्री चतुर्भुज चौधरी : मैं यह निवेदन कर रहा था हर माननीय सदस्य ने अपने अपने क्षेत्र की एक ही बात कही है। वही मैं कहना चाहता हूं। जहां जाते हैं वहीं यह बात सुनने को मिलती है कि आज जितना जुल्म पहले कभी नहीं हुआ। यह भयंकर जुल्म है यह सत्य है। किसानों से लेवी ली जा रही है। लेवी किसान देंगे लेकिन उनके साथ जो अन्याय होता है उसको रोका जाए। 72/74 के भाव आप जावरी (ज्वार) किसान से लेवी के लिए ले रहे हैं जबकि बाजार में यह 200 रुपया प्रति क्विन्टल से बिक रही है। गेहूं लेवी के लिए 105 रुपये प्रति क्विन्टल की दर से किसानों से लिया जा रहा है जबकि इसका बाजार व 250 रुपया प्रति क्विन्टल है। क्या यह काश्तकारों के साथ अन्याय नहीं है। जो लेवी ले रहे हैं यह भयंकर अन्याय है किसानों के साथ। किसान लेवी देना चाहते हैं किन्तु उनके अनाज का अच्छा और उचित मूल्य मिलना चाहिए। इसलिए मैं यह राज्य सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि यह जो लेवी का धान लिया जाय किसानों से उसका उन्हें मार्केट वैल्यू मिले। यह तो किसान बर्दाश्त कर सकते हैं। यह आम जनता कह रही है, मैं ही नहीं कह रहा हूं। ये किसान हमारी सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं। उनकी तरफ ध्यान दें और इस आर्डर में तब्दीली की जाए। लेवी देने में किसान को एतराज नहीं है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं...

(4.55 म० प०)

श्री रामकिशोर व्यास (अध्यक्ष, आसीन)

श्री अध्यक्ष : थोड़े समय में समाप्त करें।

श्री चतुर्भुज चौधरी : एक मिनिट। यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुदरती तौर से हमारे प्रदेश में विपदा आई है। इसलिए छोटे मोटे बांध बनाये जाएं। आज सरकार का लाखों रुपया खर्च हो रहा है उसको यह सरकार कन्ट्रोल नहीं कर पाती है। इसलिए छोटे मोटे रोजगार के लिए मजदूरी दी जावे। आशा है सरकार इस ओर ध्यान देगी ताकि कोई बेकार न रहे। यही मुझे कहना है।

Page No 116

(116)

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री महोदय।

(शोरगुल)

और कोई साहब हैं?

श्री नत्थासिंह : मैं चार बजे से समय के लिए कह रहा हूं।

श्री जगराज चौधरी : मुझे भी बोलना है...

श्री अध्यक्ष : अन्य सदस्य भी खड़े हैं...

श्री जगराज चौधरी : पहले समय देने की व्यवस्था हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष : आप साहबान खड़े हुए हैं पांच है। चार बजे से गवर्नमेन्ट को रिप्लाई शुरू करना था, पहले ही एक घंटे की देरी हो चुकी है। तीन तीन मिनिट आप बोलें तो आप पांचों को 15 मिनिट दे सकता हूं।

कई माननीय सदस्य : पांच पांच मिनिट...

श्री अध्यक्ष : You will abide by it? (हां हां की आवाजें) अच्छा?

श्री नत्थासिंह! पांच मिनिट होते ही घंटी दूंगा।

श्री नत्थासिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, चार तारीख से, आज चार दिन हो गये राजस्थान के वित्त मंत्री को बजट भाषण पढ़े हुए, उस पर चर्चा चल रही है। बजट में यह बताया गया है कि हमने कोई कर नहीं लगाया है। इसके लिए, इस कारण के लिए मैं वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

सबसे पहले मैं सूखे, अकाल पर कहना चाहूंगा। राजस्थान सरकार अगर योजनाबद्ध तरीके से इस अकाल के ऊपर, इस सूखे के ऊपर, सोचती तो आज हमें इसका मुकाबला नहीं करना पड़ता। जैसा चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां कहा है, झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर कहा है, उनके पड़ौस में जो हरियाणा है, वहां 8 किलो एक यूनिट को गल्ला मिलता है और राजस्थान में एक किलो, आधा किलो प्रति यूनिट और जबकि मेरे जिले में मिलता ही नहीं है। मैं यह नहीं कहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर के लिए कार्य न हो। मेरी किसी तरह की इस इलाके के प्रति नाराजगी नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि जिन जिलों में बीस फीट पर, 15 फीट पर, 30 फीट पर पानी है, और पानी के निकलने से यदि उत्पादन बीस से चालीस बढ़ सकता है तो मेरा माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन है कि ऐसे क्षेत्रों की तरफ ध्यान दिया जाए। माननीय वित्त मंत्री मेरे क्षेत्र में नल का उद्घाटन करने आए थे। मेरा क्षेत्र नदबई क्षेत्र है। यह राजस्थान में गंगानगर के बाद दूसरे नम्बर का क्षेत्र हो सकता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान का जो बजट है उसमें विश्व बैंक से कर्जा लेकर दस जिलों में खर्चा किए जाने का प्राविजन है, इससे मेरा कोई विरोध नहीं है...

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घंटी)

(श्री मस्तासिंह)

अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य आधे आधे घंटे बोले हैं। भरतपुर की समस्या, सत्य को सुनना है कि हम लोगों के साथ किस तरह से सौतेला व्यवहार होता है, हमको सौतेला मानते हैं, इस बात को सुनना है तो दो घंटे भाषण हो सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने मेरे क्षेत्र को देखा है। भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर ये पूर्वी राजस्थान के ऐसे जिले हैं, परन्तु वहां पर कोई खर्च नहीं किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री मस्तासिंह : ठीक है। वित्त मंत्रीजी ने बजट में बताया है कि भरतपुर का उसमें एक जगह नाम है और वह है दूध की डेयरी के लिये। दूध की डेयरी हमें नहीं चाहिए। हमें भरतपुर के लिए बिजली चाहिए, हमें भरतपुर के लिए सिंचाई के साधन चाहिए। यदि भरतपुर जिले में बिजली आ जाएगी, सिंचाई के साधन हो जाएंगे तो भैंस स्वयं हमारे यहां बंध जाएगी और हम दूध का ढेर लगा देंगे। इसलिए मैं भरतपुर के लिए, पूर्वी राजस्थान के लिए यह कहना चाहता हूं कि हमारे भरतपुर के कुछ ही गांवों में बिजली लगी है। भरतपुर जिले में तकरीबन 2 हजार गांव हैं उनमें से 275 में बिजली लगी हैं...

श्री अध्यक्ष : दो घन्टे वाली स्पीच ठीक नहीं। आप 5 मिनिट बाकी।

श्री मस्तासिंह : आधा घन्टा दे दें।

श्री अध्यक्ष : आपके बाद दो और हैं।

श्री मस्तासिंह : आप सदन की राय ले लें कि मेरा भाषण होना चाहिए कि नहीं।

श्री अध्यक्ष : मैं अपनी राय से फैसला करता हूं।

श्री भगराज।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, समय कम होने के कारण मैं वित्त मंत्रीजी का कुछ मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले वर्ष जब उन्होंने 1974-75 का बजट पेश किया था तो उसमें एरिड जोन प्लान 79-80 करोड़ का पेश किया था। आज इसमें उसको बढ़ाकर जो आंकड़े पेश किये हैं वह अपने 95.56 करोड़ के हैं। कुल मिलाकर 16.76 करोड़ की वृद्धि बताई है।

जहां तक मैं समझ पाया हूं यह आपने अपने बजट भाषण में नहीं बताया है कि खर्च किस कारण से बढ़ा है। एक कारण का जरूर जिक्र किया है कि राज्य कर्मचारियों की समय समय की मांग पर जो महंगाई भत्ता देना पड़ा उससे कुल मिलाकर 15 करोड़ का राज्य सरकार पर ज्यादा भार पड़ा है। उसकी वजह से हमारी वित्तीय स्थिति काफी डांवाडोल हो गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य कर्मचारियों द्वारा समय समय पर मांग की जाती है उसका सही साल्यूशन निकालना चाहिए। एक तरफ तो ढाई-तीन करोड़ जनता विशेषकर ऐसे प्रान्त की जो कि हिन्दुस्तान में सारे प्रान्तों से सब स्तर में

(118)

(श्री मगराज चौधरी)

नीची है; और जिसकी आर्थिक स्थिति पहले हुई कमजोर है, बल्कि यह कहना चाहिए कि जिसका कोई ठोस आधार नहीं है, ऐसे प्रान्त के लिए कम से कम इस बात में हर तरह से सरकार द्वारा नॉन-प्लान के रूप में पैसा खर्च किया जाना कोई अच्छी बात नहीं है। आखिर यह जनता जो कुछ आपको देती है वह सद्व्यय के लिए देती है, इसलिए नहीं कि ढाई करोड़ जनता के खून-पसीने के रुपये का उपयोग दो लाख कर्मचारियों पर जो समय समय मांग करते हैं डी. ए. और इन्टेरिम रिलीफ की उनकी डिमाण्ड के रूप में उस पर खर्च करें। मैं समझता हूं कि यह गम्भीर समस्या है। यह पिछले वर्ष से पैदा नहीं हुई है। यह 5-7 वर्षों से दिख रही है। यह आपके बजट का दृष्टिकोण हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता है। इस पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल जो माननीय वित्त मंत्रीजी ने बजट रखा है, प्लान के आंकड़े देखे हैं तो वह 105।। करोड़ का रखा है। उन्होंने बजट भाषण में यह भी इंगित किया है कि 5 करोड़ की वृद्धि और दूसरे साधनों से करके कुल 110 करोड़ का खर्चा बताया है। यह सारे का सारा खर्चा उन्होंने जिन जिन क्षेत्रों पर करना बताया है उससे मैं समझता हूं कि क्षेत्रीय असंतुलन विकास की दृष्टि से बहुत बड़ा बढ़ रहा है। एक तरफ तो राजस्थान का 55 पर्सेन्ट इलाका है जहां पानी का साधन नहीं है, वहां न नाज होता है, वहां न चारा होता है न तो आर्थिक ठोस आधार है, दूसरी तरफ वह सब पैसा एक विशेष प्रकार के इलाके पर जिसकी आबादी राजस्थान की आबादी का 20 पर्सेन्ट है और इलाके का क्षेत्रफल 15 पर्सेंट है, वहां पर इस तरह से खर्च किया जाय तो उसका कोई नैतिक आधार नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी हमारी चार योजनाएं बनी हैं। उसके बाद तीन साल से एक एक वर्ष की योजना लेकर पांचवीं पंचवर्षीय योजना आरम्भ किये हुए हैं। इसको दृष्टिगत करने के बाद हमारी प्रोग्रेस स्टेटमेन्ट है। 54-55 के मूल्य-स्तर को दृष्टिगत रखते हुए 1972-73 में पर केपिटा इन्कम 302 और 1974-75 में जाकर 306 के आसपास बैठता है। 1973 से

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

आज तक राजस्थान का जो आम नागरिक है, जो राजस्थान में निवास करता है उसकी हालत वही है जो 5 साल पहले थी।

श्री अध्यक्ष : थैंक यू।

श्री मगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट।

श्री अध्यक्ष : एक मिनिट में फर्मा दें। आपका कमिटमेंट है।

श्री मगराज चौधरी : वह कमिटमेंट आपने स्वयं ने प्रिज्यूम कर लिया है। हमारा तो नहीं था।

श्री अध्यक्ष : तो मुझे कहना पड़ता है कि आप कृपया समाप्त करें। मेरे डिस्कोशन पर फैसला चाहते हैं।

श्री जगराज चौधरी : मैं आपके आदेश का पालन करते हुए स्थान ग्रहण कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री किशन मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, 1975-76 के बजट को किसी ने बनिये का बजट कहा है, किसी ने मूंजी का बजट कहा है, किसी ने इलेक्शन बजट कहा है, किसी ने बेलेन्स्ड बजट कहा है, और मैं इसको बेलेन्स्ड बजट मानकर दाद देता हूं। अब प्रश्न उठता है कि बेलेन्स क्या है? बेलेन्स जो है वह एक औरत अपने आदमी के साथ रोप-मार्च करती है उस तरह का है। हमारे वित्त मंत्रीजी रस्से पर चल रहे हैं, हाथ फैला हुआ है सेन्टर की तरफ। उधर से पैसा आये तो यहां पर कुछ व्यवस्था बैठ सकती है। अगर पैसा नहीं आये तो गश खाकर गिर जायेंगे और राजस्थान की व्यवस्था निकम्मी हो जाती है। उसी तरह से दो तरह के स्पेक्टेटर्स हैं। एक स्पेक्टेटर्स तो वह हैं जो कि आगे की कुर्सी पर बैठे हुए हैं वह भी फ्री देख रहे हैं, और पीछे वह गरीब लोग हैं जिनको रियायत नहीं दे सकते हैं, कुछ खुशहाली नहीं दे सकते हैं वह भी फ्री देख रहे हैं। आप आगे बैठे हैं उनसे पैसा ले लें। यह इकोनामिक्स का बेसिक प्रिन्सीपल है कि जो प्रदेश प्रगति की ओर बढ़ता है उसके साथ टैक्स स्ट्रक्चर बन्धा हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि टैक्स किस पर लगायें। वह टैक्स उस पर लगायें जो प्रगति का फायदा उठाता है। प्रगति के तौर पर सम्पन्न वर्ग फायदा उठाता है। प्रगति के बाद लक्ष्य मिल जाय तो गरीब आदमियों को फायदा मिलता है। जो प्रगति का फायदा उठाये उसको अछूता नहीं छोड़ सकते हैं आप उस रोप पर चल रहे हैं जिस पर से किसी भी दिन गिर जायेंगे।

अब प्रश्न यह है कि आज देश की प्रगति के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए दो चीजें आवश्यक हैं, एक तो एग्रीकलचरल प्रोड्यूस और दूसरी इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए मैं मानता हूं कि गत तीन वर्षों से आप सही कदम उठाकर उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ प्रकृति का प्रकोप है, और कई कारण हैं जिन कारणों की वजह से आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं, किन्तु इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए क्या जवाब है आपका? इन्डस्ट्रियल बेस क्या बनाया है? आप हेपहेजर्ड वे में चल रहे हैं। उसके लिए कोई प्लान नहीं किया है। आपके यहां बेसिक इन्डस्ट्रीज हैं तो बेसिक इन्डस्ट्री भी कोई प्लान्ड वे में नहीं हैं। आपके पास जो इन्डस्ट्रीज हैं वह हाट केक्स प्रोड्यूस करती हैं। वह अपनी कमाई के हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं और जो आपके रा मेटेरियल पर निर्भर रहते हैं वह उस रा—मेटेरियल का ब्लेक करते हैं। आप उनके लाइसेन्स केन्सिल कर सकते हैं। आप उनको लाइसेन्सिंग आथोरिटीज हैं, आप उनकी साइसेंसिंग अथोरिटी हैं। उनका आप प्लान बनायें। उदाहरण के स्वरूप में आपको कह दूं

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

Page No 120

(120)

(श्री किशन मोटवानी)

कि अजमेर में एच. एम. टी. है। उसका हम क्या विकास कर पाये हैं? वह हमारे विकास का क्या माध्यम रही है। उसका इकोनामिकल बेस यही है कि उसमें 2—2 हजार मजदूर काम करते हैं। उसके आधार पर डिस्ट्रिक्ट की इकोनामी का बेस कैसे बना सकते हैं? जब तक कि एन्सीलियरी इन्डस्ट्रीज का एक फेज बनाकर, एक तरीका बनाकर वहां पर वह न लगाई जाय, तब तक वहां पर खुशहाली नहीं आ सकती। उस फैक्ट्री के लिए मद्रास से पार्ट्स आते हैं। वह फैक्ट्री अभी भी इम्पोर्ट करती है जब कि वह पोटेन्शियल यहां पर एवेलेबल है। आप जब नियन्त्रण रखते हैं, एकाधिकार रखते हैं तो तमाम तरीके से रखें लाईसेन्स पर और सभी पर।

इन्हीं शब्दों के साथ क्योंकि समय नहीं दे रहे हैं मैं इतना ही कहूंगा कि इन्डस्ट्रियल बेस को आप सुदृढ़ बनायें। लाइसेन्स आपके हाथ में है। फाइनेन्स आप करते हैं। आपसे पैसा लेकर इन्डस्ट्रियेलिस्ट पैसा कमाते हैं। आपके रा-मेटेरियल को ब्लेक में बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। आप सुदृढ़ नियन्त्रण रखते हुए प्रोडक्शन को बढ़ायें।

साथ ही आपने अजमेर की पेयजल की समस्या के लिए जो घोषणा की है उसके लिए धन्यवाद देता हूं। कुछ त्रुटियां हैं उनके बारे में तो अलग से कहूंगा मौके पर। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपालसिंह।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट रखा है। उसको किन्हीं माननीय सदस्यों ने घाटे का बजट बताया है। तो किन्हीं माननीय सदस्य ने लाभ का बताया है। यह घाटे का बजट है या लाभ का बजट है लेकिन वित्त मन्त्रीजी जो इस बात के कलाकार हैं वह जानते हैं कि यह किस प्रकार का बजट उन्होंने हमारे सामने रखा है। जो भी हो, आपने जो इस बजट में चूरू और नागौर के लिए साहसी कदम उठाया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। इस प्रकार से राजस्थान के विकास का जो प्रावधान रखा है, उसका मैं स्वागत करता हूं। इसी प्रकार से सिंचाई के मद का जो प्रावधान रखा है, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस बजट को जब नजदीक से देखते हैं और उसके अन्दर जाते हैं और देखते हैं तो जो क्षेत्रीय असन्तुलन रह रहा है, वह सामने आता है। वह निश्चित रूप से आकर सामने खड़ा हो जाता है कुछ ने पश्चिमी क्षेत्र के बारे में असन्तुलन खड़ा किया है तो कुछ माननीय सदस्यों ने पूर्वी क्षेत्र का असन्तुलन बनाकर खड़ा किया है। फिर जो बीच में क्षेत्र रहता है, अजमेर, सीकर, झुंझुनूं है उनके लिए बजट में कोई प्रावधान की घोषणा नहीं देखी है। जो मान रहे हैं, वह भी नहीं देते हैं। सारे बजट में ढूंढने पर भी उपलब्ध नहीं होगा। इसके अलावा 46 लाख रुपया सड़कों पर खर्च हो जायेगा। इसके अलावा सीकर जिले के लिए कोई प्रावधान नहीं देखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वित्त मन्त्रीजी हमारे पड़ोसी जिले के रहने वाले हैं। आपको सहानुभूति की हम आशा लगाये बैठे थे। वह पूरी करनी चाहिए

(श्री गोपालसिंह)

थो। इसी प्रकार से सीकर जिले के लिए सभी लोगों ने कहा है। वास्तविकता भी है लिफ्ट इरीगेशन से भी दे पायेंगे। वहां जो मौजूदा साधन सिंचाई का कुवों से था, वह पानी दिनों दिन नीचे जा रहा है। 10–5 फीट पानी नीचे जा रहा है। अगर यही हालत रही तो यह होगा कि कुओं का पानी सूख जायेगा। जो साधन हैं, वह भी नहीं रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान सीकर जिले की ओर दिलाना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं...

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

आपने कई बड़ी योजनाएं बनाई हैं। सीकर जिले में जो स्थानीय स्रोत हैं पानी के वहां छोटे छोटे बांध बना कर निश्चित रूप से कुछ नहीं करेंगे तो यह जिला उजड़ जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि खण्डेला एक ऐसा क्षेत्र है जहां कुछ छोटी छोटी नदियां और नाले मिलकर बहते हैं। वह आगे जाकर सूख जाते हैं। इसके लिए कोई योजना बनाई जाये तो उसमें झुंझुनूं, उसकी एक तहसील और दूसरे जो हरियाना हमारे राजस्थान के पास आता है वहां सिंचाई का साधन हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी प्रकार से पानी देकर सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया जाये। मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आप भूल गये हों तो मैं फिर ध्यान दिलाता हूं। आप उधर ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री चन्दनमल बैद : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि 3 तारीख को जो बजट पेश किया है, उस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं, सुझाव और बहुतसी सिद्धान्त की बातें कही गई हैं। जिसके लिए मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि जब अगली सदन में बजट पेश किया जायेगा तो इन सारे सुझावों पर बहुत गम्भीरता पूर्वक ध्यान दिया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से लोगों ने इस बात की खुशी प्रकट की है कि यह सन्तुलित बजट है। कुछ लोगों ने बहुतसी बातों की समालोचना भी की है और कुछ ने आलोचना भी की है। मैं, जिन लोगों ने प्रशंसा की है, उन सब का आभारी हूं। जो कुछ भी प्रयत्न किया गया है, उनको पसन्द आया है। जिन लोगों ने आलोचना की है, मैं उनकी भी प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने कीमती सुझाव रखे हैं। उन पर गम्भीरता से सोचने की जरूरत है। तो किसी का यह सुझाव था कि यह समाजवादी बजट नहीं है, प्रगतिशील बजट नहीं है। कुछ ने कुछ खास नजरिये से देखने की कोशिश की है। कुछ माननीय सदस्यों की यह भावना रही है कि उनके जिले का नाम कितनी बार आया है। तो कुछ का यह कहना था कि उनके डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं कहा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों को इस बात की भी नाराजगी रही कि बजट भाषण का कवर ब्ल्यू रंग का आ गया है। मैं इतना ही निवेदन करना

(श्री चन्दनमल बैद)

चाहता हूं कि कुछ मामूली बातें हैं, जिनमें माननीय सदस्यों को नाराजगी हुई हो तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। एक माननीय सदस्य को इस बात की नाराजगी रही कि कवरका रंग उतर रहा है। उनके हाथों में लग रहा है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि फागुन का महीना है। अगर वित्त मन्त्रीजी ने उन्हें कुछ रंगीन बनाने की कोशिश की हो तो बुरा नहीं मानें। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बजट के बारे में बातें कही गई हैं। मैं उनमें से कुछ बातों का जिक्र कर सकूंगा। जैसा कि मैंने निवेदन किया बहुत से माननीय सदस्य देखना चाहते हैं बजट भाषण एक संक्षिप्त लेखा जोखा है। एक, डेढ़ या दो घण्टे का लेखा जोखा बनाया जा सकता है जो कि सम्भव नहीं है। जहां तक सिद्धान्त, आदर्श, और फिलासफी की जहां तक बात है, वह सम्भव नहीं है। फिर मेरे लिए यह भी सम्भव नहीं है कि जितने प्रश्नों को उठाया गया है। उन सब का जवाब मैं दे सकूं। मैं अर्ज करूंगा, जहां तक राजस्थान फाइनेंसेज के सवाल उठाये गये हैं, बहुत ही अहम सवाल उठाये गये हैं। उनके बारे में मैं कुछ कहने की कोशिश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, इस बारे में दो राय नहीं है कि राजस्थान के 'फाइनेन्स' ने इस एक मजबूती एक स्टेबिलिटी प्राप्त की है मजबूती और स्थायित्व प्राप्त किया है। जो मजबूती ग्रहण की है। उसको हमें मानना चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो मैं निवेदन करूं, बार-बार लोग यह कहते आ रहे हैं कि तीन साल से हम सुनते आ रहे हैं कि राजस्थान दिवालिया हो गया है। खर्चे में कमी करनी चाहिए। ओवर-ड्राफ्ट को कम करना चाहिए। यह सारी बातें कहते आये हैं। जब माननीय सदस्यों के कहने के अनुसार कदम उठाये गये हैं तो मैं समझता हूं कि उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। मैं उदाहरण के लिए यहां पर दस साल के आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। यह आंकड़े ही बताते हैं किस साल क्या घाटा रहा है।

1965–66	—	22.47 लाख
1966–67	—	12.21 "
1967–68	—	6.42 "
1968–69	—	118.47 "
1969–70	—	49.62 "
1970–71	—	68.99 "
1971–72	—	48.75 "
1972–73	—	24.78 "
1973–74	—	48.43 "

1974–75 — में 12 लाख का मुनाफा हुआ है।

हमेशा ही माननीय सदस्य इस बात को कहते रहे हैं कि हमारे मुख्य मन्त्री दिल्ली जाते हैं। वहां जाते हैं कि हमें काम काज चलाने के लिए पैसा दीजिये यह शायद पहली बार हुआ है, हमारे मुख्य मन्त्री इस काम को लेकर, 1974–75 के इस कार्य को लेकर दिल्ली नहीं गये हैं। और, अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 1975–76 में इस महान सदन के नेता को दिल्ली कम से कम इस काम के लिये नहीं जाना पड़ेगा कि इस बजट के रोजमर्रा

Page No 123

(123)

(श्री चन्दनमल वैद)
के खर्च में घाटा है, इस घाटे को पूरा करने के लिए स्पेशल अकामाडेशन दीजिये या वेज एण्ड मीन्स का आप प्रबन्ध कीजिये। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, इस स्टेट के फाईनेन्सेज ने एक स्टेबिलिटी प्राप्त की है, मजबूती प्राप्त की है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम दिल्ली जायेंगे तो अपने हक और अपने अधिकार मांगने जायेंगे, कोई रोजमर्रा के खर्च को पूरा करने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। यह स्थिति प्राप्त करली है, उसकी आप प्रशंसा करें, या न करें, दूसरे करें या न करें लेकिन खुशी जरूर महसूस की जानी चाहिए कि दस वर्ष के इतिहास में पहली बार हमारे फाईनेन्सेज ने मजबूती और स्थायित्व प्राप्त किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहूंगा, अभी यहां कहा गया, यह संतुलित बजट पेश किया गया है, यह असल में संतुलित नहीं है, घाटे का बजट है। उसके बारे में कई तरह के आंकड़े पेश किये गये हैं। यह कहा गया 10 करोड़ 24 लाख प्लान एडवान्स के रूप में ले रहे हैं। 12 लाख का मुनाफा का बजट पेश किया गया है, उसमें से 10 करोड़ 24 लाख प्लान एडवान्स के रूप में ले रहे हैं। ठीक है प्लान एडवान्स के रूप में लेने का हमें अधिकार है। पहले जब फेमिन पड़ता था, हम करोड़ रुपया लेते थे, लोन के रूप में और दूसरे तरीके से। आज हम तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, तो प्लान एडवान्स के रूप में काम को ज्यादा तेजी से चलाने के लिए ऐसे काम, जिसमें श्रम ज्यादा लगता है, मजदूरी ज्यादा लगती है, को चलाने के लिए लेते हैं तो इसमें क्या परेशानी की बात है। राजस्थान नहर के लिए जो पैसा अगली साल या 1977-78 में मिलने वाला है वह 1975-76 में मिल जाय, उससे ज्यादा लोगों को मजदूरी पर लगा सकें और उनको राहत दे सकें और नहर जल्दी पूरा कर सकें तो यह बुरी बात नहीं है। इसी प्रकार सड़कों का काम जो प्लान में है तेजी से उस काम को कर सकें और उसके लिए जो पैसा एक साल बाद मिलने वाला है, वह आज ले लें तो गलत बात नहीं की है, ठीक किया है। इसी तरह से यह कहा गया, हमको भारत सरकार को पैसा देना था, वह पैसा हमने इस साल नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य ध्यान में रखते हों तो पिछले साल मैंने यह बात अर्ज की थी, हमें स्पेशल वेज एण्ड मीन का 33-34 करोड़ रुपया 1972-73 में मिला था। अब सिक्स्थ फाईनेन्स कमीशन की रिपोर्ट आ गई है लेकिन उस समय पैसा दिया गया तो उसके साथ में हमारा वायदा था कि हम तीन किश्त में उस पैसे को चुका देंगे। सिक्स्थ फाईनेन्स कमीशन की रिपोर्ट आयी है, उसमें है कि इस प्रकार के कर्ज है उनको पन्द्रह साल में चुकाया जायगा। हमने भारत सरकार को कहा कि सिक्स्थ फाईनेन्स कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, उसने कह दिया है कि पन्द्रह साल में इस प्रकार का कर्ज चुकाया जायगा, तो हमारे साथ कोई शर्त है उसको सिक्स्थ फाईनेन्स कमीशन की रिपोर्ट ओवर राइड करती है, इसलिए यह सारा कर्ज पन्द्रह साल में री-शिड्यूल हो जाना चाहिये। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और उस कर्ज को तीन साल के बजाय पांच साल में चुकाने का कर दिया। इससे हमें राहत मिली,

(श्री चन्दनमल वैद)

लेकिन हम परस्यू करते रहे और आपको जान कर खुशी होगी, अध्यक्ष महोदय, पहले तीन से बढ़ा कर पांच साल किया था, वह अब पांच साल से बढ़ा कर पन्द्रह साल कर दिया है। उससे 9 करोड़ का फायदा हुआ है, वह लोन नहीं चुकाने के कारण नहीं हुआ है, बल्कि हमें जो हक प्राप्त था, उसके अनुसार हमने रिप्रेजेंट किया। इससे जो कर्ज तीन साल में चुकाना पड़ता, पांच साल में चुकाना पड़ता, वह अब पन्द्रह साल में चुकाने की छूट मिल गई है। मैं समझता हूं, यह राजस्थान के हक में अच्छा है, बुरा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया, 8 करोड़ 74 लाख, जो मैंने यहां कहा कि 8 करोड़ 74 लाख भारत सरकार से प्राप्त हो जायगा, इससे जो 8 करोड़ 74 लाख का घाटा है वह पूरा होगा। इसके सम्बन्ध में कहा गया कि भारत सरकार का नाम यहां लेते रहते हैं लेकिन वह पैसा देगी या नहीं। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने तो यहां कहा कि वित्त मंत्री रोप वाकिंग करते हैं, उनके दोनों हाथ फैले हुए हैं, भारत सरकार पैसा दे तो काम चले। मैं इस बारे में अर्ज करना चाहता हूं, जब प्लान हमारा बना तो हमारा प्लान—26 करोड़ 13 लाख का घाटा था, प्लान बना 105 करोड़ का। 26 करोड़ 13 लाख के लिए प्लानिंग कमीशन और हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ कि 13 करोड़ 13 लाख का घाटा प्लानिंग कमीशन पूरा करेगा, भारत सरकार करेगी और 13 करोड़ का इन्तजाम खुद हम करेंगे। लेकिन दिल्ली से आने के बाद देखा कि प्लान के अन्दर जो ऐसी चीजें है सामाजिक विकास की, आर्थिक विकास की, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन और स्वास्थ्य—ऐसी चीजों को तरजीह नहीं दी और और प्रोग्राम को तरजीह दी, इन प्रोग्राम को काट दिया, इसलिए हमने उचित समझा, हमारा जो 105 करोड़ का प्लान है, यह प्रदेश का प्लान 110 करोड़ 84 लाख का करना है। तो जहां घाटा 26 करोड़ 13 लाख का था जिसमें से 13 करोड़ 13 लाख भारत सरकार के जिम्मे है और 13 लाख हमारे जिम्मे था, उसके बजाय 18 करोड़ 84 लाख के घाटे का हमारे जिम्मे हो गया उसे अपने साधनों, और तरीकों, रियलाइजेशन को बढ़ा कर, वसूलियों को बढ़ा कर पूरा कर लिया। इस प्रकार 13 करोड़ 13 लाख का घाटा है वह भारत सरकार को पूरा करना है। भारत सरकार ने कहा कि योजना में ज्यादा सहायता दी जायगी या और कोई स्टेप अपनायेंगे, जिससे यह घाटा पूरा हो जायगा। मैं अर्ज कर चुका हूं, एक तरीका उन्होंने अपनाया, जो लोन हमको पांच साल में चुकाना पड़ता, वह री-शिड्यूल कर दिया पन्द्रह साल में। यह तरीका अपनाया इससे 4 करोड़ 59 लाख का फायदा हुआ। इस प्रकार 13 करोड़ 13 लाख में से 4 करोड़ 59 निकालते हैं तो 8 करोड़ 64 लाख रहता है। तो एक तो यह स्टेप उठाया री-शिड्यूल का, उससे यह फायदा हुआ। उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, जैसा संकेत किया है भारत सरकार ने सेन्ट्रल एड की रेट बढ़ाकर, तीन पर्सेन्ट से 4 पर्सेन्ट कर दी है। उससे 2 करोड़ का फायदा हुआ है। उससे 8 करोड़ 54 लाख का घाटा है, वह अपने आप 6 करोड़ 64 लाख का हो जाता है। जिस समय मैंने बजट पेश किया, सारे आंकड़े देखने मे आये नहीं क्योंकि भारत सरकार की घोषणा हुई 28

(श्री चन्दनमल बैद)

फरवरी को हुई। इसलिए जो आंकड़े जोड़े वह प्रारम्भिक आंकड़े थे। अब सेन्ट्रल एड बढ़ जाने से 2 करोड़ का फायदा होगा और 6 करोड़ 64 लाख रहता है, अब तक भारत सरकार ने दो कदम तो उठा लिये हैं और बाकी के क्या कदम उठायेगी, यह नहीं कह सकता। मुझे विश्वास है, ऐसे कदम उठायेगी जिससे 6 करोड़ 64 लाख का घाटा पूरा हो जायगा, इसके बारे में सन्देह करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं आपसे अर्ज कर रहा था, हमें भारत सरकार ने जो कुछ टैक्सेसेज लगाये हैं सेल्स टैक्स अलावा उसमें से भी ज्यादा हिस्सा मिलेगा। जब मैंने बजट पेश किया, उस समय फरवरी के जो अकाउन्ट्स थे वह हमारे पास नहीं आये थे। फरवरी के सेल्स टैक्स के और दूसरे टैक्सेज के अकाउन्ट्स आये हैं उससे मालूम पड़ता हैं कि हम जो 12 लाख का मुनाफा कह रहे हैं वह 12 लाख नहीं इससे ज्यादा होने का अन्दाज है। इसके बारे में एक और अर्ज करना चाहता हूं, यह संतुलित बजट पेश किया हैं, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जो सतर्कता पिछले तीन साल में बरती गई है और जिस अनुशासन से तीन साल तक रहते आये हैं, वह सतर्कता और अनुशासन आगे बरता गया तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, कोई स्थिति हो, हमारा बजट घाटे का किसी रूप में नहीं है। मुझे भरोसा है, जिस सतर्कता और अनुशासन से चलते आये हैं उससे आगे चले तो निश्चित रूप से बजट साल के बाद में जाकर बहुत बड़े लाभ के बजट में परिणत हो सकता है—इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अर्ज किया था, कुछ माननीय सदस्य जिले के विचार से ही बजट को देखना चाहते हैं, कुछ तहसील एलोकेशन और रिफार्मेशन बात से और कुछ एजूकेशन रिफार्म की दृष्टि से देखना चाहते हैं, कुछ और देखना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्यों से इतना निवेदन करना चाहूंगा, बजट को सम्पूर्ण रूप से देखने की कृपा करें, सारे राजस्थान के सम्पूर्ण दृष्टि से इसे देखने की कोशिश करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, इस बजट में निश्चित रूप से खूबियां नजर आयेंगे, बुराइयां नजर नहीं आयेंगे। मैं, अध्यक्ष महोदय, अर्ज करना चाहता हूं, बजट बनाते समय चार मुद्दे मेरे सामने थे, उनको सामने रख कर बजट बनाया। पहला यह कि हर हालत में हमें अपनी आमदनी और खर्च में संतुलन रखना है। मैं चाहता तो जिस तरह 4 करोड़ 34 लाख के नये काम हाथ में लिये सामाजिक सेवाओं के, आर्थिक सेवाओं के और दूसरी तरह के, इस 4 करोड़ 34 लाख के बजाय 10 करोड़ 34 के ले सकता था और जो माननीय सदस्य यहां बिराजे हैं, उनकी तालियों का हकदार हो सकता था। लेकिन मैंने यह ध्यान रखा कि हमारा बजट संतुलन होना चाहिए, हमारे खर्च और आमदनी में संतुलन होना चाहिए। पहली बात देखी वह यह कि बजट संतुलित होना चाहिए, न घाटे का हो, न मुनाफे का। दूसरे इस बात की बराबर कोशिश की है कि इस बजट में विकास कार्यों के प्रति पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। इस साल की 105 करोड़ की हमारी योजना होने के बाद हमने कोशिश की है 110 करोड़ 84 लाख क

(श्री चन्दनमल बैद)

योजना बनायें। मैं थोड़ा सा वक्त लूं तो आपको यह अर्ज करना चाहूंगा कि विकास कार्यों में हमने ज्यादा खर्चा करने की कोशिश की है और बजट की एक सम्पूर्ण तस्वीर पेश की है। उसमें मैं अर्ज करना चाहूंगा पेज 25 पर दिया गया है- 1974-75 में विकास व्यय में सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के अन्तर्गत बजट अनुमान 125.95 करोड़ का था और 75-76 में हमने 133.95 करोड़ का रखा है। इसी प्रकार से आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत 74-75 में बजट अनुमान 112.61 करोड़ का रखा गया था और इस वर्ष यानि 75-76 में 143.12 करोड़ रखा गया है। इसी तरीके से इन दोनों सेवाओं में सामाजिक एवं सामुदायिक तथा आर्थिक सेवाओं में दोनों में मिलाकर 74-75 में 340.35 करोड़ रुपये का बजट अनुमान रखा गया था जो अब 388.71 करोड़ का रखा गया है इसमें सामान्य सेवाएं भी सम्मिलित हैं। यदि इसमें से सामान्य सेवाओं को निकाल दें तो सामाजिक एवं सामुदायिक तथा आर्थिक सेवाओं में कुल मिलाकर बजट अनुमान 74-75 में 238.56 करोड़ का था जो अब 75-76 में 277.07 करोड़ रुपये का है।

अध्यक्ष महोदय, एक जो आलोचना यह की गई है कि आर्थिक सेवाओं व सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं में कटौती करके बजट में बचत दिखाई गई है, यह बात भी सही नहीं है। इससे स्पष्ट हो जायगा कि हमने इनमें पहले से बढ़ोत्तरी की है और इसमें कोई कमी नहीं की गई है। इसलिए बजट एक सन्तुलित बजट है। तीसरी बात का इसमें यह ध्यान रखा गया है कि यह बजट जन आकांक्षाओं और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या नहीं। जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए व समाज की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हमने योजना का आकार 105.84 करोड़ से बढ़ाकर 110.84 करोड़ रुपये निर्धारित किया है। इस प्रकार से भारत सरकार ने जो प्लान हमको स्वीकार किया उनमें आर्थिक सेवाओं की तरफ विशेष ध्यान देते हुए और जन आकांक्षाओं का ख्याल करते हुए और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखते हुए हमने योजना में 5.34 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी करने में भी किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं की है।

इसके अलावा पिछड़े इलाके हैं या जो पिछड़ा तबका है, उनका भी ख्याल रखते हुए डिफरेंट डवलपमेंट के लिए ट्राइबल एरिया का भी विशेष ध्यान रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको थोड़ा तीन साल पीछे ले जाना चाहता हूं जब 30 मार्च 1972 के दिन में इसी तरह से बजट पेश करने के बाद माननीय सदस्यों की आलोचनाओं का जवाब दे रहा था तब मैंने अर्ज किया था कि अगर हम एक पंचसूत्री कार्यक्रम बनायें तो निश्चित रूप से खर्च में और खर्च करने की आदत में एक परिवर्तन और नियन्त्रण ला सकेंगे और यह आशा प्रकट की थी कि यदि इस प्रकार के प्रयत्नों से बचत नहीं कर पाये तो कम से कम एक बेलेन्स की स्थिति तो अवश्य ही कर पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, उस समय जो मैंने बातें बताई थी, उन पर जो अमल किया गया उसके लिए मैं थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूंगा, क्योंकि

(श्री चन्दनमल बैद)

मैं समझता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने इस बजट के लिए एक फिलोसोफी की ओर केवल थ्योरी की बात कही है, लेकिन मैं तो एक साधारण आदमी हूं ओर बनिया भी, कन्जूस बनिया भी। कई बार यह भी कहा गया है कि यह बजट बनिये का बजट है, अध्यक्ष महोदय मैं इसमें कोई हेटी नहीं समझता हूं। आखिर बजट में सन्तुलन तो होना ही चाहिए, सन्तुलन नहीं रखा जाय तो बजट बनिये का बजट क्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिस पंचसूत्री कार्यक्रम के लिये मैंने कहा था वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और सारी थ्योरी और सारी फिलोसोफी की बात उससे समझी जाती है। माननीय सदस्य जिन्होंने दर्शन की बात की है, उनसे में अर्ज करना चाहूंगा और बहुत ही मामूली बात अर्ज करना चाहूंगा। मैंने कहा था कि खर्चे में उस पंचसूत्री कार्यक्रम के अनुसार कमी की गई है। तीन साल में हमने किस प्रकार से कमी की है, इसके लिये जो उपाय काम में लाये गये जिनमें मुख्यत: निम्नलिखित हैं:–

ऐसे आदेश निकाले गये कि नये पदों का सृजन न किया जाय और जो पद तीन माह को अवधि से अधिक समय से रिक्त हैं उसकी पूर्ति न की जावे। यात्रा व्यय में कमी की गई। राजस्थान के बाहर के ट्रेनिंग प्रोग्राम और नये रिफरेशर कोर्स बन्द किये गये। शिक्षा विभाग की व ट्रेनिंग कोर्स की यात्राएं व एक्सकरशन बन्द करना, सेमीनार व विभागीय कान्फरेन्स पर रोक तथा अल्पाहार के व्यय में कमी। सरकारी गाड़ियों के के प्रयोग में यथासंभव कमी। मोटर गैराज के अलावा अन्य विभागों में गाड़ियों के खरीदने पर पाबन्दी। नया फर्नीचर, सजावट का सामान, टाइपराइटर, डुप्लीकेटिंग मशीन तथा अनावर्तक किस्म की सामग्री नहीं खरीदना, टेलिफोन, बिजली, पोस्टेज, स्टेशनरी के खर्चों में कमी, सरकारी भवनों की मरम्मत व सफेदी पर रोक, नई बिल्डिंग बनाने पर प्रतिबन्ध और वन विभाग में पक्षी, पशु पिंजड़े आदि खरीदने पर रोक, इस तरह के आदेश निकाले गये। इन आदेशों के अमल से इनके अनुसार तीन साल में 554.56 लाख यानि पांच करोड़ चौपन लाख और छप्पन हजार रुपयों की हम खर्चे में कमी कर सके हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी कमी नहीं है लेकिन मैं इसको बहुत बड़ी महत्वपूर्ण समझता हूं क्योंकि इससे सारे प्रदेश में खर्चे में कमी करने का एक वातावरण पैदा हुआ है। बहुत से विभागों में जो अनावश्यक खर्चों के लिये मांगें आती रहती थी, उनमें एक हद तक रोक लगी है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस कमी की बचत को मैं 5 करोड़ 54 लाख की बचत नहीं 25 करोड़ की बचत मानता हूं। इस तरह से अगर हम पाबन्दी नहीं लगाते तो आये दिन हर विभाग से नई बिल्डिंग बनाने के लिये, गाड़ियां खरीदने के लिये और कई चीजों के लिये मांग आती रहती और उन पर बहुत खर्चा करना पड़ता। इस कार्यक्रम से एक बचत करने का वातावरण हर विभाग में पैदा हुआ है और बचत की तरफ लोगों का ध्यान गया है। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, पंचसूत्री कार्यक्रम में एक बात और कही गई थी और वह थी कि टैक्सों से सख्ती से वसूली की कार्यवाही की जाय। हमारे कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि आपने रेट्स बढ़ा कर एक साल में ज्यादा कर वसूल कर लिये तो क्या भविष्य में भी ऐसा ही

Page No 128

(128)

(श्री चन्दनमल बैद)

करते रहेंगे। मैं निवेदन करना चहता हूँ कि मैंने किसी भी आमदनी को बढ़ाकर और किसी भी खर्चे में कोई कमी करके नहीं दिखाया है। अगर सावधानी से इस बजट को देखा जाय तो अन्त में जाकर निश्चित रूप से यह एक बैलेन्स बजट साबित होगा। टैक्सेज के ट्रेन्ड्स को देखें तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि 71–72 में ट्रेन्ड टैक्स 33.10 था, 72–73 में 37.05, 73–74 में 44.88 और उसके बाद यह 74–75 में 54 करोड़ हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह मैंने जनवरी के फिगर्स के आधार पर रखा था, उस समय मेरे पास फरवरी के फिगर्स नहीं थे लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से 55 करोड़ की आमदनी इस साल करूंगा। 75–76 में ट्रेन्ड टैक्स 59.40 करोड़ का 10 परसेण्ट एक्स्ट्रा पर लिया है। इस साल 20.3 को नहीं लेकर अगले साल के जिये अनुमान 10 परसेन्ट एक्स्ट्रा पर लिया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को कम से कम यह तो मानना ही होगा कि उस विभाग पर 10 परसेन्ट इन्क्रीज तो दिया गया ही है। इसी तरह से दूसरे विभागों के बारे में भी है। सारे फिगर्स मेरे पास में हैं, अगर अध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत दें तो मैं निवेदन कर सकता हूं। स्टेम्प्स और रजिस्ट्रेशन में 9.7 परसेन्ट, एन्टरटेनमेन्ट टैक्स में 23.6 के स्थान पर 15.8 परसेन्ट, ट्रेन्ड टैक्स इन्क्रीज रखा गया है, गुड्स और पेसेन्जर टैक्स में 9.4 परसेन्ट, ड्यूटीज आन इलेक्ट्रिसिटी पर 5.1 परसेन्ट इस प्रकार से ट्रेण्ड टैक्स की इन्क्रीज दिखाई गई है। अध्यक्ष महोदय, जहां 71–72 में हमारे टैक्सेज की रैवेन्यू 65.66 करोड़ रुपये थी वह इस साल हमारे रिवाइज्ड प्लान के अनुसार 102.87 करोड़ थी और अब बजट एस्टीमेट 75·76 के लिए 114.29 करोड़ रुपये लिया गया है। यह बिल्कुल रीएलिस्टिक है इससे नीचे जाने का प्रश्न नहीं है। तो इस तरह से टैक्स रैवेन्यू में बराबर इस बात की कोशिश करेंगे कि कहीं ढील नहीं दें। किसी सिनेमा को एग्जेम्पशन नहीं दें, किसी व्यापारी पर रैड होती हो तो उसको शरण नहीं दें। इस साल में हमने करीब 21,000 कवरेज की है, हम रैड तो नहीं कहते, रेड तो भारत सरकार कहती है। हमने सर्वे की हैं, चेकिंग किया है, उनसे चाहे पैसा कम वसूल हुआ हो लेकिन व्यापारियों में एक वातावरण बना है कि हम बिक्री कर की चोरी नहीं कर सकते और इस कारण से व्यापारी, पहले जितने ईमानदार थे उससे ज्यादा ईमानदार हुए हैं, पहले जितने बेईमान थे उससे कम बेईमान हुए हैं। इससे फायदा हुआ है। आप इन सब आंकड़ों को देख रहे हैं कि कैसे सेल्स टैक्स की आमदनी बढ़ी है। मैं समझता हूं यह बहुत बड़ा रेकार्ड है।

इसी तरीके से दूसरा जो 5 सूत्री कार्यक्रम था उसमें यह भी था कि लोन्स की वसूली कड़ाई के साथ करेंगे। उस समय भी मैंने कहा था कि लोन्स का मामला ऐसा काम्पलीकेटेड मामला है, उसमें ऐसे लोग इन्वाल्वड हैं जिन पर बहुत ज्यादा कड़ाई नहीं कर सकते। हमने 265.18 करोड़ लोन्स और एडवान्सेज दिए हुए हैं उसमें से 198.97 करोड़ कर्जा मेरे दोस्त देवपुराजी के विद्युत् मंडल पर है, वसूल करने का सवाल नहीं। यह बट्टे खाते नहीं

(श्री चन्दनमल बैद)

है, इससे राज्य का बहुत बड़ा विकास हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अनुसार हम उनमें इन्वेस्टमेंट लोन्स के रूप में कर सकते हैं इसलिए लोन्स के रूप में किया है। बहुत बड़ा विकास और प्रगति का काम उससे हो रहा है। जब भी राज्य के फाइनेन्सेज में जरा भी गुंजाइश होगी तो और ज्यादा पैसा विद्युत् मंडल में इन्वेस्ट करेंगे और ज्यादा गांवों और कुओं को विद्युतीकरण करेंगे। मैंने बजट भाषण में भी कहा था कि बस्तियों और कुओं को ज्यादा बिजली देने के लिए एक करोड़ रुपया ज्यादा दिया है। लेकिन ज्यों ज्यों बजट बचत की तरफ जाएगा त्यों त्यों साल के दौरान और ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, ऐसी हमारी मन्शा है। बाकी लोन्स टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स वसूल होने वाले हैं। लोन्स टू म्युनिसिपैल्टीज एण्ड इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स 4.20 करोड़, यह मुश्किल है। लोन्स टू डिस्प्लेस्ड गोल्डस्मिथ्स 1.66 करोड़, फेमिन एडवांसेज 10.64 करोड़ यह मुश्किल काम है। कोआपरेटिव इन्स्टीट्यूशन्स; क्रय-विक्रय संघ 3.58 करोड़, अदर इन्स्टीट्यूशन्स 5.02 करोड़। सहकारी समितियों के लोन्स की वसूली में अच्छी प्रगति हुई है। अगले साल इस प्रगति को जारी रखेंगे।

श्री किशन मोटवाणी : इन्डवीज्यूअल लोन्स ?

श्री चन्दनमल बैद : लोन्स टु एग्रीकल्चरिस्ट्स

लोन्स टु एग्रीकल्चरिस्ट्स	21 57 करोड़
लोन्स टु इंडिस्ट्रियलिस्ट्स	5.80 ,,
हाऊसिंग लोन्स	8.00 ,,
एजूकेशनल लोन्स	2.19 करोड़
मिसलेनियस लोन्स	0.51 ,,
	265.18 करोड़

इसमें से 198.97 करोड़ विद्युत् मंडल पर हैं। इस बारे में भी हमने कोशिश की हैं और हम हर साल कुछ न कुछ पैसा जितना ज्यादा हो सकता है, वसूल कर रहे हैं। पिछले साल 6.99 करोड़ रुपये वसूल किए हैं। जो एग्रीकल्चरिस्ट्स या गोल्डस्मिथ्स हैं ये ऐसी श्रेणियां हैं जिन पर हम ज्यादा सख्ती नहीं कर सकते। उसमें उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सके जितनी दूसरे सेक्टर्स में कर सके।

5 सूत्री कार्यक्रम में यह भी था कि नान-टैक्स रैवेन्यू को बढ़ायेंगे। कल सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने शिकायत की कि हम केवल कर्जा लेकर प्लान को बढ़ाना चाहते हैं वह ठीक नहीं है। आज बहुत सा पैसा जो हमें भारत सरकार से मिलता है जैसे प्लान एसिस्टेंस में हम बराबर शिकायत करते रहे हैं कि 45 करोड़ ज्यादा क्यों नहीं मिलता ? लेकिन प्लान एसिस्टेंस में 70 परसेंट कर्जा और 30 परसेंट ग्रांट है। तो हम भारत सरकार से कह दें कि कर्जा हमें नहीं लेना है ? एल.आई.सी. से लोन मिलता है बीसलपुर और राजमहल योजना बना रहे हैं, जयपुर की जलप्रदाय योजना के लिए एल.आई.सी. से पैसा मिलता है, 6 जिलों में विद्युतिकरण योजनाओं के लिए बैंकों से हमें पैसा मिल रहा है। सारी योजना के लिए भारत सरकार से, एल. आई. सी. से या रिजर्व बैंक से पैसा मिलता है तो लोन लेकर

(श्री चन्दनमल वैद)

प्रगति करना कोई गलत बात नहीं है लेकिन लोन लेकर रोजमर्रा के खर्चे में लगाना, बुरी बात है। भारत सरकार से रोजमर्रा के खर्चे के लिए लोन लेना बंद हो गया, हमने प्रगति और विकास करना शुरू कर दिया है, वह बुरी बात नहीं है।

तो नान-टैक्स रेवेन्यू के सिलसिले में मैं फिगर्स देना चाहता था कि 1972—73 के अकाउंट्स के अनुसार इंडस्ट्रीज एण्ड माइन्स से आमदनी हुई 6,94,22,000) रु. और 1975—76 के बजट एस्टीमेट्स में रखा है 22,77,24,000) रु.। रिवाइज्ड एस्टीमेट्स 1974—75 के लिए 16,73,81,000) रु. तो 6.94 करोड़ से बढ़कर हम अगले साल 1975-76 में 22,77,24,000) रु. इंडस्ट्रीज और माइन्स से आमदनी करेंगे, यह नान-टैक्स रेवेन्यू है। इसी तरह फारेस्ट्स में 1972—73 में 1,96,29,000) रु. आमदनी थी वहां 1975—76 में 40,95,000) रु. आमदनी करेंगे और रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में 3,83,29,000 रु. है। हमने पूरी कोशिश की है कि नान टैक्स रैवेन्यू को जितना बढ़ा सकें उतना बढ़ायें। टोटल फीगर है 1972—73 की 55,00,62,000 रु., बजट एस्टीमेट्स 80,21,29,000) रु.। इसमें भी काफी प्रगति की है। यह सारा सुधार जो आपको दिखाई दे रहा है बजट में और आर्थिक स्थिति में, इस सारी आमदनी को मजबूती के साथ बढ़ाने की कोशिश की गई है। मैं नहीं कहूंगा कि इसका सारा श्रेय मुझे मिले। जैसे इकानामी का सवाल आता है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने का सवाल है, नान टैक्स रैवेन्यू बढ़ाने का सवाल है, चाहे भारत सरकार से ज्यादा पैसा वसूल करने का सवाल है। उसमें जब तक मुख्य मंत्रीजी का सहयोग प्राप्त नहीं होगा तब तक वित्त मंत्री आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मंत्री मंडल का सहयोग प्राप्त नहीं हो तो कोई भी मंत्री आगे नहीं बढ़ सकता। इसी तरह से सदन के माननीय सदस्यों का सहयोग प्राप्त न हो तो वह आगे नहीं बढ़ सकता। मैं माननीय सदस्यों की प्रशंसा करना चाहता हूं कि हमने 21,000 रैड्स की, सर्वे की, लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी उपाध्यक्ष जी आपको अध्यक्ष होने के नाते खुशी होनी चाहिए कि सर्वेज के लिए किसी माननीय सदस्यों ने कोई शिकायत नहीं की, मैं सारे साथियों का आभारी हूं इस बात के लिए कि इस विभाग को बिना किसी हस्तक्षेप के तकलीफ दिए हुए, पूरा काम करने का मौका दिया और मुझे विश्वास है कि आगे भी इस बात का मौका देंगे और मुझ पर आशीर्वाद और मेहरबानी बनी रही तो यह अच्छा काम करेगा।

श्री यशवंतसिंह नाहर : यह सारा रेकार्ड पहले ही माननीय सदस्यों को दे देते तो इतनी बातें क्यों होती? आपने तो यह अपनी जेब में रख दिया था।

श्री चन्दनमल वैद : अभी बहुत सा रेकार्ड माननीय सदस्यों को देना है। अब मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा यदि एक बात नहीं कहूं। छठे वित्त आयोग के जब टर्म्स आफ रेफरेंस तय हो रहे थे उस समय गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात का सजेशन दिया था कि कैलेमिटी फंड के बारे में प्रश्न उठाना

(श्री चन्दनमल वैद)

चाहिए। एक दूसरा पाईन्ट उठा था कि जो कर्जा है भारत सरकार का राज्यों पर उसका रीशिडूलिंग होना चाहिए। इन दो बातों में हमारे सदन के माननीय सदस्यों के अलावा दूसरे लोग जो गैलरियों में बैठते हैं, जो सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेते लेकिन कार्यवाही सारे प्रदेश को बताते हैं, उन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा इसमें। मैं पहले भी कह चुका हूं उन लोगों से अलग अलग प्रेस वालों से कि आपका बड़ा ही सहयोग इसमें रहा है रीशिडूलिंग आफ डेट्स और कैलेमिटी फंड जो दो पाइन्टस हमने उठाये थे उनको उन्होंने मंजूर कर लिया उनको केन्द्रीय वित्त मंत्री रिजेक्ट कर चुके थे लेकिन प्रेस का प्रेशर था, लोबी बनी, दो पाइंट्स वित्त आयोग को रेफर करने पड़े और यह फायदा हुआ कि हमारा जो 1,08,00,000) रु. का कैलेमिटी फंड था वह 10.19 करोड़ हो गया और डेट रिलीफ करीब 250 करोड़ का मिला। अध्यक्ष महोदय, तो इसमें हमें 50 करोड़ मिला और 250 करोड़ का डेट रिलीफ पिछला मिला इसी प्रकार कुल मिलाकर 300 करोड़ रुपये का हमें फायदा हुआ। इसके लिए मैं प्रेस के बन्धुओं का और माननीय सदस्यों का आभारी हूं क्योंकि उनकी वजह से हमें यह फायदा हुआ। यह जो एडीशन हुआ अध्यक्ष महोदय वह सभी इन लोगों के प्रयास से हुआ। इसके अलावा एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहां पर सदन के माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न बार-बार उठाया कि राज्य सरकार पर बहुत कर्जा है हमारे ऊपर कर्जा इतना हो गया है कि हम कर्ज से दब गये हैं। अध्यक्ष महोदय कर्जे के प्रश्न को लेकर सदन में न केवल सामान्य चर्चा के समय बल्कि प्रश्न काल में भी इस बारे में कई माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाये हैं। अध्यक्ष महोदय जहां तक कर्ज का सवाल है मैं पहले भी कई बार सदन में अर्ज कर चुका हूं कि कर्जा होना कोई बुरी बात नहीं है। कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में चिन्ता व्यक्त की और इस के बारे में बार बार जानकारी चाही।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि 31-3-75 तक राजस्थान सरकार पर 962.94 करोड़ रुपये का कर्जा है जैसा कि माननीय सदस्यों ने इस कर्जे के बारे में काफी नाराजगी जाहिर की तो इसके बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कर्जा हमने एक ही जगह से नहीं लिया है। यह कर्जा हमने भारत सरकार से, एल. आई. सी., रिजर्व बैंक वगैरहा से लिए हैं। जहां हमने इतना कर्जा लिया है उसके अनुपात में हमारे ऐसेट्स भी तो बढ़े हैं हमारे प्रोजेक्ट्स तैयार हुए हैं। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस कर्जे की किश्तें और ब्याज हम समय-समय पर चुका रहे हैं। उसमें हमने कोई खामी नहीं रखी है। अभी यहां सदन में एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि हमने 9 करोड़ कुछ लाख रुपये की ब्याज की किश्त नहीं चुकायी तो उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो बात सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन से कहा था वह उन्होंने मानली जिसका नतीजा यह हुआ कि यह 9 करोड़ कुछ लाख रुपया उस एकाउन्ट में एडजेस्ट हो गया।

(श्री चन्दनमल वैद)

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी आलोचना की कि हमने बैक डोर ऐन्ट्री करके टैक्स लगाये हैं। अध्यक्ष महोदय यह बात सही है कि पिछले बजट सत्र के बाद और इस बजट सत्र के पहले टैक्स लगाये गये हैं। लेकिन यह कहना कि हमने 28 करोड़ 40 लाख रुपये के टैक्स लगाये है यह बात सही नहीं है। अध्यक्ष महोदय इसमें जो 28.40 लाख रुपये की टैक्स की जहां पर माननीय सदस्य बात करते हैं वहां पर मेरा निवेदन यह है कि हमने एडीशनल रिसोर्सेज को मोबोलाइज किया है टैक्स लगाने में और एडीशनल सोर्स मोबेलाइज करने में फर्क होता है। अध्यक्ष महोदय हमने रिविजन आफ रेट्स आफ रोक फास्फेट किया है। इससे हमें इस साल 5.75 लाख रुपये का लाभ हुआ है और 3.60 करोड़ का फायदा पिछले साल हुआ है यों करके टोटल हमें काफी फायदा हुआ है। अगले साल राक फास्फेट से हमें 9 करोड़ और 35 लाख रुपये का लाभ होगा। इसमें टैक्स लगाने की बात कहां से आ गयी। हमने हमारे माल की कीमत को बढ़ाया है। अध्यक्ष महोदय फोरिन से जो राक फास्फेट आता है वह 660 रुपये पर टन पड़ती और हमारे यहां से राक फास्फेट है वह 550 रुपये पर टन है। जहां तक ग्रेडेशन का सवाल है फोरेन से जो राकफास्फेट आता है वह तो प्लस 32 होता है और हमारे यहां का जो राक फास्फेट है वह प्लस 30 है। तो इसमें कोई विशेष फर्क नहीं है यह तो हमने राक फास्फेट के बारे में तालमेल भारत सरकार से बैठाया है अगर हम यह नहीं बैठाते तो यहीं पर बैठे माननीय सदस्य यह कहते कि अगर इस प्रकार का कार्य किया जावे तो राज्य सरकार को लाभ हो सकता है। यही हमारी इसके लिए आलोचना होती। आज अध्यक्ष महोदय जो राक फास्फेट की भारत सरकार को जरूरत है उसका 75 परसेन्ट तो बाहर से आता है और 25 परसेन्ट हम सप्लाई करते हैं। तो कहां तो राक फास्फेट 680 रुपये पर टन का और कहां 550 रुपये प्रति टन का राक फास्फेट। यह तो हमने हमारे माल की कीमत को बढ़ाया है कोई टैक्स नहीं लगाया है यह हमने एक सही कदम उठाया है। कोई टैक्स नहीं लगाया है। तो मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्यों ने टैक्स लगाने की बात कही वह वाजिब नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सदस्यों ने इलेक्ट्रिसिटी की रेट्स बढ़ाने के बारे में भी चर्चा की। अध्यक्ष महोदय यह तो वित्त मंत्री ने थोड़ी बढ़ायी है यह तो हमारे यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसने बढ़ायी है वह इण्डिपेन्डेन्ट बोर्ड है उसने रेट्स बढ़ायी तो हमने थोड़ी कहा कि रेट बढा दो। अध्यक्ष महोदय यह तो ठीक है कि उन्होंने हमसे फोरमल अनुमति प्राप्त की थी। इससे भी राज्य सरकार को 11 करोड़ का लाभ हुआ। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में हमें मिला। तो 11 करोड़ तो यह और 9 करोड़ और कुछ लाख रुपये राक फास्फेट से यों करके हमें कुल 20 करोड़ रुपये तो यों मिल गये अब आपने जो 28.40 करोड़ की टैक्स लगाने की बात थी वह कहां गयी। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय हमने कोई टैक्स नहीं लगाये हैं।

(श्री चन्दनमल बैद)

इस तरह से अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पेसेन्जर टैक्स में जो यातायात निगम ने वृद्धि की है वह भी हमने नहीं की है। वह तो यातायात निगम खुद करता है मैं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर रह चुका हूं उस वक्त भी पहले पेसेन्जर टैक्स बढ़ाया गया था पर उसके बजट में बढ़ोतरी करने का सवाल नहीं है वह तो निगम खुद लगाती है। और कई सालों बाद यह लगा है। इसमें वित्त मंत्री का क्या दोष है। इसी प्रकार यहां पर अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि पानी की रैट्स बढ़ादी हैं। तो इसके लिए हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि जब राज्य सरकार आपको पीने को शुद्ध जल देती है आपके लिए पानी लाने की व्यवस्था करती है तो इतनी तो उम्मेद राज्य सरकार भी करके चले कि उसकी व्यवस्था के लिये इकोनोमिक रैट तो हमें रखने पड़ेंगे। एक तरफ आप पीने के पानी की सुविधा चाहते हैं दूसरी तरफ इस तरह चाहते हैं कि उसको मैनटेन करने के लिये पैसे भी नहीं लिया जाय। आप माननीय सदस्य इसका विरोध करते हैं।

श्री किशन मोटवानी : ओन ए पोइन्ट आफ आर्डर आप 24 घन्टे में आधा घन्टा पानी भी नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बीच में नहीं बोलें। आप सुनिये।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से इर्रीगेशन की रैट्स बढ़ाने के बारे में भी निवेदन किया है, कि रेट्स बहुत बढ़ा दी गयी हैं। पड़ोसी राज्यों की रेट्स का उदाहरण देते हैं। अध्यक्ष महोदय हमने विकास के कार्य किये हैं उस एरिया में वहां के लोगों को फायदा हुआ है उनकी बहबूदी हुई है उनकी माली हालत में सुधार हुआ है। तो जो हमने वहां पर विकास का कार्य किया है उसके रख रखाव के लिये हमें इर्रीगेशन की रेट्स को बढ़ाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय वहां पर एक रुपया अगर रैट हमने बढ़ा दिया तो क्या गलती की ? जब कि अध्यक्ष महोदय अगर लोग कुओं से सिंचाई करते हैं बिजली से तो सात रुपया खर्चा प्रति एकड़ आता है, अगर डीजल से करते हैं तो 14 रुपया प्रति एकड़ खर्च आता है और अगर कोई व्यक्ति ऊंट से या और कोई साधन से सिंचाई करता है तो 20 रुपये प्रति एकड़ खर्चा आता है। उसके मुकाबले में जहां 7, 14 और 20 रुपये प्रति एकड़ खर्च आता है वहां पर हमने इतनी फैसीलिटीज देकर एक रुपया बढ़ा दिया है तो क्या गुनाह किया है। आज वहां के लोगों की प्रगति हुई है, वहां के लोगों की बहबूदी हुई उसके लिये भी तो राज्य सरकार ने खर्चा किया था क्या जिन लोगों की इतनी बहबूदी राज्य सरकार की वजह से हुई वह लोग उन पिछड़े क्षेत्र के लोगों के लिये जो पिछड़े हुए हैं उन्हें ऊपर उठाने के लिये उनकी बहबूदी के लिये अगर नहरी एरिया के लोगों को मामूली कर भार उठाना पड़ता है तो मैं उसे जायज मानता हूं यह कोई गलत काम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, राक फास्फेट के बारे में कल भी कुछ बात उठायी गयी। आज फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस मुद्दे को उठाया। राक फास्फेट के बारे में मैं थोड़ा पहले जिक्र कर चुका हूं और जैसा

(श्री चन्दनमल बैद)

मैंने कहा कि हमने कुछ प्राइसेज बढ़ायी हैं उससे हमें काफी आमदनी बढ़ेगी । हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा प्लस 30 ग्रेड का राक फास्फेट है और जो डाइरेक्टली यूजेबल है उसको तो हम भारत सरकार को बेच देंगे । और जो राक फास्फेट डाइरेक्टली यूजेबल नहीं है, जिसकी मिकदार भी ज्यादा है उसके लिये एक बेनिफिशियेशन प्लान्ट लगावें । इसके लिये हमने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तैयार करायी है । यह 60 करोड़ की स्कीम है । इसमें हिस्सा पूंजी जो लगाना है वह 24 करोड़ है । भारत सरकार यह चाहती है कि 49.50 के रेश्यो से हम शेयर होल्डर बन जायें । यह एक बहुत बड़ा नोन टैक्स रेवेन्यू है, मुझे माफ करेंगे यदि मैं यह कहूं कि यही एक बहुत बड़ा कारण है जिससे हम गत दो साल से टैक्स लगाने से बचते रहे हैं पहले भारत सरकार ने हमको 75 करोड़ इकट्ठा करने के लिये कहा और अभी भी करने के लिये कह दिया उसमें यह चीज बहुत बड़ा हिस्सा रखती है । उनका कहना यह है कि 50 परसेन्ट वे ले जायें और 50 परसेन्ट हमारे पास । माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि पार्टनरशिप क्यों नहीं करते हैं । यदि कम्पनी बनेगी तो 50 परसेन्ट उनके पास चला जावेगा । बाकी 50 परसेन्ट में से 25 परसेन्ट भारत सरकार के पास चला जावेगा और 25 परसेन्ट हम को मिलेगा 7 करोड़ का हिस्सा । लेकिन हमने यह सोचा है कि खनन् का कार्य राजस्थान सरकार करे और सारा का सारा मुनाफा जो हो वह हमारे पास आये और बेनिफिशियेशन का जो काम है वह दूसरी कम्पनी करे । खनन् करके जिस तरह से हम दूसरों को बेच रहे हैं उसी प्रकार से कम्पनी को भी कहेंगे कि आप भी लीजिये बेनिफिशियरी प्लान्ट के लिये । 50 परसेन्ट से ज्यादा नही देना चाहते । जिस भाव में दूसरों को देते हैं उसी भाव में कम्पनी को भी देंगे यदि कम्पनी मानती है कि दूसरों को देते हैं उस भाव में हमें भी मिलता है तो हमें मुनाफा नहीं होता है । हम यह चाहेंगे कि बेनिफिशियेशन प्लान्ट लगाये वह और 18 करोड़ रुपया मुनाफा शेयर के बतौर राजस्थान सरकार अपनी तरफ से देगी और बेनीफिशियरी प्लान्ट का उत्पादन शुरू करायेगी । कम्पनी नहीं करेगी तो हम खुद कर लेंगे । प्रदेश में कई चीजें हैं जिनसे हम मुनाफा कमा सकते हैं और हम चाहते हैं कि उससे प्रदेश को माली हालत को ठीक करें ।

श्री पी. के. चौधरी : 18 करोड़ कहां से आवेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने कहा कि राजस्थान सरकार अपने आप खुद कर लेगी ।

श्री पी. के. चौधरी ; बाकी का पैसा ?

श्री चन्दनमल बैद : वर्ल्ड बैंक, कामर्शियल बैंक से आवेगा ।

श्री किशन मोटवानी : पहले शिवचरण जी ने किया और अब आप करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : नो इन्टरफियरेन्स ।

श्री चन्दनमल बैद : किसी से भी देश हित के लिये मुहादा करना पड़े तो भारत

(श्री चन्दनमल बैद)

सरकार से पूछ कर करेंगे। यों नहीं करेंगे।

मैं इसीलिये निवेदन कर रहा था कि 75 पर्सेन्ट बाहर से राक फास्फेट आता है। 25 पर्सेन्ट हम दें। हम यह चाहते हैं कि बाहर से 50 पर्सेन्ट ही आये। इस वर्ष जो मिकदार रखी है खनन् की उसको हम पूरा करेंगे। फरवरी 75 तक 3 लाख 75 हजार टन राक फास्फेट खनन् किया है और 35 हजार टन खनन् होना बाकी रहता है, हमें पूरी आशा है कि उसको इस महीने में पूरा कर लेंगे। अप्रेल से 10 लाख टन करना चाहते हैं वह निश्चित रूप से कर लेंगे बहुत बड़ी मिकदार है। 74-75 के लिये जो आंकड़े दिये हैं उससे आगे निकले हैं। आगे निकलते हुए भी हमारे पास 11 करोड़ रुपये का राक फास्फेट पड़ा हुआ है। यदि वह बिक जाता तो यह बहुत बड़ा बचत का बजट होता। 11 करोड़ कहीं गये नहीं वह आपके पास पड़े हुए हैं। वह बिकना है। अगले साल का बजट ज्यों ज्यों टाइम बीतता जावेगा त्यों त्यों बचत के बजट में परिणत होता चला जावेगा।

एक माननीय सदस्य : 11 करोड़ का सस्ते ब्याज से कितना होता है?

श्री चन्दनमल बैद : बहुत सस्ता ब्याज। लेकिन कम से कम पूंजी तो महफूज है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरी आदत भी नहीं है ज्यादा बोलने की।

एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो उठाया गया है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अकाल के संबंध में माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की। उस चिन्ता में मैं भी अपने आपको भागीदार मानता हूं और जो कुछ कहा है उन सारी बातों को सही मानता हूं। सचमुच में अकाल के कारण से प्रदेश में बुरी स्थिति हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस सिलसिले में हम जल्दी से जल्दी कारगर कदम उठायें। मैंने बजट में कहा है कि इस साल 10 करोड़ 24 लाख इसके लिये हैं। भारत सरकार से प्लान एडवान्स से है। अगले साल भी 15 करोड़ ले सकते हैं। इससे भी हमारा काम नहीं चला तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वित्त मंत्री की हैसियत से लोगों को राहत देने के लिये जितने भी पैसे की आवश्यकता होगी मुहैय्या करूंगा और जितने काम की आवश्यकता होगी लोगों को राहत देने के लिये उतने खोले जावेंगे। इस समय 90 हजार व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं और भी लोगों को तुरन्त लगाया जायगा। मैंने राज्य मंत्रीजी से बात कर ली है। दिन ब दिन ज्यादा लोगों को लेंगे। इस तरह का वातावरण नहीं होगा किसी तरह से राहत कार्यों में कमी आवे। जितनी आवश्यकता होगी उतना दिया जावेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्यों का इसमें पूरा सहयोग मिले। मैं उनका पूरा सहयोग चाहता हूं। जिन सिद्धान्तों के आधार पर हमने अपने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधार रखा है, एक ढर्रे पर लाये हैं एक एकड़ में लाये हैं अगर हमने जरासी भी ढील बरती और यह समझ लिया कि स्थिति अच्छी हो गयी है इसलिये ज्यादा फैला लें राहत कार्यों को, तो मैं यह चेता-

(श्री चन्दनमल वैद)

वनी देना चाहता हूं कि हम पुनः उसी दलदल में फंस जावेंगे जहां से हम गत तीन साल में उस दलदल से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को निकाल कर बाहर लाये हैं। इसलिये माननीय सदस्य मुझे इसमें सहयोग करें। राहत कार्यों का जहां तक सवाल है उनमें कंजूसी नहीं करेंगे। दिल खोल कर उसमें सहयोग देंगे। लेकिन प्राथमिकता और अनुपात को जोड़ कर रखें।

जो कुछ भी माननीय सदस्यों ने कहा उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और आभारी हूं उनका कि उन्होंने बहुमूल्य सुझाव पेश किये।

श्री नत्थासिंह : माननीय अध्यक्षजी··

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य···

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 8-3-75 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक सायं 6.9 बजे दिनांक 8–3–1975 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

(ता. प्र. सं. 388 की सूची)

सूची-क

विधान सभा प्रश्न संख्या 5/मे.म. द्वारा श्री जनार्दनसिंह

प्रश्न–(1) का उत्तर, भेड़ व ऊन विभाग में राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध जांच की सूची।

क्रमांक नाम व पद 2	केस का विवरण 3	कब से चल रहा है 4	आरोप क्या है 5
1. श्री राजेन्द्रमोहन सेठी भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी।	ऊन क्रय में गबन व झूंठे वाउचर प्रस्तुत करने बाबत।	30-8-67	1. वित्त. बिल 66 में ऊन क्रय के मामले में 1258/- रुपये के झूंठे वाउचर बनाकर गबन करना। 2. 13 वर्षीय नाबालिग श्री मंगाराम के नाम ऊन क्रय के झूंठे वाउचर बनाना और 967/- रु. का भुगतान करना। 3. पांच विभिन्न व्यक्तियों के नाम रु. 2526/- रुपये के झूंठे ऊन क्रय के वाउचर बनाना।
2. श्री ए.सी. दुबे, सहा. निदेशक (विपणन) भेड़ व ऊन विभाग।	यात्रा भत्ता बिल एवं एफ. वी. सी. बिल झूंठे बनाना व चार्ज करना।	20-1-68	1. 13-1-64 से 10-6-64 तक की अवधि में झूंठे यात्रा भत्ता चार्ज करना। 2. मार्च 64 का यात्रा भत्ता की राशि प्राप्त करने के बाद बिल में गलत प्रमाण-पत्र अंकित करना। 3. एफ.वी.सी. बिल नं. 47 दिनांक 24-3-67 पर गलत प्रमाण-पत्र अंकित करना।

2	3	4	5
			4. दो डिस्पेच रजिस्टर एवं दो पोस्टेज स्टाम्प रजिस्टर संधारित करना एवं मूल रजिस्टर में फेरबदल करना।
			5. ऊन वर्गीकरण अधिकारी, पाली के पद पर कार्य करते समय राज्यादेश के विरुद्ध अनियमित रूप से सामान खरीदना।
			6. वित्तीय नियमों की अवहेलना करते हुये ऊंचे भाव से सरकार सामान खरीदना।
			7. आवश्यकता न होते हुए भी वित्तीय नियम 256 के विरुद्ध सामान खरीदना।
			8. सामान प्राप्त होने से पूर्व ही उक्त सामान का मूल्य चुकाना।
			9. चार साईन बोर्ड अतिरिक्त उच्च दर पर खरीदना।
			10. स्टोर एवं स्टाक में सरकार सामान की कमी के लिए दोषी।
			11. राज्य सरकार के निषेध (बेन) के बावजूद फर्नीचर खरीदना।
			12. प्रदत्त शक्तियों के विरुद्ध अधिक संख्या में दैनिक मजदूरों को काम पर रखना।
			13. राजकीय मुद्रणालय से अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना ही लेखन सामग्री खुले बाजार से खरीदना।

1	2	3	4	5
3.	श्री रामेश्वर लाल बी. माथुर भूतपूर्व प्रसार अधिकारी।	ऊन क्रय करने में अधिक भुगतान।	8-11-68	1. मार्च 67 क्लिप में घटिया किस्म की ऊन क्रय कर राज्य सरकार को रु. 1372.91 पैसे को आर्थिक हानि पहुंचाना। 2. उपरोक्त क्लिप में ऊन में धूल मिलाना एवं विभागीय निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर ऊन खरीदना।
4.	श्री सत्यदेव प्रसाद भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी।	ऊन क्रय करने में अधिक भुगतान।	6-2-69	1. सितम्बर 66 क्लिप में घटिया किस्म की ऊन क्रय कर राज्य सरकार को रु. 13468/- की आर्थिक हानि पहुंचाना।
5.	श्री विरदाराम चौधरी, भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी।	झूंठी बुकिंग एवं ऊन क्रय में अनियमितता।	18-3-69	1. सितम्बर 66 क्लिप में झूंठी बुकिंग व ऊन क्रय के झूंठे वाउचर प्रस्तुत करना, अभिलेखों में झूंठे इन्द्राज कर लेखा प्रस्तुत कर धनराशि का दुरुपयोग करना। 2. झूंठे वाउचर बनाकर गलत आदमियों को भुगतान करना।
6.	श्री जे.एस. गंगवार, भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी।	ऊन क्रय करने में अधिक भुगतान।	3-9-70	1. सितम्बर 66 क्लिप में घटिया किस्म की ऊन क्रय कर राज्य सरकार को 4215.85 पैसे की हानि पहुंचाना।
7.	श्री एस.सी. अग्रवाल, भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी।	राजकीय भवन में निवास एवं राजकीय सामान निजी उपयोग में लाना आदि	10-7-68	1. भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र रायसिंहनगर के राजकीय भवन में बिना पूर्व स्वीकृति के एवं किराया जमा कराये निवास करना। 2. राजकीय सामान को निजी उपयोग में लाना।

Page No 140

(140)

1	2	3	4	5
				3. अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को परेशान करना। 4. उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना कर स्थानान्तरण पर प्रस्थान न करना।
8. श्री एस. डी. गुप्ता, अधीक्षक, भेड़ प्रजनन केन्द्र (निलम्बित)।	सामान खरीदने में अनियमितता/चारा दाना में गबन आदि।	10-8-70	7-2-74	1. भण्डार का सामान वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार क्रय न करना। 2. राजकीय सामान के गबन में प्रोत्साहन देना। 3. पाला खरीदने में गबन करने बाबत। 4. चारे दाने के रजिस्टर के पृष्ठ बदल कर पशुओं को चारे का फर्जी वितरण दिखाना। 5. चार मेंढ़ों का फर्जी वितरण दिखाना। 6. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से निजी निवास पर काम लेना। 7. नौकरी दिलाने की आशा देकर रिश्वत लेना। 8. भेड़ खरीदने बाबत दी गई राजकीय रकम अपने पास रखकर अस्थाई गबन करना।
9. श्री धर्मपालसिंह, भू. पू. जिला भेड़ व ऊन-अधिकारी व श्री बी. एल. राजौरा।	ऊन खरीदने के वाउचर पर गलत तरीके से दबाव डाल	25-5-68		1. विभागीय प्रणाली के विपरीत ऊन क्रय कर अपने पद का दुरुपयोग करते हुये अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नाजायज तौर से

1	2	3	4	5
		कर हस्ताक्षर कराने के सम्बन्ध में।		दबाव डालकर गलत लेखों पर हस्ताक्षर करवाना और गलत डायरियां तैयार करना।
10.	श्री इन्द्रसिंह वीका भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी।	निजी चिकित्सा व्यवसाय चलाने बाबत एवं कार्य से अनुपस्थित रहने बाबत तथा ऊन खरीदने में अनियमितता।	2-7-73	1. जिला भेड़ व ऊन अधिकारी के विरुद्ध असत्य शिकायत करना। 2. निजी चिकित्सा व्यवसाय चलाने के सम्बन्ध में। 3. स्वेच्छा से पूर्व स्वीकृति बिना अनुपस्थित रहना। 4. उपस्थिति पंजिका में कई दिनों तक हाजिरी न करना। 5. स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना करते हुये कार्य से निरन्तर अनुपस्थित रहना।
11.	श्री पी.एव. प्रियानी अधीक्षक, भेड़ प्रजनन केन्द्र।	राजकीय जमीन पर स्वयं का ईंटों का भट्टा लगाना व सरकारी साधनों व कर्मचारियों को उसमें नियोजित करना।	21-9-72	1. राजकीय फार्म की जमीन पर स्वयं का ईंटों का भट्टा लगाना, सरकारी साधनों व कर्मचारियों को स्वयं के लिए ईंट तैयार करने व खान के पत्थर मंगवाने के काम में लिया जाना।

सूची-ख

(2) प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर :—

विभाग में जिन अधिकारियों ने वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये विवरण:—

क्रम संख्या	नाम अधिकारी	प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	क्या कार्यवाही की गई
1	2	3	4
1.	श्री डी. एस. राठौड़, जिला भेड़ व ऊन अधिकारी।	14-6-69	कृषि विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 8 (105 कृषि 3।67, दिनांक 21-7-69 के द्वारा श्री राठौड़ के आवेदन को अस्वीकृत कर इसके निर्णय से निदेशालय भेड़ व ऊन को अवगत करा दिया गया था।
2.	श्री नाहरसिंह, जिला भेड़ व ऊन अधिकारी।	8-2-72	—
3.	श्री आनन्दबिहारी शर्मा, जिला भेड़ व ऊन अधिकारी।	25-5-74	विचाराधीन है।
4.	श्री बी. डी. गोयल, जिला भेड़ व ऊन अधिकारी।	19-6-74	श्री बी. डी. गोयल को कृषि विभाग के आदेश संख्या एफ. 12 (114) कृषि। 3।74, दिनांक 1-11-74 के द्वारा मुख्य कल्पन अधिकारी के पद से जिला भेड़ व ऊन अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया जा चुका है।

परिशिष्ट—2

(ता. प्र. सं. 390 की सूची)

सूची-क

(1) गत तीन वर्षों में पुष्कर मेले में पशुपालन विभाग को वर्षवार निम्न आय हुई है:—

वर्ष	आय
1972	78,442.71 पैसे
1973	1,16,610.00 पैसे
1974	1,00,965.90 पैसे

सूची 'ख'

गत तीन वर्षों में पशु मेला पुष्कर के आयोजनार्थ मद वार खर्चा निम्न प्रकार है:—

मद	1972	1973	1974
(1) प्रकाश	7,950.96	4,552.40	6,300.00
(2) जल	8,256.63	8,355.50	8,550 00
(3) प्रदर्शनी	6,981.48	2,574.50	1,500.00
(4) वाहन संधारण	3,828.81	4,138.85	3,700.00
(5) फर्राशखाना	9,162.14	5,541.00	13,733.18
(6) अस्थाई मजदूर	4,500.30	4,000.65	5,500.00
(7) स्वास्थ्य व्यवस्था	2,255.71	3,485.50	2,500.00
(8) सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेल कूद	2,080.63	3,222.43	4,000.00
(9) डाक एवं टेलीफोन	1,281.50	1,085.40	1,000.00
(10) पारितोषिक वितरण	4,027.60	4,490.19	3,900.00
(11) खेली व स्टेज की मरम्मत	810.00	514.50	500.00
(12) स्टेशनरी	1,168.68	1,582.00	1,000.00
(13) प्रचार	751.32	1,545.00	1,000.00
(14) विविध	5,026.27	3,664.73	6,450.00
(15) अल्पाहार	—	300.00	300.00
(16) झण्डारोहण	—	200.00	200.00
(17) गौर शो	9,962.39	12,442.16	8,000.00
योग ..	68,048.92	61,594.81	68,033.18

परिशिष्ट–3

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

गंगापुर सिटी में महाविद्यालय भवन हेतु अनुदान

394. श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि कृषि उपज मंडी, गंगापुर ने अपने एक प्रस्ताव में महाविद्यालय भवन, गंगापुर सिटी में निर्माण करने के लिये एक लाख रुपया अनुदान में देने हेतु स्वीकृत कर कृषि उपज विपणन बोर्ड को स्वीकृति के लिये भेजा है ?

(2) अगर हां, तो क्या विपणन बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, विपणन बोर्ड को नहीं बल्कि कृषि विभाग को भेजा है।

(2) कृषि उपज मण्डी समितियों के पास उपलब्ध धन राशि के उपयोग के लिए कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। महाविद्यालय भवन उन प्राथमिकता में फिलहाल स्थान नहीं रखता है। अतः इस अनुदान की स्वीकृति देने में असमर्थता है।

कोका कोला फैक्ट्री, जयपुर

395. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर कोका-कोला फैक्ट्री के डाईरेक्टर कौन कौन हैं ? तथा इसके एजेन्ट्स राजस्थान के विभिन्न जिलों में कौन कौन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कानूनी तौर से डाईरेक्टर्स के रिश्तेदारों को एजेन्सी नहीं दी जा सकती ? यदि हां, तो क्या इस कानून का पालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

(3) उपरोक्त फैक्ट्री के पास कितनी जमीन है और कितनी भूमि में फैक्ट्री लगी है, बाकी भूमि किस उपयोग में आ रही है ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम डिग्गी (मालपुरा) में शुष्क खेती विज्ञान कृषि फार्म

396. श्री चतरभुज (टोडारायसिंह): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम डिग्गी नुक्कड तहसील मालपुरा में राजस्थान सरकार ने एक 200 बीघा का शुष्क खेती विज्ञान कृषि फार्म खोल रखा है ? यदि हां, तो इस फार्म से शुरू से अब तक कितनी आय और व्यय हुआ है ?

(2) क्या उक्त फार्म नुकसान में जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों एवं अब इस

(श्री चतर भुज)
फार्म से क्या लाभ होने की आशा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल शुष्क खेती अनुसंधान योजना कुछ क्षेत्र में इसी वर्ष प्रारम्भ की है।

(2) अभी केवल 6 माह से कुछ क्षेत्र में अनुसंधान योजना प्रारम्भ की गयी है जिससे हानि लाभ का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम मानपुरा-शिवसिंहपुरा का संस्कृत विद्यालय

397. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि जयपुर जिले के ग्राम मानपुरा-शिवसिंहपुरा में सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय चल रहा है? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सच है कि इस विद्यालय को राज्याधीन किए जाने हेतु अनेकों वर्षों से कागजात चल रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया और कब तक इस विद्यालय को सरकार अपने अधीनस्थ किये जाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह विद्यालय जुलाई 66, से चल रहा है।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अभी निर्णय नहीं लिया है।

सीमेन्ट कोटा लेप्स होने का मामला

398. श्री मीठा लाल (लालसोट) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) सीमेन्ट कन्ट्रोलर द्वारा राज्य को गत 31 दिसम्बर को समाप्त हुई तिमाही के लिये स्वीकृत किये गये सोलह हजार टन सीमेंट में से कितना सीमेंट राज्य सरकार ने उठाया और कितना सीमेंट लेप्स हुआ ?

(ख) क्या यह सच है कि कोटे के लेप्स होने के जिम्मेदार जिला अधिकारियों के विरुद्ध अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(क) राज्य को सीमेंट कन्ट्रोलर द्वारा गत 31 दिसम्बर को समाप्त हुई तिमाही के लिये 33500 टन सीमेंट आवंटित था। इस आंवटित मात्रा में से 31127 टन सीमेंट फैक्ट्रियों से उठाया गया। इस प्रकार 2373 टन कोटा डीलरों द्वारा निर्धारित अवधि में नहीं उठाये जा सकने के कारण लेप्स हुआ।

(ख) सीमेंट का आवंटन जिला अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाता है। सीमेंट कन्ट्रोलर द्वारा आवंटित कोटा संबंधित फैक्ट्रियों से डीलर लाते हैं। अतः जो मात्रा लेप्स हुई उस हेतु कोई जिला अधिकारी जिम्मेदार नहीं है ऐसी स्थिति में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम भ्रान्तरी-बिडोली में भू-संरक्षण कार्य

399. श्री गोरधन सिंह (सीकर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम भ्रान्तरी बीडोली, पंचायत समिति धोद (जिला सीकर) की हर्ष व जीणमाता पर्वतों के पानी से प्रति वर्ष हजारों बीघा खेती योग्य जमीन नष्ट होती है ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिये कब-कब क्या और कितना भू-संरक्षण (नालाबन्दी) मेडबन्दी का कार्य करवाया गया ?

(2) क्या इस कार्य के भ्रन्तर्गत बीडोली बांध के पीचिंग (पत्थरों से) कार्य भी करवाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों और भ्रब यह कब तक हो जावेगा।

(3) क्या सरकार इन ग्रामों की खेती योग्य जमीन को बचाने के लिए भू-संरक्षण का कार्य शुरू करेगी ? यदि हां, तो यह योजना कब चालू होगी ?

उत्तर

(1) जी हां। इस क्षेत्र में पानी से भूमि कटाव को रोकने के लिये क्रेश योजना के भ्रन्तर्गत एक नाले पर बांध बनाने का कार्य किया गया। यह कार्य जुलाई, 1972 में प्रारम्भ हुआ तथा मार्च, 1974 में पूर्ण हुआ।

(2) जी हां। उपरोक्त नाले की एक तरफ पिचिंग (पत्थरों से) का कार्य किया गया तथा दूसरी तरफ के पिचिंग का कार्य विचाराधीन है।

(3) जी हां। भ्रकालराहत कार्यों के भ्रन्तर्गत भू-संरक्षण कार्य भी सम्मिलित है, तथा यह योजना राज्य सरकार (भ्रकाल सहायता विभाग) के विचाराधीन है।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में कर्मचारियों के विरुद्ध मामले

400. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा): क्या खादी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में कतवारियों व बुनकर कामगरों की ओर से कटौती की कुल कितनी धनराशि जमा है ?

(2) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कतवारियों व बुनकर कामगरों में कितनी कच्ची ऊन व भ्रनसूता बाकी है ?

(3) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कितने कर्मचारियों पर भ्रनाचार, रिश्वतखोरी के मामले हैं ? इन मामलों में क्या क्या कार्यवाही की गई ? दोषियों को क्या क्या सजायें दी गई ? मामले कब तक निपटा दिये जावेंगे ?

(4) क्या यह सही है कि बोर्ड के भ्रष्ट कार्यकर्ताओं का साथ न देने वाले छोटे कर्मचारियों को घर से दूर स्थानान्तरण करके नाजायज रूप से तंग किया जाता है ? यदि ऐसा है, तो यह प्रवृत्ति कब तक समाप्त करदी जावेगी ?

(5) क्या यह सही है कि खादी कमीशन की बजाय बोर्ड का उत्पादन घटिया किस्म का होता है जिसका कारण वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में व्याप्त भ्रष्टाचार है ?

(खादी मंत्री)

उत्तर

(1) राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित उत्पादन केन्द्रों में कतवारी व बुनकर की कटौती (डिपोजिट) की राशि निम्न प्रकार जमा है :—

कतवारी	8,457.35
बुनकर	29,709.45

(2) कतवारी व बुनकरों में निम्न प्रकार ऊन व सूत बाकी है :—

कतवारियों में लेफा (ऊन)	6528.480 कि.ग्रा.
बुनकरों में सूत	4822.080 ,,

(3) बोर्ड के किसी भी कर्मचारी पर रिश्वतखोरी का मामला विचाराधीन नहीं है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

कुचामन तथा मकराना में बन्दूकों के पुर्जे बनाने वाले कारीगरों के विरुद्ध मामले

401. श्री दीपंकर (लाडनूं):—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है, कि बन्दूकों के छोटे पुर्जे बनाने वाले कारीगरों के खिलाफ पुलिस ने कुचामन तथा मकराना में मुकदमें दर्ज किये हैं? अगर हां, तो कौनसी धाराओं के तहत किस जुर्म में दर्ज किये गये हैं तथा केस में कितने आदमियों को शामिल किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 45 डी. के तहत छोटे पुर्जे बनाने के लिये किसी भी प्रकार के लाइसेन्स लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी चाप (ट्रिगर) आदि छोटे पुर्जे बना कर गुजरबसर करने वाले दस्तकारों को पुलिस बिना वजह सताती रहती है और पुलिस के भय से बहुत से दस्तकार बीबी बच्चों को उनके भाग्य के भरोसे पर छोड़ कर रूहपोश हो गये हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार के छोटे पुर्जे-दस्तकार, बन्दूक बनाने वाले लाइसेन्सदारों जो कि हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं, को पार्सल के जरिये भेजने मात्र के कारण पुलिस की झूठी शिकायत पर मकराना के सब-पोस्ट मास्टर को भी निलम्बित करवा दिया गया है? अगर हां, तो इस साजिश के पीछे क्या रहस्य है?

(4) क्या यह भी सही है कि स्थानीय (कुचामन) पुलिस इन दस्तकारों से मासिक दो सौ, तीन सौ रुपया रिश्वत के रूप में डरा कर लेती रही है और वो रिश्वत की रकम अब न देने पर तंग करने की गरज से झूठे मुकदमें बनाये गये हैं और बहाना स्वचालित हथियार बनाये जाने का किया जा रहा है?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह गलत है कि छोटे पुर्जे बनाने वालों के खिलाफ कुचामन व

(गृह मंत्री)

मकराना में मुकदमें दर्ज किये गये हैं। परन्तु अग्नी शस्त्र के महत्व पूर्ण पुर्जे चाप वगैरा को नाजाइज रूप से बनाकर उन्हें गुप्त रूप से बिक्री हेतु भेजने, खरीदने वगैरा पर जुर्म दफा 25,26,29 आर्म्स एक्ट 419,420, 467,468 आई. पी. सी. किये जाने से अभियोग संख्या 98 दिनांक 7-8-74 थाना परबतसर पर 6 व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किया गया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

सूची

1. श्री अब्दुल रहमान पुत्र हबीब खां पठान सा. परबतसर
2. श्री अब्दुल लतीफ पुत्र सिकन्दर मुसलमान सा. कुचामन सिटी
3. श्री रमजान मौलाना पुत्र अब्दुल रहमान सा. कुचामन सिटी
4. श्री इस्लामुद्दीन पुत्र छोटू बक्स सा. कुचामन सिटी
5. श्री फकीर मोहम्मद पुत्र फते मोहम्मद सा. कुचामन सिटी
6. श्री मोहम्मद कासीम पुत्र शेख सुमान सा. भोपाल

संस्कृत कालेज, दौसा

402. **श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) संस्कृत कॉलेज, दौसा में कुल कितने कमरे हैं? कक्षा व वर्ग सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कॉलेज में कितने कमरे प्राचार्य व कर्मचारियों आदि के लिये हैं और कितने कमरे विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिये उपलब्ध हैं?

(3) क्या उक्त कॉलेज की छात्र संख्या के लिये उपलब्ध कमरे पढ़ाई के लिये समुचित हैं? यदि हां, तो कैसे? यदि नहीं तो क्या सरकार इस ओर ध्यान देकर उचित व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) संस्कृत कालेज दौसा में वर्तमान में 14 कमरे हैं जिसमें दो प्याऊ भी शामिल हैं। कक्षा व वर्ग सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) प्राचार्य, कार्यालय एवं स्टोर के लिए एक एक कक्ष है। हाल में लाईब्रेरी/टंकण कक्ष चलते हैं। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए 8 कमरे उपलब्ध हैं।

(3) जी नहीं। भवन की कमी को देखते हुए कालेज दो पारियों में चलाया जा रहा है।

Page No 150

चौसा संस्कृत कालेज में कमरों की कक्षा व वर्ग सहित सूची

क्र.सं.	कक्षा	वर्ग
1.	6	अ
2.	6	ब
3.	7	अ
4.	7	ब
5.	8	अ
6.	8	ब
7.	9	अ
8.	9	ब
9.	10	अ
10.	10	ब
11.	उपाध्याय	
12.	शास्त्री प्रथम वर्ष	
13.	शास्त्री द्वितीय वर्ष	
14.	शास्त्री तृतीय वर्ष	

उद्योगों को आर्थिक सहायता

403. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में दि. 31-12-74 तक कितनी आर्थिक सहायता किस किस उद्योग-प्रतिष्ठान को दी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस समय निगम के विचाराधीन कितने प्रार्थना-पत्र किस किस उद्योग के हैं ? जिलेवार (नाम, पते सहित) सूची देने की कृपा करें।

(3) पिछले तीन सालों में 31-12-74 तक कितने प्रार्थना-पत्र खारिज किए गए और उनके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा 1 अप्रेल, 1972 से 31 दिसम्बर, 74 तक 772 औद्योगिक इकाइयों को 13.60 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की गई। जिन जिन औद्योगिक इकाइयों को जितनी जितनी आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है उसका विवरण संलग्न 1 'अ' 'ब' में दिया गया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) 31 दिसम्बर, 1974 को 250 ऋण प्रार्थना-पत्र निगम के विचाराधीन थे वांछित सूचना संलग्नक 2 'अ' व 'ब' में दी गई है। जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(उद्योग मंत्री)

(3) 1 अप्रेल, 1972 से 31 दिसम्बर, 1974 तक 62 ऋण प्रार्थना-पत्र निगम द्वारा खारिज किए गए, उनके खारिज किए जाने के मुख्य कारण संलग्नक 3 'अ' व 'ब' में दिए गए हैं। जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति सांचोर में भूमिहीन काश्तकारों को आवंटित भूमि का कब्जा

404. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति, सांचोर क्षेत्र में कई भूमिहीन काश्तकारों को आवंटित भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है? अगर हां, तो कुल कितने काश्तकारों को? उनमें अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के काश्तकार कितने हैं? अब तक ऐसे लोगों को कब्जा नहीं दिये जाने के क्या क्या कारण थे? अब ऐसे लोगों को आवंटित भूमि का कब्जा कब तक दिलवा दिया जावेगा?

(2) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति, सांचोर क्षेत्र में सैंकड़ों मामले, 91 लैंड रैवेन्यू एक्ट के तहत फैसले होने शेष हैं? अगर हां, तो कितने मामले कब से पैंडिंग हैं? उनके निपटारे कब तक करवा दिये जावेंगे?

(3) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में नामान्तरण के मामले काफी त होने शेष हैं? अगर हां, तो कितने मामले कब से तय होने शेष हैं? ऐसे सब मामलों का निपटारा कब तक करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। 919 भूमिहीन काश्तकारों को आवंटित भूमि के कब्जे देने शेष हैं जिनमें से 67 अनुसूचित जाति के व 15 अनुसूचित जन जाति के हैं। कब्जा नहीं दिये जाने के कारण यह हैं कि अधिक मात्रा में भूमि की बगैर मौके की तरमीम आवंटन हो गया। नहड़ क्षेत्र में काफी बड़े बड़े खसरा नम्बर हैं। आवंटन के अनुसार मौके की तरमीम नहीं हो सकी है। यह कार्य यथासम्भव शीघ्र पूरा किया जावेगा।

(2) जी हां। वर्ष वाइज विवरण इस प्रकार है :-

1.	एक साल से कम के	731
2.	एक साल से अधिक समय के	150
3.	दो साल से अधिक अरसे के	15
4.	तीन साल से अधिक अरसे के	30
	कुल	926

इनका निपटारा यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र कराया जायेगा।

(3) तहसील सांचोर में 39 नामान्तरकरण के मामले जनवरी, 75 के अन्त में तय होना शेष हैं जिनमें 2 माह से कम के 20, 6 माह से कम के 16 व 1 साल के

(राजस्व मंत्री)
3 शेष हैं जो यथासम्भव शीघ्र निपटा दिये जावेंगे ।

श्री सनातन धर्म पंचायत हायर सैकेण्डरी स्कूल, मण्डावा के अध्यापकों का निलम्बन

405. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री सनातन धर्म पंचायत हायर सैकण्डरी स्कूल, मण्डावा, झुन्झुनूं के प्रबन्धक ने कुछ अध्यापकों को अनियमित ढंग से निलम्बित व सेवा मुक्त किया है ?

(2) क्या यह सही है कि शिक्षा निदेशक और उप सचिव, शिक्षा ने अध्यापकों को वापिस सेवा में लेने के आदेश उक्त संस्था को दिये थे ? यदि हां, तो उक्त दोनों आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि इन अध्यापकों को सरकारी आदेशों के बावजूद भी सेवा में वापिस नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने संस्था के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

(4) क्या यह सही है कि अब राज्य सरकार ने अपने उपरोक्त आदेशों को रद्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों और किन आधारों पर ? उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(5) आदेश रद्द करने के सम्बन्ध में पत्रावली पर की गई टिप्पणियों की प्रति भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) एक अध्यापक श्री बजरंगलाल धाभाई, वरिष्ठ अध्यापक को निलम्बित व सेवा मुक्त किया गया ।

(2) जी हां । प्रतियां संलग्न हैं ।

(3) जी हां । प्रबन्ध समिति के सदस्यों की वार्ता के आधार पर उपरोक्त आदेश रद्द कर दिया गया ।

(4) जी हां । आधार प्रश्न संख्या 3 के उत्तर में बता दिया गया है । प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(5) इसकी आवश्यकता नहीं है ।

(153)

Government of Rajasthan
EDUCATION (GR. V.) DEPARTMENT

R. N. BAIJAL
DY. SECRETARY TO GOVT.

D. O. No. F. & 7 (171) Edu/V/74
Dated the 19 Nov., 1974.

Dear Shri Deopura,

Kindly refer to yout office letter No. Vra-Anu/D/17320/92/Vo-2/72-73/dated 5.10-74 regarding suspension of Shri Bajrang Lal Dhabhai, Senior Teacher Shri Sanatan Dharam Panchayat Higher Secondary School, Mandawa (Distt. Jhunjhunu).

Government agrees with your view that suspension of Shri Bajrang Lal Dhabhai, Senior Teacher by the Institution was irregular. The Institution should be asked to withdraw their orders regarding suspension of the teacher take him back in service immediately. If the institution does not do so within a period of 15 days, the facts may reported to Government for further necessary orders.

Yours Sincerely,
Sd/- (1)
(R.N. BAIJAL)

Shri G. L. DEOPURA,
Dy. Director of Education,
Bikaner.

Copy forwarded to Shri Sanatan Dharam Panohayat Higher Secondary School, Mandawa (Distt. Jhunjhunu) for immediate necessary action.

2. The Inspector of Schools, Jhunjhunu, for information and necessary action.

Sd/-
Dy. SECRETARY TO THE GOVT.

(154)

ओर से निदेशक, प्रा. एवं मा. शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

को—मंत्री, सचिव,
सनातन धर्म पंचायत उच्च माध्यमिक विद्यालय,
मंडावा (झुंझुनूं)

शिविरा/अनु/ए—2/17320/बी—2/72-73

विषय :—श्री बजरंगलाल धाभाई, व.अ. सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय, मंडावा को सेवा में तुरन्त लेने के क्रम में।

प्रसंग :—राज्यादेश क्रमांक एफ.7(171) इडीयू/जीआर—5/74, दि. 19-11-74।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में लेख है कि राज्यादेश क्रमांक एफ. 7(171) इडीयू जीआर—5/74, दिनांक 19—11—74 के अनुसार श्री बजरंगलाल धाभाई, व.अ. को सेवा में ले लिया जावे। तथा इस कार्यालय को 15 दिन के भीतर-भीतर अनुपालना रिपोर्ट से अवगत कराया जावे अन्यथा राज्य सरकार को सूचित कर दिया जावेगा।

हस्ताक्षर,
अपर निदेशक,
प्राथमिक एवं मा. शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

क्रमांक शिविरा/अनु/ए—2/17320/बी—2/119/72—73 दिनांक 11-12-74

प्रतिलिपि :—(1) विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, झुन्झुनूं।
(2) श्री बजरंगलाल धाभाई व.अ. श्री सनातन धर्म पंचायत उ.मा.वि., मण्डावा (झुन्झुनूं) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

हस्ताक्षर
अपर निदेशक।

(155)

Government of Rajasthan
EDUCATION (GR. V.) DEPARTMENT

R. K. AGARWAL
Dy. SECRETARY TO GOVT.

D. No. F. 7 (171) Edu/V/74
Jaipur, dated the 3 Jan., 75

Sub:—Suspension of Sh. Bajrang Lal Dhabhai, Sr. Teacher, Shri Sanatan Dharam Panchayat Hr. Secondary School, Mandawa (Distt. Jhunjhunu).

Dear Shri Deopura,

Kindly refer to d. o. letter of even number dated 19-11-74 from Sh. R. N. Baijal, regarding suspension of Sh. Bajrang Lal Dhabhai, Senior Teacher, Shri Sanatan Dharam Panchayat Hr. Secondary School, Mandawa (Jhunjhunu).

Order issued vide above referred d. o. is hereby withdrawn.

Yours Sincerely,
Sd/—
(R. K. AGARWAL)

To,

Shri G. L. Deopura,
Dy. Director of Education,
Bikaner.

श्री गंगानगर जिले में कृषि उपज मंडी समितियों के चुनाव

406. **श्री गुरदयाल सिंह संधु** (करणपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला श्रीगंगानगर में ऐसी कितनी कृषि उपज मंडी समितियां हैं जिनका कार्य प्रशासकों (Administrator) द्वारा चलाया जा रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समितियों के चुनाव इससे पहले कब हुए थे और आज तक न करवाए जाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार कृषि उपज मंडी समितियों का चुनाव एक लम्बे अर्से तक न करवाये जाने व उसका कार्य प्रशासकों द्वारा चलाए जाने को उचित मानती है ? यदि नहीं तो इन समितियों के चुनाव कब तक करवा दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जिला गंगानगर में पांच कृषि उपज मंडी समितियों में प्रशासक नियुक्त हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) उपरोक्त समितियों के चुनाव निम्न तिथियों को सम्पन्न हुए थे :—

1.	श्री गंगानगर	28-2-68
2.	नोहर	3-9-68
3.	सांगरिया	30-6-68
4.	श्री विजयनगर	4-9-68
5.	सादूलशहर	13-6-68

चुनाव प्रक्रिया की जटिलता को सरल बनाने की दृष्टि से कृषि विपणि नियमों का सरलीकरण का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) जी नहीं। नये नियमों के संशोधन तक राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 10(40) कृषि/ग्रुप-2/69, दिनांक 4-10-74 द्वारा चुनाव रोक दिए गए हैं। उपरोक्त प्रस्ताव पर मंत्री परिषद् की स्वीकृति के बाद सभी कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव करवा दिए जावेंगे।

श्रीगंगानगर की कृषि उपज मण्डी समितियों की सूची जिनमें प्रशासक नियुक्त हैं:—

1. श्री गंगानगर
2. नोहर
3. सांगरिया
4. श्री विजयनगर
5. सादूलशहर

फागी तहसील के अकालग्रस्त गांव

407. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) फागी तहसील में कुल कितने ग्राम अकालग्रस्त घोषित किए गए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि फागी तहसील में 18 ग्राम अकालग्रस्त घोषित नहीं किए गए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त 18 ग्रामों को पुन: विचार करके अकालग्रस्त घोषित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) फागी तहसील में कुल 133 ग्रामों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, इन गांवों में फसल में नुकसान 58% से कम होने तथा रबी प्रधान होने के कारण अभावग्रस्त घोषित नहीं किये जा सके।

(3) जी, नहीं।

तहसील फागी :

क्र.सं. 1	नाम ग्राम 2
1.	बसडाई उर्फ गोविन्दपुरा
2.	नन्दलालपुरा
3.	छरदड़ा
4.	छिगोलिया
5.	राताखेड़ा
6.	हरवंसपुरा
7.	जगन्नाथपुरा
8.	बिसलपुरा
9.	वाडमोयडी
10.	हाथेडी
11.	नथमलपुरा
12.	गोपालपुरा
13.	प्रेमपुरा
14.	हनुतियाखुर्द
15.	चकगुलाबपुरा
16.	मदनपुरा उर्फ कटारिया
17.	नोन्दपुरा
18.	मूरतपुरा

उक्त 18 ग्रामों को छोड़कर फागी तहसील के शेष 133 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किये जाते हैं।

गंगानगर जिले में सीलिंग में आई भूमि का आवंटन

408. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

गंगानगर जिले में सीलिंग कानून के तहत कितनी जमीन सरप्लस घोषित कर कितनी जमीन पर कब्जा किया व कितनी जमीन भूमिहीनों को आवंटित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

गंगानगर जिले में पुराने सीलिंग कानून व नये सीलिंग कानून के अधीन

(राजस्व मंत्री)

16,352 एकड़ जमीन सरप्लस घोषित की गई। इसमें से 14,950 एकड़ जमीन पुराने कानून के तहत व 1402 एकड़ नये कानून के तहत घोषित की गई है। उपरोक्त जमीन में से 3542 एकड़ पर कब्जा प्राप्त कर लिया है। उपरोक्त जमीन में से 2140 एकड़ जमीन पुराने कानून के तहत व 1402 एकड़ जमीन नये कानून के तहत प्राप्त हुई है।

उपरोक्त जमीन में से 1819 एकड़ जमीन 118 भूमिहीनों को आवंटित की गई है। इसमें से 417 एकड़ जमीन 38 भूमिहीनों को पुराने कानून के तहत व 1402 एकड़ जमीन 80 भूमिहीनों को नये कानून में आवंटित की गई है।

विद्या भवन सोसाइटी, उदयपुर के कर्मचारियों का प्रोविडेन्ट फण्ड

409. श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विद्या भवन सोसाइटी, उदयपुर को सभी संस्थाओं के अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतनों से प्रोवीडेंट फण्ड की राशि काटी जाती है ? यदि हां, तो कब से और क्या यह जमा की जाती रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार के नियमानुसार प्रोवीडेंट फण्ड का रजिस्ट्रेशन कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं और कर्मचारियों को इससे कितनी हानि हुई ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1942 से यह राशि सितम्बर, 74 तक की जमा की जा चुकी है।

(2) रजिस्ट्रेशन हेतु पत्रादि इन्कम-टैक्स कमिश्नर को प्रस्तुत किये जा चुके हैं, कार्यवाही अभी चालू है, वहां से रजिस्ट्रेशन होने पर अग्रिम कार्यवाही सम्भव है। कर्मचारियों को मिलने वाली राशि में हानि नहीं होगी।

ग्राम चोलपुरा में डाका

410. श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम चोलपुरा तहसील छबड़ा में सन् 74 में कोई डाका पड़ा था ? यदि हां, तो डाकू कितनी सम्पत्ति लूट कर ले गये ?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त डकैती में कुछ डाकुओं को मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ कर थाना बापचा के सुपुर्द कर दिया था ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि पकड़े गये डाकुओं ने ग्राम बटावदा पार तहसील छबड़ा के निवासी श्री रामसिंह की 12 बोर बन्दूक डकैती में काम में लिए जाने का इजहार किया था ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि यह बन्दूक भी पुलिस ने जब्त की थी ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि इतना सब कुछ होते हुए भी थानेदार बापचा, श्री

(श्री जगमोहनसिंह)
भवानीसिंह ने न तो डाकुओं से कोई माल बरामद किया और जब्त शुदा बन्दूक को भी वापस दे दिया न श्री रामसिंह के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ?

(6) अब इस डकैती केस की क्या स्थिति है और आगे किस कार्यवाही की आशा की जा सकती है ?

(स्थगित किया गया)

झालावाड़ जिले में छोटे उद्योगों हेतु लोहे का कोटा

411. श्री राम प्रसाद बोहरा (झालरापाटन):—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ में छोटे छोटे उद्योगों हेतु लोहा आदि सप्लाई हेतु निगम की स्थापना की गई है ? यदि हां, तो कब से ? और 1974–75 में कितना कितना कोटा इस हेतु किन किन को दिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) छोटे उद्योगों को लोहा आदि किस किस आधार पर वितरित किया जाता है ?

(3) इससे पहले लोहे का कार्य करने वाली कितनी फैक्ट्रियां किन-किन की पंजीकृत हैं जिन्हें समय-समय पर लोहा दिया जाता है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या उद्योग विभाग द्वारा जांच की गई है कि सभी पंजीकृत उद्योग कार्य कर रहे हैं या इनमें बोगस फर्में भी हैं ? यदि हां, तो बोगस फर्म कितनी और किन-किन की हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां।

18 जुलाई, 74 को निगम की डिपो स्थापित की गई है। सूची 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) लघु उद्योगों को लोहा उनकी उत्पादन क्षमता के आधार पर दिया जाता है। इस सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(3) सूची 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) झालावाड़ जिले में दिनांक 31-12-73 तक 184 इकाइयां पंजीकृत थीं, जिसमें से 82 इकाइयां कार्यरत थीं। कोई भी इकाई बोगस नहीं पाई गई।

(सूची विस्तृत होने के कारण वि.स. पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम सत्तासर में आबादी भूमि

412. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम पंचायत सत्तासर, पंचायत समिति बीकानेर ने ग्राम

(श्री भीमसेन)
छत्तरगढ़ की आबादी भूमि की वृद्धि हेतु मांग की है ?

(2) क्या यह सही है कि जिस भूमि की वृद्धि की मांग की है वह वास्तविक रूप में आबादी भूमि ही है तथा उक्त भूमि पर ठिकाना छत्तरगढ़ के समय से ही मूल काश्तकार बसे हुए हैं ?

(3) क्या सही है कि भू. पू. ठिकानेदार को अपनी जागीर के काश्तकारों को कृषि एवं आबादी हेतु भूमि देने का हक था ? अगर हां, तो उपनिवेशन विभाग उक्त वास्तविक आबादी भूमि को तकनीकी आधार पर क्यों आपत्ति कर रहा है ?

(4) क्या सरकार मूल निवासियों द्वारा आबादी की भूमि को ग्राम पंचायत की मांग के आधार पर आबादी भूमि में परिवर्तित करने की स्वीकृति शीघ्र दे सकेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। ऐसे अधिकारों के बारे में उपनिवेशन विभाग कोई आपत्ति नहीं करता। ग्राम पंचायत की मांग ऐसी आबादी हेतु दी गई भूमि के अतिरिक्त कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तन की है, जो जागीर पुनर्ग्रहण के समय से ही कृषि आबादी भूमि नहीं है।

(4) वर्तमान में भूमि पर आबाद व्यक्ति मूल निवासी न होकर अतिक्रमी है, जिनको मान्यता देने का प्रश्न नहीं उठता। जहां तक ग्राम पंचायतों को भूमि देने का प्रश्न है, वह मास्टर प्लान बनने तथा मंडी क्षेत्र के चयन के बाद ही सम्भव होगा जिसके लिये कार्यवाही की जा रही है।

नये सिविल कोर्ट्स में बार एसोसियेशनें के लिए भवन

413. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार, जयपुर):—क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर स्थित नये सिविल कोर्ट्स के भवन में बार एसोसियेशन लाईब्रेरी, वकीलों के चेम्बर्स, लेबर ट्रिब्यूनल, आर. टी. आथोरिटी ट्रिब्यूनल के लिये भवन उपलब्ध कराने का प्लान मंजूर हुआ था ? यदि हां, तो इनको भवन उपलब्ध कराने की दिशा में क्या कोई शीघ्र ही कदम उठाया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या राज्य सरकार बार एसोसियेशन आदि के लिये भवन उपलब्ध कराना उचित समझती है ? यदि हां, तो कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

हां सही है। नये सिविल कोर्ट्स का भवन पहले चरण में पूरा हो चुका है दूसरे चरण में बार एसोसियेशन लाइब्रेरी, वकीलों के चेम्बर्स आदि भवन उपलब्ध करवाने हेतु निर्माण कार्य विचाराधीन है। वित्तीय स्वीकृति के साथ ही कार्य हो सकेगा।

(विधि मंत्री)

हां, कार्य आगामी वर्षों में पूरा करवाने का प्रयत्न किया जायेगा। पूरे भवन निर्माण का कार्य अभी चालू है, उसके साथ ही यह कार्य प्राथमिकता से पूरा करवाने का प्रयास किया जावेगा।

चूरू जिले में बीड़ों की जमीन

414. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला चूरू में किन तहसीलों के किन-किन ग्रामों में बीड़ों में से कितनी जमीन में से कितनी-कितनी जमीन वन विभाग को दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखी जाये।

(2) कितनी जमीन बीड़ों में से कहां-कहां इण्डस्ट्रियल एरिया के नाम कब से काटी गई है ?

(3) वन विभाग को जमीन दिये जाने से उत्पन्न पशुधन के चराने की समस्या पर सरकार ने क्या हल सोचा है ?

(4) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जिला चूरू में जिन ग्रामों के बीड़ों में भूमि वन विभाग को दी गई है। उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) कस्बा चूरू में 200 बीघा जमीन जंगलात विभाग से दिनांक 20-10-72 को औद्योगिक विभाग को दी गई है।

(3) वन विभाग को जमीन दिये जाने से गोचर भूमियों पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ा है क्योंकि निर्धारित स्केल से गोचर भूमियां छोड़ी हुई हैं।

(4) प्रश्न पैदा नहीं होता।

प्रश्न नं. 1 की सूची

कस्बा चूरू के बीड़ा में से 4746।) भूमि तथा राजगढ़ तहसील के ग्राम बीड़ राजगढ़ सिवाय चक में से 4266।।।) 1 सांखू (सिवाय चक) में से 1189।।।) 1 भूमि एवं चांगोठो के गोचर (चराई योग्य) 769।।।) 1 भूमि एवं तहसील तारानगर के बीड़ में से 1660) बीघा भूमि तथा रतनगढ़ तहसील के कस्बा राजलदेसर में 794 तथा सरदार शहर तहसील के 154)4 वन विभाग को दी गई है।

कोटपूतली महाविद्यालय के लिए भूमि

415. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटपूतली महाविद्यालय के लिये कितनी जमीन अवाप्त की गई थी तथा इस समय कितनी जमीन कब्जे में है ?

(2) क्या उक्त महाविद्यालय को और जमीन की आवश्यकता है ? यदि हां, तो कितनी जमीन और किस काम के लिये आवश्यक है ?

(श्री सुदेश चन्द्र)

(3) क्या राज्य सरकार ने महाविद्यालयों के लिये आवश्यक जमीन की कोई सीमा निर्धारित कर रखी है ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(1) कोटपूतली महाविद्यालय के लिए 78 बीघा 3 बिस्वा (लगभग 30 एकड़) जमीन स्वीकृत हुई थी और ये पूरी की पूरी जमीन महाविद्यालय के कब्जे में है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट–4

(अता. प्र. सं. 208 की सूची)

अतारांकित प्रश्न संख्या 42/क्र.मं./के भाग (2) की सूची

(मात्रा टनों में)

नाम माह	चूरू राज्य द्वारा आवंटित मात्रा		जिले द्वारा उठाई गई मात्रा शहरी क्षेत्र		जिले द्वारा उठाई गई मात्रा ग्रामीण क्षेत्र		बीकानेर राज्य द्वारा आवंटित मात्रा		जिले द्वारा उठाई गई मात्रा शहरी क्षेत्र		जिले द्वारा उठाई गई मात्रा ग्रामीण क्षेत्र	
	गेहूं	मो. अनाज	गेहूं	मो. अ.	गेहूं	मो. अ.	गेहूं	मो. अनाज	गेहूं	मो. अ.	गेहूं	मो. अ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अगस्त, 72	1000	–	1000	–	–	–	435	–	435	–	–	–
सितम्बर, ,,	800	500	1100	–	500	–	800	1500				
अक्टूबर, ,,	1850	1000	1200	–	650	1000	1500	1000	1500	–	–	–
नवम्बर, ,,	1700	–	1200	–	500	500	1100	–	1100	–	–	–
दिसम्बर, ,,	900	700	1200	–	500	500	1000	–	1030	–	–	–
जनवरी, 73	1200	1200	850	–	550	1200	1600	1700	1600	–	–	–

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
फरवरी,	73	1760	1100	940	273	760	1650	1800	1500	1800	—	—	—
मार्च,	,,	2100	1970	660	255	1440	835	2100	1590	2100	—	—	—
अप्रेल,	,,	2300	1760	1260	—	1230	1760	2550	1420	2100	—	—	—
मई,	,,	3000	3100	1630	500	3370	2000	4000	2800	4000	—	—	—
जून,	,,	4000	2000	1610	—	2390	2000	4000	2000	4000	—	—	—
जुलाई,	,,	3000	1750	1610	—	1190	1750	3000	1400	3000	—	—	—
अगस्त,	,,	2500	1400	1212	—	1258	—	2500	1400	2500	—	—	—
सितम्बर,	,,	1000	1500	1000	—	—	—	1500	1500	1500	—	—	—
अक्तूबर,	,,	800	—	800	—	—	—	1200	480	1200	—	—	—
नवम्बर,	,,	600	—	600	—	—	—	900	—	900	—	—	—
दिसम्बर,	,,	600	—	600	—	—	—	900	—	900	—	—	—
जनवरी,	74	550	—	550	—	—	—	900	—	1000	—	—	—
फरवरी,	,,	550	—	550	—	—	—	1050	—	950	—	—	—
मार्च,	,,	650	—	550	—	—	—	1000	—	1000	—	—	—
अप्रेल,	,,	652	—	650	—	—	—	1258	300	1250	—	—	300
मई,	,,	550	100	550	—	—	—	600	500	600	—	—	—
जून,	,,	450	—	450	—	—	—	600	—	600	—	—	—
जुलाई,	,,	300	—	300	—	—	—	609	—	600	—	—	447

अगस्त,	,,	200	—	200	—	—	—	600	200	600	—	—	200
सितम्बर,	,,	250	350	250	—	—	—	600	—	600	—	—	—
अक्टूबर,	,,	400	500	400	—	—	—	800	807	800	—	—	500
नवम्बर,	,,	675	750	675	—	—	—	925	1250	925	—	—	750
दिसम्बर,	,,	665	500	665	—	—	500	1115	1250	1115	—	—	825
जनवरी,	75	670	750	665	—	—	750	985	1250	985	—	—	1250
फरवरी,	,,	1235	600	695	—	540	600	1385	800	845	—	535	800
मार्च	,,	1700	700	अब उठाया जायेगा				1950	500	अब उठाया जायेगा।			

परिशिष्ट—5

(अता. प्र. सं. 213 की सूची)

जयपुर जिले की कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची

(1) महाराजा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर
(2) महारानी कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर
(3) श्रीमती कमला नेहरू बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर
(4) राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर, जयपुर
(5) राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, आदर्शनगर, जयपुर
(6) राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गनगोरी बाजार, जयपुर
(7) एम. जो. डी. बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर
(8) सेन्ट एंजला सोफिया उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर
(9) वीर बालिका कन्या उच्च माध्यमिक, विद्यालय जयपुर
(10) वैदिक कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर

परिशिष्ट—6

(अतारांकित प्र. सं. 214 की सूची)

तीन वर्षो 1972, 1973 तथा 1974 में गंगानगर जिले में जारी किए गए लाइसेन्स की सूची।

अधिकारी	1972	1973	1974	योग
जिला दण्डनायक गंगानगर	1008	461	110	1579
एस. डी. एम. गंगानगर	10	6	8	24
एस. डी. एम. करनपुर	116	42	37	195
एस. डी. एम. नोहर	37	11	59	107
एस. डी. एम. रायसिंहनगर	110	47	79	236
एस. डी. एम. हनुमानगढ़	187	131	39	357
तहसीलदार गंगानगर	16	15	26	57
तहसीलदार करनपुर	1	3	—	4
तहसीलदार पदमपुर	5	1	4	10
तहसीलदार भादरा	—	—	1	1
तहसीलदार नोहर	3	—	—	3
तहसीलदार रायसिंह नगर	3	—	—	3
तहसीलदार अनूपगढ़	3	1	2	6
तहसीलदार हनुमानगढ़	4	1	1	6
तहसीलदार सादुल शहर	—	2	2	4
तहसीलदार डोबी	3	1	—	4
तहसीलदार संगरिया	2	1	—	3
तहसीलदार सूरतगढ़	5	16	2	23
योग	1513	739	370	2622

परिशिष्ट–7

(अता. प्र. सं. 215 की सूची)

सूची

(1) 21 अक्टूबर 72 को प्राप्त 3 गाड़ियों का वितरण :—

1. नवाब खां एण्ड को.
2. मोलाबक्स रमजान
3. सोनाराम एण्ड कं.
4. बीकानेर ब्रिक्स ट्रेडर्स
5. चूनाराम एण्ड कम्पनी

(2) सन् 1973 में कोई कोयला ईंट भट्टा हेतु प्राप्त नहीं हुआ।

(3) क 10 जनवरी 74 को प्राप्त कोयले का वितरण :—

1. बीकानेर ब्रिक्स ट्रेडर्स	128 टन
2. महावीर ईंट उद्योग	148 टन
3. तुलसीराम डीडवानियां	128 टन
4. चूड़ाराम एण्ड कम्पनी	91 टन
5. देवू कन्ट्रेक्टर	76 टन
6. सोनाराम एण्ड कम्पनी	76 टन
7. प्रेम एण्ड कम्पनी	52 टन
8. गहलोत ईंट उद्योग	76 टन
9. गौरी शंकर बलवन्तराय	76 टन
10. मघाराम एण्ड कम्पनी	76 टन
11. पन्नाराम कुम्भाराम	76 टन
12. पूर्णाराम एण्ड कं.	76 टन
13. अली मोहम्मद अब्दुल मजीद	86 टन
14. नवाब खां एण्ड कम्पनी	60 टन
15. समसुद्दीन एण्ड कं.	60 टन
	1285 टन

ख— 6 जुलाई 74 को प्राप्त कोयले का वितरण :—

1. बीकानेर ब्रीक्स ट्रेडर्स	30 टन
2. महावीर ईंट उद्योग	20 टन

3.	तुलसी राम डीडवानियां	20 टन
4.	धूडाराम एण्ड कम्पनी	30 टन
5.	प्रेम एण्ड कम्पनी	20 टन
6.	समसुद्दीन एण्ड कम्पनी	20 टन
7.	मघाराम एण्ड कम्पनी, सागर	20 टन
8.	गौरी शंकर बलवन्तराय, सागर	30 टन
9.	पूर्णाराम एण्ड कम्पनी, शिवबाड़ी	30 टन
10.	श्याम सुन्दर पूनमचन्द शिवबाड़ी	20 टन
11.	बाबूलाल ठेकेदार, उदासर	20 टन
12.	गहलोत ईंट उद्योग, शिवबाड़ी	20 टन
13.	पन्नाराम गोगाराम, घडसीसर	20 टन
14.	भंवरलाल ब्रिक्स फैक्ट्री, गंगाशहर	20 टन
15.	जय भवानी ईंट उद्योग, गंगाशहर	20 टन
16.	सोनाराम एण्ड कम्पनी, सुजानदेसर	20 टन
17.	नबाब खां ठेकेदार, पूगलरोड	20 टन
18.	अकबर अली ठेकेदार, पूगल रोड	20 टन
19.	मोलाबक्स रमजान, पूगल रोड	20 टन
20.	बशीर अहमद नसीर अहमद बीछवात	20 टन
21.	समदे खां एण्ड कम्पनी, पूगल रोड	20 टन
22.	जय श्री ब्रिक्स प्रोडक्ट्स, नावासर	20 टन
23.	मधुसूदन एण्ड कम्पनी, सागर	30 टन
24.	अली मोहम्मद अब्दुल मजीद	20 टन
25.	गुलाम रसूल पजाबगिर, बीकानेर	30 टन
		560 टन

(ग) 2·12·74 को प्राप्त कोयले का वितरण :—

1.	जय भवानी ईंट उद्योग	52 टन
2.	गहलोत ब्रिक्स फैक्ट्री	53 टन
3.	बीकानेर ब्रिक्स फैक्ट्री	51 टन
4.	धूडाराम एण्ड कं.	52 टन
5.	प्रेम एण्ड कं.	60 टन
6.	अकबर अली	60 टन

(170)

7.	मोलाबक्स रमजान	60 टन
8.	बशीर अहमद नसीर अहमद	60 टन
9.	समदे खां एण्ड कम्पनी	60 टन
10.	भंवरलाल ब्रिक्स फैक्ट्री	25 टन
11.	बाबूलाल कन्ट्रेक्टर	25 टन
12.	जय श्री प्रोडक्शन, नावासर	50 टन
13.	पूनम चंद श्याम सुन्दर	20 टन
		568 टन

शेष माल ईंट भट्टों द्वारा न लिये जाने के फलस्वरूप सप्लायर को फ्री सेल में बेचने की अनुमति दी गई।

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्र. सं. 222 की सूची)

सूची केसेज अनाधिकृत प्रतिक्रमण (नाजायज काश्त) रेंज बैराठ जिनमें फरवरी 1975 तक बेदखली नहीं हुई है।

क.सं.	नाम अपराधी	एफ. आई. आर. नम्बर	नाम ग्राम	अन्दाजिया रकबा	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री बद्रीनारायण बंशीधर महाजन पुरोहित जी का कटला, जयपुर	1/5 दि. 20-7-73	नौरंगपुरा	31 बीघा	बेदखली की कार्यवाही प्रगति पर है।
2.	श्री बहादुरसिंह पुत्र कानसिंह राजपूत, साकिन नौरंगपुरा	380-11 दि. 31-8-73	नौरंगपुरा	10 बीघा	"
3.	श्री धीना पुत्र जीरा सीवका वगैरह, साकिन नौरंगपुरा	380-12 दिनांक 9-9-73	नौरंगपुरा	5 बीघा	"
4.	श्री प्रहलाद पुत्र भागीरथ ब्राह्मण वगैरह, पापड़ी	1161-17 दिनांक 11-7-74	पापड़ी	10 बीघा	"
5.	श्री सूवा पुत्र छोरा रेगरान रामपुरा	1163-9 दिनांक 27-7-74	मातेला	1 बीघा	"

1	2	3	4	5	6
6.	श्री छीतर पुत्र भूरा गूजर, भामरू	1162–3 दिनांक 1–8–74	भामरू	2 बीघा	बेदखली की कार्यवाही प्रगति पर है।
7.	श्री लेरू पुत्र विरदू मीना, बूचारा	1164–2 दिनांक 2–8–74	बुचारा	1 बीघा	"
8.	श्री रघुवीरसिंह वगैराह, नौरंगपुरा	415–27 दिनांक 10–8–74	नौरंगपुरा	10 बीघा	"
9.	श्री माला पुत्र भूरा माली, किशोरपुरा	376–50 दिनांक 4–10–74	टटेरा		यह एक रहने का बाड़ा बनाया है।

परिशिष्ट—9

(अता. प्र. सं. 223 की सूची)

फेहरिस्त खातेदार ग्राम भामेरी

क्र.सं.	नाम खातेदार	तादाद बीघा
1.	श्री कल्याणसिंह पुत्र हीरसिंह राजपूत	145।।।) 5
2.	श्री किशनसिंह पुत्र जैतसिंह राजपूत	49।) 4
3.	श्री खेतसिंह पुत्र रामसिंह राजपूत	143।।) 4
4.	श्री जोरावरसिंह पुत्र हरिसिंह	103) 1
5.	श्री डूंगरसिंह पुत्र जुगमसिंह	4) 4
6.	श्री मूंगसिंह पुत्र भगवानसिंह	82) 3
7.	श्री रामसिंह पुत्र भगवानसिंह	78।) 3
8.	श्री हरनामसिंह पुत्र हरिसिंह	81)
9.	श्री हरिसिंह पुत्र सेरसिंह	127।।।) 2
10.	श्री मालसिंह पुत्र देवीसिंह	32।।) 3
	कुल योग	8481) 1

(174)

शुद्धि-पत्र

7 मार्च, 1975

क्रम सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	1	नीचे से 7	ऊषा प्रकाश	उषा प्रकाश
2.	3	ऊपर से 6	,,	,,
3.	32	नीचे से 10	लूनाराम	लूणाराम
4.	53	ऊपर से 1	—	यदि
5.	56	,, 16	मेप	मेज
6.	59	नीचे से 2	138	—
7.	61	ऊपर से हैडिंग	—	गृह मंत्री
8.	73	,, 4	स	इस
9.	,,	नीचे से 2	मै.	मेम्बर
10.	74	,, 12	it	if
11.	78	ऊपर से 12	मानानीय	माननीय
12.	79	नीचे से 7–11	मारमीट	मारपीट
13.	81	ऊपर से 16	श्री उपाध्यक्ष	श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष
14.	83	,, ,	अन्तिरिम	अन्तरिम
15.	92	नीचे से 11	आन्दोदन	आन्दोलन
16.	229	,, 3	व	भाव
17.	268	ऊपर से 1	बैंच	वेच
18.	278	,, 3	—	उनके